अफजलुल कानून.

ROBERT'S

REMEMBERANCER

OR

AFZALLUL QANOON

OR

Criminal Procedure Code for the specia use of the Native States in Rajputana,

WHICH

has been compiled by Munshi-Mir-Tafazzul Hoosein, Son of Mir-Hoosein Ali, Sarishtadar Magistrates' Court Mount Abu.

———O:O———

Printed at The Shri Venkateshwar Steam Press Bombay.

This compilationof the criminal Procedure Code which is intended use of the Native States of Rajputana, and Central India is most respectfully presented by the compilor to Colonel A. W. Roberts Political Agent, District Majistrate of Abu an officer who is well known for his evide knowledge and experience of the Rajputana States.

MT. ABU
10th of February
1896.

MIRTAFAZZUL HUSAIN,
Sarishtadar Magistrate
Court Mount Abu.

PREFACE.

It is a known fact that the system of the working of the Criminal Courts of the Native States, of Rajputana is generally defective and that owing to its being so the income of the States suffurs and Justice is not properly meted out to the subjects some of the larger states have their own Codes, of Criminal Procedure Compiled by one or more of their officials but such codes being incomplete as containing only form about 20 to 25 sections for all imaginable offences are not quite complete and useful.

Act. 45 of 1860 that is the Indian Penal Code is so extantive and has been so very carefully compiled that there has not been found any necessity to make more than a few amendments therein during the last 35 years.

The offences mentioned in the Indian Penal Code are not less frequently committed in any portion of a native state than they are committed in a similar portion of British territory and therefore the omission in the Codes of the Native States of the greater number of the section is to be deplored.

The following offences occur in the Native States.

Abetments

Offences against the Raj

ditto ditto the Raj army

ditto ditto the Public tranquillity.

Offences of receiving bribes.

Offences against and contempt of lawful authority of native states servants.

Offences of giving false evidence.

Offences relating to state coins and stamps.

Offences relating to weight to & to measures.

Offences affecting Public health.

Offences relating to religion.

Offences relating to property.

Offences relating to documents.

Offences relating to breach of contract of service.

Offences relating to marriage.

Offences of defamation.

Offences of intimidation.

Offences of attempt to commit a crime.

For the reasons stated above it is impracticable for Native States Courts to be quided by a Code which contains only a few sections taken from in the Indian Penal Code for the Offences committed in native

states are the same as there committed in British Territory although in the former they are known by names different from those given to them in the latter.

For instance the offence of Dacoity is known by the word "Dhara" and offence of adultry or Zina is known as "Cham-chori" in Native States and the offences of receiving bribes "Rishvat lena" is called "Ghuns lena" in Native States.

There are many other differences regarding the denominations of offences but as a matter of fact besides the difference in the names there is also a difference in the Procedure in the working and disposal of cases for example in Native States the offences of adultry is cognizable by the Police as laid down in section 199 of Criminal Procedure Code.

The point whether the whole of the Indian Penal code or any portion of it should be put in force in the Native States depends on the direction of the Chiefs, I am however of opinion that the Indian Penal Code can as usefully be introduced in Native States as it has been in British India.

As regard the Criminal Procedure Code in force in the larger Native States, I have to State that there are a few concise compilations from them, but in several smaller states the courts have no procedure laid down for their quidance and consequently the officers appointed to mete out Justice dispose of the cases according to their own ideas and inclinations. For instance it is not unusal for a Thanadar of a Native State to have the complainant and the accused in cases of assault, both beaten with shoes, the former getting five strokes and the latter, getting ten. It may be stated that no report of the occurrence or of the mode of the disposal of such cases is either recorded or submitted for the information of any higher authority and even in the more heinous offences the same procedure is observed.

The above reasons caused me to begin the compilation in Urdu and Hindi of a code of Criminal Procedure that may be of use generally to the Native States and I have within a period of 2 years and some month compiled with great trouble this code in Urdu and Hindi mostly composed of the subjects contained in the British Indian Criminal Procedure Code with certain useful addition which have been made with due regard to the prevailing customs & usage.

This compilation is composed of three parts,

The 1st part contains serially the rules connected with the Police and &c. and ends with the Jail Rules, I have also compiled in it the forms connected with these rules, and a Criminal case with all the pro-

cedure necessary and senating, is illustrated from beginning to end

For example in the portion relating to the Police the Forms of Registers and reports connected with each rule have been illustrated and mention has been made of the offences which are cognisable by the Police. Further the form of a petition of complaint and an extract of the Court Fees Acts is also given. The form of summons will also to be found and the manner in which the Talbana ought to be realized showing also the manner in which it is realized in some British provinces. The rate at which the subsistance allowance is given to witnesses and complainants is also mentioned.

As regards the evidence I have given a form showing how it should be recorded.

The questions that should be put to a Doctor in connection with murder poisoning and other circumstances are also mentioned at full length.

An extract of the Oaths Act is also given, and it is shown how a charge sheet should be drawn up. The form of a judgement is also given as well as the forms connected with the Commitment of a case to a higher Court.

The manner in which the Punishment should be carried out and a scale of diet and specimen Registers will also be found in this compilation. Further on there will be seen the form of receipt of money to be paid out or received by courts one detail Register and an abstract one are contained in the Chapter in order to prevent receipt and payment, of money without a written order the forms of the receipt and the Cheque book shown by me can be usefully introducted. And after giving extracts from the Limitation, the Oaths and the Court Fees Act. I have included the Indian Penal Code as an appendix to part one and several other useful subjects are mentioned with the pictures.

In the Second Part of this Code I have shown the manner in which in Sanitation Lighting & contraction of buildings should be carried out and looked after, also showing the rules one for certain taxes, Sketches of Latrines, urinals, and latrines together with instructions for the prevention of Cholera & purifying wells with permingannate of Potassiam.

As regards these subjects I have appended a full copy of the Pamphlet of Dr Hankin with his permission.

The rules regarding Municipals Committees are also contained in this Part.

In the 3rd Part I have mentioned the powers exercised by the Magistrate of Abu as sanctioned by the Foreign Department and also the rules connected with the Abu Municipality and taxes realized in accordance with these rules. These I have translated from English. I have also added a translation of the rules in connection with the requisition for land and of the visits of Native Chiefs to Mount Abu as amended during time of Colonel G. H. Trevor C. S. I. late Agent Governor General Rajputana. These last mentioned rules will give the most useful information to the Ruling Chiefs and other Notables of Rajputana and Central India. And the Foreign Jurisdiction and extradition act No. 21 of 1879 is also mentioned in this part in full subject.

॥ अफ़ज़लुल्क़ानून ॥

यह किताब यानी मजमूअ़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी बराय ख़ास रियासत हाय देशी व महज़ व नज़र यादगार **आली जनाब फैज़ माआब अ़द्ल गुश्तर ग़ुरबा परवर करनेल ए. डबल्यू राबर्ट साहिब बहादुर पोलेटिकल ऐजेन्ट मजिस्ट्रेट जिलअ़ कोह आबू** जो अ़लावह आ़ली ख़ानदान होनेके दर्जा आ़ला के अ़क़ील व फ़हीम मुन्सिफ़ मिज़ाज ग़रीब पर्वर और निहायत तजुर्बहकार मुहक़्क़िक हरएक ज़ुबान हिन्दुस्तान जो राजपूतानामें अपना आपही नज़ीर हैं मुरत्तब हुई ताकि इस मजमूअ़ से रियासत हाय देशी वाक़े राज पूताना व वस्त हिन्द वग़ैरह मुस्तफ़ीज़ हों और साहब ममदूह का नाम नामी हिन्दमें ताअबद क़ायम व दायम रहे फ़क़्त ॥

अलअ़ब्द तफ़ज्जुल हुसेन बिन् मीर हुसेनअ़ली देहलवी
सरिश्तहदार मजिस्ट्रेटी ज़िला कोह आबू ॥

श्री परमात्मने नमः ।

दीबाचा भूमिका ।

वाजै हो कि, रियासत हाय देशी वाके राजपूताना व वस्त हिन्द में अदालत हाय फ़ौजदारी का तरीका उमूमन् काबिल इसलाह और तरमीम है और इसी बद अमली के बाअस बहुत से अमूर रियासत हाय देशी की आमदनी के हारिज और हकतलफ़ी रिआया का मूजिब होते हैं बाज़ रियासत हाय आला में अहलकारान् राजने मजमूअ ज़ाब्ता फ़ौजदारी अपनी २ रियासतों के फायदे के वास्ते ज़ाब्तह फ़ौजदारी मुरव्विजह कलमरवे सर्कार अंगरेज़ी से मुन्तखिब किय। मेरे नज़दीक उनकी काफ़ी तौर पर तर्तीब नहीं हुई यानी बाज़ मजमूअ हाय फ़ौजदारी मुरत्तबा रियासत हाय देशीमें बीस पचीस और किसीमें कुछ उससे ज़ियादा जरायम् मुसर्रह ताज़ीरात हिन्द पर इक्तफ़ा किया गया है और मजमूअ ज़ाब्तह फ़ौजदारी को जिस पर दारो मदार अदालतों के तरीका कार्रवाईका है बहुत ही मुख्तसिर और गैर मुफ़ीद कर दिया है जिसपर असूली मताळिब भी फ़ोत होगये हैं इस लिहाज़ से उनका अदम व वुजूद मसावी है—

एक्ट (४५) सन् १८६० ई० याने मजमूअ ताज़ीरात हिन्द वो मजमूअ जामें है कि, जिसमें तमाम जरायम जिनका ब्रिटिश इण्डियामें इर्तिकाब होता है निहायत मुस्तहसन् तौर पर इज तमाअ किया गया है जो दर हकीकत काबिल तारीफ़ और बहुत सूद मन्द है और उसके उमदा होने की कवी दलील यह है कि, बा वजूद ३५ बरस गुज़रने के ता इंदम् मिस्ल दीगर कवानीन कमतर तरमीम हुआ है, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में उन तमाम जरायम् का इर्तिकाब होता है जो मजमूअ मज़कूर में मुसर्रह हैं वही जरायम् रियासत हाय देशीमें भी ज़हूर पिज़ीर होतेहैं ॥

बाब दोम से बाब बिस्त व सोम तक सब दफ़ात मजमूअ मज़कूर हरएक रियासत के कार आमद और मुफ़ीद हैं, फिर चन्द दफ़ात का मुन्तखिब करलेना और बाक़ी को नज़र अंदाज करदेना मेरे ख़याल में नहीं आता ॥

क्या रियासतों में एआनत जरायम् नहीं की जाती—

क्या ख़िलाफ़ बर्ज़ी बारियासत नहीं होसक्ता—

क्या अफ़वाज बर्री रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुकर्रर नहीं हैं—

क्या आसूदगी आम्मह ख़लायक के मुख़ालिफ़ कोई फ़ैल नहीं होता—

क्या मुलाज़िमान् रियासत से कोई फ़ैल निस्बत रिशवत सितानी ज़हूर में नहीं आता—

क्या मुलाज़िमान रियासत के इख्तियारात जायज़ की तहकीर नहीं होती—
क्या झूठी गवाहियां नहीं दी जाती हैं—
क्या सिक्का और स्टाम्प के मुतअ़ल्लिक़ कोई फ़ैल नहीं किया जाता—
क्या बाट और पैमाना रियासतों में रायज नहीं है—
क्या आम् मह् खलायक़ की आफ़ियत और अमन व आसायश और हया और आदात पर रिआयाय राजकी कुछ असर नहीं हो सक्ता—
क्या रियासतों में सिवाय एक कौम के दूसरी कौम नहीं है—
क्या जिस्म इन्सान पर किसी चीज़ का असर नहीं हो सक्ता—
क्या रियासतों में मुतअ़ल्लिका माल कोई जुर्म नहीं होता—
क्या रियासतों में दस्तावेज़ात नहीं तहरीर होतीं—
क्या ख़िद्मत के नुक़्स मुआयदा नहीं होते—
क्या मुतअ़ल्लिका इज़्दवाज़ कोई जुर्म नहीं होता—
क्या इज़ाले हैसियत उर्फ़ी नहीं किया जाता—
क्या तखवीफ़े तोहीन मुजरिमानह का अमल नहीं होता—
क्या जरायम का इक़्दाम नहीं किया जाता—

फिर ऐसे जलीलुल क़द्र और आली मंजिलत कार आमद मजमूअ़को जो सहल तरीक पर बे मेहनत व बे मिन्नत मिल सक्ता है छोड़कर चन्द जरायम् पर हसर रखना बेमानी दारद—जहांतक जरायम् वकूआ़ रियासत हाय देशीका एक दूसरे से मुक़ाबला किया जाता है वो वही जरायम् हैं जो मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दके अबवाब में मस्तूर हैं मगर हां बलिहाज़ ज़ुबान नामों और तरीक़ा कार्रवाई में बेशक कुछ फ़र्क़ वाक़े हो गया है, याने डकैती की जगह धाड़ा, ज़िना की जगह चाम चोरी, और बजाय रिशबत के घूंस लेना वगैरह २ बोलते हैं, पस इन जरायम् को किसी ग़ैर ज़ुबान में बोलनेसे जरायम की तारीफ़में इख्तलाफ नहीं पैदा होता—तरीक़ह कार्रवाई में मिनजुमला दीगर मुख्तलिफ तरीकों के एक यह भी फ़र्क़ है कि रियासत हाय देशीमें ज़िना के मुकद्दमात में पुलिस की जानिब से दस्तन्दाजी की जातीहै इलाक़ह सर्कार अंग्रेज़ी में बरअक्स बमूजिब दफ़ा (१९९) ज़ाबतह फ़ौजदारी पुलिस को मदाखलत करने का इख्तियार नहीं है—यह अमर कि आया मजमूअ़ ताज़ीरातके तमाम हिस्से या कोई खास हिस्सा रियासत हाय देशीमें रायज किया जावे यह रऊ साय उज्जाम की राय आलीपर मुनहसर और मौकूफ़ है, मेरी इस मौक़े पर ज़िया दहतर बहस करनेसे यह ग़रज़ है कि मजमूअ ताज़ीरात हिन्द दर हक़ीक़त रियासत हाय हिन्दोस्तानी को मिस्ल ब्रिटिश इंडियाके ज़रूर मुफ़ीदहै इसलिये मैं मजमूअ़

ताज़ीरात हिन्दको उसकी असली हालत पर छोड़ कर कार्रवाई अ़दालत हाय फ़ौज-दारी की बाबत बहस शुरू करताहूं मख़फ़ी न रहे कि रियासत हाय कलांमें ज़ाब्तह फ़ौजदारी मिस्ल मज़्कूरा बाला बनगये और उस पर अ़मल दरामद भी होरहा है मगर वो इस क़दर मुफ़ीद और कार आमद रियासतों के लिये नहीं है जैसा कि होना चाहिये छोटी २ रियासतोंमें तो कोई क़ायदाबाज़ाब्तह अदालतों का बिल्कुल-ही मुक़र्रर नहीं है वहां की कार्रवाइयां अजब बे सरोपा और मन मानी बातें हैं मसलन् ज़ैदने बक्र को मारा थानह तक नोबत पहुंची थानहदारने पांच जूते बक्र के और १० जूते ज़ैदके रसीद किये और धक्के देकर निकाल दिया चलो फ़ैसला शुद, उसकी न कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है न कोई अ़दालत है जहां पुलिस चारा जोई के वास्ते मुस्तग़ीस को हिदायत करे यही ढंग और तरीक़ा दीगर वार्दात हाय संगीन का है जो फ़िलवाक़े कमाल दर्जा बे इन्साफ़ी और बदनज़्मी का बाअ़स है और रियासत दीगर फ़वायद से बिल्कुल महरूम रहती है जिसकी इस मौके पर तश्रीह नागुफ्ता बेहहै ॥

इन वजूहने मुझको इस अमर पर शौक़ दिलाकर मजबूर किया कि एक ज़ाब्तह फ़ौजदारी व दीवानी जो ज़ेर तरतीब है इस क़िस्म का उमदा तौरपर बराय फाइदह रियासत हाय देशी उमूमन् और ख़ुसूसन् छोटी रियासत हाय राजपूताना वस्त हिन्दके साफ़ और मुख़्तसर आ़म फ़हम व ज़बानउर्दू व हिन्दी मुरत्तब करूं जिस्में हत्तिलइमकान किसी अमर के फ़रो गुज़ाश्त और ख़ाली अज़ मुफ़ाद नहोअल्हमदुलिल्ला, के दोसाल चन्द माहकी मेहनत शाक़ह से एक मजमूअ़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी तो बतर्ज़ जदीद उस ज़ाब्तह फ़ौजदारी से (जो अमल्दारी सर्कार अंग्रेज़ी में रायज है) जिन बातों को मुफ़ीद और सहलुल् तर्कीब देखा मुन्तख़िब किया बाकी दीगर अमूर तबाज़ाद महज़ ब नज़र रस्म व रिवाज बरियासत हाय देशी तहरीर किये गये, इस ज़ाब्तह फ़ौजदारी के तीन हिस्से कियेगये हैं, हिस्से अव्वल में पुलिस से लेकर ब तरीक़ मुसलसिल जेलख़ानह तक क़वायद तहरीर किये गये हैं और हर जगह हरएक नमूना उसी महल और मौक़े पर कामिल और वाज़ह ख़ानह पूरी करके बतला दिया गया है, मसलन् शुरूअ़ में पुलिस का ज़िक्र है वहां जैसा २ मौक़ा व-महल है तमाम रजिस्टरों और रिपोर्ट हाय आ़म व ख़ास वग़ैरह हर दफ़अ के महाज़ी लिख दिये गये हैं और यह भी बतलाया गया है कि, फ़लां फ़लां जरायम् का-बिल दस्तन्दाज़ी पुलिस हैं जहां इस्तग़ासा का ज़िक्र है वहां इस्तग़ासा तहरीर करके और जहां रजिस्टरकी ज़रूरत है वहां रजिस्टरके नमूने और जहां फ़ीसकोर्ट की ज़रूरत है वहां कोर्टफ़ीस यानी एक्ट ७ सन् १८७० ई० का इन्तख़ाब दर्ज किया गया है

समनका जहां जिक्र है वहां समन तहरीर करके बतलादिया गया है और यह भी बतला दिया गया है कि तलबाना इस तरीक़हसे वसूल होता है और दीगर मुमालिकमें यह दस्तूर वसूलियत है शरह खुराक गवाहान् व मुस्तगीसान् जो दीगर मुमालिकमें मुक़र्ररहैं बतला दिये गये हैं, जहां शहादत लेनेका तरीक़ा बतलाया गया है वहां फार्म इज़हार लेनेकेलिये तहरीर करके बतला दिये गये हैं और क़त्ले अमूद और ज़हर खूरानी वगैरहके मुक़द्दमातमें डाक्टरों और तबीबोंसे सवाल करनेके तरीक़े उनकी फ़र्द लिखदी गईहै हलफ़ दिये जानेके तरीक़े एक्ट हलफ़से इन्तख़ाब उसी मोकेपर किया गया है,फ़र्द क़रार दाद जुर्मका जहां मज़कूर हुआहै उनके बनानेके तरीक़े बतलाये गये हैं जब फ़ैसला अदालतसे सादिर हो तो उस फ़ैसलेका मुख्तसर नमूना लिखकर बतला दिया गया है और जब कोई मुक़द्दमा किसी अदालत आलियामें किमिट यानी सुपुर्द किया जाताहै उनके मुत आलिका तमाम कागजात यानी कलंदरह व वजूहात सुपुर्दगी वगैरह तहरीर करके बतलाये गये हैं मुजरमान् को सजा दिये जाने और जेलखानाहमें क़ैदियान् की बूदोबाश और खूराक औज़ान मय रजिस्टरोंके दर्ज किये गये हैं. और चूंकि छोटी रियासतोंमें अदालतकी आमदनी का इन्तिज़ाम नहीं है इसलिये तमाम आमदनी जो अदालतों के मुतअल्लिक़ हों उनके रजिस्टर दो क़िस्मके एक रजिस्टर मुफस्सल और दूसरा खुलासा आमदनी बनाकर दर्ज किया गया है, रसीदबुक चिकबुक के नमूने बतला दिये गये हैं कि आमद बरामद रुपये की बिला तहरीरात जारी न रहै तमाम आमदनी अदालतोंकी रोज़ मर्रह खज़ानह हाय राजमें बे कम् व कास्त जमा होजाया करे रियासतका एक पैसा ग़बन नहीं हो सका, माहवारी नक़शह मुकद्दमात के भी बनाकर दिखाये गयेहैं, एक्ट मीआद एक्ट शहादत एक्ट हलफ़ कोर्टफीस एक्ट के खुलासे जहां जहां मुनासिब मालूम हुये तहरीर हुएहैं आख़िर में ताज़ीरात हिन्द मिस्ल ज़मीमाके शामिल किया गया है ग़रज यह कि, यह मजमूअ क्या है गोया मिस्ल मुरत्तबहहै जो रियासतों और उनके अहलकार और कारपर्दाज़ोंके लिये आला दस्तूरुल अमल है, और चन्द मज़ामीन शुरूअ मजमूअ हाज़ा में मय तसावीरलिखे गये हैं, हिस्सह दोम में रियासत हाय देशीमें सफ़ाई रोशनी सड़कों और इमारतों का इन्तिज़ाम जो ख़ास रियासत हाय देशी के मुफीद और क़ाबिल तौसीअ रियासत हाय देशी है जिसमें टेक्स का मुक़र्रर होना बतलाया गया है पाख़ानों और पेशाब ख़ानों के नमूनह जो आदात और रिवाज मुल्कीके लिहाज़से बहुतही मौंज़ू हैं गर्मीके मौसिम में हैज़ाकी रोक थाम जो डाक्टर ए,एच, हैं गनसाहब बहादुर एम्, ए, फ़ैलो सेंट जान्स कालेज केम्ब्रिज कैमिकल ऐकज़ामेनर्स

मग़रबी व शमाली व अवध व ममालिक मुतवस्सित ने तसनीफ़ फ़र्मीया है पूरा रिसाला नक़ल करदिया गयाहै जो हस्ब मन्शाय चिट्ठी मरक़ूमह १४ फ़रवरीसन् १८९६ ई० साहब ममदूह शामिल मजमूअ़ हाज़ा किया गयाहै। क़वायद म्यूनिसिप्लेटी हस्ब हाल रियासतोंके बनाकर शामिल किया गया है॥

हिस्सा सोम में वो तमाम इख़्तियारात दर्बारह इन्तिज़ाम व इख़्तियारात साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू मजरियह फ़ारन् ओफ़िस वो नीज़ दीगर क़वा इद म्यूनिसिप्लेटी आबू व टेक्स हाय मुक़र्रर करदा म्यूनिसिप्लेटी के अंग्रेज़ी से उर्दूमें तर्जुमा करके लिखे गये हैं और बाज़ क़ायदा और ज़ाब्ता दरबारह आराज़ी व आमद रऊसाय राज पूताना वग़ैरह जो जनाब कर्नेल जी, एच, ट्रेवर साहब बहादुर सी एस, आई साबिक़ एजेन्ट गवर्नर जनरल बहादुर ने अपने अहद दौलत में तरमीम और रायज फ़र्माये हैं उर्दूमें तर्जुमा करके शामिल किये गये हैं जो वालियान् रियासत और नीज़ दीगर रऊसाय मुल्क राजपूताना व वस्त हिन्द वग़ैरह के लिये निहायत कारआमद हैं इस हिस्सा में क़ानून दाद व सितद् मुजरिमान् व रियासत हायग़ैर यानी एक्ट नम्बर (२१) सन् १८७९ ई० भी पूरा शामिल किया गया है॥

अल् अब्द

मीरफ़ज़्ल हुसेन, वल्द मीर हुसेन अली ज़ैदी देहलवी

सरिश्तहदार मजिस्ट्रेटी ज़िला कोह आबू

फ़ेहरिस्त हिस्सह व अबवाब.

मुतअ़ाल्लिक़ा ज़ाबतह फ़ौजदारी।

रियासत हाय देशी।

फ़ेहरिस्त क़वानीन् जिनका इन्तख़ाब इस मजमूअ़ में शामिलहै.

मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्द एक्ट नम्बर ४५ सन् १८६०

कोर्ट फ़ीस एक्ट नम्बर ७ सन् १८७० ई०

मियाद एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई०

हल्फ़ हिन्द एक्ट नम्बर १० सन् १८७३ ई०

शहादत हिन्द एक्ट नम्बर १ सन् १८७२ ई०

दादू व सितद मुजरिमान् नम्बर २१ सन् १८७९ ई० तरमी-मशुदा एकट नम्बर १२ सन् १८९१ ई०

फ़ेहरिस्त दफ़आत मय मुख्तसर मज़ामीन।

इति.

॥ श्रीः ॥

विक्रय्यपुस्तकोंकी संक्षिप्त–सूची ।

पुस्तकोंका नाम	कीमत.

न्यायग्रंथाः

तर्कसंग्रह न्यायबोधिनी और पदकृत्यटीका	।≈)
तर्कसंग्रहमूल	-)
तर्कसंग्रहदीपिकानीलकंठी टीकासहित	।।।)
भाषापरिच्छेद मुक्तावलीसहित	।।≈)
सामान्यनिरुक्ति गदाधरकृत	४)
तर्कसंग्रह व्याख्या लघुबोधिनी	।≈)
कारिकावली मुक्तावली रामरुद्री दिनकरी	४)
कारिकावली मुक्तावली भाषाटीका समेत	२)

न्यायभाषा ।

न्यायप्रकाशभाषा चिद्घनानन्द स्वामीकृत	७)

छंदोग्रंथाः ।

श्रुतबोधवृत्तरत्नाकर सटीक ...	।-)
श्रुतबोध सान्वय भाषाटीका...	।)
छन्दश्चिह्न	-)
प्रस्तारादिरत्नाकर भाषाटीका	≈)

ज्योतिषग्रंथाः ।

लीलावती सान्वय भाषाटीका अत्युत्तम	१।)
बृहज्जातकसटीकभट्टोत्पलीटीका समेत जिल्द	१।।)
बृहज्जातकमहीधरकृतभाषाटीका अत्युत्तम	१।)
वर्षदीपकपत्रीमार्ग (वर्षजन्मपत्र बनाने का)	।)
मुहूर्तचिंतामणि प्रमिताक्षरा रफ़ १) रु० ग्लेज	१।)

पुस्तकोंका नाम	कीमत.
मुहूर्तचिंतामणि पीयूषधारा टी.	२।)
ताजिकनीलकंण्ठी सटीक तंत्रत्रयात्मक	१)
ताजिकनीलकण्ठी तंत्रत्रयात्मक महीधरकृत भाषाटीका अत्युत्तम टैपकी छपी	१।)
ज्योतिषसार भाषाटीकासहित	१)
मुहूर्तचिन्तामणिभाषाटीका महीधरकृत	१)
मानसागरीपद्धति (जन्मपत्र बनानेमें परमोपयोगी)	१)
बालबोधज्योतिष	≈)
ग्रहलाघव सान्वय सोदाहरण भाषाटीका समेत	१)
जातकसंग्रह (फलादेश परमोपयोगी)	।।।)
चमत्कारचिंतामणि भाषाटीका	।)
जातकालंकारभाषाटीका	।≈)
बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्–पूर्वखण्ड सारांश मूल व उत्तर खण्ड संस्कृतटीका तथा भाषाटीका सहित	५)
जातकालंकारसटीक ...	।≈)
जातकाभरण	।।।)
प्रश्नचंडेश्वर भाषाटीका	।।।)
पंचपक्षी सटीक	।-)
पंचपक्षी सपरिहार भाषाटीका समेत	।≈)
लघुपाराशरी भाषाटीका अन्वय सहित	≈)
मुहूर्त्तगणपति	।।।)
मुहूर्त्तमार्तंड संस्कृत टी० भा.टी. सहित	१)
शीघ्रबोध भाषाटीका	।≈)

॥ श्रीः ॥

"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखानेकी परमोपयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तकें।

यह विषय आज २५।३० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्षमें प्रसिद्ध है कि,इस छापाखानाकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दरप्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं। सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वैद्यक, तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहतेहैं। शुद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्द की बँधाई देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुतही सस्तेरक्खे गये हैं और कमीशन भी पृथक् काट दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकों को मिलना असंभवहै। संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्तकोंके मँगानेमें त्रुटि न करनाचाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है)॥ भेजकर 'सूचीपत्र' मँगा देखो॥

KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS,

SHRI VENKATESHWAR; STEAM PRESS

BOMBAY.

खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना खेतवाड़ी-मुम्बई.

॥ श्रीः ॥

मजमूआ जाब्तह फौजदारी

हिस्सह अव्वल ।

बराय

रियासत हायदेशी मुल्क राजपूताना

व

वस्तहिन्द वगैरह

चूंकि

रियासत हाय देशी वाके मुल्क राजपूताना व वस्त हिन्द वगैरहके बाज़ रियासतों में अबतक कोई ज़ाब्ता और क़ायदा अदालत हाय फ़ौजदारी का बतर्ज़ अहसन् मुक़र्रर नहीं है और मौजूदा क़ायदा और ज़ाब्ताभी क़ाबिल अइसलाह व तरमीम हैं और खुसूसन् छोटी रियासतोंमें ऐसे ज़वाबित की अशद ज़रूरतहै लिहाजा महज़ ब ग़रज मुफ़ाद व अदल व इन्साफ़ रियासत हाय देशी इजतमा व तरतीब क़ायदों और जाब्तोंकी हस्ब ज़ैल कीजाती है ॥

दफ़अ-(१) जायज़ है कि यह मजमूअ रियासत हाय देशीका मजमूअ ज़ाब्ता फौजदारी कहलाया जावे ।

(२) यह मजमूआ उन रियासत हाय देशीमें जो रऊसाय उज्जाम व वालियान मुल्क हस्ब ख्वाहिश खुद मजमूआ हाज़ाको अपने २ इलाके हुकूमतमें रायज और जारी करना मुफ़ीद और मुनासिब तसव्वुर. फर्मायें मुरव्विज होगा ।

(३) यह मजमूआ तीन हिससपर मुन्क़सम है ।

हिस्सह अव्वल क़वायद पुलिस ताबह जेल मुसलसिल मय नोट व नमूनह जात वगैरह ।

हिस्सह दोम क़वायद सफ़ाई व आरायश शहर रोशनी आब रसानी व इन्सदाद मर्ज़ हैजा ।

हिस्सह सोम वोह तमाम नोटिफ़िकेशन याने इश्तिहारात व क़वायद

म्युनिसिपेलिटी व इख्तियारात मजिस्ट्रेटिए आबू वग़ैरह तहरीर कियेगये जो आबू और अनादरा व बाज़ार ख़राडीमें जारी हैं॥

पुलिस।

पुलिस एक अंगरेज़ी लफ्ज है—जो आम तौरपर हिन्दुस्तानमें मिस्ल उर्दूके मुरव्विज है माने इसके शहरी बन्दोबस्त व इन्तिज़ामके हैं याने वह जमाअ़त इन्तिज़ामी कि जिसके शहरी इन्तिज़ाम सुपुर्द हों उस गिरोहके सर्दार आलाको जिसके ज़िम्मह इन्तिज़ाम पुलिस सुपुर्दहो " सुपारिन्टेन्डेन्ट पुलिस " और जो अफ़सर स्टेशन पुलिस याने थानोंमें रहकर अपने २ हल्कोंमें फ़ौजदारी मुक़द्दमातकी तफ़तीश व मुजरामान्की गिरफ्तारी व इन्सदाद जरायम् करते हैं उनको इन्स्पेक्टर पुलिस और सब इन्स्पेक्टर और हम अपनी ज़बानमें थानहदार कोतवाल कहतेहैं और इनसे अदने दर्जेके अफ़सरोंको हेडकानिस्टबल और सिपाहियोंको कानिस्टबल बोलते हैं राजपूताना और दीगर अज़लाअ़में कानिस्टबलों को सिपाही पुलिस पट्टावाला डण्डेवाला बोला जाता है।

पुलिस—का फ़र्ज़ मन्सबी यह है कि खुफ़िया या अलानिया बज़रियह तबदील या ग़ैर तबदील लिबास जैसा मौक़ा व महल हो सदहा हिक्मतों और हतखण्डों और चालाकियोंसे उन जरायम्का पता व सुराग़ लगायें और मुजरमान् ला मालूमुल् इस्म रूपोश और मफ़रूरको पैदा करें जो उनके दस्तन्दाज़ीके क़ाबिल हैं।

लावारिसी मालकी हिफ़ाज़त—गुमगश्तहका पता—मजमअ़ हाय ख़िलाफ़ क़ानून को मुन्तशिर आवारह गरदों और बदमाशों चोरों और डाकुओं और कातिलोंकी तलाश जाली दस्तावेज़ों और सिक्का व स्टाम्पकी साख़्तके मकानातकी जुस्तजू और मेलों तमाशोंमें तमाशबीनोंके मालकी ख़बरगीरी हंगामा व फ़सादका इन्सदाद यह सब अफ़आ़ल पुलिसके फ़र्ज मन्सबीमें दाख़िल हैं, जब ऐसे अमूर पुलिसके फ़र्ज़ मन्सबी क़रार दिये गये जो इन्सानी जिन्दगीकी आ़फ़ियत व अमन व आसायश पर मबनी हैं तो इन सब बातोंके पेश नज़र करके बग़ैर तसव्वुर बांधा जावे तो तसव्वुर कुनन्दा बड़े मुस्तक़िल मिज़ाजीसे यह कह सक्ता है कि पुलिस क्या है गोया हमारी नेकी व बदीके फरिश्ते हैं जो हमारी रूहानी और माली हिफ़ाज़तके लिये दुनियवी शाहों ने अपनी २ मुल्की रिआ़याके हर मुतानाफ्फ़िसके लिये मुक़र्रर करदिये हैं जो हमारी जान व मालके हमेशा और हरवक़्त व लहज़ा निगरां और बहबूदीके ख्वाहां और बदकिरदारीकी हालतमें दुश्मनजान हैं इसी पुलिस की बदौलत दुनिया में लाखों करोडों मुक़द्दमे सर सब्ज़ होते हैं। यही पुलिस वारदात हाय संगीन की सुराग़रसी करके मुरत्कबाने जरायम् को सज़ाय क़ानूनी दिलाते हैं

बेशुमार ना मुरादों की मुरादें इसी फ़िरक़ह के ज़रिएसे हासिल होती हैं, व इन्तहा फ़वायद इस पुलिस की मददसे मुमलिकत इन्तिज़ामीको पहुँचती हैं जहां पुलिस नहीं या पुलिसका माकूल इन्तिज़ाम नहीं वहां सदहा क़िस्म के जोर व सितम् व जुल्म और बे गुनाहोंकी जानें तलफ़ होती हैं और कुछ पता व सुराग़ नहीं लगता और ऐसी मज़लूम रिआया हाकिम वक्तसे अपनी दादको नहीं पहुँच सक्ती और मजबूर क़हरे दुर्वेश बरजाने दुर्वेश रो पीटकर सब्र इख्तियार करते हैं॥

रिपोर्ट हाय सालाना मुरत्तिब अफ़सरान् पुलिस जो बहुजूर गवर्नमेंट हिन्द मुरसिल होकर बाद तबअ् आगाही आमके लिये मुश्तहर होते हैं, और जिनको हरएक शख्स क़ीमतन् गवर्नमेंट प्रेससे खरीद सक्ताहै वह तमाम हिन्द के पुलिसकी कार्रवाइयोंका आईना है जिन हज़रात के मुतालेसे उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी गुज़राहो वह बखूबी अन्दाज़ाकर सकते हैं कि इस पुलिसका दम मुल्की इन्तिज़ाम के लिये कहांतक ग़नीमत और हमें इस फ़िरक़ह को किस क़द्र वक़अत और एज़ाज़ की निगाहसे देखना चाहिये गो पुलिसके खिलाफ़ अखबारातके कालमके कालम रँगे जाते हैं मगर उससे यह नतीजा अखज करलेना चाहिये कि पुलिस बेकार और मुल्की इन्तिज़ाममें गैर मुफ़ीद या मसनवी मुकद्दमातका आलह है नहीं २ हर्गिज़ नहीं यह खयाल खाम बिलकुल लचर है हत्तुलरसां उन रियासत हाय देशीमें जहां बराय नाम पुलिस है उनको अपने मुल्की इन्तिज़ाम और इस्तेमाल व इन्सदाद जरायम के लिये सबसे पहले पुलिसकी रोज़ बरोज़ तरक्की करनी चाहिये, और तजरिबाकार और लायक़ पुलिसके अहलकार रखने चाहिये, और अपनी देशीरिआया को उनसे पुलिसका काम सिखलाना चाहिये या देशियोंको उन मदारिस में तालीम पुलिस हासिल करने के लिये भेजना चाहिये जो पंजाब वग़ैरह में खास अहलकारान् पुलिस के वास्ते बनाये गये हैं, क्योंकि मुल्की इन्तिज़ाम के लिये असल उसूल पुलिस है, जिसका वजूद तक़रीबन् तमाम दुनिया के हिस्सों में शाहाने अक़ालीमने अपनी २ सल्तनतों में क़ायम कर रक्खा है, जिनके नाम ज़ुबान मुल्की के लिहाज़से मख्तलिफ़ हैं अगर्चे यह बहस बहुत तवील है मगर मैं अपने नाज़रीन और शायक़ीन मजमूआ हाज़ाके तबाएको ज़ियादा जंजाल में डालना नामुनासिब तसव्वुर करके इसी फ़िक़रह पर मज़मूनको खतम करता हूँ कि पुलिसका होना ज़रूर और उसकी ग़ौर पर दाश्त रियासत हाय देशीके लिये निहायत मुफ़ीद है॥

मोअल्लिफ़ मजमूआहाज़ा
तफ़ज्जुल हुसेन अफ़ीअन् हो
सरिश्तहदार अदालत
मजिस्ट्रेटी कोह आबू

बाबअव्वल ।

रियासतहायदेशीमें पुलिसका तक़र्रुर ।

दफ़अ़ ४–बतादादे मुनासिब पुलिस कानिस्टबल और इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर भरती किये जावें ।

दफ़अ़ ५–छोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पुलिस आ़ला दर्जेका अफ़सर और रियासत हाय कलां में सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस अफ़सर आ़ला होगा ।

दफ़अ़ ६–मकान पुलिस की सकूनतका शहरके बहुत अच्छे मौक़े पर होना चाहिये जिसमें अलावा नशिस्त पुलिस इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टरों के अहातह मकान पुलिस में एक बारगबनी हुई होवे जिसमें कानिस्टबल बा आराम व आसायश अपनीगुज़र कर सकें और एक मौक़े मुनासिब पर हवालात ख़ाना बनाया जावेगा ।

दफ़अ़ ७–कानिस्टबलान् पुलिसके वर्दियोंका होना एक ज़रूरी अमर है जो निहा-यत मज़बूत पायदार कपड़ेकी होनी चाहियें पाजामा, कुरता, व दुपट्टा-एकही रंगका होना चाहिये दुपट्टे में दोनों गोशों पर एक २ गज़ सुर्ख़ कपड़ा या वह कपड़ा जो आहालियान् रियासत मुनासिब तसव्वुर करें लगादेना चाहिये ।

दफ़अ़ ८–हरएक कानिस्टबलको एक २ डंडा खैरादी रंगीन ख्वाह किसीरंगका हो मय एक पेटी चिर्मीके देना चाहिये जिस्में डंडा बआसानी रहसके और हर एक डंडे में एक २ सूराख़ करके बालिश्त भर टुकड़ा चमड़े का बांधना चाहिये और अलावा इसके हरएक शख्स कानिस्टबल को एक २ तलवारसे मुसल्लाह़ करना चाहिये जो हरवक्त कार आमदहो पेटी-चिरमी पर हरएक कानिस्टबलका नम्बर पीतलपर कुन्दह कराकर लगाना चाहिये ।

दफ़अ़ ९–इन्स्पेक्टर को ज़र्री पगड़ी और सब इन्स्पेक्टरको उससे अदने दर्जेकी देनी चाहिये हैड कानिस्टबल की वहीवर्दी जो कानिस्टबलोंके पासहै, सिर्फ़ उनके बाजूपर एक २ लैसका टुकड़ा साथ गोलाईके लगा दियां जावे ।

दफ़अ़ १०–जो वर्दियां सिपाहियान् पुलिसको दीजावेंगी उसका हरएक सिपाही जिम्मेदार होगा अगर कोई शै कम होजाय तो उसका तावान् उसी शख़्सको देनाहोगा जिससे वोह चीज़ तल्फ़ हुई हो ।

दफ़अ ११-अगर शहर वसअत और गुंजायश में पूराहै तो जहां २ मौक़ा और मुनासिब होवे वहां पुलिसकी चौकियां क़ाइम करनी चाहिये जहां हर-वक्त कम अज़ कम दो दो कानिस्टबल मौजूद रहें जो अपने २ हल्क़ाके निगरां होंगे और इनका (तग़ैयर व तबद्दुल) इन्स्पेक्टर पुलिस या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसकी रायसे होता रहेगा ।

बाब दोम ।

(पुलिसकी खिदमतें)

दफ़अ १२-स्टेशन पुलिसमें कम अज़ कम १० (दस) कानिस्टबल और एक हैड कानिस्टबल हाज़िर रहै बशर्ते कि रियासत खर्च की मुतहम्मिल हो वर्ना कम व बेश । सब इन्स्पेक्टर रोज़मर्रह अपने तमाम हल्क़हमें गश्त और हरएक चौकी और गुज़रगाहों पर जहां कानिस्टबल तैनात किये गये हों कानिस्टबलों की निगरानीकरेगा ।

दफ़अ १३-शब (रात) को कानिस्टबल लोग अपने २ हल्क़ह में नम्बर वार अपने २ हथियारोंसे मुसल्ला होकर पहरे पर तैनात रहेंगे पुलिस स्टेशन में जो मुस्तग़ीस रिपोर्ट करने आवेगा उसका बयान एक रजिस्टरमें लिखाजावे, और हरशख्सको मजाज़ होगा कि हरएक वार्दात वकूआकी ख्वाह वोह क़ाबिल दस्तन्दाज़ी हों या नहों रिपोर्ट किया करे ।

नम्बर शुमार	तारीख माह सन् मय वक्त	नाम रिपोर्ट कुनन्दा मय सकूनत	मज़मून रिपोर्ट	दस्तखत रिपोर्ट कुनन्दा
१	२८ नवम्बर सन् ९४ ई० ब वक्त साढे पांच बजे शामके	रामलाल सिकनह रतनगढ़	चारबजे शामके बाज़ारमें अहमदयारखां मिला सद-हा क़िस्मकी गालियां दीं और जूते मारे.	अलअब्द अहमदयार खां व रामलाल बकलम खुद

दफ़अ १४-मुक़द्दमात संगीन क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें अहलक़ार मौजूदहको बरसरे मौक़े पहुँचकर तफ़तीश शुरू करनी चाहिये ॥

(तफ़सीलजरायमक़ाबिलदस्तन्दाज़ीपुलिस)

अआनत ज़ेर दफ़ात १०९ लगायत १२० अगर असल जुर्मके वास्ते गिरफ्तारी बग़ैर वारन्ट होसकती हो जरायम मुतअल्लिक़ा अफ़वाज बहरी व बर्री ज़ेर दफ़ात (१३१) लगायत (१३६) (१३८) लगायत (१४०)

जरायम मुतअल्लिक़ा आसूदगी आम्माह ख़लायक़

ज़ेर दफ़ात १४३ लगायत १४८ व १४९ अगर उस जुर्मके लिये गिरफ्तारी बग़ैर वारन्ट हो सकती हो तो हरएक मजमअकी गिरफ्तारी बग़ैर वारन्ट हो सकेगी—१५० लगायत १५३ व १५७ लगायत १५८ व १७० व १७१ ॥

(जरायम मुतअल्लिक़ा झूठीगवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादेलत)

२१२ व २१६ व २२४ लगायत २२६

(जरायम मुतअल्लिक़ासिक्का गवर्नमेंट और गवर्नमेन्ट स्टाम्प)

२३१ लगायत २६३

जरायम मुतअल्लिका आफ़ियत व अमन व आसायशहया और आदात आम्मए ख़लायक़

२६८ लगायत २७० व २७७ व २७९ व २८० व २८१ व २८२ व २८३ व २८५ व २८६ व २८९ व २९१ लगायत २९४

(जरायम मुतअल्लिक़ामज़हब)

२९५ लगायत २९७

(जरायम मुतअल्लिक़ा मवस्सिर बजिस्म व जान इन्सान)

३०२ लगायत ३११

(जरायम मुतअल्लिक़ा इस्क़ातहमल व ज़रर जनीन व बाहर डालने बच्चोंके व अख़फ़ाय तवल्लुद)

३१७ व ३१८

(जरायममुतअल्लिका ज़रर)

३२४ लगायत ३३३ व ३३५ लगायत ३३८

जरायम मुतअल्लिक़ा मज़ाहमतेबेजा व हब्सबेजा

३४१ लगायत ३४४ व ३४६ लगायत ३४८

(जरायम मुतअल्लिक़ा जब्रमुजरमानह और हमला)

३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५७

जरायम मुतअल्लिक़ा इन्सानको लेभागने या जबरन् बहकाले जाने और गुलाम बनाने वगैरह

३६३ लगायत ३६९ व ३७१ लगायत ३७४

जरायम मुतअल्लिक़ा जरायमज़िना बिलजब्र

३७६ व ३७७

जरायममुतअल्लिक़ा सरक़ह

३७९ लगायत ३८२

जरायममुतअल्लिक़ा सरक़ाबिलजब्र व डकैती

३९२ लगायत ४०२

जरायममुतअल्लिक़ा ख़यानत मुजरमानह

४०६ लगायत ४०८

जरायममुतअल्लिक़ा हसूलमालमसरूक़ा

४११ लगायत ४१४

जरायममुतअल्लिक़ा नुक़्सानरसानी

४२८ लगायत ४३३ व ४३५ लगायत ४४०

जरायममुतअल्लिक़ा मदाखलतबेजामुजरमानह

४४७ लगायत ४६२

जरायममुतअल्लिक़ा दस्तावेज़ात और हर्फ़ों व मिल्कियत

४६७ अलिफ़ ४७१ अलिफ़

(जरायमका इक़दाम)

५११ अगर असल जुर्म क़ाबिल गिरफ्तारी बिलावारन्टहै तो इक़दाम भी क़ाबिल गिरफ्तारी बिलावारन्ट है।

(जरायम ख़िलाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर)

अगर सज़ाय मौत या हब्स ब उबूर दर्याय शोर या कैद हफ्त साला या उससे जियादहके लायक़ हो।

दफ़अ़ १५—और इस तमाम तफ़तीशकी कैफ़ियत अपने रोज़नामचह ख़ास में दर्ज करके एक नक़ल उसकी उस अफ़सर या अ़दालतमें मुरसिल कियाकरें कि जिससे उसका तअल्लुक़हो ।

दफ़अ़ १६—हरएक ऐसी रिपोर्ट में वक़्त शुरूअ़ कार्रवाईका और दिन व तारीख़ माह सन् लिखना ज़रूर है और यह रिपोर्टें एक रजिस्टरमें दर्ज होंगी ।

दफ़अ़ १७—जिस मुक़द्दमहमें किसी मुलज़िमने जुर्म से इक़बाल कियाहो और अहत मालहो कि जिसवक़्त तक चालान अ़दालत किया जावेगा तो मुलज़िम जुर्मसे मुन्किर होजावेगा ऐसी सूरतमें अहलकार पुलिसको चाहिये कि किसी क़रीबतर मजिस्ट्रेट के हुजूरमें ख्वाह वो किसी दर्जेका हो मुलज़िमको लेजाकर पेशकरे और इक़बाल मुलज़िमका अपने रोबरू लिखवाये ।

दफ़अ़ १८—वोह मजिस्ट्रेट ऐसी इत्तलाअ़ होनेपर मुलज़िमका इक़बाल अपनी क़लम ख़ास या अपनी ज़ेर निगरानी तहरीर करैंगे और मुलज़िमको पढ़कर लफ्ज़बलफ्ज़ सुनायेंगे और अगर वोह सिहतकी तसदीक़ करे तो मुलज़िमके दस्तख़त करायें और यह इबारत बतौर तसदीक़ अपनी क़लम ख़ास से क़लम बंद करें ।

"मैं यक़ीन करताहूं कि यह इक़बाल जुर्म"
"बिलाजब्र व अकराह के अमलमें आया"
"और यह बयान मेरे रोबरू मेरी समाअ़त"
"में किया गया और मुलज़िमके रोबरू पढ़ा"
"गया और उसने इसकी सिहतको तसलीमकिया"

दस्तख़त { राम प्रसाद मजिस्ट्रेट दर्जह दोम

दफ़अ़ १९—अलावह फ़र्दख़ानह तलाशी और रोज़नामचा ख़ास वग़ैरह के पुलिसको ऐसे मुक़द्दमातके चालान करते वक़्त एक नक़्शह हस्ब नमूना ज़ैल बनाना चाहिये जो हमराह काग़ज़ात चालानी रवानह कियाजावे ।

नम्बर जुर्म (२१२) रोज़नामचा ख़ास थानह बुरहानपुर
जिला कोटा १ सितम्बर सन् १८९३ ई०

नम्बर शुमार बमूजिबकिताब रोज़नामचा आम	तारीख़ व वक्त समाअ़त व तहक़ीक़ात व ख़तम.	कार्रवाई.
नम्बर (२१२)	एकम् सितम्बरको बवक्त बारह (१२) बजे दोपहर (१५) पंद्रह मिनट पर शुरुअ़ होकर चार (४) बजे ख़तम हुई।	बज़रिए मुख़बिर ख़ास दाश्तन माल मसरूक़ा की बाबत रिपोर्ट गुज़री उसीवक्त मौक़ेपर पहुंचकर मुझ इन्स्पेक्टरने बमवाहिजा रामप्रताब व गोविन्दसिंह व करमसिंह बाशंदगान कुर्बेवजवार मकान मुलज़िम ख़ानहतलाशी लीगई तो एक बक्स लकड़ी के अन्दर से कड़ा तलाई वज़नी पांचतोला जिसका एक सिरा कटा हुआ है बरामद हुआ बयान किया गयाहै कि मुलजिमने सौ रुपये में इसको ख़रीदाहै चुनाचे फ़र्द ख़ानह तलाशी उन्हीं शख्सों के रोबरू लिखी गई मुलज़िमको ख़रीददारी से इक़बालहै. तीन बजेके वक्त पंडित रामप्रताब मजिस्ट्रेटके रोबरू मुलज़िमका इक़बाल लिखा गया मुलजिमका हुलिया यह है, गोरारंग लंबाक़द चेचकरू पेशानी पर ज़ख्म का निशान उमर२५ साल डाढ़ी व मूंछ है। अलूअब्द {इलाही बख्श इन्स्पेक्टर पुलिस थानह बुरहानपुर.

नम्बर जुर्म (२१२) रोज़नामचाख़ास थानह बुरहानपुर
जिला कोटा १ सितम्बर सन् १८९३ ई०

नम्बर शुमार बमूजिबकिताब रोज़नामचा आम	तारीख़ व वक्त समाअ़त व तहक़ीक़ातवख़तम	कार्रवाई.
नम्बर (२१२)	एकम् सितम्बरकोबवक्त बारह (१२) बजे दोपहर (१५) पंद्रह मिनट पर शुरुअ़ होकर चार (४) बजे ख़तम हुई।	बज़रिए मुख़बिर ख़ास दाश्तन माल समरूक़ा की बाबत रिपोर्टगुज़री उसीवक्त मौक़ेपर पहुँचकर मुझ इन्स्पेक्टरने बमवाहिजा रामप्रताब व गोविन्दसिंह व करमसिंह बाशंदगान कुर्बेवजवार मकानमुलिज़म ख़ानहतलाशी लीगई तो एक बक्स लकड़ी के अन्दर से कडा तलाई वज़नी पांचतोला जिसका एक सिरा कटा हुआ है बरामद हुआ बयान किया गयाहै कि मुलजिमने सौ रुपये में इसको ख़रीदाहै चुनाचे फ़र्द ख़ानह तलाशी उन्हीं शख्सों के रोबरू लिखी गई मुलज़िमको ख़रीददारी से इक़बालहै. तीन बजेके वक्त पंडित रामप्रताब मजिस्ट्रेटके रोबरू मुलजिमका इक़बाल लिखा गया मुलज़िमका हुलिया यह है, गोरा रंग लंबाक़द चेचकरू पेशानी पर ज़ख्म का निशान उमर २५ साल डाढ़ी व मूंछ है। अलूअब्द {इलाही बख्श इन्स्पेक्टर, पुलिस थानहबुरहानपुर.

(फ़र्द इल्ज़ाम नम्बर अव्वल) मुहक्मा इलाहीबख्श हैड कानिस्टबल मुत अल्लिक़ा पुलिस राजमारवाड़ मुल्क राजपूताना जिसका हाल रोज़नामचह ख़ास के सफ़ह ३२ क़ायत ३५ में किया गया और एकम् सितम्बर सन ९३ ई. को इल्ज़ाम स्टेशन पुलिस वाक़े देहली दरवाज़ा राज मारवाड़ में निस्बत मुल्ज़िम आयद हुआ.

नम्बर इल्ज़ाम	१	नम्बर (१२३)
नम्बर चालान्	२	नम्बर (३६)
किस साअत और तारीखपर थानहमें रजूअ किया गया और किसकी मार्फ़त	३	एकम् सितम्बर सं॰ १८९३ ई० १२ बजे दिनके बहवालह रपट नम्बर ३१ मार्फ़तइलाही बख्श हैड कानिस्टबल बरामद कुनन्दा माल
नाम और पता और पेशा अशखास मुल्ज़िम के मय कैफ़ियत सज़ा या बेसाबिक़ा	४	परशादीलाल वल्द विहारीलाल दूकानदार मोहल्लह सर्राफ़ान् ज़िलअ अहमदनगर सज़ायाबी साबिक़ा मालम नहीं हुई उमर मुल्ज़िम २५ साल
इल्ज़ाम	५	दाश्तन माल मसरूक़ा ज़ेर दफ़ा (४११) ताज़ीरात हिन्द मालियत डेढ सौ रुपये १५०
नाम मुस्तग़ीस मय पता और पेशह	६	गुलाबखां वल्द अहमदयारखां सकनह अहमदनगर मौजूदा जोधपुर
गवाहान् बं क़ैद नाम व पता — मुस्तग़ीस	७	इलाहीबख्श हैड कानिस्टबल, बलीचन्द व अमीरचन्द गौरीलाल
गवाहान् बं क़ैद नाम व पता — मुल्ज़िम	८	नदारद
किसकी मार्फ़त गिरफ्तार किया गया और किस साअत पर और किस वक्त थानहको भेजा गया	९	एकम् सितम्बर स०९३ ई० को बारहबजे दिनके मार्फ़त इलाहीबख्श हैडकानिस्टबल गिरफ्तार हुआ
तफ़सील माल जो बदन पर या और जगह दस्तयाब हुआ और किसकी मार्फत,	१०	एकम् सितम्बर सं० ९३ ई० को १२ बजे दिनके खानह तलाशीसे मुल्ज़िमके कब्ज़ात लाई बरामद हुआ
तफ़सील असलह या आलात दस्तयाब शुदह जो जुर्मसे मुतअल्लिक़ हों	११	
मुकाम स्टेशन याने थाने पर — कितने अर्सेतक हिरासतमें रक्खा गया	१२	१२ घंटह
मुकाम स्टेशन याने थाने पर — किस वक्त ज़मानत नामह या मुचलकह पर रिहा किया गया मय तादाद	१३	
तारीख़ व वक्त चालान्	१४	एकम् सितम्बर सन् १८९३ ई०
तारीख और वक्त पहुँचने सदरका	१५	
दस्तखत उस अहलकार पुलिसके जिसने इलज़ामकी समाअत की	१६	दस्तखत इलाहीबख्श हैडकानिस्टबल
मिसलका नम्बर	१७	
नाम मजिस्ट्रेट जिसकी हुज़ूरमें इलज़ाम रजूअ किया गया	१८	
इलज़ाम मजिस्ट्रेटकी मार्फ़त क्योंकर तै हुआ और कौनसा जुर्म सबूतको पहुंचा	१९	
हुक्म अख़ीर मय तारीख	२०	
राय मजिस्ट्रेट बनिस्बत कार्रवाई पुलिसकी	२१	

दफ़अ २०—जब किसी स्टेशन पुलिसमें इत्तलाअ पहुंचे कि (अ) कोई शख्स ज़रिए बंदूक या अशियाय मुनश्शीके इस्तैमालसे मुर्तकब खुदकुशीका हुआ है (ब) किसी दूसरेके हाथसे या जानवर से मारा गया है या किसी कलके सदमहसे या और हादसासे हलाक होगयाहै या ज़हर वगैरह खिलाये जानेसे मारा गया है (ज) ऐसे हालातमें मरगया है कि उनसे शुभामाकूल होताहै कि किसी और शख्ससे जुर्मका इर्तकाब हुआ है।

दफ़अ २१—ऐसी सूरतमें उसको लाज़िम है कि फ़ौरन् अपने अफ्सर आलाको बकूअ वारदातसे मुत्तलाअ करे और मौके पर खुद मय जमीअत मुनासिबके पहुंचकर उस जगहके चंद अशख़ास मातबरको तलब करके पंचायतनामा तहरीरकरे और किसी डाक्टर या तबीबकोभी बुलाये।

पंचायतनामा।

आज बतारीख़ १८ अक्टूबर सन् ९३ ई० को बवक्त १० बजे सुबहके हम पंचान् सिकनाय मोहल्ला तेलीवाड़ा मिनमुहल्लात पहाड़गंज वाके भरतपूर बज़रिए पुलिसमौके वारदात पर तलबहुए और देखा कि एक नाशरूबकिबला वसिर बजानिबे मशरिक़ पड़ीहुई पाईगई इस मुतवफ्फ़ीके जिस्मपर स्याह रंगका कोट और उसके नीचे सफेद कुरता और स्याह पाजामा जिसमें सुर्ख रंगका रेशमी इज़हार बंद पडा हुआ था पैरमें हिन्दुस्तानी जूती सलीमशाही बरंग सुर्खथी, मुतवफ्फ़ीके जिस्मपर कोई ज़ख्म नहीं था और न किसी हथियारकी ज़र्ब पाई जाती थी बदन साफ़ था, चूंकि जिस जगह लाश पड़ी हुई थी उस जगह सड़कसे किसी क़दर बुलन्द एक पत्थर नसबथा उसकी ठोकरसे मुतवफ्फी गिरा, जूताभी फट गयाहै और जूता उतारकर जो देखागया तो नाखुनोंमें ज़र्ब आई है, करायन् से हम यह कह सकते हैं कि मुतवफ्फी इसके सदमहसे बेतहाशागिरा और मर गया, सिवाय इसके और कोई बात ख़यालमें नहीं आती, पस यह मर्ग इत्तिफ़ाकियाहै, अल्मरकूम १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई०

अलअब्द नैनसुखबक्काल	अलअब्द करीम बख्श खैयात	अलअब्द इलाहीबख्श बिसाती	अलअब्द नारायन दास कुतुब फ़रोश

रिपोर्ट डाक्टरी।

आज दस (१०) बजे तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई. को एक लाश पुलिस इन्स्पेक्टरने बरसर मौक़े मुलाहिज़ा कराई लाशको तमाम व कमाल बरहना करके रोबरू पंचान् मौजूदावक्त देखागया मगर कोई सबब मौतका तशफ्फ़ीके लायक़ मालूम नहीं हुआ इसलिये लाशको हास्पिटलमें लाईगई और आलह हाय जर्राही से चीर फाड़कर लाशको बगौर मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि मुतवफ्फ़ी का दिल फटगया है और मग़ज़ में भी सदमा अज़ीम पहुंचा है और यह सूरत बेशक ठोकर खाकर ज़मीन पर बेतहाशा गिरने से हो सकती है किसीक़िस्म का सम मुतवफ्फ़ी को नहीं खिलाया गया और न किसी दूसरे शख्स के हाथ से कोई ज़र्ब लगी हुई मालूम होती है इसलिये मैं तसदीक़ करताहूं कि बेशक यह मर्ग इत्तिफ़ाकियाहै—अलमर्कूम १८ अक्टूबर सन् १८१३ ई.

अलअब्द

केसरी असिस्टेंट सिविल
सर्जन मुक़ाम भरतपुर

दफ़अ २२—बाद हसूल पंचायत नामा व रिपोर्ट डाक्टरी के पुलिस इन्स्पेक्टर को चाहिये कि यह तमाम काग़ज़ात मय हालात और वाक़आत अपनी रिपोर्ट के ज़रिए रोज़ नामचह ख़ास अपने अफ़सर की ख़िदमत में रवाना करे और अपने अफ़सर की इजाज़ते तजहीज़ व तकफ़ीन मुतवफ्फ़ी की हासिल करके बुरसा अगर पायेजायँ तो लाश उनके हवाले करे वरना लावारिस फंडसे जिस मज़हब व मिल्लत का मुतवफ़्फ़ी हो तजहीज़ व तकफ़ीन कराये या दाग़ दिये जाने का बन्दोबस्त करे।

दफ़अ २३—ऐसे मुक़द्दमात में पुलिस को हमातन् अमर वाक़ईके ज़ाहिर होनेकी कोशिश करनी चाहिये ता कोई अमर मुख़फ़ीन रहे।

दफ़अ २४—तमाम रिपोर्टें रजिस्टर आम से मुन्तख़िब होकर रजिस्टर ख़ास में दर्ज होंगी।

दफ़अ २५—मुक़द्दमात क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में अफ़सर पुलिस या जो शख्स बजाय पुलिस अफ़सर के कारफ़र्मा हो जो चौबीस (२४) घंटे के अर्से में बाद तफ़तीश करने के नतीजा तफ़तीश से मजिस्ट्रेट को इत्तलाअदेने और उसके साथ तमाम हथियार आलात व

औज़ार वग़ैरह मुतअल्लिक़ा मुक़द्दमा भेजदेने और हरएक शैपर नम्बर टिकटों पर लिखकर लगादेना चाहिये।

दफ़अ २६—अहालियान् पुलिसको लाज़िम होगा कि तलाशीके बवक़्त चन्द मातबर अशख़ास मौजूद रखकर तलाशी लें और फ़र्दतलाशी तहरीर करें और उस फ़र्दपर अशख़ास मौजूदावक़्तके दस्तख़त करायें।

फ़र्द ख़ानह तलाशी मकान परशादीलाल वल्द बिहारीलाल सर्राफ़ सिकनह अहमद नगर ज़िला फ़ैजनगर मोहल्ला सर्राफ़ान् मुलज़िम ब मुक़द्दमह लेना माल मसरूक़ा का ज़ेर दफ़ा (४११) ताज़ीरात हिन्द। आज हम अशख़ास मुन्दर्जह ज़ैल के रोबरू मुसम्मी मज़कूरकी ख़ानह तलाशी लीगई तो एक कड़ा "तिलाई" वज़नी पांचतोला जिसका एक सिराटूटा हुआ है एक बक्सके अन्दर से बरामद हुआ जिसको मसरूक़ा होना बयान कियागया है।

११ जौलाई सन् १८९३ ई. बवक्त ४ बजे सह पहर

अलअ़ब्द	गवाह शुद	गवाह शुद
रहीमबख्श हैडकानिस्टबल	बलीचंद वल्द	गोविंद सिंह वल्द
मोहल्लह सर्राफान्	नत्थूमल दूकानदार	कुँवर सिंह

गवाहशुद
निज़ामतख़ां

दफ़अ २७—मस्तूरात की तलाशी के वक़्त इस अमर का पूरा लिहाज़ रहे कि कोई फ़ैल नाजायज़ और ख़िलाफ़ रिवाज नहीं होना चाहिये।

दफ़अ २८—अलहदा गोशह में किसी दूसरी औरत को भेजकर तलाशी करानी चाहिये।

दफ़अ २९—ऐसी तफ़तीश के वक़्त किसी मुलाज़िम पुलिस को किसी शख़्स पर जब्र व ताअद्दीयाखोफ़े, हिरास, नहीं दिलाना चाहिये।

दफ़अ ३०—अहालियान् पुलिसको लाज़िम होगा कि वोह अपने इलाक़े हुकूमत में निगरांरहे कि कोई शख़्स रहज़न डकैत व इश्तहारी वग़ैरह या वह लोग कि जो दरहक़ीक़त मआश पैदा करने के वसायल नहीं रखते और आवारा पड़े फिरते या ख़ानह बदोश हों गिरफ्तार करें और

उसकी बाबत अपने अफ़सरान् को रिपोर्ट करें मगर हर हालत में ऐसे अशख़ासके मुआमले में पुलिसको निहायत होशियारी और संजीदगी से कार्रवाई करनी लाज़िम है।

दफ़अ ३१—जो लोग स्टेशन पुलिस के इलाक़े में लावारिस फ़ौत होजायँ, उसीवक्त किसी अहलकार पुलिसको मौक़े पर जाना और चंद अहल मोहल्लह को बुलाकर तमाम फहरिस्त उस मालकी रोबरू उन अशख़ास के लिखनी चाहिये और उसी वक्त उनकी गवाही फ़र्द माल पर लिखवानी चाहिये। और अपनी रिपोर्टके ज़रिएसे अपने अफ़सरकी ख़िदमतमें रवानह करनी चाहिये।

नक़्शा माल लावारिसी जो पुलिसको मोहल्लह कुम्हारान् मुक़ाम जैसलमेर में दस्तयाब हुआ.

तारीख़ रिपोर्ट	नम्बर रिपोर्ट रजिस्टर आम	नाम स्टेशन व मोहल्ला	नाम मुतवफ़्फ़ीमय वल्दियत व क़ौम वग़ैरह	नाम अशखास मौजूदह वग़ै.	तफ़सील. सामान गुज़ाश्तह सुंदरलाल वल्द. केदारनाथ, मुतवफ़्फ़ी	दस्तख़त अशख़ास मौजूदा वक्त अहल्कार पुलिस
८ जौलाई सन् १८८७ ई.	१५	मोहल्ला कुम्हारान् स्टेशनपुलिस नंबर (३)	सुंदर लाल वल्द केदारनाथ क़ौम कायथ उमर५० साल.	छेदीलाल कुंदन मसाद सुंदरनाथ सकनाय मोहल्ला कुम्हारान्.	नक़द, पलंगनवाड़ी, दरियान् २००) ४ अ़दद ४ अ़दद थालियान् कलां वज़्नी पांचसेर २ अदद कटरा हंसली, कटोरियानपतीली २ अ़दद एकअ़दद	अलअ़ब्द छेदीलाल अलअ़ब्द अनंदीलाल अलअ़ब्द कुंदन मसाद अलअ़ब्द सुंदरनाथ

दफ़अ् ३२—इस तमाम सामान पर सिल्सिलहवार नम्बर बदस्तख़त अहल्कार पुलिस दर्ज होकर चस्पां करने चाहिये और उस तमाम सामानको मालख़ानह सरकारमें लाकर दाख़िल कर्ना चाहिये और नक़द रुपया ख़ज़ानह राजमें दाख़िल करके रसीद दस्तख़ती मोहतमिम् ख़ज़ानहकी हासिल और शामिल मिसल करनी चाहिये।

दफ़अ् ३३—अफ्सर पुलिस या मजिस्ट्रेट जिसको ऐसे वाक़ै की रिपोर्ट मय नक़्शह माल लावारिसी पहुंचाई जावे वोह फ़ौरन् ऐसे मालकी फ़ेहरिस्त मुरत्तब करके एक इश्तहार इस हिदायतसे जारी करेगा कि जिस किसीको इस मालकी बाबत दावी हो अर्सह ६ माहमें हाज़िर अ़दालत होकर अपने दावे को साबित करे, वर्ना यह माल लावारिस समझकर बहक़ राज जमा होगा और फिर कोई दावी क़ाबिल पज़ीराइये अ़दालत नहोगा।

दफ़अ् ३४—अगर कोई माल इसलायक़ हो कि वह ६ माहतक नहीं रह सक्ता या ख़राब होजानेका अहतमाल है तो वोह फ़ौरन् क़ाबिल नीलाम होगा, और यह रुपया ६ माहतक अमानत रक्खा रहेगा।

दफ़अ् ३५—बाद इन्क़ज़ाय मियाद ६ माह अगर कोई शख़्स् दावीदार नहो तो यह तमाम मालियत मिल्कियत राज समझी जावेगी और रुपया ख़ज़ानह राज़में जमा होगा इसीतरह उस मालकीभी जो किसी जगहसे पाये गये हों या किसी मुक़द्दमहमें दस्तयाब हुए हों कार्रवाई होनी चाहिये।

दफ़अ् ३६—जहां पुलिसका बड़ा स्टेशन हो वहां एक मालख़ाना भी होगा और उस तमाम मालकी तफ़सील एक रजिस्टरमें दर्ज हुआ करेगी और बाद नीलाम या फ़रोख़्त होने के उसपर हाकिम या मजिस्ट्रेट के दस्तख़त सब्त होंगे और नीज़ उस अहलकारके जिसकी मातहतीमें मालख़ानाहो।

नमूना रजिस्टर माल ख़ानह सामान लावारिसी मुतअल्लिक़ा स्टेशन पुलिस.

नम्बर शुमार	नाम स्टेशन पुलिस	नम्बर रिपोर्ट रजिस्टर आम	तारीख़ आमद सामान लावारिसी व माल ख़ानह	नाम मुतवफ़्फ़ी या जिस तरह माल दस्तयाब हुआ	तफ़सील सामान	दस्तख़त अहलकार पुलिस और मजिस्ट्रेट	तारीख़ नीलाम या हवालगी वारिस	हाल फ़रोख़्त माल कि किस क़दर क़ीमतमें माल नीलाम हुआ और किसको दिया गया
अव्वल	जमाल पुरा	३५	२८ अक्टूबर सन् १८९४ ई०	करीमुल्ला पिसर नसरुल्ला क़ौम पठान सिकनह जमालपुर उम्र ६२ साल	पलंग देगचीमिसी दो अदद १० अदद रकाबियांमिसीकलां वज़नी तख़मीनन दस (१०) सेर १२ अदद नक़द ५२ ।≡)	अमीरुल्ला सब इन्स्पेक्टर पुलिस	१० नवम्बर सन् १८९५ ई०	माल बाद सुबूत खैरुल्ला वारिस मुतवफ़्फ़ी को बमूजिब हुक्म मजिस्ट्रेट दर्जह सोम मुक़ाम फलां मवर्रुख़ह फ़लां दिया गया.

दफ़अ़ ३७–रजिस्टर मालख़ानह में हरएकमाल लावारसीके वास्ते पूरा एक वर्क़ होना चाहिये।

दफ़अ़ ३८–मालके नीलाम करनेके वक़ जो फ़हरिस्त मालनीलामीकी तैयार होवे वोह शामिले मिसल या उस अफ़सर पुलिसके पास भेजे जिसके यहां इस मुक़द्दमे की पहली इत्तलाअ़ दीगई हो और उस फ़हरिस्तसे रजिस्टरमें कीमत सुर्ख़ रोशनाई से हरएक अशियाय के नीचे लिखदेनी चाहिये।

दफ़अ़ ३९–तफ़तीश के वक़ जो मुक़द्दमात कि काबिल ज़मानत हैं उनमें मुल्ज़िमान्को ज़मानत पर रिहा करना चाहिये और जिसमें ज़मानत नहीं हो सक्ती उसमें मुल्ज़िमानको ब निगरानी पुलिस रखना और अ़दालत हाकिम या माजिस्ट्रेटतक भेजना चाहिये और तावक्त कि अदालत मजिस्ट्रेटसे कोई साफ़ हुक्मन होजावे उसको अपनी निगरानी में रखना वाजिब होगा।

दफ़अ़ ४०–ऐसे मुल्ज़िमान् जो ज़मानत पर छोड़े जावें उनसे एक ज़मानत नामा मय मुचलका लिखवालेना चाहिये।

नमूना ज़मानत नामा व मुचल्का मुल्ज़िम गिरफ्तारकरदा पुलिस।

हरगाह मुझ नसरुल्लाखां वल्द अहमदुल्लाखां क़ौम पठान सिकनह नयाशहर इलाक़े बून्दी को पुलिसने इल्लत जुर्म हब्सबेजा ज़ेरदफ़ा ३४१ ताज़ीरात हिन्द गिरफ्तार किया है और तफ़तीश दर पेश है चूंकि मुझ नसरुल्लाखांको ब अदालत हाकिम फ़ौजदारी चालान् किया जावेगा लिहाज़ा मैं बज़रिए तहरीर हाज़ा इक़रार करता हूं कि जो तारीख़ अ़दालत हुकूमत फ़ौजदारी से मुक़र्रर होकर तलबी होगी मैं बिलाउज़्र हाज़िर होकर जवाब दही करूंगा अगर ख़िलाफ़ इस इक़रारके करूं और हाज़िर अ़दालत न हूं तो बकुसूर अ़दम हाज़री मुबलिग़ ५०) पचास रुपये सिक्कह रायजुलवक़्त दरबार में बतौर तावान् अदा करूंगा, अलमर्कूम २० नवम्बर सन् १८९४ ई०

अलअ़ब्द	गवाहशुद	गवाहशुद
नसरुल्लाखां	मुल्कदारखां	इम्दाद अ़ली

जोकि नसरुल्लाखां वल्द अहमदुल्लाखां इल्लत हब्स बेजा ज़ेर दफ़अ़ ३४१ ताज़ीरात हिन्द गिरफ्तार हुआहै और उससे ज़मानत नामा तलब है कि बरवक़् तलबी ब अ़दालत हाकिम फ़ौजदारी हाज़िर होवे लिहाज़ा मैं इसतहरीरकी रूसे इक़रार करता हूं कि बरवक़ तलबी फ़ौरन् मुसम्मी नसरुल्लाखां को हाज़िर करूंगा और अगर

हाज़िर न करसकूं तो मुबलिग़ पचास ५०) रुपये बतौर तावन् अदाकरूंगा । फ़क्त अल्मर्कूम २९ नवम्बर सन् ९४ ई०

अलअब्द	गवाहशुद	गवाहशुद	गवाहशुद
करम इलाही	नजीबखां	इलाहीबख्श	फ़ज़ल इलाही

दफ़अ ४१–कोई अहलकार मुक़द्दमात गैर क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में दस्तंदाज़ न होगा इल्लाह ब मंज़ूरी या बहुक्म अफ़सर आला ।

दफ़अ ४२–अगर दौरान् तफ़तीश में मुक़द्दमात की पुख्तगी के वास्ते किसी मुक़ाम की तलाशी लिया जाना ज़रूर समझा जावे तो अहल्कार पुलिस को चाहिये कि असालतन् या अपने किसी अहल्कार मातहत को बरसर मौक़े भेजकर तलाशीले और तलाशी के वक़्त बरसर मौक़े कम अज़कम दो अशखास मातबर को उसी गिरदोनवाह से हमराह लेले जैसे क़ब्ल अज़ीं मज़कूर होचुका है ।

बाब तीसरा ।

(देहाती पुलिस का तक़र्रुर और उनकी ख़िदमतें)

दफ़अ ४३–मिन् जानिब रियासत अव्वलन् इस अमरका तहक़ीक़ कर्ना ज़रूर होगा कि किस २ देहात में कौन कौन लोग इस लायक़ हैं जिन को ख़िदमात पुलिस सुपुर्द करदी जावें हरएक क़स्बह और देह में जो मुखिया और पटैल लोग कहलाते हैं उन्को ओहदेदारान् पुलिस के नामज़द कर दिया जावे, हरएक ऐसे मुखिया शख्स को रियासत की जानिब से एक २ सनद मुहरी मिलनी चाहिये और उसमें उनके तमाम कामोंकी तफ़सील तहरीर करदेनी चाहिये जिससे वह उस तहरीर को बतौर दस्तूरुल अमल सनदन् अपने पास रक्खें चौकीदार उसदेह के मिस्ल कानिस्टबल समझे जावें ।

दफ़अ ४४–वक़्तन् फ़वक़्तन् ओहदेदारान् पुलिस शहरी कारहाय पुलिस से ऐसे अशखास को वाक़िफ़ व आगाह किया करें बाद वाक़िफ़कारी वहलोग मिसल अहलकारान् पुलिस कारबंद होंगे और ऐसे चौकीदारान् देह तमाम वारदातोंकी इत्तलाअ उसी मुखिया शख्स को करते रहें ।

दफ़अ ४५–मुखिया लोग ऐसी वारदातों की इत्तलाअ होने पर मिसल अहल्कारान् पुलिस अमर मुक़द्दमा दस्तन्दाज़ी पुलिस के लायक़ है कार्रवाई करेंगे और संगीन वारदातोंकी इत्तलाअ फ़ौरन् अपने बड़े हिस्सह के पुलिस को दिया करेंगे ।

दफ़अ़ ४६–हिस्सह का अफ़सर पुलिस हत्तल इम्कान उसीवक़्त ख़ुद या अपने मातहत ओहदेदारको मौक़े पर बग़रज़तफ़्तीश रवानह करेगा जिसवक़्त कोई ऐसा अहलकार मौक़े वारदात पर पहुंचे वोह ब इम्दाद उन्हीं मुखिया लोगों की तफ़्तीश वारदात में पाबंदी उन्हीं अहकाम की जो स्टेशन ज़िलअ़ या हिस्सह ज़िलअ़ में करते थे करें ।

दफ़अ़ ४७–ऐसी देहाती पुलिस उन फ़िरक़ों की तलाशी रक्खेंगे कि जो बइलाक़ह दीगर ग़ारत गरी या सरक़ह इस्तह साल विल्जब्रके मुर्तकिब होकर अपने मसकन पर चले आये हों ।

दफ़अ़ ४८–ऐसे मुस्तबा लोगोंकी वक़्तन् फ़वक़्तन् ओहदेदरान् पुलिस शहरी या उस अफ़्सर को कि जो क़रीबतर हो इत्तलाअ़ दिया करें ।

दफ़अ़ ४९–वह लोग जो पहले सज़ायाब हो चुके हों उनके सबब मआ़श और बूदोबाशके हर लहज़ा निगरां रहें किसी वारदातके वक़्त ऐसे बदमाश पहले ज़ेर नज़र किये जावें ।

दफ़अ़ ५०–सिलसिलहवारदात मवेशी उमूमन् रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुरव्विजहै उसकी इन्सदादके वास्ते ऐसे मुखिया लोग उन "रेवड़" और "गोलों" को " मवेशी" के हमेशा अपनी निगरानीमें रक्खे ।

दफ़अ़ ५१–मवेशीके सरक़ह नहोनेका इन्सदाद इस तरहसे मुमकिन है कि हरएक इलाक़ह हुकूमत रियासत देशीमें मवेशीके किसी ख़ास मुक़ाम जिस्म पर कोई मुक़र्ररह निशान रियासतकी तरफ़से उन जानवरोंके जिनकी उम्र एक सालसे ज़ियादह हो लगादिया करें जिससे मसरूक़ा होने पर ब आसानी शनाख्त हो सक्तीहै और दर सूरत निशान मिटा दिये जाने के भी वह जानवर मसरूक़ा तसव्वुर हो सक्ताहै ।

दफ़अ़ ५२–तमाम मुसाफ़िर लोग जो चौबीस (२४) घंटेमें या उससे ज़ियादह किसी देह या क़रियामें क़यामपिज़ीर हों उनसे अच्छी तरह दर्याफ़्त कर्ना चाहिये कि वह कहांसे आये और कहां जावेंगे उनकी हालतको अच्छी तरह ग़ोर करलेना चाहिये कि वह जमाअ़त डाकुओंमेंसे नहों या किसी वारदातका इरादा इस देह या किसी दूसरे क़रियामें न रखते हों ।

दफ़अ़ ५३–जिसवक़्त कोई खोज किसी दूसरे देहके पटैलकी निगरानीसे पहुंचाया गया हो तो ज़रूर होगा कि निहायत मुस्तैदी और ईमानदारीके साथ

अगर खोज आगे चलता हो तो उसको अपनी हुदूदसे बाहर पहुंचादें और दूसरे गांव के पटैल या मुखिया शख्स को उसका ज़िम्महवार बनाकर रसीद हासिल करें अगर रसीद का लेना नामुम्किन हो तो दो या ज़ियादह गवाह मुक़र्रर करें ॥

दफ़अ् ५४–मुसाफ़िरोंको अपने २ इलाक़ह से बहिफ़ाज़त निकाल दें और अगर राजकी जानिबसे कोई फ़ीस अगवा दिया जानेके वास्ते मुक़र्रर होवे तो हस्ब दस्तूर अगवा देकर फ़ीस हासिल करें ॥

बाब चौथा।

(क़वाअ़द दर्बारह इम्दाद पुलिस अज़जानिब आम्मह खयालक़)

दफ़अ् ५५–हर शख्स को लाज़िम है कि वाली रियासत के मुल्कमें जब किसी अहलकार पुलिसको मददकी जरूरत हो तो हस्ब ज़ैल मौकों पर मददर्दे–

(अ) गिरफ्तारीमें किसी शख्सकी जिसको अहल्कार गिरफ्तार करनेका मजाज़ है।

(ब) नुक़्स अमन या दीगर अशयाय या किसी नुक़्सान को रोकने में मसलन् रेलवे या तारवर्की नहर या माल या इमारत सरकारी या दीगर अशयाय (राज) के नुक़्सान पहुंचानेका इक़दाम किया जावे।

दफ़अ् ५६–अगर किसी अदालत रियासत को सिवाय अहल्कार पुलिस या किसी और शख्स के नाम वारन्ट जारी कर्ना होवे तो हर शख्स को उस वारन्ट की तामीलमें मदद देना फ़र्ज़ है–

दफ़अ् ५७–हर शख्स को लाज़िम है कि उन वारदातोंकी इत्तलाअ जो क़ाबिल ज़मानत और क़ाबिल राज़ीनामा नहीं हैं और पुलिस बिलावारन्ट गिरफ्तार करसक्ता है फ़ौरन् किसी मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिसको जो क़रीब तरहो पहुँचाये ॥

बाब पांचवां।

(तरीक़ा गिरफ्तारी अशखास मुल्ज़िम्सन)

दफ़अ् ५८–गिरफ्तारी के वक्त हरएक अहल्कार या उस शख्सको जो गिरफ्तार करनेका किसी शख्सके मजाज़ किया गया है लाज़िम है कि जिसकी गिरफ्तारी मंजूर हो फ़ौरन् अपनी हिरासत में करे ॥

दफ़अ ५९–और अगर वह शख्स जिसकी गिरफ्तारी मक़सूद है किसी तरह तअ-र्रुज़ या मज़ाहमत करे और इरादा फ़रारीका रखता हो तो गिरफ्तार कुनंदहको लाज़िम है कि उसकी गिरफ्तारी के लिये हरएक तदबीर साथ हुशियारी के अमल में लावे ॥

दफ़अ ६०–कोई शख्स जिसके पास वारन्ट गिरफ्तारी हो या अहल्कार पुलिस जो गिरफ्तारी का इक़्तदार रखता हो यह तफ़तीश करे कि जिस शख्स की गिरफ्तारी मंज़ूर है किसी मकान में घुस गया हो उसके अन्दर मौजूद है तो मालिक मकान या अहातह या बाड़ा या सराय या नोहरा को चाहिये कि बिला दरेग़ गिरफ्तार कुनंदह की दर्ख़ास्त करनेपर जाय और शख्स मतलूबहकी तलाशीमें हमातन माकूल मदद दे ॥

दफ़अ ६१–अगर हस्ब मसुर्रह बाला दख़ल न मिलसके और अहतमाल फ़रारी शख्स मतलूबहका हो तो अहल्कार पुलिसको मजाज़ होगा कि फ़ौरन् खानह तलाशीले और अगर फिरभी गुज़र नामुम्किन हो तो किसी दर्वाजह या खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल हो ताहम् अहलकार पुलिसको लाज़िम होगा अगर वह मुक़ाम ऐसा खिलवत खानह हो जिसमें कोई औरत हस्ब रिवाज मुल्क पर्दानशीन रहती हो दरीं सूरत अहल्कार पुलिसको चाहिये कि उस औरतको इत्तलाअ्दे कि उनमें से चली जाय और उसको चले जानेके वास्ते सहूलियत माकूलदे ।

दफ़अ ६२–हरएक शख्स जो किसीकी गिरफ्तारी में मसरूफ़ हो खुद या और कानिस्टबल हमराही किसी मकान में दाखिल होनेके बाद रोका गया हो तो अपने निकलनेके वास्ते किसी दरवाज़ह या खिड़की को तोड़ डाले ॥

दफ़अ ६३–शख्स गिरफ्तार शुदापर किसी किस्मका तशद्दुद न किया जावेगा ॥

दफ़अ ६४–अहल्कार पुलिस उसीवक्त शख्स गिरफ्तार शुदाको अगर मुक़द्दमा क़ाबिल ज़मानत हो और वह ज़मानत दिये जानेसे क़ासिर हो और अगर मुक़द्दमा क़ाबिले ज़मानत न हो तो ऐसे शख्स की जामह तलाशी ले और सिवाय जामह हाय पोशीदनीके और तमाम चीज़ें अहल्कार पुलिस अपनी हिरासत में रक्खे और हथियार वग़ैरह जो शख्स गिर-फ्तार शुदाके जिस्मपर पाये जायँ उनको अपनी तहवील में लेकर शख्स गिरफ्तार शुदाको ब अदालत मजाज़ रवानह करे ॥

बाब छठा।

(गिरफ्तारी बिलावारन्ट)

दफ़अ़ ६५–हरएक अहल्कार पुलिसको इख्तियार है कि बिलाहुक्म किसी अ़दालतके हस्ब जैल अशख़ास को गिरफ्तार करें (अ) हर शख्सको जो जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें शरीकरहा हो या जिसकी बाबत शिकायत या इत्त-लाअ़ मातबर शराकतकी गुज़रे ॥

(ब) ऐसे हर शख्स को जिसकी गिरफ्तारी की बाबत किसी रिसायत देशी या बृटिश गवर्नमेंटके किसी महकमें से इश्तिहार गिरफ्तारी जारी हुआ हो ॥

(ज) ऐसे हर शख्स को जिसके क़ब्जहमें कोई माल मसरूक़ा हो या शुभा माकूल हो ॥

(द) ऐसे हर शख्स को जो अहल्कार पुलिस के कार मन्सबीकी तामील में हारिज हो।

(ह) ऐसे हर शख्स को जो किसी जेलख़ानह सर्कार अंगरेज़ी या देशी या किसी पुलिस की हिरासत से फ़रार हुआहो।

दफ़अ़ ६६–अहल्कार पुलिस इस अमरके मजाज़ हैं कि जिस रियासत से उनका तअल्लुक़ उस रियासतके हिस्सह ज़िलअ में उन मुल्ज़िमान के तअक्कुब में जिनकी गिरफ्तारी बिलावारन्ट करनेका इक्तदार रखते हों जहांतक उस रियासतका इलाक़ा हो चले जावें।

दफ़अ़ ६७–कोई शख्स जिसको अहलकार पुलिस ने गिरफ्तार कियाहो–जो २४ चौबीस घंटे के अर्सह से ज़ियादह हिरासतमें न रक्खा जावेगा।

दफ़अ़ ६८–अगर मुक़द्दमा क़ाबिलज़मानत है तो ज़मानत वर्ना हिरासतमें बज़रिए रिपोर्ट तहरीरी के किसी अ़दालत में चालान करे जो उसके समाअ़त की मुक़्तदिर हो।

बाब सातवां।

(पुलिस के अमलह की तक़सीम व दीगर कार्रवाइयों का ज़िक्र)

दफ़अ़ ६९–हरएक कानिस्टबल जो ज़ुमरह पुलिसमें भर्ती किया जावे उसका नाम हस्ब तरीक़ह जैल दर्ज रजिस्टर किया जावेगा।

रजिस्टर तक़र्रुरी कानिस्टबलान् मुतअल्लिक़ा पुलिस रियासत किशनगढ़ बाबत सन् १८९५ ई०.

नम्बर शुमार	नाम कानिस्टबल	वल्दियत	क़ौमियत	उम्र	सकूनत			तारीख़ व लादत अगर याद नहोतो अंदाज़न्	हुलिया	क़द		तारीख़ तक़र्रुरी मय तारीख़ माह व सन्	हालात कार करदगी वग़ैरह
					मौज़ा	परगना	ज़िला			फुट	इंच		
	दबीर चंद	अमीर चंद	ब्राह्मण	२४ साल	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	मेवाड़ उदयपुर	माह जनवरी सन् १८७१ई		५	७	२१ मार्च सन् १८९२ ई०	यह कानिस्टबल होशियार है १२ फ़रवरीको चंद डाकुओंको बड़ी जुरअत के साथ गिरफ्तार किया है जिसके सिलहमें पांच सौ रुपये ५००) रु. रियासत जयपूर से इनाम मिले—हाज़िर बाश, नेक, ईमानदार है तारीख़ १३ फ़रवरी सन् १८९३ ई. अलअब्द अहमदख़ां पुलिस इन्स्पेक्टर रियासत किशनगढ़

दफ़अ ७०–हरकानिस्टबलके वास्ते रजिस्टर में एक २ सफ़ा पूरा छोडना चाहिये जिसमें सवानह उमरी हरकानिस्टबलकी ख़ातिर ख्वाह दर्ज होसके ॥

दफ़अ ७१–तमाम हथियार और लिबास जो कानिस्टबलको दिये जावेंगे उनका इन्दिराज एक रजिस्टरमें दर्ज किया जावेगा और लेतेवक़्त लेनेवाले के उसपर दस्तख़त सब्त कराये जावेंगे ॥

रजिस्टर लिबास व हथियारान् सुपुर्दकर्दह कानिस्टबलान्.

नम्बर कानिस्टबल	नाम मय वल्दियत व क़ौमियत व सकूनत वग़ैरह कानिस्टबल	तफ़सील लिबास सुपुर्दकर्दह	तफ़सील हथियार	कैफ़ियत.
(१२)	अहमद ख़ां वल्द रहीमख़ां ज़ात मुसलमान पठान सिकनह, खैरपुर	१–साफ़ा सिरका एक २–कुरता एक ३–पाजामा एक	बंदूक़ यकनाली एक तलवार, दंडा एक एक दस्तख़त अहमद कानिस्टबल, नम्बर (१२)	हंगामह में इस कानिस्टल का साफ़ा, १७ फ़रवरी सन् ९२ ई. को गुम होगया और बजाय उसके दूसरा दिया गया.

दफ़अ ७२–हर महीनेकी आख़िर तारीख़ोंमें एक बर आवुर्द तनख्वाह बनाया जावेगा और उसपर हरएक ओहदेदार पुलिसके दस्तख़त सब्त होंगे जो नाख्वांद कानिस्टबल हों उनको अफ़सर पुलिस उनके नाम की मुहरें बनवाकर पास रखनेका हुक्म देगा और बाद तैयारीके हमेशा यह नाख्वांदा कानिस्टबल महाज़ी अपने २ नामके मुहर सब्त किया करेंगे ॥

दफ़अ ७३—बर आवुर्द तनख्वाह एक रजिस्टरमें तहरीर होगी और इसकी एक नक़ल दर्बारमें भेजी जावेगी ॥

नमूना रजिस्टर बरावुर्द तनख्वाह अमला पुलिस मुतअ़ल्लिक़ा रियासत भरतपूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
नम्बर शुमार	नाम. मय वल्दियत व कौमियत व सकूनत	नाम ओहदा	शरह तनख्वाह	तादाद अय्याम गैर हाज़री	तादाद अय्याम बीमारी	तादाद जुरमानह	वाजिबुलअय्याम फ़ाज़िल रुक़आ	तादाद रक़म जो हवालेकी जावेगी	दस्तखत या मुहर ओहदे दार
१	नसीरुद्दीन हैदर वल्द अलीमुद्दीन हैदर सिकनह अमरोहा	इन्स्पेक्टर दर्जह अव्वल	७०	०	०	०	०	७०	अ़लअ़ब्द नसीरुद्दीन हैदर इन्स्पेक्टर दर्जह अव्वल
२	करीमबख्श वल्द रहीम बख्श शेख़ सिकनह जयपूर	सब इन्स्पेक्टर	५०	०	०	५	०	४५	अलअ़ब्द करीमबख्श वल्द रहीमबख्श
३	श्यामलाल वल्द जीवनलाल ब्राह्मण सिकनह जोधपुर	हेडकानिस्टबल नंबर १	१५	एक योम	०	०	२९ योम	१४॥	अलअ़ब्द श्यामलाल वल्द जीवनलाल
४	शहाबुद्दीन वल्द कमालुद्दीन शेख़ सिकनह उदयपुर	हैडकानिस्टबल नंबर दोम	१२	०	०	१	०	११	अलअ़ब्द शहाबुद्दीन वल्द कमालुद्दीन
५	स्वरूपनारायणवल्द जयनारायण कायथ सिकनह मखी	कानिस्टबल	७	०	०	०	०	७	अलअ़ब्द मुहर
	मीज़ान		१५४	१ योम	०	६	२९ योम	१४७॥	

मैं सुपरिन्टेंडेड तसदीक़ करताहूं कि तमाम अशख़ास ओहदह दारान् मुन्दर्जह सदरको मैंने अपने हाथसे हस्ब मुन्दर्जह बरावुर्दे हाज़ा तनख्वाह तक़सीम की और दस्तख़त सही कराये॥

अलअब्द.

हरदयालसिंह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भरतपूर.

तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९५ ई.

गोशवारा बर आवुर्दे तनख्वाह अमला पुलिस मुतअ़ल्लिक़ा रियासत भरतपूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

इन्स्पेक्टर दर्जह अव्वल १ ७०) सब इन्स्पेक्टर १ ५०) हैडकानिस्टबल नम्बर अव्वल १ १५)

हैडकानिस्टबल नम्बर दोम १ १२) कानिस्टबल १ ७)

फ़र्दकंटिंजेंट मुतअ़ल्लिक़ा अमला पुलिस मुतअ़ल्लिक़ा रियासत भरतपूर, बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

नम्बर सिलसिलहवार	नाम अशयाय	तादाद	क़ीमत शरह	क़ीमत		कैफ़ियत
१	कमर पट्टी की मरम्मत कराई गई ।	१२	=) आने फ़ी पट्टी	१॥)		रसीद मुन्सलकहै
२	रोग़न सियाह बराय हवालात	५ सेर	बहिसाब ≤२॥ सेर	२)		
३	ख़ुराक़ हवालातियान्	४नफ़र	फ़ीनफ़र =)॥	॥=)		
४	काग़ज़ फ़ुल्स केप	एकरीम	४) फ़ीरीम	४)		
५	रंगाई वर्दियां	१२	।) फ़ीवर्दी	३)		
	मीज़ान			११=)		

मैं सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तसदीक़ करताहूं कि यह खर्च कंटिंजेंट बिल बिलाकम व कास्त सही और वाजिबुल् अदा है ।

अलअब्द् ।

सरूपाल सिंह सुपरिंटेन्डेंट पुलिस रियासत भरतपूर

दफ़अ ७४–जो शख्स किसी खिदमत पर मामूर हों उनके अफ़सरके पास ज़रिए मनी आर्डर तनख्वाह भेजीजावेगी और उस अफ़सरको लाज़िम होगा कि इस बर आवुर्द तनख्वाहके मुआफ़िक़ नक़्शा मुरत्तब करके ओहदेदारान्के दस्तखतले और ओहदेदार आलाके पास भेजदे. रजिस्टरके खानह दस्तखतमें ओहदेदारको इस अमरकी याददाश्त तहरीर करनी चाहिये और रसीद मनीआर्डर रजिस्टरमें चस्पां करनी चाहिये ॥

दफ़अ ७५–हस्ब नमूनह ज़ैल रजिस्टर अफ़सर पुलसके पास रहेंगे–

रजिस्टर जरायम् ।

क़ाबिल मदाखलत पुलिस मुतअल्लिक़ह महकमह पुलिस राज भरतपूर ।

१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
रजिस्टर नम्बर सिलसिलहवार	तारीख़			नाम गांव	इश्तिहार मुस्तग़ीस और जुर्म अगर मालूम हो	क़िस्म जुर्म	मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ या नहीं	हुक्मसाहुक्म और तारीख मजिस्ट्रेट	नाम अफ़सर सादिर कुनंदा हुक्म	कैफ़ियत मय इसके कि मुलज़िम किस अदालत में चालान् किया गया
	रिपोर्ट की	जुर्म की								
१	१७ जौलाई सन् ९५ई.	१० जौलाई सन् ९५ ई.		भील आबाद	करीम खां-वल्द अमीर खां सिकनह गाज़ीपूर	क़त्ले अमद	गिरफ्तार नहीं हुआ	तहक़ीक़ात मज़ीद का हुक्म हुआ	लालसिंह मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल भरतपूर	

रजिस्टर हवालातियान् मुतअल्लिक़ा पुलिस राज सिरोही बाबत.

नम्बर शुमार	नाम शख्स हवालाती बक़ैद, क़ौमियत व. ल्दियत, व सकूनत	तारीख़ वक़ूअ वारदात	तारीख़ गिरफ्तारी ब क़ैद घंटा,	मुस्तग़ीस मय वल्दियत व सकूनत वग़ैरह अगर कोई हो	इल्लत जुर्म	तारीख़ रिहाई या चालान् बक़ैद घंटा	कैफ़ियत
१	नारायण दास वल्द कबीर दास, सिकनह नाणियां पुरा, इलाक़ै सिरोही, ज़ात गौड़ ब्राह्मण उम्र २५ साल	१७ जून सन् १८९४ई०	२० जौलाई सन् १८९४ ई. १२ बजे दोपहर	दयालसिंह वल्द राज पालसिंह राजपूत कानावत सिकनह मौज़ै बाली इलाक़ह मारवाड़	सरक़ाज़ेरद फ़अ(३८०) ताज़ीरात हिन्द. अज़ क़िस्म ज़ेवर क़ीमती (४००)	बहुज़ूर साहब जूडीशल आफीसर बहादुर २१ तारीख़ माह जौलाई सन् इलैको बवक़्१० बजे सुबह मार्फ़त लालखां कानिस्टबल नम्बर (२४)रवानह किया गया.	

रजिस्टर खूराक हवालातियान् मुतअ़ल्लिक़ा पुलिस राज सिरोही बाबत सन् १८९४ ई.

नम्बर शुमार	नाम हवालाती मय वल्दियत. वगै़रह	तारीख़ और वक़्त हवालात	नाम फ़रीक़ैन	इल्लत	तारीख़ ४ अगस्त सन् ९३ ई.	५ अगस्त सं. ९३ ई०	६ अगस्त सन् ९३ ई०	कैफ़ियत
१	ख़ैराती ख़ांवल्द वफ़ाती ख़ांजात पठाम सिकनह महरवाड़ा	४अगस्त सन् १८९३ ई. बवक्त ७ बजे सुबह के	लालजीलाल बनाम सुजान मल	सरकाह (३९१) ताजीरात हिन्द क़ीमती २००,				बमूजिब हुक्म माजिस्टेट दर्जह अवल मवाड़-नंबरी (५०) मुवर्रख़ह ५ अगस्त सन् ९३ ई० चौबीस घंटह से ज़ियादा रक्खा गया,

इन्साफ़ ।

उम्मन् हर मुक़द्दमह व मुआमलहमें इन्साफ़ का होना निहायत ज़रूर है मसलमानों के यहां ज़मानह साबिक़ म बहुत से अवतार ऐसे गुज़रे हैं जो बानी मबानी इन्साफ़ के वही ख़याल किये जाते हैं फिर "नोशेरवानी" इन्साफ़ने फ़रोग पाया जिसके वास्ते शेख़सादी साहबने अपनी गुलिस्तांमें तहरीर फ़र्माया है, ज़िन्दस्त हिन्दुस्तान नामे फ़र्रुख़ नोशेरवां बअद्ल 'गरचे बसे गुज़श्त के नोशेरवांनमांद' और हिन्दुस्तान में कुतुब अहल हनूदसे इन्साफ़ का अज़रूय "धर्म्मशास्त्र" होना पाया जाता है, उनके यहांभी हत्तुल इम्कान निहायत पाबंदीसे उम्दा उम्दा इन्साफ़ किये गये। अहद बादशाही में मुसलमान शरह मुहम्मदी और अहल हनूद अपने "धर्म्मशास्त्र" के मुताबिक़ कारबंद रहे, तमाम ख़ता मुल्कमें दीवानी व फ़ौजदारी के वास्ते कोई ख़ास क़ानून मुक़र्रर नहीं थे, बहुतसे मुसलमान बादशाहों ने नोशेरवानी तक़लीद की और बहुत से ज़ालिम और जाबिर सुफ़ातवारीख़ में मस्तूर हुए अकबर शाहने रिआयाकी ख़ुशहाली और फ़ारे गुलबाली के वास्ते अहद दौलतमें सिविल इंतिज़ामकी तरफ़ कमाल तवज्जह मबज़ूल की बहुतसे आईन मुल्की इन्तिज़ाम व अदालतोंके इन्साफ़के लिये मुरत्तब फ़र्माये जो आईने अकबरीके नामसे मशहूर और मख़ज़न क़ानून शुमार होते हैं बाद अकबर शाहके जहांगीरने अपने बापकी तक़लीदकी याने एकघंटा तैयार करके उसकी ज़ंजीरतिलाई दर्वाजह महलशाहीपर डलवादी कि जो लोग दरबानोंके सीनह ज़ोरी से बादशाहतक अपने इस्तगासह को न पहुंचा सकें वह बिलातकल्लुफ़ उसी जंजीरको हिलाकर बादशाह तक बेधड़क पहुंच जावें फिर उसके बाद बबाअस मुख़्तलिफ़ुल्मलूकी अद्ल व इन्साफ़के तरीके मुख़्तलिफ़ तौर पर रायज रहे—ज़मानह मौजूदह हमारी मल्का मुअज़्ज़मा क़ैसए हिन्द दाम इक़बालहाके अहद हुकूमतमें सबसे बढ़कर यह तुख़्म इन्साफ़ बोया गया कि एक ख़ास कौन्सिल वाज़ै आईन व कवानीन जिसको बज़ुबान अंग्रेज़ी "लेजिसूलेटिव कौंसिल" कहते हैं मुकर्रर फ़र्माई गई, इस कौन्सिलमें आ़ला दर्जहके साहब लियाक़त व फ़रासत मुदब्बिर मुक़न्निन तालीम याफ़्ता वलायत अंग्रेज व हिन्दोस्तानी शामिल होकर क़ानून ताज़ह और नीज़कवानीन मुरव्विजहमें क़ाबिल तरमीम बातोंको तरमीम व तनसीख़ करते हैं सच तो यह है कि हरएक बालकी ख़ाल निकाली जातीहै जो कुछ इस इन्तिज़ामकी मदहो व सनाकी जावे बेशक थोड़ी है इन सब बातोंका मआ़ले कार यह है कि जो बात अदालतोंमें की जावे वह क़ानूनी इन्साफ़के मुआफ़िक और रिआ़या बरायाको ज़ुल्मवताद्दीसे निजातहो और शाही हक़ूक़ भी न मारे जावें तमाम अज़लाअमें अदालतें अदनासे आ़ला तक मौजूद हैं अगर किसी अहले मुकद्दमहके हकूक किसी अदालतने

तलफ़ कर दिये याकोई क़ानूनी फ़रो गुज़ाश्त जिससे बे इन्साफी हुई हो वह फरीक फ़ौरन् उससे आला अदालतमें अपील करसक्ताहै ऐसे तमाम फ़ैसले जात माहवारी रिपोर्टोंके ज़रिएसे हाईकोर्टोंमें शाया होते हैं और कौन्सिल आईन साज़ ऐसे मुक़द्द-मातकी कार्रवाइयों पर लिहाज़ करके मौके मुनासिब पर क़ानूनकी तरमीम व तन-सीख़ करतीहै अगर्चे बाज़ असहाब ज़मानह हालकी क़ानूनी इन्साफ़ और ख़ास कर उन मुन्सफ़ान् अहल यूरुपके इन्साफ़ पर जो हनोज़ ताज़ा वलायत हैं बहुत मज़हका और नुक्ताचीनी करते हैं जो हिन्दुस्तानकी अदालतोंमें इजलास फ़र्मा हैं मगर हमारे नज़दीक वह ग़लती पर हैं और वह इस ज़मानह को ग़नीमत नहीं समझते कि आईन अंग्रेज़ीने रिआयाय हिन्द को किसक़दर आज़ादी दे रक्खी है और रिआया किस बेबाकी व फ़रूत दिली व कुशादह पेशानीसे हिन्दुस्तानमें बसर कर रही है जिन हज़रात को तवारीख़ी हालातकी कुछ भी मालूमात न हो वह अमीर अली ठग का इक़बाल जो एक सच्चा हाल क़िस्सह के पैराये में बज़ुबान उर्दू तर्जुमा हुआ है मंगाकर मुलाहिज़ा फ़र्मायें जिसकी हर एक इबारत इन्सानी रोंगटे खड़े करती है और रक़ीक़ तबीअत वाले उन बे रहमों और ज़ुल्म तअद्दियों को सुनकर रो देती हैं, इलाहाबादसे ग्वालियार, इन्दौर से भूपाल या मन्दसोर के जाने में क़ाफ़िलेके क़ाफ़िले हस्ती से अदमकी राह देखते थे और कोई उन जरायम पेशहकी इन्सदादकी तरफ़ मुतलक़ तवज्जह नहीं करता था, इस को दो चार सदियां नहीं गुज़रीं हाल ही की बात है, और हुक्काम अदालत ताज़ा वलायत के इन्साफ़ पर जो हरफ़ ज़नी की जावे तो जवानान् यूरुप बावस्फ़ कम उमरीके निहायत तन्दही और जांफ़शानीसे उस असल बातको तहक़ीक़ करते हैं जो हक़ीक़त में बिनाय मुक़द्दमा है और फिर बिला रूव रिआयत फ़ैसला करते हैं बख़िलाफ़ बाज़े हिन्दोस्तानीके उनको जहां कुछ भी इख्तियारात किसी देशी रियासत में हासिल हुए उनके ख़यालातही दूसरे होजाते हैं मुक़द्दमात पेचीदा में तो क्या मामूली मुक़द्दमात में भी ग़ौर नहीं कियाजाता और कुछ तअल्लुक़ात किसी न किसी फ़रीक़ से ज़रूर होतेहैं जोचाहतेहैं बे सरोपा अह कामकी बोछाड़ करदेते हैं मुद्दई ख़्वाह बहिश्त में जाय या दोज़ख़ में उनको कुछ मतलब नहीं ज़ुल्म जो करताहै अहदे जाह में "चाह खुदवाता है अपनी राह में" ऐसे जाबरानह कार्रवाइयों से रिआया मजलूमको तो मसायब का सामना होता ही है मगर रियासतको भी इसकी बदौलत सदहा क़िस्म के नुक़सान उठाने पड़ते हैं और रियासतकी खुश नीयती और नेकनामी मुबेल्ल बदनामी होजाती है पस जिस हालत में ज़मानह पेशीन मुल्की इन्तिज़ाम की बाबत मुतक़द्दमीन एक

दूसरे की तक़लीद करते चले आये हैं और अब भी बहुत से अमूर में अहल यूरोप की हिन्दुस्तान में बड़ी गर्म जोशीके साथ तक़लीद हो रही है तो बृटिश गवर्नमेन्टकी इन्तज़ाम मुल्की की (जो इस वक्त तमाम सल्तनतें यूरुपकी बड़ी वक़अत और क़दर व मंजिलतके साथ देख रहीहैं) क्यों तक़लीद नहीं करती जो निहायत ज़रूरी बात है वक्त की पाबंदी क़ायदों हिदायतों का अजराय हुक्काम अदालत हाय देशीकी निगरानी यह सब अमूर इन्साफ़ पर मुबनी हैं और जिससे मुल्की हालत को तरक्की और रिआया बरायाकी खुशहाली व फ़ारिगुलबाली मुतसव्वर है और रिआया पर्वरी बादशाह वक्त के लिये हरक़ौम में व मिल्लत में फ़र्ज़ क़रार दी गई है और जहां इस उसूल पर निगाह नहीं है वह मुल्क मारिज़े तज़ल ज़ुल में है इस मज़मून को हम खत्म करके देशी अदालतों के इजलास और उनकी नशिस्त की तस्वीर खैंचकर बतलातेहैं जो बाज़ी रियासत हाय देशी के बहुत कार आमद होगी।

राक़िम

तफ़ज्जुल हुसेन मोअल्लिफ़

मजमूअ हाज़ा

८ जौलाई सन् १८९६ ई०

बाब आठवां।

(अदालतहाय फ़ौजदारीका तक़र्रुर और उनके इख़्तियारात)

दफ़अ ७६–हस्बज़ैल अदालत हाय फ़ौजदारी रियासतकी मौजूदह हालत और बलिहाज़ गुंजायश मुकर्रर होंगे, और उनके यह नाम या वह नाम जो उसख़ित्ता मुल्क के लिये मुनासिबहों रक्खे जावें–

अदालत आला	इख़्तियारात सज़ाय क़ैद ता हयात व सज़ाय मौत ब मंज़ूरी साहब पोलेटिकल एजेन्ट बहादुर उस रियासतके या हस्ब दस्तूर व क़रार दाद रियासत
मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल	क़ैद दो बरस से ज़ियादह न होनी चाहिये जुर्मानह एक हज़ार तक
मजिस्टेट दर्जह दोम	क़ैद जो शशमाह से ज़ियादह न हो और जुर्माना जो दो सौ रुपयेसे ज़ियादह न होवे
मजिस्ट्रेट दर्जह सोम	क़ैदजो एकमाह से ज़ियादहनहो और जुर्मानह जिसकी तादाद ५०) पचास रुपये से ज़ियादह न होवे

दफ़अ ७७–हर मजिस्ट्रेट अपने २ इख़्तियारात को हर एक मुक़द्दमह मुतदायर हमें नाफ़िज़ कर सक्ता है।

दफ़अ ७८–हर मजिस्ट्रेट जिसकी अदालत में कोई ऐसा मुक़द्दमा दायरहो जिसकी तजवीज़ करनेका उसको इख़्तियार हासिलनहो ऐसी सूरत में उसको चाहिये कि अपने से आलादर्जे की अदालत में जो उसकी समाअतकी कुदरत रखती हो मुस्तग़ीसको खुद या अर्ज़ी इस्तग़ासा को पेशहोनेके वास्ते मुरसिलकरे।

दफ़अ ७९–जायज़ है कि हर अदालत बक़सूर अदम अदाय जुर्मानह वह सज़ा तजवीज़ करे जो हस्ब दफ़अ(६७)ताज़ीरात हिन्द मुक़र्रर और महदूदकीगई हैं

दफ़अ ८०–हर अदालत को वक़्तन् फ़वक़्तन् रियासतसे वह इख़्तियारात मुफ़व्विज़ हो सके हैं जो उसख़ित्ता मुल्कके वास्ते मुनासिबवक़्तहो।

दफ़अ ८१–हर अदालत मुतज़क्किरह सदर मजाज़ इस अमर के नहीं है कि वह अपने इख्तियारात मफ़ूज़ह से ज़ियादह सज़ायजुर्म सादिर करे ।

दफ़अ ८२–हर एक अदालत उन मवाके मुनासिब पर नशिस्त रक्खेगी जो रियासत से तजवीज़ हुई हों ।

दफ़अ ८३–कोई अदालत किसी इख्तियार मुफव्विज़ा को खुद फरीक़ मुक़द्दमह होकर नाफ़िज़ न करेगी ।

दफ़अ ८४–रियासत को इसबातका इख्तियार हासिल होगा कि जिस हाकिम को चाहें मुअत्तिल और मौकूफ़ करें ।

दफ़अ ८५–मुशाहरा ओहदे दारान् का जो दफ़अ मसबूकुल ज़िक्रमें हो रियासत की जानिबसे हस्ब लियाक़त और दयानत दारी ओहदेदारान् जो रियासत की आमदनी पर मुन्हसर है मुक़र्रर होगा और वक़्तन् फवक़्तन् उसमें भी तग़रिो तबदील होता रहेगा ।

दफ़अ ८६–रियासत से हर एक अदालत में बनज़र हालात मुक़द्दमात मुत दायरा के अमला मुक़र्रर होगा ।

दफ़अ ८७–किसी क़स्बह में जहां मुक़द्दमात की कसरत पाईजावे अगर रियासत की दानिस्त में ज़रूर हो तो किसी दर्जह का मजिस्ट्रेट उस जगह मुक़र्रर करें ।

दफ़अ ८८–हर सूरत में जो अहकाम रियासत से दर्बार हतग़ीरो तबदील हुक्काम व दर्बार अताये इख्तियारांत सादिर हों वह उसी रियासत के अखबार में बशर्ते कि उस रियासत में अखबार तबअ होता हो छपकर अवाम की आगाही के वास्ते मुश्तहर होंगे ।

बाब नवां

(मुक़ाम नालिशात)

दफ़अ ८९–हर एक इस्तग़ासह तहरीरी उस अदालत में मुस्तग़ीस की तरफ़से दायर किया जावेगा, जिसके इलाक़ह हुकूमत में बिनाय इस्तग़ासा पैदा हुई हो ।

(तम्सीलात)

(अ) बक्रने बराह अदावत जब कि जैद मुसाफ़िरत की हालत में है मुक़ाम पाली में जैद के तलवार मारी और मुलाज़िमान् जैदने बराह ताजील बक्र को

जोधपुर पहुंचाया और उस मुक़ाम पर पहुंचकर जैद फ़ौत हुवा ऐसी सूरत में वुरसाय महलूक को दोनों अ़दालतों में इज्राअ़ नालिश का इख्तियार हासिल है।

(ब) ज़ैद माल मन्क़ूला बक्र के तिफ़्ल के जिस्म से उतार कर पर्वत सरसे जोधपुर चलागया पुलिसने जैदको मुश्तंबा हालत में गिरफ्तार किया पस इस इर्तकाब जुर्म का इस्तग़ासा और चारा जोई मार्फ़त पुलिस पर्वत सर के होने चाहिये–

दफ़अ़ ९०–अ़दालत आ़ला इन मक़ासिद के मुतअ़ल्लिक़ अहकाम ज़रूरी जैसा २ मौक़ा हो सादिर करसकती है–

दफ़अ़ ९१–अदालत आ़ला अगर मुनासिब होतो यह अहकाम सादिर करसकती है कि फ़लां मुक़द्दमह फ़लां अ़दालतके तवस्सुलसे फ़ैसल होना चाहिये–

बाब दशवां।

(आग़ाज़कार्रवाईइस्तग़ासह)

दफ़अ़ ९२–हरएक हाकिम अ़दालत बसिल्सिलह जैल जरायमकी समाअ़तका इख्तियार रखता है–

(अ) जब इस्तग़ासा तहरीरी मुनजायब किसी मुस्तग़ीसके पेश किया जावे।

(ब) जब अज़जानिब अहालियान् पुलिस कोई रिपोर्ट गुज़रे–

(ज) जब कोई इत्तलाअ़ दीगर व सायलसे पहुंचाई गई हो।

दफ़अ़ ९३–उम्मन् जो दरख्वास्तें ज़ेर फ़िक़रह (अ) पेश की जावें, बमूजिब नमूनह जैल उर्दू ख्वाह हिन्दीमें जैसा उस खिता मुल्कमें रिवाज होवे मुरत्तब होंगी।

(नमूनह इस्तग़ासह)

बअ़दालत साहब मजिस्ट्रेट दर्जेह सोम। मुक़ामपाली इलाक़ै जोधपुर।

(सीग़ह फ़ौजदारी)

(अ)–अमीरअली वल्द नज़ीर अहमद सिकनह अहमद नगर रोशन पुराह मुस्तग़ीस।

मुक़ाबिल

लालसिंह वल्द पदुमसिंह अहमद नगर मुहल्लाफर्रुखनगरमुस्तग़ास आलिया।

(इख़्तत हमलह व जबर मुजरमानह ज़ेर दफ़अ़ ३५२ ताज़ीरातहिन्द)

मुस्तग़ीस हस्बज़ैल अर्ज़ कर्ता है—

(अ)—मुस्तग़ीस बतारीख़ १२—माहजून सन् १८९२ ई०को बवक्त पांचबजे शाम पुलिस स्टेशन नम्बर ४ चाडरी बाज़ारसे तनहा गुज़र रहाथा कि लालसिंह मुस्तग़ासह अ़लियाने बिला वजह रास्तह चलते एक ज़र्ब लकड़ी मुस्तग़ीसके पुश्त पर मारी जिसके सदमहसे पुश्त मुस्तग़ीस अमासीदह (यानी सूझी हुई) है—

(ब)चूंकि उसवक्त इस हादहसके वाक़े होनेपर बहुतसे अशख़ास मौजूदथे जिन्होंने बचश्म ख़ुद इस फ़ैलके इर्तेकाबको देखा है, बिहारीलाल व अमीचंद शाहिद हैं जो अज़जानिब इस्तग़ासह पेशहोंगे ।

(नोट) या अगर मुस्तग़ीससे न आसकते हों तो लिखना चाहिये कि मार्फ़त अ़दालत तलबहों ।

(ज) सर्टिफिकेट डाक्टरी पेश करके इस्तदुआ की जाती है कि बराह इन्साफ़ अ़दल गुस्तरी ज़ेर दफ़अ़ (३५२) ताज़ीरातहिन्द तहकीक़ात फ़र्माकर मुल्ज़िम को सज़ाय मुनासिब दीजावे ।

मैं मुस्तग़ीत इक़रार कर्ताहूं कि मेरा बयान मेरे इल्म व यक़ीन से दुरुस्तहै—

अर्ज़ी

अलअ़ब्द अमीर अ़ली	फ़िदवी अमीर अ़ली सिकनह मोहल्लह फ़ैजगंज मन् महलात रोशन पुराह इलाक़े अहमदनगर मारूज़ह १३ जून सन् ९३ ई०

दफ़अ़ ९४—जब कोई अर्ज़ी इस्तग़ा सह पेश की जावे तो ज़रूरहोगा कि उसके साथ नकद आठ॥) आनह पेश करदिये जावें या अगर उस रियासत में किसी क़िस्मका स्टाम्प मुरव्विज होतो उस स्टाम्प पर अर्ज़ी मज़कूर तहरीर होनी चाहिये—

(मुन्तख़बह अज़ एक्ट नम्बर ७ सं० १८७० कोर्टफ़ीस ज़मीमह २)

(अ) जब किसी ओहदेदार परमट या सीग़हया आबकारी या किसी मजि-स्ट्रेटके रोबरू कोई ऐसा शख़्स पेशकरे जो सर्कारके साथ

दरख्वास्त या सवाल	मुआमलात रखना हो और शै मुतनाजअ मुन्दर्जह दरख्वास्त मज़कूर महज़ उन्हीं मुआमलोंमें मुतअल्लिक़हो— या जब कि रोबरू किसी ओहदेदार मालके कोई शख्स क़ाबिल आराज़ी बन्दोबस्त मयादी जिसका मआहिदह मालगुज़ारी खास सर्कारसे हुआहै पेशकरे और शै मुतनाज़अ मुन्दर्जह दरख्वास्त या सवाल मज़कूर महज़ मआहिदह मजकूरसे मुतअल्लिक हो ॥ या जब किसी अदालत दीवानी में बजुज़ अदालत दीवानी आला इब्तदायके या किसी छावनी के मजिस्ट्रेटकी रोबरू जो बतौर अदालत दीवानी बमूजिब एक्ट३सन्१८५९ ई०इजलास करता हो या किसी अदालत मतालिबह ख़फ़ीफा में जो हस्ब एक्ट ११ सन् १८६५ ई० या एक्ट १६ सन् १८६८ ई० के दफ़अ २० के मुक़र्रर की गई हो या किसी कलक्टर या दूसरे ओहदेदार माल के रोबरू निस्बत किसी नालिश या मुक़द्दमह के जिसमें तादाद या मालियत से मुतनाज़ा के या जब किसी अदालत दीवानी या फ़ौजदारी या महकमह माल में या किसी बोर्ड या ओहदेदार आमिल के रोबरू बमुराद हसूल नक़ल या तर्जुमह किसी फैसलह या डिगरी या हुक्म मसदूरह अदालत बोर्ड या ओहदेदार मज़कूर या किसी और नविश्तह मशमूल मिसल मौजूदह अदालत या महकमह मज़कर से गुज़रे।	) एक आना
दरख्वास्त या सवाल	(ब) जब मुतज़म्मिन इस्तग़ासह या नालिश किसी जुर्मके बजुज़ उस जुर्म के जिसके मुजरिम को अहलकारान् पुलिस बमूजिब मजमूअ ज़ाब्तह फ़ौजदारी के बिलावारन्ट गिरफ्तार कर सकते हैं किसी अदालत फ़ौजदारी में गुजरे—	॥) आठ आना

दफ़अ ९९—बर तबक़ पेश होने ऐसे इस्तग़ासह के मजिस्ट्रेट को लाज़िम होगा कि फ़ौरन् अज़रूए हलफ़ मुस्तग़ीस का इज़हार अपने दस्त बक़लम या मार्फ़त अपने सरिश्तहदार के ले और वह सवालात मुस्तग़ीस से करे जो इस्तग़ासा की सिहत करने के लिये ज़रूरी हों ज़ां बाद अपने दस्तख़त सब्त करे—

दफ़अ़ ९६–अगर असबाब इस्तग़ासह सिहत के साथ न पाई जावें और इस्तग़ासह में किसी तरहकी लग़ज़िश पाई जावे तो मजिस्ट्रेट को ज़रूर होगा कि फ़ौरन् इज़हार लेने के बाद या अगर कोई अमर क़ाबिल दर्याफ़्त और तफ़तीश मालूम होवे तो अहलकारान् पुलिस के पास भेजदें–

दफ़अ़ ९७–अगर मजिस्ट्रेट इस्तग़ासह को अपनी समाअ़त के लायक़ न समझे तो उसको लाज़िम होगा कि मुस्तग़ीस को उसके इस्तग़ासह पर तहरीर करके वापिस करे कि मुस्तग़ीस फ़लां हाकिम अ़दालतके रू.बरू इस्तग़ासा पेश करे जब ऐसा इस्तग़ासा किसी दूसरी अ़दालत में मुरसिल होगा तो वह अ़दालत मजाज़ इस अ़मर के न होगी कि उस इस्तग़ासह की सिदाक़त के लिये इजहार हल्फ़ी ले।

दफ़अ़ ९८–ओहदेदार पुलिस जिसके पास इस्तग़ासा तफ़तीश के वास्ते भेजागया है बाद तहक़ीक़ के मुफ़स्सिल रिपोर्ट उस तफ़तीश की बहुज़ूर उस हाकिम के जिसने तफ़तीश का हुक्म दिया हो भेजदें।

दफ़अ ९९–अ़दालत जिसमें ऐसे काग़ज़ात तफ़तीश शुदा भेजे जावें उसको इख्तियार और इक़्तदार हासिल होगा कि अगर वजह ना जवाज़ी इस्तगासा देखे तो इस्तग़ासह को डिसमिस करदे।

दफ़अ़ १००-ऐसे तमाम इस्तग़ासे एक रजिस्टर में हस्बज़ैल दर्ज होंगे।

(नमूनह)

(रजिस्टर इस्तग़ासह हाय फ़ौजदारी)

नम्बर मार	तारीख़ व वारदात	नाम मुस्तग़ीस	थानह	जुर्म जो मुलज़िमपर लगाया हो मय जवाज़ दफ़ात क़ानून	हुक्म जो सादिर कियागया	कैफ़ियत
(१)	२० जून सन् ९५ई०	अमीर अ़ली वल्द नज़ीर अहमद सिकनह अहमदनगर मोहल्ला रोशनपुरा	चावड़ी बाज़ार स्टेशन पुलिस नंबर (४)	हमला व जब्र मुजरमानह ज़ेर दफ़अ़ (३५२) ताजीरात हिन्द	२५) रुपया जुर्मानह मुलज़िम पर किया गया २५ जून सन् १८९५ ई.	

दफ़अ १०१–अगर कोई मजिस्ट्रेटको काफ़ी वजह कार्रवाईकी पाई जावे तो उसको लाज़िम होगा समन जारी करे या वारन्ट उमूमन् जो समन या वारन्ट अ़दालतसे जारीहों उनके नमूनह मुताबिक़ जैल होंगे।

(नमूनह समन बनाम मुस्तग़ासले)

अज़ अ़दालत फ़ौजदारी बा इजलास मच्छूसिंहजी साहब मजिस्ट्रेट
दर्जेह दोम मुक़ाम आबूरोड

बनाम नसीरुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखां सिकनह सापतपुरा मुतअ़ल्लिक़ा खराड़ी इलाक़े राज सिरोही।

हरगाह हाज़िर आना तुम्हारा बग़रज जवाबदही इलज़ाम ज़ेर दफ़अ़ (३५२) ताज़ीरात हिन्द ज़रूर है लिहाज़ा तुमको इस तहरीरके ज़रिएसे हुक्म होता है कि तुम बतारीख २० माह जौलाई सन् १८९३ ई० को बवक़्त दशबजे असालतन् या बज़रिए मुख्त़ारजी इख्तियार ब हुज़ूर हमारे हाज़िर हो इस बाब में ताकीद जानो फ़क्त।

आज मेरे दस्तखत और मुहर अ़दालतसे बतारीख २० जौलाई सन् ९३ ई० को जारी हुआ { दस्तखत मच्छसिंह मजिस्ट्रेट दर्जेह सोम मुक़ाम खराड़ी

(नमूनह वारन्ट गिरफ्तारी अ़दालत मजिस्ट्रेटी)

ब इजलास मच्छूसिंहजी साहब मजिस्ट्रेट दर्जेह दोम
मुक़ाम आबूरोड

बनाम किफ़ाय तुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखां पुलिस इन्स्पेक्टर आबूरोड हरगाह मुसम्मी नसरुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखां साकिन आबूरोड हमला ज़ेर दफ़ा (३५२) ताज़ीरातहिंद का इलज़ाम लगाया गया है लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि तुम मुसम्मी नसरुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखांको गिरफ्तार करके हमारे हुज़ूरमें हाज़िर करो ताकीद मज़ीद जानो–

आज हमारे दस्तखत और मुहर अ़दालत से बतारीख २० जूनको जारी किया गया। मुहरअ़दालत दस्तखत हाकिम अ़दालत

मच्छूसिंह मजिस्ट्रेट दर्जेह दोम मुक़ाम
आबूरोड.

दफ़अ़ १०२–अगर मुक़द्दमा ऐसा है कि जिसमें ज़मानत होसक्तीहै तब उसकी पुश्तपर हस्ब ज़ैल इबारत और तहरीर होगी–अगर मुसम्मी नसरुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखां मज़कूर अपनी तरफ़से मुचलका तादादी पच्चीस २५) रुपया मय ज़मानत, यककस तादादी पच्चीस २५) रुपये या ज़मानत दो कस तादादी फ़ीकस पच्चीस २५) रुपये इस इक़रार से लिखदिये कि हमारे रोबरू तारीख़ २४ माहजून सन् १८९४ ई०को हाज़िरहो और जब तक हम दूसरे नहज़का हुक्म न दें इसीतौर पर हाजिर रहैगा तो उसको रिहाई देना जायज़ है ।

दस्तख़त { मच्छूसिंह मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुक़ाम आबूरोड

बाब ग्यारहवां ।

(समन और उसका तरीक़ा तामील)

दफ़अ़ १०३–समन जो किसी अ़दालतकी तरफ़से जारी हो तहरीरी होगा और उसके दो पड़त होंगे और उसपर हाकिम अ़दालतके दस्तखत होंगे और उसको मुहर अ़दालतसे मुज़य्यन किया जावेगा और किसी ओ़हदेदार पुलिस या अहलकार मुनासिब या उन अशख़ासकी मार्फ़त जो किसी देह या क़स्बहमें मिन्जानिब रियासतमहज़ बग़रज़ इजराय कोर्टवाई व इम्दाद पुलिसमुक़र्रर किये गये हों । समन जिसके नाम जारी किया गया है उसका एक पड़त उसको हवालह किया जावेगा और दूसरे पड़त पर दस्तख़त इत्तलाअ़याबीके लिये जावेंगे–

दफ़अ़ १०४–और हर शख़्सको जिसके नाम इस क़िस्मका समन जारी कियाजावे लाज़िम होगा कि अहलकार तामील कुनंदाकी दर्ख्वास्त पर फ़ौरन् अपने दस्तख़त सब्त करदे–

दफ़अ़ १०५–जो लोग बावजूद कोशिश बिसियार दस्तयाब न हो सकें उसकी तामील के वास्ते यह अमर काफ़ी होगा कि उनके किसी अहले खान्दान अज़ क़िस्म ज़कूर को एक पड़त देकर दस्तख़त लिये जावें या अगर यह अमर भी मुमकिन नहो तो उसके मकान बूदोबाश पर एक पड़त समन चस्पां कर दे जिसमें वह उमूमन् सकूनत पिज़ीरहो और दूसरे दो अशख़ास मौतबर के दस्तख़त इस ग़रज़ से कराये जावें कि वाक़ई तामील समन की हस्ब मुतज़िकरह की गई ऐसी

हालत में ऐसा तसव्वुर होगा कि तामील समन उस शख्स की ज़ात ख़ास परकी गई—

दफ़अ १०६—और जो लोग रियासत के किसी महकमह में मुलाज़िम हों तो ज़रूर होगा कि हरदो पड़त समन उस ओहदेदार की ख़िदमत में भेज दिये जावें और वह उसी तरह कारबन्द होंगे जैसे अहलकारान् पुलिस तामील समन की करते—

दफ़अ १०७—जब किसी अदालत को इस बात की ज़रूरत हो कि समन किसी दूसरे ज़िलअ में जो रियासत के मातहत हुकूमत हो तामील समन की जावे ऐसी सूरत में उसी तरीक़ह मुतज़िकरा सदर के मुआफ़िक़ समन ज़रिए तहरीर अदालत भेजने होंगे मगर हाज़री के वास्ते मुलज़िम के बलिहाज़ बोद व मुसाफ़त काफ़ी मयाद हाज़री की दीजावे।

दफ़अ १०८—वह अदालत जिसमें उस तरीक़ह से समन मुरसिल हों बाद करने तामील ओहदेदार तामिल कुनन्दाके इज़हार हलफ़ी इसतरहसे कि तामील किस तरह की गई लेकर बअदालत असदारकुनन्दा समन मय समन वापिस भेजदेगी॥

(नज़ायर बराय आगाही अदालत)

तल्बानह फ़ीसकी बाबत हाईकोर्ट मदरासने मुरत्तब फ़र्माई, और कलकत्ता गज़ट मवर्रुख़ह १२ अपरैल सन् १८७९ ई० के सफ़ह (९९६) में मुश्तहर फ़र्माई गई॥

खुलासह॥

मुतअल्लिका बाब समन

६ अगस्त सन् १८७३ ई० को या उसके बाद अदा किया जाना तलबानहका समन और हुक्म नामों पर जो अदालत हाय हाईकोर्ट ख़ासकर ब हैसियत इख्तियारात अपील और अदालत हाय दीवानी या जो अदालत हाईकोर्टके मातहत हैं और अदालत हाय फ़ौजदारी जरायमके उन मुक़द्दमातमें सिवाय उन जरायमके जिसमें पुलिसको बग़ैर वारन्टके गिरफ्तारीका इख्तियार हासिल है जायज़ हों उन पर हस्ब शरह मुक़र्ररह ज़मीमा (अ) व (ब) तलबाना काबिल वसूल होगा—

(ज़मीमा (ब) मुतअल्लिक़ा अदालतहाय फ़ौजदारी)

(१) समन बनाम मुद्दायलह .... ॥)

और वास्ते हर एक ज़ियादा मुद्दाअलहीमके जिसकी बाबत अगर दर्ख्वास्तकी जावे बशर्ते कि वह उसी कुर्ब व जवारमें मसकन पिज़ीर हों .... ।)

(२) समन बनाम गवाह ....॥)

और हरएक ज़ियादह गवाहों पर बशर्ते कि उसी वक़ दर्ख्वास्तकी जाय और वह उसी कुर्ब जवारमें मसकन पिज़ीर हों ....।)

(३) वारन्ट बराय गिरफ्तारी.... ।॥)

(४) नोटिस—हुक्म—हुक्म व कुर्की या वारन्ट .... (॥

(खुलासह क़वायद तलबानह)

जो हाईकोर्ट जोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने ज़ेर दफ़अ (२०) एक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० मुरत्तब फ़र्माकर गवर्नमेंट कलकत्ता गज़टके सफ़ह ३९४—मरक़ूमह १२ अपरैल सन् १८७९ ई०में मुश्तहर फ़र्माया—

हस्ब जैल क़वायद हाईकोर्ट जोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने बलिहाज़ दफ़अ (२०) एक्ट रसूम हिन्द सन् १८७० ई०मुरत्तब फ़र्माये हैं कि फ़ीस इजराय और तामील समन मुख़्तलिफ़ अनवानके अदालत हाय मजिस्ट्रेट वाक़े अहातह बंगाल और आसाममें क़ाबिल वसूल होंगे—

(१) फ़ीस जो बाद अर्ज़ी मज़कूर हुई है वह बराय इजराय व तामील समन क़ाबिल वसूल होगी,

(अ) वारन्ट गिरफ्तारी ।

इजराय वारन्ट बलिहाज़ हरएक शख़्सके जिसके नाम उस वारन्टमें दर्ज हों १)

(ब) समन

इजराय समन जो एक शख़्सके नामका हो या पहले दो शख़्सोंके नामका जो उसी जगह सकूनत रखते हों ॥ ॥)

और दो से ज़ियादह अशख़ासके जिनके नाम उसमें दर्ज हों ।)

(ज) मुनादी जमाअत मफ़रूरान् ज़ेर दफ़अ १७१ व ८७ ज़ाब्तह फ़ौजदारी ।

बराय मनादी २)

(द) मनादी बराय गवाह जो ज़ेर दफ़अ ३५२ व ८७ हाज़िर नहीं हुआ है ।

बराय मनादी .... ॥)

(ह) वारन्ट कुर्की

बराय वारन्ट .... १)

जब कि यह अमर ज़रूर हो कि कोई ओहदेदारान् उस जायदाद मकरूकह पर मुतअल्लिक़ किये जावें तो हरएक ओहदेदारके लिये फ़ी योम ।)

(ब) उन मुक़द्दमातमें जब कि मुस्तग़ीसकी जानिबसे दरख़्वास्त गुज़रे बग़रज़ वसूल किये जाने खर्चोंके ज़ेर दफ़अ (३१) एकट ७ सन् १८७० ई० या दिलाये जाने मावज़ा जेर दफ़अ (३०८) व (५४५) ज़ाब्तह फ़ौजदारी या जब कि कोई मुद्दाअ़ला दरख़्वास्तकरे मावज़ा दिलाये जानेके जेर दफ़अ (२५०) व (२०९) ज़ाब्तह फ़ौजदारी।

(ज़े) वास्ते वारन्टके जो जुर्माना या मावज़ा वसूल करनेकी बाबत जारी हो ॥)
बराय तहरीरी हुक्म .... १)

(कोह आबू पर हस्ब जैल फ़ीस तलबानह वसूल होती है)

खुलासह

नोटी फ़िकेशन नम्बर २४१३ जी, मवर्रुख़ह १९ जून स० १८९५ ई०

हिस्सह दोम।

क़वाअ़द जो अ़दालत हाय फ़ौजदारीसे मुतअ़ल्लिक़ हैं॥

(५) फ़ीस क़ाबिल वसूल होगी किसी समन पर जो अ़दालत फ़ौजदारीसे मुक़द्दमात क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में जारी हों–

(ज) उन मुक़द्दमात में जिसमें पुलिस बग़ैर वारन्ट गिरफ्तारी करसक्ता हो जैसा ज़मीमह दोम ज़ाब्तह फ़ौजदारी सन् १८९२ ई० में मज़कूर है या किसी दूसरे क़ानून में जो उस वक़्त मुरव्विज हो–

(६) जिन मुक़द्दमात में पुलिस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकता और जिन मुक़द्दमात में कि पुलिस को बग़ैर वारंट गिरफ्तारीका इख्तियार नहीं है उसमें तलबाना हस्ब शरह जैल काबिल वसूल होगा–

(अ) बराय हरएक समन नोटस .... ।)
(ब) बराय एरएक वारंट गिरफ्तारी .... ।=)
(ज) बराय हरएक इश्तिहार मफ़रूरी जमाअ़त या गवाह जेर दफ़अ (८७/८८) ज़ाब्तह फौजदारी सन् १८८२ ई० .... १)
(द) बराय एरएक वारन्ट कुर्की.... .... ॥)

किसी समन पर फ़ीस क़ाबिल वसूल न होगी जो किसी सर्कारी आफ़ीसरकी तरफ़ से इस्तग़ासा किया गया हो–

बाब बारहवां।

(वारन्ट गिरफ्तारी और उसकी तामील)

दफ़अ़ १०९–वारन्ट गिरफ्तारी जो कोई अ़दालत जारी करे वह तहरीरी होगा और उस पर हाकिम अ़दालत दस्तख़त और मुहर अ़दालत मुअय्यन होगी और वह जब तक नाफ़िज़ समझा जावेगा तबतक उसकी तामीलनहो या अ़दालत उसको मनसूख़ न करे–

दफ़अ़ ११०–हरएक वारन्टकी पुश्त पर अ़दालत को इस अमरकी हिदायत तहरीर करने का इख्तियार हासिल होगा कि मुलज़िम ज़मानत लेनेके बाद अगर वह फ़लां अ़दालत में ब वक़्त मुअय्यना हाज़िर होनेका इक़रार करे तो रिहा किया जावे और पुश्त पर जो वारन्टकी इबारत तहरीर होवे उस में बतसरीह लिखदिया जावे कि इस २ क़द्र ज़ामिन और इस क़द्र रुपयेकी दो, या एक, ज़मानत लीजावे॥

(नमूनह जमानत नामह बाद गिरफ्तारी मय मुचलकह)

मैं नसरुल्लाख़ां वल्द अमीरुल्लाख़ां साकिन अहमद नगर जो मार्फ़त ओ़हदेदार पुलिस अज़रूय वारन्ट मज़रिए अ़दालत फ़लां गिरफ्तार हुआ हूं जिसमें मेरे नाम हुक्म है कि मैं जवाब दई इल्ज़ाम (३३५) के, लिये जबरन्हाज़िर किया जाऊं इस तहरीरकी रू से वादा करताहूं कि तारीख़ २४ जौलाई सन् ९३ ई० आयन्दह को अ़दालत मजिस्ट्रेटी दर्जेह दोम मुक़ाम आबूरोड में हाज़िर होकर इल्ज़ाम मज़कूरकी जबाब दही करूंगा और जबतक अ़दालत से दूसरी तरह का हुक्म न होवे उसी तौर पर हाज़िर रहूंगा, और इस में अगर क़सूर करूं तो ज़िम्मेहवार इस बात का हूंगा कि वालिये रियासत दाम इक़बालहू को २५) पच्चीस रुपये तावान अदा करूंगा–मुवर्रख़ह २२ जौलाई सन् १८९३ ई०

मैं मुसम्मी नसरुल्ला ख़ां वल्द अमीरुल्लाख़ां साकिन अहमदनगर मज़कूर की तरफ़ से ज़ामिन होकर बज़रिए इस के इक़रार करताहूं कि मुसम्मी नसरुल्लाख़ां मज़कूर को बतारीख़ २४ जौलाई सन् १८९३ ई. आयन्दह के वास्ते जवाब दही उस इल्ज़ाम के जिस में वह गिरफ्तार हुआहै अ़दालत वाक़े मजिस्ट्रेटी दर्जेह दोम आबू रोड में रोबरू मजिस्ट्रेट दर्जेह दोम के हाज़िर होगा और जब तक कि अ़दालत से दूसरे नहज का हुक्म नहो हाज़िर रहेगा, और अगर मुसम्मी नसरुल्लाख़ां हाज़िर

होने में क़सूर करे तो मैं वादह करता हूं कि मुबलिग़ २५) पच्चीस रुपये वालिये मुल्क दाम इक़बालहू को बतौर तावान अदा करूंगा—

अलअब्द	मवर्रखह २२ जौलाई	गवाहशुद
हमीदुल्ला	सन् १८९३ ई०	लालूमल

दफ़अ् १११—वारन्ट आमतौर पर अहलकार या अहलकारान् पुलिस के नाम जारी होगा और अगर ज़रूर होतो उन अशखास देह व क़स्बह के नाम—

दफ़अ् ११२—उनको लाज़िम होगा कि वारन्ट मय मुलज़िम के उस तरीक़ह से जो क़बूल अर्जों पुलिस के क़वाअ़द में बयान हुआहै, थानह ब थानह अ़दालत असदार कुनंदह वारन्ट की खिदमत में भेजदेवें—

दफ़अ् ११३—वारन्ट की तामील के वक़ तामील कुनन्दह वारन्ट को लाज़िम होगा कि मुलज़िम को फ़ौरन् वारन्ट का मतलब समझादे और अगर मुलज़िम का इतमीनान न होवे तो उसको वारन्ट दिखलादेवे—

दफ़अ् ११४—और यह भी जायज़ होगा कि वारन्ट उस वालिये मुल्क के किसी हिस्सह ज़िलअ् में तामील किया जावे और वारन्ट बज़रिए डाक या जिस तरह मुम्किन होवे तामील के वास्ते उस हिस्सह ज़िलअ्में भेजदेवें और वह उसी तरह उसकी तामील में मसरूफ़ होंगे कि गोया खुद उस अ़दालत के समन को जारी कियाथा—

दफ़अ् ११५—ऐसें वारन्ट की तामील करने के वक़ जिस क़दर इम्दाद ज़रूरी और मुनासिब होवे अहलकार तामीलकुनंदा वारन्ट को मिन्जानिब उस पुलिस स्टेशन के दी जावे जिसके हिस्सह में वारन्ट की तामील हुई हो—

दफ़अ् ११६—जो वारन्ट अदालत से जारी हुआ करें उसकी एक नक़ल रजिस्टर इजराय वारन्ट में दर्ज हुआ करेगी।

रजिस्टर नक़ल वारन्ट व मुक़द्दमात फ़ौजदारी मजरिए हुकूमत किशन गढ़ बाबत माह सन् १८९४ ई.							
नम्बर शुमार	नाम फरीक़ैन बक़ैद वल्दियत वग़ैरह	नाम उन अशख़ास का जिनके नाम वारंट जारी हुआ हो	इल्लत	सब बइजराय वारन्ट बाबत गिरफ्तारी या कुर्क़ी या गिरफ्तारी यातलाशं याहाज़री गवाह	नाम उस शख़्सका जिसके नाम वारंट तामीलके वास्ते सुपुर्द हुआ	तारीख़ इजराय वारन्ट	कार्रवाई आख़िर
अव्वल	कल्लूखां वल्द निहालखांक़ौम मेवाती बनाम अमीरखां वल्द नसीरख पठान	अमीरखां	३३९ ताज़ीरात हिन्द	मुस्तग़ीस को इस ग़रजसे ज़र्ब शदीद पहुँचाया कि उससे इस्तह–सालबिल जब्र किया जावे	रलधीखां हैडकानिस्टबल नम्बर अव्वल	२८ सितम्बर सन् ९४ ई०	

बाब तेरहवां।

(इश्तिहार और कुर्क़ी नामह मुलज़िमानरूपोश)

दफ़ 1 ११७–अगर किसी अदालत मुक़र्रर फ़र्मूदह किसी रियासत को (बादलेने शहादत के) इस अमर के यक़ीन करने की माक़ूलवजह हो कि कोई शख्स जिसकी गिरफ्तारी और हाज़री के लिये वारन्ट अदालत देशी से जारी और सादिर हो चुका है और इस बाअ़स से मुलज़िम

मफ़रूर या रूपोश हो गया है कि उस पर इख्तियार अदालत नाफ़िज़ और गिरफ्तारी से अदालत माजूर और मजबूर रही तब वह अदालत मजाज़ और मुख्तार होगी कि एक इश्तिहार तहरीरी इस हुक्मसे जारी करे कि मुलज़िम एक मयाद के अंदर जो ३० योमसे ज़ियादह न होगी उसी अदालत में हाजिर हो।

दफ़अ ११८—इश्तिहार मज़कूर उस कस्बह या मौज़ा के नज़रगाह आम पर अलानियां तौर पर पढ़ाया और सनाया जावेगा जहां मुलज़िम वाके़ही सकूनत रखता हो और ज़ाबाद वह इश्तिहार उसी जगह चस्पां कर दिया जावेगा और एक नक़ल कचहरीके दर्वाज़ह पर भी लगाई जावेगी और यह शोहरत जायज़ और नातक़ होगी।

दफ़अ ११९—बाद ज़ारी किये जाने इश्तिहार मुन्दर्जह सदर व इनक़जाय मयाद अदालत मजाज़ और मुख्तार होगी कि मुलज़िम की जायदाद मन्कूला और ग़ैर मन्कूलाकी कुर्की का हुक्म सादिर करे अगर जायदाद जिस्की कुर्कीके वास्ते हुक्म दिया जावे क़र्ज़ा जात या दीगर जायदाद मन्कूला हो तो कुर्की हस्ब दफ़अ हाज़ा बतरीक़ ज़ैल की जावेगी।

(अ) जबरन् जायदाद पर कब्ज़ा किया जावेगा—

(ब) एक मुंसारिम मुक़र्रर होगा वह तहसील करेगा—

(ज) शख्स इश्तिहारीके वास्ते इम्तनाअ ज़रिए इश्तिहार किया जावेगा कि जायदाद मन्कूला उसको हवाले न कीजावे—

(द) तमाम जायदाद ग़ैरमन्कूलहके वास्ते सर्कार वह इन्तिज़ाम करेगी कि जो उसाखित्ता मुल्क और रिवाज मुल्क के मुआफ़िक़ हो—

दफ़अ १२०—अगर मुलज़िम इश्तिहारी मयाद मुक़र्ररह के अन्दर हाज़िर न हो तो जायदाद रियासत कब्ज़ व तसर्रुफ़ में लेली जावेगी और जबतक ६ माह कामिल न गुज़र जावें नीलाम न की जावेगी और अगर जायदाद मन्कूलामेंसे कोई ऐसी शै हो जिस के छः माहतक रक्खे जाने से अहतमाल खराब होजाने का है दरीं सूरत उसको हस्ब क़ायदह नीलाम किया जावेगा।

दफ़अ १२१—अगर मुलज़िम इश्तिहारी दो बरस के अंदर हाज़िर अदालत होकर यह बयान करे और सबूत कामिल रोबरू अदालत के पेशकरे कि वह हुक्म असदरह से बे खबर और लाइल्म था और रूपोश व फ़रार

नहीं हुआ था ऐसी हालत में बशर्ते कि सबूत कामिल तमामज़रे नीलामी बाख़िज़ रसीद हवाले मुलाज़िम किया जावेगा और वह तमाम इख़राजात उस रक़म से मिनहा किये जावेंगे जो अदालत की तरफ़से ख़र्च हुए हों ।

(नमूनह इश्तिहार बग़रज़ हाज़री मुल्ज़िम)

अज़ अदालत मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुक़ाम जोधपुर बइजलास सरदार भारतसिंहजी साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम जोधपुर, गाह, हमारे रोबरू इस अमरकी नालिश पेश हुई है कि निहालसिंह वल्द गोपालसिंह क़ौम राजपूत हिन्दू भाटिया सिकनह धर्मपुर इलाकह मारवाड़ जुर्म क़तल अम्द का जिसकी सज़ा जेर दफ़ा (३०२) ताज़ीरात हिन्द मुक़र्ररहै मुर्तकब हुआ है, या इर्तकाबका मुश्तबा किया गया है तहरीर रिपोर्ट वारन्ट गिरफ्तारी से मालूम हुआ कि मुसम्मा निहाल सिंह मज़कूर फ़रार या रूपोश होगयाहै लिहाज़ा अज़रूय इश्तिहार हाज़ा हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी निहालसिंह मज़कूर अन्दर मयाद (३०) योमके तारीख़ इमरोज़हसे ब मुक़ाम जोधपुर हाज़िर होकर नालिश मज़कूर की जवाबदही करे । अल्मर्कूम १२ माह जौलाई सन् १८९४ ई. ॥

मुहर

दस्तख़त
सर्दार भारतसिंह मजिस्ट्रेट
दर्जह अव्वल

नमूनह (ब)

(हुक्म कुर्क़ी बराय बाज़री बिलजब्र शख़्स मुलजिम)

बनाम अमीरचंद पुलिस इन्स्पेक्टर जोधपुर—

हरगाह हमारे रोबरू नालिश हुई है कि निहालसिंह वल्द गोपालसिंह क़ौम हिन्दू सिकनह धमपुर मुल्क राजपूताना जुर्म (क़त्ल अम्द) का मुर्तकब हुआ है या उसके इर्तकाब का शुभा किया गयाहै जिसकी सज़ा मजमूअ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ (३०२) में मुक़र्रर है और कैफ़ियत तामील वारन्टसे जो बरतबक़ नालिश मज़कूरके जारी हुआ था, यह दर्याफ़्त हुआ था कि मुसम्मी निहालसिंह मज़कूर फ़रार या

रूपोश होगया है, और बाद इश्तिहार हस्ब जाब्तह इस हुक्मसे जारी और मुश्तहर किया गया था कि मुसम्मी निहाल सिंह वल्द गोपालसिंह मज़कूर मयाद (दो माह) मज़कूरके अन्दर हाज़िर होकर इल्ज़ाम मज़कूरकी जवाब दही करे और हरगाह मुसम्मी निहालसिंह वल्द गोपालसिंह मज़कूरके कबूज़ह में जायदाद मुफस्सिलह धर्मपुरमें मौजूद है और उसकी कुर्कीका हुक्म हो चुका है लिहाज़ा बज़रिए इस तहरीरके तुमको हुक्म दिया जाता है कि जायदाद मज़कूर को बज़रिए अपने क़बूज़े में लानेके कुर्क करो और ता सदूर हुक्मसानी इस अदालतके ज़ेर कुर्की रक्खो और इस वारन्ट को मय इबारत पुश्तपर तहरीरी तसदीक़ तरीक़ तामील वारन्टके वापस करो–अल्मर्कूम १२ अक्टूबर सन् १८९३ ई. ॥

दस्तखत सर्दार भारतसिंह मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल.

(समन बग़रज़ पेश किये जाने दस्तावेज़ या किसीशैके)

दफ़अ् १२२–जब किसी अदालत फ़ौजदारी वाक़े रियासत हाय मुल्क राजपूतानह को ज़रूरी मालूम हो और कोई सबब वाक़ई मौजूद हो कि जिसके नाम समन या हुक्म जारी किया गया है या भेजा जावे तो वह दस्तावेज़ या शै मतलूबाको मुताबिक़ हिदायत मुन्दर्जह समन या हुक्म मसदूरह अदालत हाज़िर न करेगा या जब इस बातका इल्म न हो कि दस्तावेज़ या दीगर शै मतलूबह ऐसे शख्स के क़बूज़ह में है या जब किसी अदालत देशी वाक़े राजपूताना का यह मन्शा हो कि तहक़ीक़ात या तजवीज़ या दीगर कार्रवाई तहक़ीक़ात या तजवीज़ मन्शाय बजुज़ तलाशी या मुआयनाके नहीं हो सक्ती दर्रीं सूरत अदालत मज़कूर को चाहिये कि वारन्ट तलाशी सादर करे और जिसके नाम वारन्ट जारी किया जावे उसको लाज़िम होगा कि तलाशी और मुआयना में फ़ौरन् मसरूफ़ हो।

दफ़अ् १२३–मगर किसी अदालत देशी को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं होगा कि दस्तावेज़ात मुतअल्लिक़ह डाकखाना व टेलिग्राफ़ के वास्ते वारन्ट जारी करे।

दफ़अ् १२४–वारन्ट तलाशी में मुफ़स्सिलन् उस मुक़ाम या मकानके अजज़ा सराहत तहरीर करदे कि जहां या जिस्की तलाशी मक़सूद हो और ओहदहदार वारन्ट तलाशी को उसकी पाबंदी करनी वाजिब होगी।

दफ़अ़ १२५–सिवाय मजिस्ट्रेट दर्जह दोम व सोमके हरएक हाकिम फ़ौजदारी (मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल) को अगर तहकीक़ात क़रार वाक़ई की यह तहकीक़ होवे कि कोई मुक़ाम इस काम में आता है कि उसमें माल मसरूक़ा रक्खा या फ़रोख्त किया जाता है या दस्तावेज़ जाली या मोहरें नक़ली या कागज़ात स्टाम्प मुलतविस या सिक्काहजात मुल्तबेसा मुरव्विजह रियासत देशी या इलाक़ह सर्कार अंग्रेज़ी या उसका सामान इसमें रक्खा या फ़रोख्त या तैयार किया जाता है तो ओहदहदार मज़कूर को इख्तियार होगा कि अपने वारन्ट के ज़रिएसे किसी अहलकार मुतअ़ल्लिक़ा पुलिस जो रुतबह में कानिस्टबल से ज़ियादह तर रुतबा रखता हो तलाशी की इजाज़त दे ।

(१) बक़दर हाजत मदद साथ लेकर ऐसे मुक़ाम में दख़ल करे–

(२) उस मुक़ाम की तलाशी हस्ब मुसर्रह वारन्ट के करे ।

(३) हर एक चीज़ मुसर्रेह दफ़ैआत मज़कूरा उस हाकिम फ़ौजदारी के हुज़ूर में पेश करदे–

दफ़अ़ १२६–और अगर कोई वारन्ट तलाशी किसी दूसरे हिस्सह ज़िलअ़ रियासत से सादिर हुआहो तो उन तमाम अशियाय को बहुज़ूर अपने ओफ़ीसरके पेश करेगा कि जिसने वारन्ट तलाशी को बज़रिए अपने हुक्म के पुलिस ओफ़ीसरके पास भेजाथा ।

नमूनह

(वारन्ट तलाशी बग़रज़ इन्कशाफ़ हालखासजुर्म)

बनाम (हमीदुल्लाखां वल्द मसीउल्लाखां) पुलिस इन्स्पेक्टर मंडार ।

हरगाह हमारे पास इत्तलाअ़ पहुंचाई गईहै (या हमारे रोबरू नालिश हुई है) कि जुर्मज़ेर दफ़अ़(४६७) ताज़ीरात हिन्द दस्तावेज़का जाली तौर पर मुरत्तब करना सर्ज़द हुआ है और हमको मालूम हुआ है कि वास्ते हुसूल अग़राज़ तहक़ीक़ात मतदायरा हाल निस्बत जुर्म मज़कूर हाज़िर करना औजार व रोशनाई व काग़ज़ वग़ैरह ज़रूरी और लाबूदी है लिहाज़ा बज़रिए इस तहरीर के तुमको इजाज़त दीजाती है कि और हुक्म होता है कि शै मज़कूरह (इनायतुल्लाखां वल्द अमीरुल्लाखां के मकान वाक़ै ग़ाज़ीपूर तहसील अहरनपुर इलाक़ै सिरोही) में तलाशकरो और अगर वह दस्तयाब न हो तो उसको फ़ौरन् इस अदालत में हाज़िर करो, और बफोर तामील

इस वारन्ट के वारन्ट को बाद सिबूत इबारत ज़हरी बतसदीक़ इस अमर के कि तुमने उसके मुताबिक़ क्या क्या अमल किया भेजो । तारीख़ १३ जौलाई सन् १८९३ ई०

मेरे दस्तख़त और अदालत की मुहर से जारी किया गया ।	दस्तख़त सिंधी अमीरचंद मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल
मुहर	मुक़ाम सिरोही

(वारन्ट वास्ते तलाशी माल रखनेकी मुश्तबह मुक़ामके)

बनाम शहामत अली खां सब इन्स्पेक्टर पुलिस रोहेड़ा ।

हरगाह मुझको इत्तलाअ़ दीगई है और उसकी तहकीक़ात बाज़ाब्तह के बाद मुझको यह बावर कराया गया है कि (मुहल्लह शाहपुरा के फर्रुख़शाहकी हवेली) माल मसरूक़ा रखने (या फ़रोख़्त) के लिये मुस्तमल होती है (या अगर उन अग़राज़ मेंसे किसी एक के वास्ते मुस्तमल होता है जिनका तज़करह दफ़ात मज़कूर में हो चुका है तहरीर करो) लिहाज़ा इस तहरीरकी रूसे तुमको इख़्तियार और हुक्म दिया जाता है कि तुम मकान मज़कूर में भय उसी क़दर मदद के जो ज़रूर हो दाख़िल हो और दख़ल करने के लिये अगर ज़रूरत हो जब मुनासिब अमल में लाओ और मकान मज़कूर (या और मुक़ाम) के हरजुज़ की तलाशीलो और हर क़िस्मके माल को दस्तावेज़ात या काग़ज़ात स्टाम्प या मवाहिर या सिक्कह जात को गिरफ्तार कराके अपने क़ब्ज़ह में लाओ, और उन्में से उसी क़दर अशियाय को जो क़ब्ज़ह में आजायँ फ़ौरन् इस अदालत के रोबरू हाज़िर करो और बफ़ौर तामील इस वारन्ट के उस वारन्ट को बाद तहरीर इबारत ज़ेरीमुशीर तसदीक इस अमर के कि तुमने तामील वारन्ट की क्या कार्रवाईकी इस अदालत में वापिस भेजो—

आज बतारीख़ १८ माह अगस्त सन् १८९३ ई०, मेरे दस्तख़त और अदालत की मुहरसे जारीकियागया ।

मुहर	दस्तख़त गंगा सहाय मजिस्ट्रेट दर्जेह दोम अहरनपुरा

दफ़अ १२७–इसी तौर पर अगर किसी शख्स के बेजा तौरपर कैद रक्खे जानेकी किसी जगह और किसी शख्स की निस्बत शिकायत गुज़रे तो अदालत उस जगह की तलाशी के वास्ते भी वारन्ट तलाशी हस्ब मज़कूरह सदर जारी करसकती है और बाद तामील वारन्ट के हाकिम फ़ौजदारी अगर शख्स मज़कूर दस्तयाब होवे तो हुक्म मुनासिब सादिर करे–

दफ़अ १२८–हर एक शख्स को जो उस जगह की अहतमाम करता हो जिसकी तलाशी के वास्ते ओहदेदार वारन्ट तलाशी व हाजिर और मौजूदह हुवाहो, हमातन वारन्ट की तामील कराने में मदद व अआनतदे और बिला मज़ाहमत उन मुकामात में जाने दे और उसके साथ इसतरह पेश आये कि अहलकार तामील कुनन्दा वारन्ट को माकूल सहूलियत हो–

दफ़अ १२९–अहलकार मज़कूरको अगर वारन्टका तामील करना गैर मुमकिन मालूम होता होवे तो उसको लाज़िम होगा कि बज़रिए तोड़ने उस मौक़े या दरवाज़हके अन्दर दाख़िल हो मगर इसक़दर अहतियात ज़रूर करनी होगी कि अगर वह मुक़ाम खिल्वत ख़ाना हो जिसमें कोई औरत (जो शख्स गिरफ्तारी तलब न हो) फ़िल्वाक़े मुक़ीम हो जो मुताबिक़ रिवाज आमके रोबरू नहीं निकले तो ऐसे शख्स या अहलकार पुलिसको लाज़िम है कि ऐसे ख़िलवत ख़ानहमें दाखिल होनेसे पहले ऐसी औरतको इत्तलाअ़दे कि वह उसमेंसे चलेजानेका इख्तियार रखतीहै और उसके निकलने और चलेजानेके लिये हर तरहकी सहूलियत माकूलदे और बाद उसके मजाज़ होगा कि ख़िलवत ख़ानहको तोड़कर उसके अंदर जाय–

दफ़अ १३०–क़ब्लू तलाशीके ओहदेदार तलाशीको लाजिम होगा कि उस गिर्दनवाके कम अज़कम चार बाशन्दगान शरीफ़को जहां मुक़ामतलाशतलब वाक़े हो तलाशीके वक्त हाज़िर मौजूदह रक्खे और जो फ़हरिस्त उन जुमलह चीजोंकी जो दरसनाय तलाशी मज़कूर गिरफ्तार हों उन अशख़ास और नीज़ साहब ख़ानहके रोबरू मुरत्तब होंगी, और उस पर उन गवाहोंके दस्तख़त सब्त कराये जावेंगे मगर उन गवाहोंपर किसी क़िस्मका तअ़ल्लुक़ हुज़ूरा

अदालत वग़ैरहका ओहदेदारकी जानिबसे नहीं होगा और एक नक़ल उस साहब खानहकेभी हवालह होगी।

दफ़अ् १३१—बशर्ते मुनासिब हरएक हाकिम अदालत फ़ौजदारी, मजाज़ होगा कि ऐसी दस्तावेज़ या शै मुतज़िकूरह बालाको ज़ब्त रक्खे, हरएक हाकिम अदालत फ़ौजदारीको इस अमरका इख्तियार होगा कि वह मौक़ै तलाशीके अपने रोबरू तलाश करावे।

(हाज़िर ज़ामनी)

दफ़अ् १३२—कोई शख्स जो मुक़द्दमात क़ाबिल ज़मानतमें ज़ेर हिरासत अफ़्सर स्टेशन पुलिस हो या अदालतमें हाज़िर हो दौरान् कार्रवाई अदालतमें ज़मानत दे तो ज़मानत पर बशर्ते कि मंज़ूरी अफ़्सर पुलिस या अदालतज़ाती मुचलकह पर हस्ब शरायत मुन्दर्जह ज़मानत हाज़िर होगा रिहा कियाजावे।

मुचलकह और ज़मानतनामह वक्त तहक़ीक़ात इब्तदाय रोबरू अदालत.

मैं मुसम्मी नथमल अगरवाल साकिन भानपुरा इलाक़ह जैपुर कि जुर्मज़ेर दफ़अ् (३२५) ताज़ीरात हिन्द माख़ूज़ होकर रोबरू साहब मजिस्ट्रेट बहादुर मुक़ाम कोह आबूके हाज़िर आयाहूं और मुझसे ज़मानत वास्ते हाज़िर होने बीच अदालत मजिस्ट्रेट और अदालत आलाके अगर ज़रूरत हो, तलब हुई है इस तहरीरकी रूसे इक़रार करताहूं कि तहक़ीक़ात इब्तदायके हर रोज़पर जो इस जुर्मकी बाबत अमलमें आये मजिस्ट्रेट मज़कूरकी अदालतमें हाज़िर हूंगा और अगर वह मुक़द्दमा तजवीज़के लिये किसी अदालत आलामें सुपुर्द किया जावे तो अदालत मज़कूरमें भी वास्ते जवाबदही इलज़ामके जो मुझपर लगाया गयाहै मौजूद और हाज़िर हुंगा अगर हाज़िर होनेमें कसूर करूं तो मुबलिग़ ५०) पचास रुपये बतौर तावान मल्कह मुअज़्ज़मा क़ैसर हिन्दको अदाकरूं-मवर्रखह १२ सितम्बर सन् १८९३ ई०

अलूअब्द.
नथमल अगरवाल

गवाह
हज़ारीलाल

(अगर मुचलके की ज़रूरत हो तो उसका नमूना यह है)

मैं इस तहरीरकी रूसे इक़रार करताहूं कि मुसम्मी नथमल अगरवालकी तरफ़स ज़ामिन इस बात काहूं कि इस तहक़ीक़ात इब्तदाई के हररोज़ जो इलज़ाम क़रार दाद ऊपर नाम्बुर्दहकी बाबत अमलमें आये मुसम्मी नथमल अगरवाल बनिया मज़कूर अदालतमें हाज़िर होगा और अगर वह मुक़द्दमा अदालत आलामें सुपुर्द होवे तो वह वास्ते जवाबदहीके उस अदालतमें हाज़िर होगा और अगर वह हुज़ूरीसे इन्हराफ़ यानी वादहके खिलाफ़ करे तो मैं ५०) पचास रुपये बतौर तावान रियासतको अदाकरूंगा। मवर्रहखह १२ माह सितम्बर सन् १८९५ ई०

अलअब्द गवाह शुद

गिरिधारीलाल हज़ारीलाल

दफ़अ १३३–अगर मुक़द्दमा ग़ैर क़ाबिल जमानतमें बहालत दौरान् तहक़ीक़ात व तफ़तीश या बतजवीज़ जुर्म अफ़सर पुलिस या अदालत मजूज़ को गुमान ग़ालिब होवे कि इस मुक़द्दमहमें बर्खिलाफ़ मुलज़िमके सबूत नहीं है तहक़ीक़ात मज़ीद करनेसे और सबूत बहम पहुँचेगा तो ऐसी सूरतमें अदालत या अफ़सर मज़कूरको मजाज़ होगा कि मुलज़िमको मुचलकह व ज़मानत पर रिहा करे और हर अदालत मजाज़ है कि जब ज़रूरत हो मुलजिम छूटेहुएको मुकर्रर गिरफ्तार कराके हिरासतमें रक्खे।

दफ़अ १३४–तादाद मुचलका बलिहाज हालात मुक़द्दमह बतजवीज़ अदालत क़रार दीजावेगी और अदालत आलाको इख्तियार होगा किसी मुलज़िमको ज़मानत पर रिहा करे या तादाद ज़मानत मतलूबह अहलकार पुलिस या मजिस्ट्रेटको कम कराये।

दफ़अ १३५–बाद तकमील मुचलका व ज़मानत मुलज़िम रिहा किया जावेगा और अगर जेलखानहमें मौजूद होवे बज़रिये हुक्म मुहतामिम जेलखा-नह मुलज़िमको रिहाई दीजावेगी–

दफ़अ १३६–अगर बवजह ग़लती या बवजह फ़रेब ज़ामनान ग़ैर काफ़ी होजाय या ज़ामनान बग़रज तोड़ने ज़मानत अदालतमें दर्ख्वास्तदें तो दरीं सूरत मजिस्ट्रेट वारन्ट गिरफ्तारी जारी करेगा और जब वह

हाज़िर हो तो मजिस्ट्रेट हुक्म देगा कि मुचलका और ज़मानत कुल्लन् या थोड़ा तोड़ दिया जावे और मुलज़िम ज़ामिन काफ़ी बहम पहुँचाये अगर वह हुक्मकी तामीलमें क़ासर रहे तो अदालत उसको हिरासतमें रक्खे।

नमूनह

(वारन्ट वास्ते रिहाई मुलज़िम जो बक़सूर अदम इदख़ाल ज़मानत के क़ैद हुआहो)

बनाम अकबर अलीख़ां सुपरिंटेंडेन्ट जेलख़ाना रियासत सिरोही-

हरगाह इस अदलात के वारन्ट मवर्रुख़ह ५ अगस्त सन् १८९३ ई. के बमूजिब मुसम्मी नूरुद्दीन तुम्हारी रियासत में सुपुर्द किया गयाथा और उसने बादहू बशमूल अपने ज़ामिन या ज़ामिनों के मुचलका लिख दिया है लिहाज़ा तुमको इख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि फ़ौरन् मुसम्मी नूरुद्दीन अपनी हिरासत से रिहा करो व इल्ला उस सूरत में कि वह किसी और वजहसे हिरासत में रखनेके लायक़ हो-आज बतारीख़ १९ अगस्त सन् १८९३ ई. को हमारे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी किया गया-

हरनारायण मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल
रियासत सिरोही.

मुहर

दफ़अ १३७-अदालत या अहलकार पुलिस जो किसी शख्स को हुक्म तहरीर मुचलका या ज़मानत का दे (सिवाय मुचलका तक चलनेके) यह हुक्म देसक्ती है कि बजाय तहरीर मुचलका वग़ैरह मुबलिग़ नक़द या परामेसरी नोट या करेंसी नोट सर्कारी या और कोई काग़ज़ जो उस रियासत में बतौर नक़दके उस इलाक़ह रियासत में रायज हो दाख़िल करे-

दफ़अ १३८-अगर मुलज़िम ख़िलाफ़ इक़रार तहरीरकर्दा के अमल करे यानी हस्ब इक़रार ख़ुद हाज़िर व मौजूद न होवे तो वह रुपया ज़ब्त होगा और अगर सिर्फ़ मुचलकह व ज़मानत पर मुलज़िम रिहा हुआथा:तो अगर वजह काफ़ी ज़ाहिर न कीजावे या तावान अदा न होवे उस

सूरत में ज़ेर तावान बज़रिए कुर्की व नीलाम जायदाद मन्कूलह शख़्स मज़कूर वसूल होगा ।

दफ़ा १३९—और अगर इस तरह भी वसूल न होवे तो मुचलका या जमानत नामा का नवीसन्दह मस्तूजब क़ैद दीवानी का होगा, जिसकी मयाद छै माह से ज़ियादा न होगी और अदालत मुनासिब समझे तो कोई जुज़ू तावान मुआफ़ कर सकती है तमाम अहकाम मुत अल्लिक़ा बाब हाज़ा क़ाबिल अपील ब अदालत आला होंगे ॥

दफ़ा १४०—अदालत हाय बाला दस्त भी इस अमरके मजाज़ होंगी कि अगर नवीसन्दह मुचलका उसकी अदालत में इक़रार तहरीरी करे और हाज़िर न होवे तो किसी अदालत मातहत को हुक्म दे कि वह ज़रे तावान मुन्दर्जह मुचलकह वसूल करे ।

(नमूनह)

(वारन्ट कुर्की जहत वसूल ज़रे तावान मुंदर्जह मुचलकह)

बनाम अमीर अलीख़ां—मुहतमिम स्टेशन नम्बर (२) मुक़ाम रियासत सिरोही—

हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीन अपने मुचलकहके मुताबिक़ बवक्त १० बजे सुबहके हाज़िर नहीं हुआ है और इसी क़सूरसे मुबलिग़ ५०) पचास रुपये रियासत फ़लांके हुज़ूर अदा करने का ज़िम्महवार होगया है—

और हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीन मज़कूर को इत्तलाअ बाज़ाब्तह दी गई है मगर बा वजूद इसके नाम बुर्दहने मुबलिग़ मज़कूरको अदा नहीं किया है और न इसकी कोई वजह काफ़ी ज़ाहिरकी है कि उस से ज़रे मज़कूर जबरन् क्यों न वसूल किया जावे, लिहाज़ा तुमको इख़्तियार और हुक्म दिया जाता है कि जिस क़दर माल मन्कूला ममलूका मुसम्मी नूरुद्दीन वल्द किफ़ायतुल्ला मज़कूर ५०) पचास रुपये मुक़ाम फ़ैज़ाबादके अन्दर मिले उसको बज़रिए क़बूज़ा म लाने और रोक रखनेके कुर्क करो और अगर तावान मज़कूर तीन रोज़के अन्दर अदा न किया जावे तो माल मकरूका मज़कूर को या उसका उस क़दर जुज़ जो बग़रज़ हसूल तादाद मज़कूरके काफ़ी हो—नीलाम करो और बफ़ौर तामील हो जाने वारन्टके कैफ़ियत इस बातकी लिख भेजो कि वारन्टकी तामील क्योंकर हुई—

आज तारीख़ २० माह अगस्त सन् १८९५ ई० हमारे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी किया—

मुहर

दस्तख़त रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
सिरोही

(नमूनह)

(इत्तलाअनामह बनाम ज़ामिन वक़् उदूल शर्त मुचलकह खास)

ज़ामनी

बनाम गिरिधारी लाल साकिन आबू-

हरगाह तारिख़ १२ माह सितम्बर सन् १८९५ई० को तुम मुसम्मी नथमल भानपुरहकी तरफ़से बदीं इक़रार जामिन हुईथी कि मुसम्मी नथमल माल मज़कूर तारीख़ २ दिसम्बर सन् ९४ ई० को इस अदालतमें हाज़िर होगा और यह कि अगर वह हाजिर न हो तो तुमसे मुबलिग़ ५०) पचास रुपये बतौर तावान रियासत सिरोहीके हुजूरमें अदा करोगे और हरगाह मुसम्मी नथमल मज़कूर अदालत हाज़ामें हाज़िर नहीं हुआ है और उसकी गैर हाज़रीके बाअ़स तावान तादादी ५०) पचास रुपये तुम्हारे ज़िम्मह वाजिबुल अदा होगया है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि तावान मज़कूर अदाकरो व बतारीख़ इमरोज़ासे (१५) पंद्रह दिनके अंदर इसबातकी वजह ज़ाहिर करो कि ज़रे मज़कूर तुमसे क्यों जबरन् वसूल न किया जावे-आज बतारीख १२ माह अक्टूबर सन् १८९४ ई०

हमारे दस्तख़त और मुहर अदालतसे जारी किया गया। मुहर

दस्तखत रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल रियासत सिरोही॥

नमूनह

(वारन्ट कुर्की बनाम ज़ामिन)

बनाम शेर अलीख़ां पुलिस इन्स्पेक्टर-

हरगाह मुसम्मी गिरिधारी लाल ज़ामिन वास्ते हाज़री मुसम्मी नथमल के हुआ था कि अगर वह हाजिर अदालत न होगा, और मुसम्मी गिरिधारी लाल मज़कूर ने ज़मानत नामह की तामील में क़सूर कियाहै और इस वजह से मुबलिग़ ५०) पचास रुपये तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह इस रियासत के हुजूर में दाखिल करनेका जिम्म हवार होगयाहै, लिहाज़ा तुमको इख्तियार और हुक्म दिया जाताहै कि मुसम्मी गिरिधारी लाल मजकर की जिस क़दर जायदाद मन्कूलह जिलअ सिरोही तुमको दस्तयाब हो उसको बज़रिए कब्जह में लाने और रोक रखने के कुर्क करो अगर वह तीन रोजके अन्दर अदा न किया जावे तो जायदाद या उसका उसकदर जुज जो

तावान मज़कूर के वसूल के लिये काफी हो नीलाम करदो और बफौर तामील होजाने इस वारन्ट के इस बात की कैफियत लिखो कि तुमने बतामील इसके क्या कार्रवाइ कीहै—आज बतारीख २ माह अक्टूबर सन ९५ ई०को हमारे दस्तखत और अ़दालत की मुहर से जारी किया गया ॥

मुहर

दस्तख़त रामचंद्र मजिस्ट्रेट
दर्जह अव्वल राज्यसिरोही

नमूनह

(वारन्ट हवालगी ज़ामिन शख्स मुलज़िमके जो ज़मानत देकर रिहा हुआहै.)

बनाम करीम अलीखां सुपरिन्टेंडेन्ट जेलख़ानह दीवानी राज सिरोही—

हरगाह मुसम्मी गिरिधारी लाल ज़ामिन वास्ते हाज़रीके हुआहै और वादाथाकि अगर हाज़िर न सरसके तो मुबलिग़ ५०) पचास रुपये रियासतको अदा करे चूंकि गिरिधारी लाल मज़कूरने खिलाफ़ शर्त ज़मानत नामहके अमल किया है और इस वजहसे तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह दर्बार सिरोहीको वाजिबुल अदा होगया है और हरगाह मुसम्मी मज़कूर ज़ामिनने बा वस्फ़ जारी होने इत्तलाअ़ नामा बा ज़ाब्तह ब नाम उसके मुबलिग़ मज़कूर अदा नहीं किया है और न वजह काफ़ी इसबातकी ज़ाहिर की है कि वह तादाद तावान उससे जबरन् क्यों न वसूल किया जावे और वह तादाद उसकी जायदाद मन्कूलाके कुर्की व नीलामसे वसूल नहीं हो सकती है और इस वजहसे उसके नाम हुक्म हुआ कि तामयाद जेलख़ाना दीवानीमें कै़द रक्खा जावे—लिहाज़ा आप सुपरिन्टेंडेंट जेलख़ानहको इजाज़त और हुक्म दिया जाता है कि इस वारन्टके साथ पहुँचतेही मुसम्मी गिरिधारी लालको अपनी हिरासतमें लायें और उसको मयाद दो (२) माह मज़कूरके लिये जेलखानह में हिफ़ाज़त से रक्खें और इस वारन्टको बाद लिखने तसदीक़ तरीक़ तामील वारन्टके वापिस भेजें—अजा बतारिख़ २ माह अक्टूबर सन् १८९४ ई० हमारे दस्तख़त और अ़दालतकी मुहरसे जारी कियागया ॥

दस्तख़त रामचन्द्र मजिस्ट्रेट
दर्जह अव्वल सिरोही

मुहर

(बाब चौदहवां)

(तरीक़ह क़लमबंदी शहादत बमुक़द्दमात फ़ौजदारी)

दफ़अ़ १४१—उमूमन् तमाम शहादत जो मुक़द्दमात फ़ौजदारी लीजावे ब मुवाजह मुलज़िम लीजावेगी—

नक़्शह अ़लामात जो समयात आम्मासे पैदा होती हैं और जो पुलिस और देशी तबीब व डाक्टरोंके कार आमद हैं।

साम्मयात	देशीनाम	अ़लामात
अर्सनिक	समुल्फ़ार संखिया हरताल मुत्समिल	कैकरना—शिकम्में दर्द व जलनका होना—बहुत प्यास—कभी बदनका सर्द होजाना ऐंठन ऐजा और नींद
ओपियम्	अफ़यून अफ़ीम	नींद आंखोंकी पुतलियां छोटी होजातीहैं कमाल बेहोशी बदनमें पसीना कभी२ कै होतीहैं
एकोनायट	विष	सनसनाहट, झनझनाहट—दहनमें व हलक़ और बाद अज़ीं ऐज़ामें—कफ़ मुँहमें नींद कभी ऐंठन या दीवानगी या फ़ालिज़—
धतूरा	धतूरा	नींद आंखोंकी पुतलियां चढ़जातीहैं—दीवानगी—बेहोशी—शाज़ कै
नेक्स व मेंका	कुचला	ऐज़ा शकनी—उसके बाद बदनका सख़्त ऐंठ जाना—और अकसर दंदान पड़ना—बदनका ऐंठना कुछ देर बंद होजाताहै—और तब फिर होताहै—अकसर बिला किसी सबब ज़ाहिरी के उससे उमूमन् कुले बदनको तासीर होजाती है
		कमसे कम वक्त जो अ़लामातके ज़ाहिर होनेमें लगताहै } १५ पन्द्रह मिनट
		कमसे कम जो मौतके पेश्तर गुज़रताहै एक घंटाहै

(नोट) मिन्जुमलह अलामात मज़कूरह बाला मुम्किन है कि कोई अलामत ज़ाहिर भी नहो, गो ज़हर जिससे कि वह पैदा होती हैं खिलाया गया हो ।

सम्मियात	उमूमन् ज़हर खाने और उसकी अलामात ज़ाहिर होनेमें जो अर्सा गुज़रताहै		उमूमन् वक्त जो मौत तक गुज़रताहै
अर्सनक	½ से	एक घंटा	६ से १२ तक
ओपियम्	½ से	ऐज़न्	६ से १२ तक
एकोनाइट	१५ मिनट	०	१ से ८ तक
धतूरा	५ से	१० मिनट	६ से १२ तक
नेक्स-वमिका	½ से	१ एक घंटा	६ से १२ तक

सवालात कि जो गवाहान् तिब्बी और गवाहान् दीगरसे खास मुकद्दमातमें किये जासकते हैं ।

नम्बर अव्वल—सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे ब मुक़द्दमह इश्तबाह ज़हर खूरानी बाद मुलाहिज़ह लाश किये जा सकते हैं—

(१) तुमने लाश शख्स फ़लां साकिन फ़लांका मुलाहिज़ा किया और अगर किया तो क्या देखा ?

(२) तुम्हारी दानिस्त में सबब मौतका क्याहै और अपनी वजूहात बयान करो?

(३) उसके जिस्म पर तुमने कोई ज़ाहिरी निशान सख्तीक देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?

(४) तुमने लाश को ज़ियादह तर मुलाहिज़ा करने पर कोई अलामत ग़ैर मामूली देखीं ? अगर देखीं तो उनको बयान करो ?

(५) इन अलामात को तुम किस चीज़की तरफ़ मन्सूब करते हो मर्ज़ या ज़हर किसी और सबबकी तरफ़ ?

अगर ज़हरकी तरफ़ तो किस क़िस्म का ज़हर है ?

(७) तुमने अपनी राय में ज़हन नशीन कर लिया है कि कौन ख़ास ज़हर खिलाया गया है?

(८) तुमने लाश में कोई अ़लामत मरीज़ाना सिवाय उनके जो बमुक़द्दमात फलां किस्म ज़हर खूरानीदगी उमूमन् होती हैं देखीं अगर देखीं तो उनको बयान करो?

(९) तुमको कोई मर्ज़ मालूम है कि जिसमें अ़लामात वादवफ़ातके ऐसी होती हैं कि जैसे तुमने इस मुक़द्दमहमें देखीं?

(१०) किसी बातमें अ़लामात बाद वफ़ात उस मर्ज़के उन अ़लामातसे मुख्त-लिफ़ हैं कि जो तुमने इस मुक़द्दमहमें देखी हैं?

(११) ब वक्त हयात उस मर्ज़के क्या अ़लामत होती हैं?

(१२) मुक़द्दमात ज़हर खूरानी फ़लां ज़हर क्या कोई अ़लामत बाद वफ़ातके उमूमन् होती हैं इल्ला इस मुक़द्दमहमें तुमने कौनसी नहीं देखी?

(१३) जो अ़लामात तुम बयान करते हो क्या वह खुदबखुद मअ़देमें बाद वफ़ातके पैदा नहीं हो सकती?

(१४) क्या मऽदा और अन्तड़ियांकी हालतसे मालूम होताथा कि कै और असहाल हुई या नहीं हुई?

(१५) खूरा नींदगी ज़हर फ़लांकी क्या अलामत हैं?

(१६) उमूमन् दर्मियान खाने ज़हर मज़कूर और आग़ाज़ ज़हूर अ़लामात किस कदर अर्सा गुज़रता है?

(१७) कितनी मुद्दत म ज़हर फ़लां उमूमन् तासीर क़तलकी रखता है?

(१८) तुमने माद्दा (मऽदा) और अन्ताड़ियों का (या कोई दीगर शै) साहब मुम्तहिन अशयाय मुरक्कबके पास भेजाथा?

(१९) वो माद्दा (दीगर शै) ब मुजर्रद निकालने लाश से तुम्हारे सामने सर्ब मुहर बंद हुआ था?

(२०) बयान करो कि किस तरफ़ में उसको बंद किया था और मुहर का क्य निशान था?

(२१) तुमको साहब मुम्तहिन अशयां मुरक्कब का जवाब भेजा अगर भेजा तो रिपोर्ट पेशकर्दा वही रिपोर्ट है कि जो तुम्हारे पास पहुँची थी?

(२२) अगर औरत जवान हो रहम पोटर्स यानी रहम का क्या हाल था?

(नम्बर २)

सवालात कि जो गवाह ग़ैर तिब्बि से ब मुक़द्दमा मुश्तबह ज़हर खूरानीदगी में किये जा सकते हैं

(१) तुम शख्स फ़लां साबिक़ साकिन फ़लां को जानतेथे अगर जानतेथे तो तुमने उसको बीमारी साबिक़में या आगे कभी देखाथा ?

(२) किस मर्ज़की अलामात तुमने देखी कि जिसके बाअ़स वह बीमारथा ?

(३) उस सदमहके पेश्तर वह खूब तन्दुरुस्तथा

(४) क्या अलामात मज़कूर नागहां ज़ाहिर हुई ?

(५) वक़्त खुर्दनोश आख़िरीं और आग़ाज़ इज़हार अलामतके दर्मियान् किस-क़दर अर्सा गुज़रा ?

(६) (अगर मौत वाक़ै हुई हो) आग़ाज़ इज़हार अलामत और मौतमें किस क़द्र अर्सा गुज़रा ?

(७) खाना आख़िर किस चीजका बना हुआथा ?

(८) किसी और ने भी उस खानेमेंसे फ़लां शख्सके साथ खायाथा ?

(९) और उनकी यही हालत हुई ?

(१०) आगेभी कभी शख्स फ़लां को हमचो सदमा हुआथा ?

अगर सवाल अव्वलके जवाबमें कोई अलामत अलामात ज़ैलमेंसे बयान करनी मतरूक होगई हो तो उसकी निस्बत ख़ास सवालात हस्ब ज़ैल पूछे जावें ॥

(११) क़ै हुईथी ?

(१२) असहाल हुआथा ?

(१३) पेटमें कोई दर्द तो नहीं हुए ?

(१४) फ़लां शख्स प्यासाथा ?

(१५) क्या उसको ज़ाफ़ होगयाथा ?

(१६) क्या वह दर्द सिर या दौरान् सिरकी शिकायत करताथा ?

(१७) क्या वह ऐसा मालूम होताथा कि वह अपने ऐज़ायको मुतहर्रिक नहीं कर सकता

(१८) क्या उसको नींद ग़फ़लतकी थी ?

(१९) क्या वह बेहूदा बकताथा ?

(२०) तशन्नुज हुआथा ?

(२१) क्या वह मुँहके खास ज़ायकहकी शिकायत करताथा ?

(२२) क्या उसने खाने पीनेमें कोई ख़ास ज़ायका मालूम किया ?

(२३) हरकात तशन्नुजमें जो अर्सा गुज़राथा उसमें वह कभी होशमें भी आयाथा, यह अ़लामत "कुचला" की है ?

(२४) वह अपने मुँह और हलक़में जलन और तेज़ दर्दकी शिकायत करताथा या ऐज़ामें तेज़ दर्दकी या उनकी जलन होजानेकी शिकायत करताथा ?—यह अ़लामत मीठातेलिये की है ?

नम्बर (३)

सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह मर्ग मुश्तबह व सबब ज़ख्म या सदमा में बाद मुलाहिज़ा नाश मुर्दा के किये जा सकते हैं।

(१) तुमने शख्स फ़लां साकिन फलांकी नाशका मुलाहिज़ा किया और अगर मुलाहिज़ा किया तो क्या देखा ?

(२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है ? अपनी वजूहात बयान करो ?

(३) तुमने इसके जिस्म पर कोई निशान ज़ाहिरी सख्तीके देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?

(४) तुम्हारी क्या राय है यह ज़रर पेश्तर मौतके या बादके पहुँचाई गई हैं अपनी वजूहात बयान करो ?

(५) तुमने अन्दर से नाश को देखा बयान करो अगर तुमने कोई अ़लामात ग़ैर मामूली मुलाहिज़ा करीं ?

(६) तुम कहते हो कि फ़लां अमर बाअ़स मौत का हुआ बयान करो कि किस ख़ास तरीक़ में मवस्सर क़त्ल हुआ ?

(७) तुमने जिस्म में कोई अ़लामत मर्ज़की देखी ?

(८) अगर तुमने देखी तो क्या तुम्हारी दानिस्त में अगर मुतवफ़्फ़ी इस मर्ज़ का मरीज़ न होता तो ज़रर रसानंदा फिर भी मवस्सर क़तल होता ?

(९) क्या तुमको यक़ीन है कि उसके इस मर्ज़के मरीज़ होनेसे फिर इत्तफ़ाक़ तन्दुरुस्त होजानेका ज़रर रसानंदासे करदिया ?

(१०) क्या इज़रार मज़कूर सब मिलकर उमूमन साफ़ मुहलक जानके थे या मिन जुमला उनके कोई एक ज़रर मुहलक जानथा ?

(११) ज़रर मज़कूर दस्ती ज़ोरसे पहुंचाये गयेहैं या बज़रिए किसी हथियारके ?

(१२) ज़ख्ममें तुमने कोई और शै तो नहीं देखी ?

(१३) किसी क़िस्मके हथियारके ज़रिएसे जख्म पहुंचाया गया है ?

(१४) क्या तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर रसानंदह हथियार (नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट) मौजूदासे कि जो तुम्हारे रोबरूही पहुँचाये जासकते हैं ?

(१५) क्या मुतवफ्फी बाद पहुँचने ज़ररके (इसक़द्र दूर) चलसकताथा या बोल सक्ता वग़ैरह ?

(१६) क्या तुमने अज़रूए इल्म कीमिया बतरीक़ दीगर दाग़को (या हथियार पार्चावग़ैरह) नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट को कि जो तुम्हारे रोबरू है तहक़ीक़ किया?

(१७) क्या तुम्हारी दानिस्त में दाग़ हाय मज़कूर खून के दाग़ हैं ?

(१८) तुम्हरी दानिस्त में जरर पहुंचने और वकूअ़ मौत में किस क़द्र अर्सागुज़रा है?

(१९) ज़ख्म किस समत में था और तुम कयास कर सक्ते हो कि बलिहाज़ तरह इस्तंकामत शख्स ज़रर रसीदा के शख्स ज़रररसां की तरह इस्त क़ामत क्याथी ?

(२०) क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स इस क़िस्मका ज़ख्म खुदबखुद अपने जिस्म पर लगा लेवे और अपने दलायल बयान करो ?

(ज़ख्म गोली बन्दूक)

(२१) ठीक ठीक सिम्मत ज़ख्म के बयान करो ?

(२२) क्या जख्म की शकुल से यह मालूम होताथा कि बन्दूक़ नजदीक वदन के चलाई गई थी कि या उसी फ़ासिलह पर कुछ ?

(२३) तुमने कोई रस्सा या गोली या कहीं या कोई और शै जख्म में देखी (या शै फ़्लां) पार निकल गईथी

(२४) क्या यह मुमकिन अल्क़यास है कि तुमने सूराख़ वदखूल को सूराख़ अखराज समझा हो?

(नम्बर ४)

सवालात जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह बच्चेके मारनेमें बाद मुलाहिज़ा नाशके हो सक्ते हैं।

(१) तुमने फ़्लां लड़की या लड़केको देखा जो साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसने तुम्हारे पास बतारीख़ सन् १८ ई० भेजाथा देखा—अगर देखा तो क्या देखा ?

(२) क्या तुम कह सकते हो कि बच्चा मज़कूर बिलकुल ज़िन्दा पैदा हुआथा या मुर्दाथा अपनी रायकी वजूहात बयान करो ?

(३) तुम्हारी दानिस्त में मौतका क्या बाअ़स था अपनी वजूहात बयान करो ?

(४) तुम्हारी यक़ीन में बच्चाकी रहमी उमर किस क़दरथी, अपनी वजूहात बयान करो ?

(५) तुम्हारी यक़ीन में बच्चेके रहमसे बाहर होनेकी कितनी उमरथी-अपनी वजूहात बयान करो ?

(६) तुमने ज़ाहिरमें कोई अ़लामत सम्भी या कोई निशानात ग़ैर मामूली देखे अगर देखे तो उनको ठीक २ बयान करो ?

(७) तुमने अन्दरसे अन्दुल मुलाहिज़ा जिस्मके कोई कोई अ़लामात मरीज़ाना या ग़ैर मामूली देखे-अगर देखे तो उनको ठीक २ बयान करो ?

(८) क्या तुमको यक़ीन है कि ज़रर लगे हुए जो तुमने देखे क़बल मौतके पहुंचाये गये हैं या पीछे-अपनी वजूहात बयान करो ?

(९) क्या तुम कह सकते हो कि ज़रर मज़कूर किसतरह पहुँचाये गये हैं अपनी वजूहात बयान करो ?

(१०) तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर इत्तिफ़ाक़िया हैं कि नहीं, अपने वजूहात बयान करो ?

(११) बच्चहने दम कुल्लन या जुज़न लियाथा या बिलकुल नहीं लिया था ?

(१२) तुमने फ़लां औरत वाल्दा मुर्दा बच्चाके जिस्मको मुलाहज़ा किया अगर किया तो क्या तुमको यक़ीन है कि वह थोड़ी मुद्दतसे बच्चा जनी है। तुम तख़मीनन् उसके बच्चा जनेकी तारीख़ कह सकते हो-अपने वजूहात बयान करो ?

(नम्बर ५)

सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह मुश्तबह मौत बज़रिए फांसी या दम घोटनेमें हो सकते हैं।

(१) तुमने शख़्स फ़लां साकिन फ़लांके जिस्मको मुलाहिज़ा किया अगर किया तो तुमने क्या देखा ?

(२) तुम्हारी दानिस्तमें मौतका क्या सबब है अपनी रायकी वजूहात बयान करो?

(३) तुमने जिस्मपर बाहरसे कोई अ़लामात सख़्ती की देखीं ?

(४) अन्दुल मुलाहिज़ह नाशके तुमने अन्दरसे कोई अ़लामात ग़ैर मामूली मुलाहज़ा कीं ?

(५) जब तुमने नाशको देखा तो कोई रस्सा या कोई इस किस्मकी चीज़ तुमने उसके गलेके गिर्द देखी ?

(६) क्या तुम कह सकते हो कि अ़लामत (अ़लामात) कि जो तुमने देखी क़बूलमौतके पैदा हुई या बाद मौत के ?

(७) तुम्हारी दानिस्तमें किस शैसे मुतवफ़्फ़ी फांसी दियागया है या उसका दम रोका गया है ?

(८) क्या निशान जो तुमने देखा रस्से से या किसी और शैसे (नम्बर पुलीस चार्ज सेन्ट) कि जो तुम्हारे रोबरू हो सकता है ?

(९) तुम्हारी दानिस्त में इस रस्सह से यह जिस्म लटकाया जा सकता था यानी यह रस्सा बदन के वज़न को बरदाश्त कर सकता था ?

(अगर दम घोटा गया)

(१०) जो जरर तुम बयान करते हो क्या उनके पैदा करने में बहुत सख़्ती और ज़ोर चाहिये ?

(नम्बर ६)

सवालात जो मुक़द्दमह मुश्तबह मौत बज़रिए डूबने बाद मुलाहिज़ा नाश बाद वफ़ात के गवाह तिब्बी से हो सकते हैं।

(१) तुमने शख़्स फ़लां सकिन फ़लां के नाश का मुलाहिज़ा किया, अगर देखा तो क्या देखा ?

(२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है, अपने वजूहात बयान करो ?

(३) क्या जिस्म पर बाहर से कोई अलामात सख़्ती की थी अगर थी तो उनको बयान करो ?

(४) अन्दुल मुलाहिज़ा मज़ीद नाश अगर कोई अ़लामात ग़ैर मामूली तुमने देखी हैं तो उनको बयान करो ?

(५) क्या तुमने कोई और शै मसलन् घास वग़ैरह मुतवफ़्फ़ी के पांव में या हाथों में या हवा के गुज़रगाहों में या किसी और जुजबदन में लगी हुई देखी ?

(६) मादा में कुछ पानी था ?

(नम्बर ७)

सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह ज़िना बिलजब्र मुबय्यना में हो सकते हैं ।

(१) तुमने मुसम्मात—के जिस्मका मुलाहिज़ा किया अगर किया तो वकूअ् ज़िना बिल्जब्र मुबय्यनाके कितनी मुद्दतबाद किया और क्या देखा ?

(२) तुमने फ़र्ज़ या उसके अज़जाय मुत्तासिला के नज़दीक कोई अलामत सख्ती की देखी ?

(३) क्या यह ज़रर इस क़िस्म के हैं कि वह इर्तकाब ज़िना बिलजब्र से भी होसक्ती है ?

(४) पर्दा फटा हुआथा (वाज़े होवे कि यह सवाल सिर्फ़ उसी मुक़द्दमह में पूछना चाहिये कि जिस्में लड़की ख़ुर्दसाल से ज़िना बिल्जब्र किया गया हो) ।

(५) सिवाय इनके तुमने और कोई निशान सख्ती के औरत के जिस्म पर देखे ?

(६) क्या वह औरत उम्र में बालिग़ाथी ?

(७) तुम उसकी उम्र तख़मीनन् कहसक्ते हो ?

(८) औरत मज़कूर को तुमने मज़बूत और तन्दुरुस्त देखा या ऐसी कमज़ोर थी कि वह इक़दाम ज़िना बिलजब्र नहीं रोक सकती थी ?

(९) तुमने मुलज़िम के जिस्म को मुलाहिज़ा किया ?

(१०) तुमने मुलज़िम के जिस्म पर कोई अलामात सख्ती के देखे ?

(११) उसको कोई मर्ज़ नफ़सानी यानी कोई मर्ज़ अज़ क़िस्मे आतशक वग़ैरह का था ?

(१२) क्या तुमको मालूम हुआ कि औरत मज़कूर को भी इसी क़िस्म का मर्ज़ या और कोई मर्ज़ नफ़सानी था ?

(१३) जब तुमने औरत के जिस्म को मुलाहिज़ाकिया तो बसूरत मवस्सर होने उसके मर्ज़ नफ़सानी से क्या मर्ज़ मज़कूर नमूदार होने के वास्ते अर्सा काफ़ी गुज़र गया था ?

(१४) क्या तुम तख़मीनन् कह सकते हो कि मुलज़िम कितनी मुद्दतसे मर्ज़ मज़कूर में मुबतिला था ?

(१५) क्या तुम तख़मीनन् कह सकते हो कि औरत कितनी मुद्दतसे मर्ज़ (मर्ज़ नफ़सानी) मज़कूर की बीमार थी ?

(१६) तुमने अशियाय से खून आलूदा मौजूदा अदालत (नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट) को मुलाहिज़ह किया कि जो तुम्हारे पास भेजे गये थे ?

(१७) तुम्हारे मुलाहिज़ह की क्या कैफ़ियत है

(१८) तुम्हारे यक़ीन में इर्तकाब ज़िना बिलजब्र हुवा या नहीं--अपनी वजूहात बयान करे ?

(नम्बर ८)

सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह शख्स फ़ातिरुल् अक़्ल मुश्तबह में हो सकते हैं ।

(१) तुमने शख्स फ़लां का इम्तिहान किया ?

(२) तुमने उसका इम्तिहान मुख़्तलिफ़ औक़ात में किया ताकि इस अमरका गुमान न रहा हो कि शायद तुमने शख्स मज़कूर का इम्तिहान ऐसे वक़्त किया हो कि पागल पने का ग़लबा नथा ?

(३) तुम्हारी दानिस्त में वह अपने आपको और अपने मुआमलात ज़ाती को सरबराह करने के लायक़ है ?

(४) तुम उसको फ़ातिरुल अक़्ल समझते हो यानी उसके क़्वाय अक़लिया में फ़तूर है ?

(५) अगर समझते हो । फ़तूर अक़लिया पूरा या थोडा है ?

(६) तुम्हारी दानिस्त में वह हलफ़ की पाबंदी समझता है ?

(७) तुम्हारी दानिस्त में वह इस हालत में इस क़ाबिल है कि अदालत क़ानूनी में गवाही देवे ?

(८) तुम्हारी दानिस्त में वह इस क़ाबिल है कि उस जुर्म की जवाबदही करे कि जिस्में वह मुलज़िम है ?

(९) तुमको इस अमर के मालूम करने का इत्तिफ़ाक़ हुआ कि मुलज़िम को उसके दोस्त क़बल तहक़ीक़ात हाज़ा और वक़ूआ कि जिसके सबब यह तहक़ीक़ात होती है क्या समझते थे (आया पागल बिल फ़तह या और तरह पर) ?

(१०) हत्तुलवसा तुम्हारी दर्याफ़्तकी उसके मजाज़ साबिक़ की सिफ़ात आम्मा क्याथी ?

(११) क्या वह ऐसा मालूम होता है कि कभी साबिक़ में भी उस पर पागल पने ने ज़ोर डाला हो ?

(१२) क्या उसको तोहमात व मग़ालतह फ़ातिरुल अकूल के तो नहीं हुई ?

(१३) अगर होते हैं तो उनके सफ़ात आम्मा क्या हैं क्या यह बे नुक़सान हैं या ख़तरनाक वह क़िसतरह ज़ाहिर होते हैं ?

(१४) क्या यह मुमकिन है कि बसबब तोहमात व मुग़ालतह मज़कूर के फ़ैल मुजरमानह कि जिस से वह मुलज़िम है वकूअ में आया है ?

(१५) तुमको मालूम हो सकता है कि किस सबब से उसकी अक़्ल में फ़तूर हुआ है, तुम्हारी दानिस्त में यह ज़ाती है या इत्तिफ़ाकिया।

(१६) अगर वह इत्तिफ़ाकिया है तो वह नागहां ज़ाहिर हुआ या धीरे ?

(१७) क्या तुम कोई वजह बावर करनेकी रखते हो कि उसकी फ़ातिरुल अक़्ली मौरूसी है अगर है तो मेहरबानी करके वजूहात अपनी राय मज़कूरकी मुफ़स्सिल बयान करो और नीज़ जुमलह कैफ़ियतें मुतअल्लिक़ा बयान करो यानी मुलज़िम के वाल्दैन् फ़ातिरुल अकूल थे या कोई उसका रिश्तहदार था और इस मर्ज़ के ग़ल्बह का सबब मुश्तमिल क्याथा और जब उसका ग़लबा शुरूअ् हुआ तब मुलज़िम की उम्र क्याथी और ग़ल्बह मज़कूर की क्या सूरत और क्या अलामत थी ?

(१८) क्या तुम कोई वजह इश्तबह करने की रखते हो कि मुल्ज़िम किस क़दर फ़ातिरुल अक़्ली का बहाना करता है अगर रखते हो तो उसकी वजह बयान करो ?

(१९) क्या तुम्हारी दानिस्तमें यह मुमकिनहै कि उसकी फ़ातिरुल अक़्ली उसके फ़िल्वाक़ै इर्तकाब जुर्मसे पीछे हुई या उसके बाअस होगई ?

(२०) क्या तुमकोई वजह मुतख़ैयल करनेकी रखतेहो कि मुलज़िमने जुर्म हाज़ाका इर्तकाब असनाय सिहत अक़्लीमें कियाहो, जिस असनायके वास्ते वह अपने फ़ैलका ज़िम्महवार गरदाना जा सकताहै (अगर यह सूरतहै तो तुम्हारी दानिस्तमें अर्सा सिहत अक़्ली मज़कूरका किसक़दर देरतक रहा) या ख़िलाफ़ उसके तुमको यक़ीन है कि उसकी हालत ऐसी रहीहै कि वह बिल्कुल ज़िम्मह वारी क़ानूनीसे बरी किया जावे ?

(२१) अब मुल्ज़िम कोई निशान जनून क़त्ल इन्सान या ख़ुद कुशीका ज़ाहिर करताहै या उसने कभी आपके इल्ममें ऐसा कियाहै ?

(२२) क्या तुम्हारी दानिस्तमें बलिहाज़ उसके अबकी हालतकी मुतअल्लिक़न् ज़रूरहै कि वह पागल ख़ानहमें क़ैद किया जावे बिलूजब्र ?

(२३) क्या तुम्हारी दानिस्तमें माकूल हमेशा निगरानी बाहर अज़ पागल ख़ानह इस अमरके वास्ते काफ़ी होगी कि वह अपनी जान या औरोंके मालको ख़तरहमें डाले ?

(नम्बर ९)

सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह मुवय्यना इस्क़ात हमलमें होसकतेहैं दफ़अ (३१२ व ३१६) ताज़ीरात हिन्द ।

(१) तुमने मुसम्माहके जिस्मको मुलाहिज़ा किया अगर किया तो कब और क्या देखा ?

(२) तुम्हारी दानिस्तमें इसक़ात हमल हुआ या नहीं अपनी वजूहात बयानकरो ?

(३) तुम्हारी दानिस्तमें इसक़ात हमल किस तरीक़से हुआ आया बसबब सद्म अन्दरूनी फ़र्ज़के या सदमा बेरूनी या बसबब अन्दरूनी इस्तैमाल अदवियात तेज़, अपनी वजूहात बयानकरो ?

(४) यह कहा जाताहै कि दवाई इस्तैमाल हुई है अलामात और तासीरातको कि जो दवाई मज़कूरके इस्तैमाल अन्दरूनीसे पैदा होतीहैं बयान करो, तुम्हारी दानिस्तमें उसीसे इस्क़ात हमल होसकताहै ?

(५) तुम बयान करसकते हो कि जब इस्क़ात हमल हुआ तो बच्चेमें जान पड़ी हुईथी, अपनी वजूहात बयान करो ?

(६) तुमने बच्चेको देखा अगर देखा तो तुम्हारी दानिस्तमें औरत किस क़द्र मुद्दतसे हामलाथी ?

(नम्बर १०)

सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे व मुक़द्दमह ज़रर शदीद हो सक्तेहैं

(१) तुमने उसको मुलाहज़ा किया अगर देखा तो क्या देखा ?

(२) अहातियातसे अलामात सख़्तीकी जो तुमने मुलाहिज़ाकीं बयानकरो ?

(३) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर किस तरीक़ से पहुंचाये गये अगर किसी हथियार से तो तुम्हारी दानिस्त में किस क़िस्म का हथियार इस्तैमाल कियागया ?

(४) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर मज़कूर इस हथियार से (नम्बर पुलिस चार्ज सीट) कि जो तुमको दिखलाया जाता है पहुंचाये जा सकते हैं ?

(५) ज़ख्म का बाअ़स क्या था और इस अमर में राय दे सकते हो कि बलिहाज़ ऐसे ज़ख्म के शख्स ज़ररसांका शख्स ज़रर रसानी दहकी निस्बत किस तरह इस्तक़ामत थी?

(६) क्या यह मुमकिन है कि ऐसा जख्म कोई शख्स खुद बखुद अपने आपको पहुंचावे अपनी वजूहात बयान करो?

(७) तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर कि जो पहुँचाये गये हैं किस क़िस्म शदीद ज़रर में से हस्ब शरह दफ़अ़ (३२०) मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्द हैं अगर हैं तो किस क़िस्म में से हैं अपने वजूहात बयान करो!

वाज़े हो कि जब साहब मजिस्ट्रेट यह सवाल करेगा तो गवाह को मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्द दिखला देगा या साहब मजिस्ट्रेट इस सवालकी तर्ज़ २ ऐसी २ बदल दे कि बिला दिखलाने मजमूअ़ ताज़ीरातहिन्द के कैफ़ियत मतलूबा मन्कशफ़ होजावे।

(८) क्या तुम्हारी दानिस्त में शख्स ज़ररसीदह कोअब कोई खतरा नहीं है?

(९) यह कहा जाता है कि ज़रर शै फ़लां से पहुंचाये गये हैं क्या वह तरीक़ बयान किये हुये में पहुंचाये जा सकते हैं?

(१०) क्या तुमने अज़रूए इल्म कीमियां और किसीतरह पुर दाग़ों को (कि जो हथियार या पारचा वग़ैरह नम्बर पुलिस चार्ज सीट पर हैं) जो आपके रोबरू हैं मुलाहिज़ा किया है?

(११) तुम्हारी दानिस्त में दाग़ हाय मज़कूर खून के हैं?

वाज़े होवे कि अगर अज़रार मज़कूर बंदूककी गोलीके जख्म हों तो सवालात २१ ता २४ नम्बर ३० (मौत बसबब जख्म) गो उस से पूछे जावें?

(ज) अमूरात तहक़ीक़ात तलब मुक़द्दमह वफ़ात बबाअ़स फट जाने तिल्ली।

रिपोर्ट दरबाब फटजाने तहाल यानी तिल्ली मुहर्रह डाक्टरब्रून साहब प्रिंसपिल लाहौर मैडिकल कालेज।

जब तिल्लीमें मर्ज़ होताहै तो वह उम्मन् किसी सदमह से जो उसपर तासीर करे फट जातीहै अगर सदमा बहुत ज़ियादा होतो उसका फटजाना हालत कमाल सिहत में भी मुमकिन है॥

अगर तिल्ली ही की मरीज़ हालत में होतो उसका फटजाना बिलासदमाके भी वक़ूअ़ में आसकताहै जब कि मेहनत जिस्मानी की जावे या पेचिशहो या खांसी या क़ै की जावे और यहभी कहागयाहै कि उसकी शिकस्तगी खुदबखुद नौबती में भी वाक़ै होतीहै मगर ऐसे हालात बहुत शाज़ होते हैं पस वह बहुत आहम अमरहै कि जो जुमला मुक़द्दमात हलाकत में जो इस अजवकी शिकस्तगी के बाअ़स वाक़ै हों यह दरियाफ्त कियाजावे कि तिल्ली की क्या हालतथी॥

जब सदमहसे तिल्ली फट जाती है तो उस सदमहके निशान बाज़ दफ़अ जिस्मपर न-ज़र आते हैं लेकिन जुमलह हालात में नहीं क्योंकि शिकस्तगी तिल्ली अक्सर हलात-इतनी जल्दी पैदा करती है किकुछ खून निकल नहीं सकताहै और नीज मालूम होता है कि कभी ऐसी सूरत भी वाके होती है कि सदमा सिर्फ़ तिल्ली ही को असर करताहै आर दीगर ऐज़ाय जिस्म को ज़रर नहीं पहुंचाताई पस यह बिल्कुल मुमाकिन है कि तिल्ली सदमासे टूट जावे ताहम कोई निशान सदमहका पोस्त या दीगर ऐज़ाय जिस्मपर मालूम नहो ॥

जो हालत तिल्लीकी मौतके आगेथी वह उमूमन उसकी मिक़दार और सख्त या बाद हलाकतसे मालूम होसकती है, सही और तन्दुरुस्त तिल्लीका मिक़दार पांच या साढ़े पांच तूल और तीन या चार इंच अर्ज होताहै और एक या डेढ़इंच मोटा होताहै और वज़नमें क़रीब छै (६) औन्स होतीहै यानी चारऔन्ससे आठ औंस तक होती है जब तिल्ली ऐसे मरीज़ को होकि ग़ालिबन् ज़रासे सदमहसे फटजाय तो उसका वज़न अकसर दस (१०) से तीस (३०) औन्सतक होगा और तवालत उसकी ७ से १२ इंचतक होगी ॥

सही और सालिम् तिल्ली पसलियोंसे नहीं बढी हुई होतीहै मगर मरीज़की तिल्ली आगे बढ़ जातीहै और अक्सर बहुत आगे बढ़ आतीहै तिल्ली जब तन्दुरुस्तीमें होती है तो उसकी सख्त बदर्जह औसत सख्त होतीहै और आसानीसे काटी जा सकतीहै, और जब काटीगईतो किनारा तेज़ होताहै और सतह साफ़ मगर जब कुछ मर्ज़ होताहै तो तिल्ली बिल्कुल नर्म और मुलायम होजातीहै और ऐसी गली हुई होतीहै कि बवक्त-चीरे जाने उसके ग़िलाफ़ की शै और रक़ीकके मानन्द टपक पड़तीहै यह हालत जब बाद मौतके नाश मुद्दत तक रक्खी जावे या अगर मौसिम बहुत गर्महो सड़नेसेभी होजातीहै इसवास्ते इन अमूरको दर्याफ्त करलेना चाहिये ॥

मर्ज़ तिल्लीका बढ़जाना और मुलायम होना उमूमन् बुख़ार नौबती या तप व लर्ज़ा या अम्बलका नतीजा होताहै यह नतीजा और इमराज़सेभी होजाताहै खुसूसन् तपे रदी या सकर्दीकी बीमारीमें (जो ख़राबग़िजा ख़ासकर नबाताती ग़िज़ाके एक अर्सह दराज तक न खानेसे पैदा होतीहै और बीमार निहायत कमज़ोर और पस्तहिम्मत होजाताहै और मसूढे फूलजातेहैं) और मर्ज़ परपूरामेन (यानी वह बीमारी जिससे बदन पर सुर्ख़ २ धब्बे पड़जातेहैं और बीमार कमज़ोर और पस्तहिम्मत होजाताहै) वह हिस्सा तिल्लीका जो उमूमन् शिकस्त होजाताहै अन्दरूनी सतह उसका होताहै शिकस्तकी वसअत बहुत मुख्तलिफ़ होतीहै मगर जिस क़दर शिकस्तगी बड़ी और गहरी हो उसीक़दर जल्दी उमूमन् हलाकत वकूअमें आतीहै जब शिकस्तगी खफ़ीफ़ होतो मुमकिनहै कि आदमी कई रोज़ जिन्दा रहे बल्कि हो सकताहै कि बिल्कुल तन्दु-

रुस्त हो जावे, जब शिकस्तगी बड़ी होतो उमूमन् आदमी उसी जगहसे कि जहां शिकस्तगी वाके होवे चल नहीं सकताहै ।

आखिरमें यह ज़िक्र किया जाताहै कि बाज़ हालातमें तिल्ली पर पर्देकी एक तह बबाअस सोज़िश माकबूल चढ़जाती है यह अमर शिकस्तगी को महदूद करे या खून के ज़ियाद बहने को रोकने से हलाकत में तवक्कुफ़ करसकताहै या उसको रोक भी सकताहै । पस मुक़द्दमात हलाकत बबाअस शिकश्तगी तिल्ली में जिन सुवालात का पूछना जरूरियातसे मालूम होताहै वह हस्ब जैल हैं ॥

(१) नाश पर क्या २ अलामत सदमा बेरूनी मौजूदथे ?

(२) बाद मौत के तिल्ली का मिक़्दार और वज़न क्या था ?

(३) पसलियों से आगे तिल्ली कितनी दूर बढ़ी हुई थी ?

(४) तिल्ली की साख्त कैसी थी, सख्त या मज़बूत या मुलायम् या गली हुई ?

(५) कितनी मुद्दत बाद मौत के नाश का मुलाहिजा हुआ था, और हवाकी कैफ़ियत बलिहाज़ सर्दी व गर्मी क्या थी ?

(६) क्या नाश बहुत सड़ी हुई थी ?

(७) जो जगह फटी हुई थी उसकी क्या शकूल थी ?

(८) शिकस्तगी की तवालत और गहराई क्या थी ?

(९) आपकी राय में शिकस्तगी सद्मा बेरूनीसे हुई या नहीं आप अपनी राय के दलायल बयान करो ?

(१०) तिल्ली पर कोई शै चस्पां भी थी अगर थी तो वह शिकस्तगी के पेश्तर की थी या नहीं ?

दफ़अ १४२–जो गवाह अदाय शहादत के वास्ते रोबरू अदालत के पेश हुआ उसको हलफ़ दिया जावेगा और तरीक़ हलफ़ दिये जाने का वह होगा जो उस खत्ता मुल्क में रायज हो–अमल्दारी सर्कारी अंगरेज़ीमें हलफ़ के तरीके जैलहैं बमूजिब एक्ट हलफ़ हिन्द सन् ७३ ई० मुक़र्रर है जो शहादत कि मैं इस मुक़द्दमह में दूंगा वह सच होगी बिलकुल सच होगी और सिवाय सचके और कुछ न होगी–या खुदा तू इस में मेरा मददगार हो, मैं बइकरार सालह खुदा को हाजिर व नाज़िर समझ कर इक़रार करता हूं कि जो शहादत मैं अदालत में दूंगा वह सच होगी बिलकुल सच होगी और सिवाय सच के और कुछनहोगी ।

दफ़अ १४३–अहल हनूद के वास्ते बजाय खुदा लफ़्ज परमेश्वर हो सकता है ॥

यह नमूना इज़हार गवाहान् का ज़ियादह तर मुफ़ीद है क्योंकि इस में बादतहरीर इज़हार अदल बदल व मुशकिल होसकता

(नमूनह इज़हार)

अ़दालत मजिस्ट्रेटी
दर्जह अव्वल

ग़ुलाम महीउद्दीन
अहमद
मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
मुक़ाम शाहाबाद

नाम चंद्रभान
वल्दियत अमृतभान
क़ौमियत माली
सकूनत मौज़े बलूच
परगनह शकूहाबाद
ज़िलअ़ फर्रुख़नगर

हलफ़ मुझ मजिट्रेट के रोबरू दियागया, शहादत अज़ जानिब इस्तग़ासह

तारीख़ २२ माह जौलाई सन् १८९४ई.

____

____

____

मैं तसदीक़ करताहूं कि यह इज़हार मेरी क़लम से और वही लिखागया जो गवाहने अपनी ज़बान से बयान किया ॥ (दस्तख़त मजिस्ट्रेट)

(उसूल शहादत)

मुहक़्क़िक़ह जनाब मुस्तताब फ़ैज़मआब कर्नेल आर्थर विलियम " राबर्ट" साहब बहादुर दाम इक़्बालहू पोलेटिकल एजेन्ट व मजिस्ट्रेट ज़िलअ़कोह आबू (राजपूताना)

शहादत दो क़िस्म पर मुन्क़सिम है

Direct. Indirect.

डाइरेक्ट यानी बिलावास्ता (या) इन् डाइरेक्ट यानी बा वास्ता डाइरेक्ट यानी बिला वास्ता शहादत वही है कि जो शख़्स अपनी ज़ुबान से हलफ़न कहता है कि मैंने इस वाक़े को अपनी आंखसे देखा और कानोंसे सुना है—

इन्डाइरेक्ट यानी बावास्ता शहादत वह शहादत है कि जो मुक़द्दमहके मुतअ़ल्लिक़ हो या जिससे वाक़आत मुक़द्दमह पैदा होते हैं—

और यह पुलिसका फ़र्ज़ मन्सबी है कि जिसक़द्र गवाहों से ऐसे हालात व वाक आत मालूम होते हों और जिस क़द्र असबाब हथियार जेवर ओज़ार जामा हाय पोशीदनी वग़ैरह यानी Metiriual evidemea मेटीरियल शहादत दस्तयाब हो वह सब रोब रू अ़दालतके पेश करे जिससे मुक़द्दमह पायह सबूत को पहुंच जावे अक्सर Indirect इन् डाइरेक्ट शहादत यानी Sircam strneial सरकम स्टेंशियल शहादत में वही सबूत समझा जाताहै कि जो वाक़आत से बहुत मुमकिन हो क्योंकि रोज़ मर्रह की बात चीत में ऐसा सर्टेन्टी यानी यक़ीनका सबूत नहीं होसकता जैसे कि "मैथे मेटिक" यानें इल्म हिसाब और डाइरेक्ट यानी शहादतबिलावास्तह में होताहै— मसलन् दो और दो चार होतेहैं पांच नहीं होसकते ऐसा सर्टेन्टी यानी यक़ीन रोज़ मर्रह की बात चीत में नहीं हो सकता सिर्फ यह कह सकते हैं कि फलां अमर बहुत मुमकिन है मसलन् कोई आदमी अपने इल्म व यकीन से यह नहीं कह सकता कि कब आफताब उगेगा लेकिन यह बात बहुत मुमकिन और यकीनीहै क्योंकि हज़ारहा सालसे ऐसा होता हुआ आया है और कल भी ज़रूर ऐसाही होगा फिर कोई तन्दुरुस्त आदमी यह नहीं कह सकता कि कल हम ज़िन्दा रहेंगे लेकिन यह कह सकता है कि बहुत मुमकिन है ऐसा होवे क्योंकि फ़िलहाल वह मरीज़ नहीं है।

डाइरेक्ट यानी बिलावास्ता शहादत किसी मुक़द्दमह में उसी गवाह की होगी कि जिसने-वाक़आत मुकद्दमह को बचश्म ख़ुद देखा और कानों से सुना है, लेकिन गवाहों की सच्चाई में जब उनके रिश्तहदारी या नौकरी या कर्जदारी या मौरूसी एक दूसरे जातसे दुश्मनी या बाहमी ख़ानग़ी अ़दावत या औरतों की तक़रार से जो देहातमें मशहूरहै कम व बेश फर्क होजाताहै—

फिर इस सूरत में शहादत सच हो सकती है मसलन् एक मुसाफ़िर सड़क पर मुसाफ़रत कर रहा है और उसने किसी वारदातका वकूअ़ सफ़र करते हुए देखा तो इस में कोई शक न रहा क्योंकि गवाह का कोई तअ़ल्लुक़ ज़ाती या दुश्मनी इस मुक़द्दमह में किसी फ़रीक़ मुक़द्दमह से नहीं है ग़रज़ सबूत वही बात है कि जो शहादत और हालात मुक़द्दमह से किसी मुलाजिम को मुजरिम क़ानूनी साबित करदे व मुक़द्दमात दीवानी उसी फ़ैल को गुनाह समझते हैं कि जिससे कोई आदमी किसी दूसरे शख्सके हकूकको जान बूझकर बर्बाद करता है ॥

अमूर मज़कूर बाला एक्ट शहादत दफ़अ़ ५ से १२ दफ़ात वग़ैरह तक पाई जावेंगी, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिये कि शहादत वास्ते यानी सरकम स्टेंशियल शहादत याने सबूत क़रायन् व भेज़ मेटिव शहादत व इन् डाइरेक्ट शहादत यह तीन शहादतें एकही क़िस्मकी हैं और यह सब मुक़द्दमात से तअ़ल्लुक़ रखती हैं, और ऐसी शहादत मज़कूरा मोटिव यानी वजह तहरीक इन् स्टेंशियल यानी इरादा और अपर च्यूनिट यानी मौक़ा यह तीनों हमेशा लाज़िम और मौजूद होने चाहियें क्योंकि सरकम स्टेंशियल शहादत अगर कामिल तौर पर साबित और मुमकिन न होतो उसको नहीं मानना चाहिये उमूमन् वकला अदने दर्जह की झूठी बातों पर कि जो मुक़द्दमह से बिलकुल तअ़ल्लुक और वास्ता नहीं रखते अ़दालत के धोखा देने के लिये बहुत मुबाहिसा करते हैं लेकिन अ़दालत को इसबात का लिहाज़ रखना चाहिये कि लोगोंकी रोज मर्रह के बयानात में थोड़ासा इख्तलाफ हुआही करता है मसलन् एक आदमीने कहा कि फलां बात ८ बजे हुई और दूसरे गवाह ने कहा कि आठ पर पांच मिनट गुज़रे यह वार्दात हुई, फिर एक आदमी कहता है कि हमने फ़लां मुक़द्दमहमें तीन गधे देखे और दूसरा गवाह कहताहै कि हमने चार गधे देखे—पस ऐसे वकला गवाहों के थोड़े से बयानात के इख्तलाफ होने पर अ़दालत से इस्तदुआ करतेहैं कि इस गवाहको जालसाज़ी या दरोग़हल्फ़ीमें सज़ा होनी चाहिये और मिटीरियल यानी शहादत जरूरी को वकलाय मज़कूर अपने फ़ायदह के लिये छिपानेकी पूरी कोशिशें करतेहैं और मुक़द्दमहको बिगाड़तेहैं, गवाहान्के इम्तिहानकी बाबत दफ़अ़ १२५ से १६६ तक एक्ट मज़कूर में जिक्रहै यह तमामी हालात मज़कूरह दर हक़ीक़त उसूल शहादत हैं अगर इस से तसल्ली न हो और जियादह तर तहक़ीक़ मंज़ूर हो तो एक शहादत व नीज दीगर शरहों से मालूमात मुमकिन हैं जिस में कोशिश दर्कार है मगर बनिस्बत उर्दूके अंग्रेजी एक्ट शहादत का समझना आसानहै क्यों-

कि एक शहादत उर्दूमें मुतरज्जिमान लफ्फाजी बहुत करते हैं जिससे मतालिब आम फ़हम नहीं रहते ॥

दफ़अ १४४–तमाम शहादत हर एक हाकिम अदालत फ़ौजदारी के रोबरू गवाह की ज़बान मादरी में बहाज़री हाकिम अदालत उसकी वाक़ै निगरानी से क़लमबंद होगी और उस पर उस हाकिम अदालत के दस्तख़त सब्त होंगे–

दफ़अ १४५–ऐसी शहादत जब क़लमबन्द होतो वह लफ़्ज़ बलफ़्ज़ गवाह को पढकर सुनाई जावे और अगर उसको किसी अमर में ऐत्राज़ हो तो उसको उसी वक्त और गवाह के मवाजह में दुरुस्त कराया जावेगा और उसके दस्तख़त कराये जावेंग और अगर वह दस्तख़त न कर सकता हो तो सिर्फ निशानी काफ़ी होगी और वह शामिल रहेगी।

दफ़अ १४६–जो शहादत मुक़द्दमात फ़ौजदारी में लीजावे वह मुसलसिल तौर पर लिखी जावेगी बतौर सवाल व जवाबके कलमबन्द न होंगी मगर अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि वह कोई खास सवाल व जवाब तहरीर करे या कराये।

दफ़अ १४७–जो इज़हार गवाहने रोबरू अदालत के दिया हो और उसको किसी दूसरी ज़बान में क़लमबन्द किया गया होतो जरूर होगा कि इज़हार को उसकी असली जबान में तर्जुमा करके सुनाया और समझाया जावे।

दफ़अ १४८–और अगर मुल्ज़िम उस ज़बान को न समझता होवे तो उसको फिर तर्जुमा करके समझा दिया जावे, और वकील उसका बवजह अदम मौजूदगी मुलज़िम के हाजिर होवे और वह भी जबान रायज अदालत से नावाक़फ़ियत रखता हो ऐसी सूरत में तर्जुमा करके समझा ना अदालत का फ़र्ज़ होगा और दस्तावेज़ात पेशकी जावें वह तर्जुमा होने के बाद मुसद्दक़ होकर शामिल मिसल रहेंगी।

दफ़अ१४९–जब कोई गवाह किसी अदालत में इज़हार देरहा होतो हाकिम अदालत को लाज़िम होगा कि उसके चेहरे और वजह से जो कुछ जाहिर होता हो वह अपने इज़हार के हाशिये पर जिस क़दर जरूरी मालूम होवे तहरीर करे।

दफ़अ १५०–मुलज़िमका इज़हार जब किसी अदालतमें तहरीर होवे तो वह तमाम इज़हार मय सवालातके जो मुलज़िमसे किये जावें और नीज़ जुमलह

जवाबातकि जो वहदे लफ़्ज़ बलफ़्ज़ उस ज़ुबानमें कलमबन्द होंगे जिस ज़ुबानमें वह लिखाया गयाहो ।

दफ़अ़ १५१–और अगर किसी दूसरी ज़ुबानमें इज़हार लिया गयाहो जिसको वह न जानताहो उसका तर्जुमा होकर उसको सुनादिया जावेगा और मुलज़िमको इख़्तियार होगा कि और कुछ लिखवाये या उसीपर इक्तफ़ा करे ।

दफ़अ़ १५२–जब इस तरह इज़हार मुल्ज़िमका क़लमबंद होचुके और जिसको वह सच ज़ाहिर करता हो और उसने सिहत की तसदीक़की हो तब मुल्ज़िम के दस्तख़त सब्त होंगे, और उसके बाद हाकिम अ़दालत यह इबारत तसदीक़ अपने हाथ से लिखेगा कि यह इज़हार उसके मवाजह और उसकी समाअ़त में क़लमबंद किया गया और इस में शख़्स मुलजिम का तमामबयान सही व दुरुस्त मुन्दर्ज है और अपने दस्तख़त करेगा ।

दफ़अ़ १५३–हर एक रियासत को चाहिये कि तरीक़ और नमूना शहादत के जैसे उनकी राय में अन्सब हों वक़्तन् फ़वक़्तन् मुक़र्रर और रायज करते रहैं ।

दफ़अ़ १५४–हर एक मुलज़िम मजाज़ हैं कि वह अपनी जवाब दही मार्फ़त किसी वकील मक़बूला अपने के करें ।

दफ़अ़ १५५–किसी शख़्स मुल्ज़िम को किसी तरह का हलफ़ देना जायज़ नहीं है।

दफ़अ़ १५६–और मुलज़िम पर किसी तरह का किसी अमरके ज़ाहिर करने के वास्ते ख़ौफ़ व तशद्दुद न किया जावेगा ।

दफ़अ़ १५७–बवजह ग़ैर हाज़री गवाह या किसी बाअ़स से यह बात ज़रूर हो कि ब मुक़्तज़ाय मस्लहत किसी तहक़ीक़ात या तजवीज़ का शुरूअ करना मुल्तवी किया जावे तो अ़दालत वक़्तन् फ़वक़्तन् अपने हुक्म तहरीरी मुश्तमिल बवजूहात मुलतवी कर सकती है और मुल्ज़िम को हिरासत में रखने के लिये ओहदेदार मुनासिब के सुपुर्द कर सकती है इस हुक्म पर हाकिम अ़दालतको अपने दस्तख़त सब्त करने होंगे हरएक वक़्त पन्द्रह योमसे ज़ियादा हिरासत में रहने का अ़दालत को हुक्म न देना चाहिये, मगर ताहम बाद इन्क़ज़ाय मयाद पन्द्रह योमके अगर अ़दालत को मालूम होवे कि मुक़द्दमह

के इल्तवासे ज़ियादह सबूत हासिल होगा दरींसूरत शख्स मुलज़िम को हिरासत में भेजने की माकूलवजह है।

दफ़अ़ १९८–मजमूअ़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी मुरव्विजा बृटिश इंडिया में यह अमर जायज़ रक्खा गया है कि जरायम मुंदर्जह जैल का राज़ीनामा उन अश-ख़ास की तरफ़से दाखिल किया जावे कि जिसका जिक्र जैल के खानह में मज़कूर है।

(जुर्म)

(दफ़ात मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दके जो जुर्मसे मुतअ़ल्लिकहैं)

सोच विचारकर इस नियतसे कोई बात वगैरह कहना जिससे मज़हब की बाबत किसी शख्सका दिल दुखे– २९८ वह शख्स जिसका मज़-हबकी बाबत दिल दुखाना मक़सूदहो–

ज़रर पहुंचाना ज़ेर दफ़ात ३२३ व ३३४ वह शख्स जिसको ज़रर पहुंचाहो

बेजा तौर पर किसी शख्सकी मज़ाहमत करनी या हब्स में रखना (३४१) व (३४२) वह शख्स जिसकी मज़ाहमत की जावे या जो हब्स में रक्खा जावे–

हमला करना या जबर मुजरमानह का अमल में लाना (३५२) व (३५५) व (३५८) वह शख्स जिस हर हमला किया जावे या जिसकी निस्बत जब्र मुजरमाना अमल में आवें, बतौर नाजायज़ मेहनत करने पर मजबूर करना (३७४) वह शख्स जिससे जबरन मेहनत ली जावे–

नुक़सान रसानी जब कि सिर्फ़ नुक़सान या हर्जा जो,

पहुंचाया जावे किसी शख्स ख़ानगी का नुक़सान या हरजाहो (४२६ व ४२७) वह शख्स जिसको नुक़सान या हर्जा पहुंचाया जावे–

मदाख़लत बेजा मुजर्मानह (४४७) मदाख़लत बेजा बखानह (४४८) } शख्स क़ाबिज़ उस जायदाद का जिसपर मदाख़लत बेजा की जावे

ख़िदमतके मआ़हिदा का नुक़सान (४९०) व (४९१) व (४९२) वह शख्स जिसके साथ मुजरिमने मुआ़हिदा किया हो–

ज़िना मुजरमानह के साथ किसी और त शादी की हुईका……………४९७ या रोक रखना ४९८ } शोहर औरत का

अज़ालये हैसियत उर्फ़ी ....(५००) किसी मज़मून को यह जानकर कि वह मज़ील हैसियत उर्फ़ी होवे ....(५०१) यह जानकर कि इस में ऐसा मज़मून भी फ़रोख़्त करना............(५०२)	वह शख़्स जिसका अज़ालै हैसियत हुवा हो

नक़्स अमन कराने के सबब से तोहीन करना (५०४) वह शख़्स जिसका तोहीन किया जावे—

तख़्वीफ़ मुजर्मानह इल्ला उस सूरत में जब कि जूर्म लायक़ सज़ाय कैद ७ बरसके हो (५०६) वह शख़्स जिसको ख़ौफ दिलायाजाय—

दफ़अ् १५९-बृटिश इंडिया में जायज़ किया गया है कि जुर्म बिल अमद ज़रर पहुंचाने या बिल अमद जरर शदीद पहुंचाने या ऐसे फ़ैल से जरर पहुंचानेका जिससे जान इन्सानको ख़तरा हो या ऐसे फ़ैलसे ज़रर शदीद पहुँचानेका जिससे जान इन्सानको ख़तराहो जिनकी सज़ाएं मजमूअ् ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ् (३२४) या (३२५) या (३३७) या (३३८) में मुक़र्ररहैं बइजाज़त उस अदालतके जिसके रोबरू किसी जुर्म मज़कूरकी नालिश दायरहो उसकी तरफ़से राज़ीनामह परतै किया जावे जिसको ज़रर पहुंचाया गयाहो ।

दफ़अ् १६०-और जब मुक़द्दमह राज़ीनामहके क़ाबिलहै तो उन जुरायम अयानतमेंभी राज़ीनामा हो सकताहै कि जो अयानत कि मुक़द्दमाक़ाबिल राज़ीनामामें की गई हो ।

दफ़अ् १६१-सिवाय जरायम् मुन्दर्जह सदर और किसी मुक़द्दमह में राज़ीनामा नहीं होना चाहिये ।

दफ़अ् १६२-राज़ीनामाकी यह तासीर होगी कि गोया मुलज़िम जुर्म से बरी होगया ।

दफ़अ् १६३-अगर किसी अदालत को दौराने तहक़ीक़ात मुक़द्दमह में शहादत से यह साबित होवे कि मुक़द्दमा उसक़ाबिल है कि उसकी तजवीज़ किसी अदालत बाला दस्त से होनी चाहिये तो वह अदालत अपनी कार्रवाई को बंद करके मुक़द्दमह को मय अपनी रायके उस अदालत में मुर्सिल करेगी ।

दफ़अ् १६४-अगर कोई मुलज़िम जो ज़ेर बाब १२ या १७ मजमूअ् ताज़ीरात हिन्दके पहले सज़ायाब हो चुका हो और दुबारा उस जुर्म में

माख़ूज़ होकर रोबरू अदालत के लाया जावे और अदालतकी यह मन्शा हो कि सज़ाय जुर्म मुर्तकबा से ज़ियादा सज़ा तजवीज़ करनी चाहिये तब वह अदालत अपने से बाला तर रुतबह के अदालत में सुपुर्द करे।

दफ़अ १६५–अगर कोई हाकिम अदालत दौरान् तहक़ीक़ात मुक़द्दमह में शहादत कामिल या उसका कोई जुज़्व ले चुका हो और उसी हालत में उसका तबादिला दूसरी जगह होजावे या फ़ौत होजावे तो उसके जानशीन को जो उसी काम पर अदालतकी रियासत से मुक़र्रर किया गया हो तो उसको इख्तियार होगा कि उस शहादत को जायज़ रक्खे या अज़सर नो शहादत ले या मुक़र्रर गवाहों को तलब करके मुक़र्रर इज़हार ले तब मुलज़िम को इख्तियार होगा कि जिस गवाह का इज़हार हो चुका हो उसको मुक़र्रर तलब कराये।

दफ़अ १६६–हर शख्स जो किसी अदालत फ़ौजदारी में शहादत देनेके वास्ते ख्वाह किसी तरह तलब किया गया हो अगर अदालतके नज़दीक किसी जुर्म का इर्तकाब उसकी तरफ़ से पाया जावे तो उसको रोक ले।

दफ़अ १६७–और जब ऐसा शख्स दौरान् तहक़ीक़ात में रोका जावे तो कार्रवाई अज़सरे नो होगी और इज़हार गवाहों के मुकर्रर लिये जावेंगे।

(बाब पन्द्रहवां)

इज़राय कमीशन बराय क़लमबन्दी इज़हार गवाहान्

दफ़अ १६८–जब किसी मुक़द्दमहकी दौरान् तहक़ीक़ात जो किसी अदालत मजाज़ में होरहीहो और उस अदालतकी रायमें यह बात जरूरी मालूम हो कि किसी गवाहका इज़हार लिया जाना बइग़राज़ इन्साफ़ जरूरी और लाबदहीहै और उसका हाज़िर किया जाना मूजिब तवक्क़ुफ़ ज़ियादह और खर्च रियासत का बाअ़स हो तो उस अदालत को इख्तियार होगा कि उसकी हाज़री से दर गुज़र करें और बन्द सवालात तहरीर करके उस हाकिम अदालत फ़ौजदारी के पास भेजदें कि जो रियासत की तरफ़से उस ज़िलअ में हुकूमत करता हो और मुक़द्दमह को ता वापस बंद सवालात मुलतवी रक्खे।

दफ़अ १६९–वह हाकिम अदालत जिसके पास इस तरीक़ा मज़कूरा के मुआफ़िक़ बन्द सवालत बग़रज़ लिये जाने इज़हार के भेजे जावें उसी तरह कारबन्द और पाबन्द ज़ाब्ता होंगे जैसे वह अदालत कार्रवाई करती जिसने बंद सुवालत बराय तामील भेजे या रवानह किये हैं।

(नमूनह)

(बन्द सुवालात)

अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जह अव्वल मुक़ाम जोधपुर बइजलास क़मरुद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम जोधपुर ।

बमुक़द्दमह अमीरखां वल्द नज़ीर खां — मुद्दई   बनाम फ़ैज मुहम्मद वल्द नूरखां — मुद्दाअलह

अज़रूय हलफ़

(१) सवाल, मामूली

जवाब, मेरा नाम करमइलाही बापका नाम नाज़िर इलाही ज़ात शेख़ उमर ३५ साल सिनकनह जहांनाबाद

(२) सवाल, तुमने बक्र को कभी जैद के पास आमद रफ्त रखते हुए देखाथा

जवाब, हां

(३) कितना ज़माना गुज़रा और क्यामौसिम और वक्तथा अगर तारीख और माह याद हो तो बतलाओ

जवाब—दोसाल का अर्सा गुजरा होगा शायद भादोंका महीना था बारिश हो रही थी रात का वक्त था मेरी मौजूदगी में बक्र आया ।

(४) सवाल—तुम जानते हो कि मज़मूनअज़ाले हैसियत उर्फ़ी किसने मुश्तहर किया और उस मज़मूनके मुश्तहर करनेमें कौन मददगार और मुआविनहै ।

जवाब—बक्रके हामिदव महमूद दोनों मददगारथे ।

(५) अगर तुम चाल व चलनसे बक्रकेवाक़िफ़ होतो बताओ ?

जवान—मैं नहीं जानता

(६) तुमको मालूमहै कि जो अजालैहैसियत उर्फ़ीका जुर्म बनिस्बत बक्रके आयद हुआ किस ग़रज़से कियागया ।

जवाब—मैं नहीं जानता

दस्तख़त करम इलाही वल्द नाज़िर अली

दस्तख़त अदालत जारीकुनंदाके

मैं तसदीक़ करताहूं कि यह इजहार मेरे मवाजह में बिला कम वकास्त वही लिखा गया जो बयान किया ॥

दस्तख़त ख़लीलुल रहमन खां मजिस्ट्रेट दर्जह सोम मुक़ाम पाली

(नमूनह)

रोबकार जिनके ज़रिए से बंद सवालात दूसरी अ़दालत में मुर्सिल होंगे।

रोबकार अ़दालत मजिस्ट्रेटी दर्जेह अव्वल बइजलास क़मरुद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट
दर्जेह अव्वल मुक़ाम जोधपुर मुल्क मारवाड़

ब मुक़द्दमह अमीरख़ां वल्द नज़ीरख़ां बनाम फ़ैज़ मुहम्मद ख़ांनूरख़ां मुद्दा-
मुस्तग़ीस अ़ला मुलज़िम

इल्लत ज़ेर दफ़अ़ (५००) ताज़ीरात हिन्द।

अज़ांजांकि इस मुक़द्दमहमें शहादत लिया जाना गवाहान् (अ) व (ब) का बाग़रा-
त हसूल इन्साफ़ ज़रूरी मालूम होताहै और गवाहान् मज़कूरह अ़दालत के इख्तियारात
हदूद अर्ज़ी से बाहर मसकन पिज़ीर हैं और उनका तलब किया जाना मूजिब तवक्कुफ़
व ताम्मुल मुक़द्दमा का है लिहाज़ा— हुक्म हुआकि
सवालात मन्सालिका ज़रियह नक़ल रोबकार हाज़ा बख़िदमत मुन्शी मुहम्मद
ख़लीलुल् रहमनख़ां साहिब हाकिम अ़दालत फ़ौजदारी मुरसिलहों और तसदिया दिया
जावे कि बराह इनायत बादलेने इज़हार बाज़ाब्तहके जवाबात क़ब्ल अज़ तारीख़ १२
माह जौलाई सन् १८९३ ई० वापस इर्साल फ़र्मावें, फ़क्त—

दफ़अ़ १७०—हरएक मुक़द्दमहमें और हरएक फ़रीक़ मुक़द्दमहको जायज़ होगा कि
अपनी जानिबसे सवालात तहरीर करके उस अ़दालतमें पेशकरे कि
जिसमें मुक़द्दमा दायरहो।

दफ़अ़ १७१—बाद तकमील पाने कमीशनके जो दफ़ात मासुबुक़में मज़कूर हो चुकी हैं
उस अ़दालतमें भेजी जायँगी जिसने कि कमीशन जारी कियाथा और
उसके फ़रीक़ैन मुआयनह या मुलाहिज़ह करनेके मजाज़ होंगे, और
वह शामिल मिसल होंगी।

दफ़अ़ १७२—अगर कोई गवाह उस ख़त्ता मुल्क मुतअ़ल्लिक़ा रियासतसे बाहर सकू-
नत पिज़ीरहो जहां उस रियासतकी हुकूमत नहीं है और वह इलाक़ह
सर्कार अंग्रेज़ी या किसी दूसरे वाली मुल्ककी हुकूमतमें हो दरीं
सूरत वह अ़दालत हाय फ़ौजदारी अपने हुक्काम बालादस्तकी
ख़िदमतमें अपनी तहरीरके ज़रिए से बंद सुवालत को भेज देगा, और

वह अफ़सर आला मसलहत और मुनासिब खयाल करें तो साहब पोलेटिकल एजेंट बहादुरकी ख़िदमत में जो बृटिश गवर्नमेन्टकी तरफ़ से उस खत्ता मुल्क में हस्बुलहुक्म जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर किश्वर हिन्द मुक़र्रर फ़र्माये गये हों भेजदेगा।

(बाब सोलहवां)

(फ़र्द क़रार दाद जुर्म)

दफ़अ़ १७३–फ़र्द क़रारदादजुर्म में वह जुर्म दर्ज किया जावेगा जो मुलज़िम पर आयद हुआ और अगर उस रियासत में कोई क़ानून मुत्तसिल अम्र या मुत्तसिल मुक़ाम नाफ़िज़ हो तो वह जुर्म सिर्फ़ उसी नाम से जो उस क़ानून में मुक़र्रर हो तहरीर किया जावेगा, और इसी तरह तशरीह जुर्म उसी में बातफ़सील लिख देनी चाहिये जिससे मुद्दाअलेह को मालूम होजावे कि किस अमरकी उस पर नालिश है और किस जुर्मकी बाबत वह माखूज़ होकर अ़दालत की रोबरू हाज़िर किया गया है और उन जुराम को भी उस फ़र्द क़रार दाद जुर्म में तहरीर करना चाहिये कि जो उससे उसी किस्मके के पहले भी सरज़द हो चुके हों।

(१) तमशीलात (अ) पर (ब) को ज़रर शदीद ज़ेर दफ़अ़ (३२४) ताज़ीरात हिन्द पहुँचाने की बाबत फ़र्द करार दाद जुर्म अ़दालत बनारही है पस उसमें यह लिखना जरूर है कि (ब) ने (अ) का एक हाथ तलवार से काट डाला और इर्तकाब ज़रर शदीद का किया जिसकी तारीफ़ ताज़ीरात हिन्दकी जेर दफ़अ़ (३२४) में मज़कूर है तमाम दफ़अ़ को जरर शदीद के लफ़्ज बलफ़्ज तहरीर कर्ना जरूर नहीं है–

(२) (ज) ने (ल) को मकान में सरक़ा किया तो फ़र्दकरार दाद जुर्म में यह लिखना होगा कि तुमने फ़लां शख्सके मकान में सर्क़ा का इर्तकाब किया जिसकी सज़ामजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३८०) में मुक़र्रर है।

(३) (द) ने (र) पर हमला व जब्र मुजर्माना का इर्तकाब किया तो फ़र्द क़रार दाद जुर्म में यह लिखना काफ़ी होगा कि तुमने (र) पर हमला व जब्र मुजर्मानह का इर्तकाब किया जिसकी सज़ा मजमूअ़ ताजीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३५२) में मज़कूर है।

दफ़अ १७४–फ़र्द क़रार दाद जुर्म में वक्त और मौक़ा इर्तकाब जुर्म भी जरूर दर्ज करना चाहिये।

दफ़अ १७५–कोई फ़रोगज़ाश्त और भूल जो फ़र्द क़रारदाद जुर्म में वाक़े हो उस से मुक़द्दमह में कोई सकुम न समझा जावेगा बशर्ते कि उस फ़र्द गुज़ाश्त स फ़िल्वाक़े मुलजिम को मुबालिग़ा हुआ हो–

(१) तमशीलात अदालत (ज) और (व) के मुक़द्दमहकी तहक़ीक़ात कर रही है फ़र्द क़रारदाद जुर्म तयारकी और उस में लिखा कि (ज) ने (ह) को ज़रर शदीद पहुंचाया जिसकी तारीफ़ ज़ेर दफ़अ (३२४) मज़कूर है–पस उस में अदालतकी फ़रोगुज़ाश्त है कि उसने यह बात साफ़ तौर पर नहीं तहरीरकी कि किस तरह और किस हथियार से इतकाब जुर्म हुआ–यह सुकुम इस लायक़ नहीं है कि जो मुक़द्दमह को साक्त करदे–या कोई ग़लती सरीही उस में वाक़े हुई हो–

दफ़अ १७६–कोई मुक़द्दमा बवजह ग़लती अदालत हाय मातहत फ़र्द क़रारदाद जुर्मकी तरतीब दिये जाने से बाक़ी रहकर और किसी अदालत बाला में तफ़वीज हुआ हो तो अहलकार अलादत आला को चाहिये कि फ़र्द करारदाद मुरत्तब या तग़ीर तबद्दील करके शामिल मिसल करे।

दफ़अ १७७–जब कोई फ़र्द करार दाद जुर्म किसी वजह ख़ास से बदल की जावे तो ऐसी सूरत में अदालत को ज़रूर होगा कि फ़रीक़ैन मुक़द्दमह को रोबरू बुलाकर उस तग़ीर का हाल ज़ाहिर करे और मुलजिम अगर ख्वाहिश ज़ाहिर करे तो जिस गवाह को मुकर्रर वह तलब करना ज़रूर समझे तलब करके मुद्दल की बाबत इस्तिफ़ सार करे!

(शमूल चन्द इलज़ामात)

दफ़अ १७८–बाबत हर जुम जुदागानह फ़र्द क़रार दाद जुर्म भी अलहदा और तजवीज़ जर्म भी जुदागानह होनी चाहिये।

दफ़अ १७९–जब एक शख्स की निस्बत एकही क़िस्म के एक से ज़ियादह इलज़ाम लगाये जायँ जो एक सालके अन्दर सरज़द हुए हों तो जायज़ है कि उस पर एकही वक्त में चन्द जरायम का इलज़ाम जो तीनसे

ज़ियादा नहीं आयद होकर सबकी एक तज़वीज की जावे जरायम एक ही किस्मके वहहैं जिनके लिये ताज़ीरात हिन्द की दफ़अ़ वाहिद में या किसी क़ानून मुख्तसिल अमर या मुख्तसिल मुक़ाम में एक ही तादाद की सजा मुक़र्रर हो ।

(अ) अगर चन्द वाक़आत जो बाहम ऐसा तअ़ल्लुक़ रखते हैं कि वह एक ही मुआमला होगये हैं एकही शख्स से कई जुर्म सरज़द हों तो जायज़ है कि तकमील फ़र्द क़रार दाद जुर्म जरायम् मज़कूर का और तजवीज़ एकही साथ हो (ब) अगर अफ़ाल ऐसे जुर्म पर मुस्तामिल हों जो बमूजिब क़ानून वक्त दो या चंद तारीफ़ात में दाख़िल हों तो जायज़ है कि एकही तजवीज़ के वक्त हर जुर्म लगाया जावे और हर एक की तजवीज़ की जावे (ज) अगर चन्द अफ़ाल ऐसे हों जिन में से एक या ज़ियादह अफ़ाल फ़र्दन् फ़र्दन् जुर्म या जरायम हों मगर उनका मजमूआ़ एक दूसरा जुर्म हो तो जायज़ है कि जो जुर्म मजमूआ़ अफ़ाल से पैदा न होता हो या वह मिन्जुमला उन अफ़ालके एक या चन्द अफ़ाल से पैदा होता हो एक ही मुक़द्दमह में शामिल होकर उसकी एक वक्त तजवीज़की जावे—

तमशील मुताल्लिक़ा फ़िक़्रा अव्वल ज़ैद एक शख्स खालिद को वलीद कानिस्टबल की हिरासत जायज़ से वलीद को ज़रर शदीद पहुंचाकर छुड़ा ले गया तो ज़ैद पर दफ़अ़ (२२५) और (३३४) की बाबत फ़र्द तहरीर होकर तजवीज़ की जावे, ज़ैदने बनीयत ज़िना एक मकान में बज़रिए नक़्ब वक्त रोज़ दाख़िल होकर बक्र की जोज़ह से ज़िना किया तो दफ़ात (४५४) व (४९०) में अलहदा २ फ़र्द और अलहदा २ तजवीज़ होगी तमशीलात मुताल्लिक़ा फ़िक़रा दोम ज़ैदने बेजा तौर पर ख़ालिद को एक पत्थर मारा तो जायज़ है कि जरायम् दफ़अ (३२३) व (३५२) के जुदा२ फ़र्द और तजवीज़ हो—

ज़ैदने अपने तिफ़्ल को बदीं इल्म छोड़ा कि वह फ़ैल बाअ़स हलाकत तिफ़्ल होगा और वह लड़का मरगया तो जायज़ है कि जरायम दफ़अ़ (३१७) व (३०४) के जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तजवीज़ हो—

तमशीलात फ़िक़्रासोम, ज़ैदने बक्रपर सर्क़ा बिल्जब्र किया और वक्त इर्त्तेकाब सर्क़ा बिलजब्रबाला ज़रुर पहुंचाया जायज़ है कि बाबत जरायम दफ़ात (३२३) व (३९२) व (३९४) जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तजवीज़ हो—

दफ़अ १८०–अगर चन्द ऐसे फ़ैल हों जिनसे यह शुभा हो कि जो दफ़ात साबित हो सकते हैं मिन्जुम्ला चन्द जरायम कौन जुर्म जरायम क़रार दिया जावे जायज़ है कि उनमेंसे मुलज़िम पर किसी जुर्मका इलज़ाम लगाया जावे और ऐसे इलज़ामात की तजवीज़ फ़ौरन् हो सकती है या बजाय उसके जरायम मज़कूर में से किसी एकके इर्तकाबका इलज़ाम हो सकता है।

दफ़अ १८१–अगर बसूरत दफ़अ बाला मुलज़िम पर एक इलज़ाम किया जावे और शहादतसे इर्तकाबकी और जुर्मका जो हस्ब अहकाम दफ़अ मज़कूर उस पर इलज़ाम हो सकता था पाया जावे तो जायज़ है कि इर्तकाब जुर्म मुसब्बिताका हुक्म सबूत सादर किया जावे गो उसपर उस इलज़ाम की नालिश नहीं की गईथी।

मसलन् निस्बत ज़ैद फ़र्द क़रारदाद जुर्म सर्क़ाकी बाबत लिखी गईथी और साबित हुआ कि उसने ख़यानत मुजरमानह किया था तौ जायज़ है कि वह ख़यानत मुजरमानहका मुजरिम क़रार दिया जावे गोकि इलज़ाम मज़कूरकी फ़र्द नहीं तहरीर हुई॥

दफ़अ १८२–जब फ़र्द क़रारदाद जुर्म में ऐसा जुर्म लगाया जावे जो मजमूअ चन्द जरायम काहो और उनमेंसे सिर्फ़ चन्द जरायम शामिल होकर एक जुर्म खफ़ीफ़ की हद तक पहुँचते हों और अजज़ा साबित हों तो ऐसी सूरतमें लाज़िम है कि जुर्म ख़फ़ीफ़ा साबित क़रार दिया जावे, गो कि फ़र्द क़रारदाद जुर्म में उस जुर्मका इलज़ाम न लगाया गया हो और जब ऐसे हालात साबित हों कि जुर्म मुन्दर्जेह फ़र्द बक़द्र एक जुर्म ख़फ़ीफ़के होजाये तो भी जुर्म ख़फ़ीफ़ साबित किया जावे, गो वह फ़र्द क़रारदाद जुर्म में न लिखागया मगर इस दफ़अकी कार्रवाई उन जरायमसे मुतअल्लिक़ होगी जो जरायम अज़रूय इस्तग़ासा क़ाबिल समाअत नहीं और अदालत अज़ खुद उन जरायमकी कार्रवाई नहीं कर सकती।

दफ़अ १८३–जब चन्द अशख़ास पर जुर्म वाहिद या जरायम मुख़तलिफ़का जिसका इर्तकाब मुआमला वाहिदमें हुआ हो इलज़ाम लगाया जावे या जब एक शख़्सपर इलज़ाम इर्तकाब जुर्म और दूसरेपर अयानत या इक़दाम जुर्म मज़कूर का लगाया जावे तो जायज़ है कि बाबत जरायम मज़कूर फ़र्द जुर्म और तजवीज़ सबूत शामलात हो या जुदा जुदा॥

दफ़अ १८४–जब एकही शख़्सपर चन्द इल्ज़ाम जुर्म क़ायम किये जाय और तज-वीज़ एक या चंद जरायमके हो तो मुस्तग़ीस या ख़ुद अदालत बाक़ी मांदा जरायम से दस्तबर्दार होगी ।

(नमूना फ़र्दक़रार दाद जुर्म)

मैं रफ़ीउद्दीन हैदर हाकिम अदालत फ़ौजदारी इस तह-रीरकी रूसे तुम लछमनसिंह वल्द नरायनसिंह क़ौम राजपूत सिकनह जोधपुर पर हस्ब तफ़सील ज़ैल इल्ज़ाम क़ाइम करताहूं कि तुमने बतारीख़ २५ माह सितम्बर सन् १८९३ ई. बवक़ आठ बजे शबके या उसके क़रीब बख़ानह मुसम्मी अमीरचंद सिकनह जोधपूर के सर्क़ा मालियत पांच सौ (५००) रुपये का इर्तकाब किया, लिहाज़ा तुम उस जुर्मके मुर्तकब हुये जिसकी सज़ा मजमूअ ताज़ी-रात हिन्दकी दफ़अ (३८०) में मुक़र्रर है और वह इस अदालतकी समाअतके लाइक़ है और मैं इस तहरीर के ज़रियेसे हुक्म देता हूं कि तुम्हारी तजवीज़ बर बिनाय इल्ज़ाम मज़कूर अदालत मजकूर के रोबरू अमलमें आवे ॥ अल्मर्क़ूम २८ सितम्बर सन् १८९३ ई०

दस्तख़त हाकिम सय्यद रफ़ीउद्दीन हैदर अदालत फ़ौजदारी ॥

मुहर.

(और जब चन्द जरायम हो तो तफ़सील मुफ़स्सिल तौर पर दर्ज होनी चाहिये)

(बाब सत्तरहवां)

(कार्रवाई व मुक़द्दमात क़ाबिल इजराय समन)

दफ़अ १८५–जो मुक़द्दमह क़ाबिल इजराय समन अदालतके रोबरू पेश हों उसमें अदालतोंको इस तरह कार्रवाई करनी वाजिब है कि एक तारीख़ समाअत और हाज़री फ़रीक़ैनके लिये अदालतसे मुक़र्रर होकर मुस्तग़ीसको बरोज़ मुक़र्ररह हाज़िर होनेकी हिदायतकी जावेगी ।

दफ़अ १८६–बरोज़ मुक़र्ररह फ़रीक़ैन रोबरू तलब किये जावें और इस्तग़ासा जो मुस्तग़ीसकी जानिबसे अदालतमें पेश हुआ या बाद इस्तग़ासा अगर कोई इज़हार इज़रूवे हलफ़ बा क़रार सालह मुस्तगीस का

लियागया हो वह लफ़्ज़ बलफ़्ज़ मुलज़िमको सुनाया और समझाया जावेगा और मुलज़िमसे पूछा जावे कि वह इस बात की वजह ज़ाहिर करे कि उसको जुर्म मज़कूरका क्यों मुंजरिम न ठहराया जावे अगर मुलज़िम जुर्मसे इक़बाल करे तो वह इक़बाल उसका लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ उसी तरह क़लम बंद होगा, जिस तरह मुलज़िम बयान करे और अदालत उसी वक़्त बशर्ते मुनासिब और अगर मुलज़िम जुर्मसे मुनकिर हो और कोई वजह न बयान करसके कि उसको मुलज़िम क्यों न गर्दाना जावे तो अदालतको चाहिये कि मुलज़िमकी बनिस्बत सबूत जुर्म करे ॥

दफ़अ़ १८७—अदालत उस वक्त मुस्तग़ीसका इज़हार क़लमबंद करे और तमामी अमूर बनिस्बत इस्तग़ासा मुस्तग़ीससे दर्याफ्तकरे जिससे असली हैसियत मुक़द्दमहकी बख़ूबी ज़ाहिर होजावे और बताईद इस्तग़ासह जो कुछ शहादत पेशहो वह बमवाजह मुलज़िम ली जावे ।

दफ़अ़ १८८—जो गवाह उस वक्त हाज़िर अदालत नहीं बज़रिए समन तलब किये जावें और अगर किसी शै या किसी दस्तावेज़की ज़रूरतहो उसके पेश किये जानेके लिये बतैय्युन तारीख़ अहकाम जारीकरे ।

दफ़अ़ १८९—उमूमन् ऐसे मुक़द्दमातकी बाबत तमाभी मसारिफ़ जो गवाहानकी तलबी और हाज़री अदालत ज़रूरहों वह मुस्तग़ीससे क़ाबिल वसूल होंगे ।

(नमूना समन बग़रज़ हाज़री गवाह)

बनाम मुसम्मी इनायतुल्लाख़ां वल्द फ़ैज़ुल्लाख़ां साकिन जालौर इलाक़ह मारवाड़ ।

हरगाह हमारे रोबरू नालिश हुई है कि मुसम्मी रामदयाल वल्द किशनदयाल साकिन जोधपुरसे जुर्म हमला व जबर मुजरमानह ज़ेर दफ़अ़ (३५२) ताज़ीरात हिन्दका मुर्तकिब हुआहै (या उसके इर्तकाबका उसपर शुभाकिया गयाहै) और हमको मालूम हुआहै कि तुम मुस्तग़ीसकी तरफ़से शहादत मुतअ़ल्लिक़ा अमूराहमदे सकोगे, लिहाज़ा तुम्हारे नाम समन भेजाजाताहै कि तारीख़ १७ माह अगस्त सन् १८९३ ई० आयन्दहको दो पहरसे पहले दस (१०) बजेके इस अदालतमें इस ग़रज़से हाज़िरहो कि नालिश मज़कूरकी बाबत जो कुछ तुमको मालूम हुआहै उसकी

निस्बत शहादतदो और बिला इजाज़त अ़दालतके वहांसे चले न जाओ, और तुमको बज़रिए इसके ताकीद की जातीहै कि अगर तुम बिलावजह जायज़ तारीख़ मज़कूर पर हाज़िर होनेसे ग़फ़लत या इन्कार करोगे तो तुम्हारी हाज़री बिलजब्रके लिये वारन्ट जारी होगा ॥ आज बतारीख़ १० माह अगस्त सन् १८९३ ई० हमारे दस्तख़त और अ़दालतकी मुहरसे जारी किया गया ॥

मुहर

दस्तख़त रामनरायन मजिस्ट्रेट दर्जह सोम
मुक़ाम जालौर

दफ़अ़ १९०–जब तमाम शहादत अज़ जानिब इस्तग़ासा पेश हो चुके तब मुलज़िम का इज़हार लिया जावेगा और जो कुछ शहादत मुलज़िम पेश करे वह ज़ब्त तहरीर में आवेगी–मगर ऐसे मुक़द्दमात में फ़र्द क़रारदाद जुर्म मुरत्तब करने की अ़दालत को ज़रूरत न होगी।

दफ़अ़ १९१–सबूत फ़रीक़ैन की तरफ़ से पेश होजाने पर अ़दालत उन तमाम अमूरको जो शहादतसे ज़ाहिर हों पेश नज़र करके अगर मुलज़िम दरहक़ीक़त मुजरिम साबित है तो सज़ाय मुनासिब तजवीज़ करे वर्ना बरियतका हुक्म सादिर करेगी।

दफ़अ़ १९२–मुमकिन है कि इस्तग़ासा ज़ररका किया गया और हमला मुजरमानह साबित हुआ या हमला का इस्तग़ासा किया गया और ज़रर साबित हुआ ऐसी हर दो सूरत में अ़दालत को फ़ैसले का इख़्तियार हासिल है ख़्वाह इस्तग़ासह में कुछही बयान किया गया हो।

दफ़अ़ १९३–ऐसे मुक़द्दमात में अगर फ़रीक़ैन बरोज़ पेशी मुक़द्दमा बशर्ते कि उनको हस्ब ज़ाब्तह हुज़ूर अ़दालत के वास्ते हिदायत की गई हो हस्ब क़ायदा आवाज़ दिये जानेपर हाज़िर व मौजूद नही पाये जायँ तो अ़दालत मुक़द्दमहको ख़ारिज करदे या वजूह ख़ास मुक़द्दमहकी इल्तवा का हुक्म दे।

दफ़अ़ १९४–अगर मुस्तग़ीस क़बूल अज़ सुनाये जाने फ़ैसला अ़दालतके इस्तग़ासह से दस्तबर्दारी ज़ाहिर करे तो अ़दालत मुलज़िमको बरी करदे ऐसी दस्तबर्दारी तहरीरी होनी चाहिये न कि तक़रीरी।

दफ़अ १९५–जो मुक़द्दमात सिवाय इस्तग़ासा और किसी ज़ारिएसे दायरहों उनको भी अदालत अगर वजूह काफ़ीहों और जो ज़ब्त तहरीरमें आयेंगी ख़ारिजकरे और मुल्ज़िमको बरी करनेकी मजाज़है।

दफ़अ १९६–दफ़ा जिसका पहले ज़िक्र हुआ उन मुक़द्दमातसे मुताल्लिक़ न समझी जावेगी जिसमें कि रियासतकी तहक़ीर या हुक्म उदूली वग़ैरहहो उसमें राज़ीनामा तहरीरी या तक़रीरी क़ाबिल पिज़ीराय अदालत न होगा।

(जरायम क़ाबिल समन)

अयानत

(१०९) लग़ायत (१२०) अगर असल जुर्म काबिल समन है तो अयानत भी क़ाबिल समन समझो–

(जरायम मुतअल्लिक़ा अफ़वाज बहरी व बर्री आसूदगी अम्मा ख़लायक़)

(१३७ व १४९) व १४३ व (१४९ व १५०) अगर असल जुर्म काबिल समन न हो)

१५१ व १५३ व १५४ व १५५ व १५६ व १५७ व १५८ व १६०।

(जरायम जो सर्कारी मुलाज़िमोंसे सर्ज़दहों)

१६१ लग़ायत १६९ व १७१

(सर्कारी मुलाज़िमोंके इख़्तियारातजायज़की तहक़ीर)

१७२ लग़ायत १९० सिवाय १९१ के

(झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादलत आम्मा)

२०२ व २१७ व २२३ व २२७ व २२८ व २२९

(जरायम मुताल्लिक़ बाटों व पैमानोंके)

२६४ लग़ायत २६७

(आम्मा ख़लायक़की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आदात)

२६८ लग़ायत २८० व २८२ लग़ायत २९१ व २९४ (अ) व २९४ (ब)

(जरायम मुतअल्लिक़ा मज़हब)

१९५ लग़ायत २९८

(जरायम ज़रर)

३२३ लग़ायत ३२६ व ३३४ व ३३५ व ३३६ व ३३७ व ३३८

(मज़ाहमत बेजा व हब्स)

३४१ लगायत ३४८ ....

(जरायम जब्र मुजर्मानह और हमला)

३५२ व ३५४ व ३५५ व ३५७ व ३५८

(ज़िना बिल्जब्र जब मर्द अपनी जोज़हके साथ जिमा करे)

३७६... ....

(नुक़सान रसानी)

४२६ ....

(मदाख़लत बेजा बख़ानह)

४४७ ....

(हर्फों और मिल्कियतके बयानात)

४८४ व ४८५ व ४८६ व ४८७ व ४८८ व ४८९ ....

(ख़िदमतके मआहिदोंके नुक़्ज़ मुजर्मानह)

४९० व ४९१ व ४९२ ....

(जरायमके इर्तकाब करने का इक़दाम)

५११ अगर असल क़ाबिल समन है तो इकदाम भी क़ाबिल समन तसव्वुर करना चाहिये।

बाब अठारहवां

(कार्रवाई व मुक़द्दमात क़ाबिल इजराय वारन्ट)

दफ़अ़ १९७ मुक़द्दमात क़ाबिल इजराय वारन्ट में ज़ाब्तह ज़ैल मरई रहेगा—

दफ़अ़ १९८—फ़रीकैन रोबरू अदालत के हाजिर आयें—तो अदालतको चाहिये कि बयान मुस्तग़ीस का अच्छी तरह सुने और ज़ब्त तहरीर में लायें, और उन सब बातों को इस तरह इस्तिफ़सार करे कि कोई अमर फ़रो गुज़ाश्त न हो जाय— जिस से तमाम हैसियत सूरत मुक़द्दमह की कमाहक़ा पाई जावे—और नाम वाक़िफ़कारान् मुकद्दमा के भी उसी इज़हार में ज़ाहिर होजायँ यह इजहार शामिल मिसल किया जावे।

दफ़अ् १९९—एक तारीख़ समाअ़त मुक़द्दमा के लिये अ़दालत मुक़र्रर करके फ़रीक़ैन को बरसर इजलास इत्तलाअ् देगी—और जिन गवाहान की शहादत ज़रूरी हो उन गवाहान् की तलबी के वास्ते समन जारी करेगी।

दफ़अ् २००—रोज़ मुक़र्ररह फ़रीक़ैन अ़दालत के रोबरू तलब हों और सिलसिलहवार हरएक का इज़हार यके बाद दीगरे रोबरूय अ़दालत क़लमबन्द हों और बाद क़लमबन्दी इज़हार फ़रीक़ैन को सवालात जिरह करने का इख़्तियार हासिल होगा।

दफ़अ् २०१—जब अ़ज जानिब इस्तग़ासा तमाम शहादत पेश हो चुके तो मुलज़िम का इज़हार क़लमबन्द किया जावे।

दफ़अ् २०२—बाद इज़हारनवीसीके अ़दालत को जो सवालत ज़रूरी मालूम हों मलूज़िम से करे।

दफ़अ् २०३ अगर बाद क़लमबन्दी इज़हार मुलज़िम ब दानिश्त अ़दालत इस्तग़ासाना पायदार या बेबुनियाद या ग़ैर सबूत पायाजावे तो अ़दालत मुलज़िम को हुक्म रिहाई का देगी।

दफ़अ् २०४—वर्ना फ़र्द क़रारदादजुर्म मुरत्तब होकर मुलज़िम को सुनाई और समझाई जावेगी, और उस से पूछा जावेगा कि तुम मुजरिम हो या जबाब दही करना चाहते हो, अगर मुलूज़िम, मुजरिम न होने का इक़बाल करे तो वह इक़बाल लिखलिया जावे, और तजवीज़ हुक्म सज़ा सादिर करे।

दफ़अ् २०५—अगर मुलज़िम जुर्म से मुनकिर और सबूत पेश करने पर आमादा हो तो उसको हिदायत की जावेगी कि वह अपनी जवाब दही में मसरूफ़ होकर अपना सबूत पेश करे ऐसी तहक़ीक़ातके वक्त मुलूज़िम को इख़्तियार हासिल रहेगा कि जो गवाह मुस्तग़ीस एक मर्तबा इज़हार दे चुके हैं, और अहातए अ़दालत में मौजूद हैं उनको मुक़र्रर तलब करके सवालात जिरह मुलूज़िम की जानिब से किये जावें।

दफ़अ् २०६—मुलूज़िम बयानात तहरीरी या और कोई दस्तावेज़ पेश करे वह शामिल मिसल की जावेगी और उस पर उसी वक्त हाकिम अदालत के दस्तख़त सब्त होंगे।

दफ़अ २०७—जो गवाह मुलज़िम के अहातए अदालत में मौजूद न हों उनको हाज़िरि ज़रिए समन गैर मुमकिन होतो हुक्मनामा जबरन् बग़रज़ हुज़ूरी अदालत से जारी होगा मसारिफ़ हुक्मनामा ज़ात मुलज़िम की तरफ़ से दाख़िल कराये जावेंगे—जबकि मुलज़िम का ऐसे गवाहान् की तलबी का बाअस होना मूजिब ईज़ारसानी या तकलीफ़ दही या तज़ीअ औक़ात अदालत हो तब अदालत ऐसी दख़्वास्त को नामंज़ूर भी कर सकती है।

दफ़अ २०८—बाद तकमील शहादत जानबी मुलज़िम अदालत को तमाम शहादत मौजूदए मशमूला मिसल पर फिर नज़रसानी करनी चाहिये और बाद ख़ोज़ व ग़ोर के हुक्म सज़ा या बरीयत का सादिर करे।

दफ़अ २०९—जो मुक़द्दमात मुताल्लिक़ा बाबा हाज़ा ब मसालहत तै हो सकते हों वह मुक़द्दमात अदालत बवजह अदम हाज़री मुस्तग़ीस बरोज़ पेशी मुक़द्दमा ख़ारिज करे।

(तफ़सील जरायम् क़ाबिल वारन्ट हस्ब ज़ैल हैं)

जरायम अआनत इब्तदाय १०९ लग़ायत १२०अगर असल जुर्म काबिल वारइन्ट है तो अआनत भी क़ाबिल वारन्ट है जरायम खिलाफ़ वर्जी या सर्कार के बयानमें (१२१ लग़ायत १३०)।

जरायम अफ़वाज बहरी ब बरा के बयानमें इब्तदाय१३१ लग़ायत १३६ व १३८ व १४४ व १४५ व १४६ व १४७व १४८ व १५२ व १५३ व १५७ व १७०

झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मआदलत आम्मा के बयान में (१९३लग़ायत २०१ ग २०३ लग़ायत २१६ व २१८ लग़ायत २२२ व २२४ लग़ायत २२६) उन जुर्मों के बयान में जो सिक्का और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुताल्लिक हैं (२३१ लग़ायत २६३ व २९२ २९३ व २९४।

आम्मह खलायक़ की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आदालत मवस्सरहैं (२८१)।

जरायम् जो इन्सान के जिस्म व जान पर मवस्सर हैं (इब्तदाय (३०२ लग़यत ३११)।

जनीन को ज़रर पहुंचाना और लड़कों को बाहर डालदेने और अख़फाय तवल्लुद के बयानमें (३१२ लग़ायत ३१८)

ज़रर (३२७ लग़ायत ३३३)

जबूर मुजर्मानह और हमला (३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५७)

इन्सानको ले भागने या जबरन् बहका ले जाने और गुलाम बनाने और बजब्र मेहनत लेनेके (३६३ लग़ायत ३७४)

ज़िना बिलजब्र (३७६ व ३७७) अगर मर्द अपनी औरत के सिवाय किसी दूसरे से ज़िना बिलजब्रकरे—

जरायम् जो माल से मुताल्लिक़ हैं (३७९ लग़ायत ३८२)

इस्तहसाल बिलूजब्र (३८४ लग़ायत ३८९)

सर्क़ा बिलूजब्र व डकैती (३९२ लग़ायत ४०२)

मालका तसर्रुफ़ बेजा मुजर्मानह (४०३ लग़ायत ४०४)

फ़रेब मुजर्मानह (४०६ लग़ायत ४०९)

माल मसरूक़ा का लेना (४११ लग़ायत ४१४)

दग़ा (४१७ लग़ायत ४२०)

फ़रेब आमेज़ और माल का फ़रेबन् क़ब्ज़ासे अलहदा करना (४२१ लग़ायत४२४)

नुक़सान रसानी (४२७ लग़ायत ४४०)

मदाख़लतबेजा बख़ानह मुजर्माना (४४८ लग़ायत ४६२)

जरायम् दस्तावेज़ों और (४६५ लग़ायत (४७७) ४८२ लग़ायत ४८३)

जरायम् जो अज़्दवाज़ से ताल्लुक रखते हैं (४९३ लग़ायत४९८)

अजालह है सियत उर्फ़ी ८५०० लग़ायत ५१०)।

जरायम खिलाफ़ वर्ज़ी हर्फ़ोंका इक़दाम अगर जुर्म क़ाबिल वारन्टहै तो इक़दाम की बाबत भी मामूलन् वारन्ट जारी होगा—

तजवीज़ व फ़ैसला।

दफ़अ़ २१०—बाद इख़तताम कार्रवाई मुन्दर्जह बाज हाय मुक़द्दमात क़ाबिल समन व वारन्ट में हर एक अदालत फ़ौजदारी को इख़्तियार कुल्ली हासिल होगा कि उसी रोज या किसी तारीख मुअय्यना पर जिसकी फ़रीक़ैन मुक़द्दमह को इत्तलाअ़ दी जावेगी फ़ैसला पढकर सुनाय अगर मुलज़िम ज़ेर हिरासत हो तो अफसर मजलिस की मार्फ़त उसकी तलबी अमलमें आवेगी।

दफ़अ़ २११—फ़ैसला अदालत में वह तमाम हालात और वजूह मुफ़स्सलन् दर्ज होंगे जो मुक़द्दमा से ताल्लुक़ रखते हों और उस में वह जुर्म तहरीरन् तहरीर होना चाहिये जिसकी सज़ा मजमूअ ताज़ीरात हिन्दसे क़ानून

मुख्तिसउल अम्र या मुख्तिसुल मुकाम की रूसे दीजाती हो अगर मुलज़िम बरी किया जावे तो उसकी बरीयत की वजूह तहरीर की जावेंगी।

दफ़अ २१२–अगर मुलज़िम को सज़ाय मौत किसी अदालत मजाज़ से या कबूल मंजूरी हुक्काम आला रियासत या उन बृटिश अफ़सरान् मुकर्रर फ़र्मूदा गवर्नमेन्ट हिन्द जो किसी माहादा नाफ़िज़ुल वक्त गवर्नमेंट दी जाती हो तो हुक्म में यह हिदायत होगी कि मुलज़िम इस क़दर अर्सह तक गलूबस्ता लटकाया जावे कि दम निकल जावे।

दफ़अ २१३–तजवीज़ मुलज़िम को पढ़कर लफ़्ज बलफ़्ज इत्मीनान् के साथ सुनाई जावेगी अगर मुलज़िम न समझता हो तो उसको उसकी ज़बान में तर्जुमा होकर बतलाया जावेगा, और अगर वह नकल की दरख्वास्त करे तो नक़ल दी जावेगी मुक़द्दमात वारन्ट में कोई फ़ीस मुलज़िम से वाजिबुल् वसूल न होगी और मयाद अपीलसे मुज-रिम को उसी वक्त आगाह कर दिया जावेगा।

दफ़अ २१४–असल तजवीज़ शामिल मिसल होगी मय उस तर्जुमह के जो मुल-ज़िम के समझानेके वास्ते अदालत ने कियाथा।

दफ़अ २१५–बाद तहरीर फ़ैसलह व दस्तख़त किये जाने के कोई अदालत किसी क़िस्मका तग़ीरो तबदील या कुछ नज़रसानी फ़ैसलह में नहीं कर सकेगी (इल्ला गलत अलफाजीकी सेहत)।

दफ़अ २१६–अदालत हाय बाला को लाज़िम है कि किसी हुकूमत के मुक़द्दमह मफ़ूजा में जो हुक्म सादिर करे उसकी एक नक़ल उस हाकिम के पास मुरसिल करे जिसने इब्तदन् तजवीज मुलज़िम की हो।

(इन्तख़ाब अज़ एक्ट मयाद नम्बर १५ सन् १८७७ ई०)

१५० बमूजिब मजमूअ ज़ाब्तह फ़ौजदारी अपील हुक्म सज़ाय मौत	७ योम	तारीख़ हुक्म सज़ा से
१५४ अपील किसी अदालत में बग़ैर अदालत दर्बार महकमह ख़ास	३० योम	उसकी सज़ा या हुक्म की तारीख़ से जिसकी नाराज़ी से अपील हो
१५५ अपील ब अदालतुल आलियां दर्बार।	६० योम	तारीख़ हुक्म सज़ासे

(१५७) अपील बनाराज़ी तजवीज़ात बमूजिब मजमूअ़ ज़ाब्तह फौजदारी, ६महीने उस तजवीज़की तारीख़ से जिसका अपील हो—

(नमूना)

फ़ैसला अ़दालत फ़ौजदारी ज़िला अजैगढ़ बइजलास पंडित गोपीचन्द मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल ज़िला अजैगढ़ मुल्क राजपूताना॥

मवर्रख़ह १८ सितम्बर सन् १८९४ ई.

बमुक़द्दमह नम्बर (१०८)

नसीरुद्दीन वल्द अमीरुद्दीन ज़ात मुसल्मान शेख़ सिकनह भानपुरा मुस्तग़ीस	पन्नालाल वल्द चुन्नामल-सिकनहकबरी गंज मुल्ज़िम

जेर दफ़अ़ (४९८) ताज़ीरात हिन्द।

यह मुक़द्दमा अ़दालत हाज़ा में ५ जून सन् १८९४ ई० से बर बिनाय इस्तगास मुस्तग़ीस दायर हुआ—

इस्तग़ासा यह है कि मुल्ज़िम ज़ोजह मुस्तग़ीस को पिदर मुस्तग़ीसकी वलायतसे अदम मौजूदगी मुस्तग़ीस बतारीख़ २ जून सन् १५९४ ई० बनीयत मुजमीना फ़ुसला-कर अमीर पुरा ज़िला अजैगढ़ में फ़रार करके लेगया—

बर्तबक़ इस्तग़ासा पेश होने के इज़हार हलफ़ी मुस्तग़ीस का क़लमबन्द होकर वारन्ट गिरफ्तारी का बनाम मजिस्ट्रेट दर्जह सोम बमुकाम अमीरपुरा ज़िला अजैगढ़ जारी हुआ और तारीख़ ७ माह जून सन् को मुल्ज़िम बाद गिरफ्तारी अ़दालत हाज़ा के रोबरू व हाज़िर किया गया तमाम शहादत पेश करदा जानबी मुस्तग़ीस से यह पाया जाताहै कि मुल्ज़िमने ज़ोजह मुस्तग़ीस को वलायत पिदर मुस्तग़ीस से फुसला-कर फ़रार किया मगर मुल्ज़िम ने बयान किया कि ख़ैरुलनिसां एक बाजारी फ़ाहिशा औरत मुस्तग़ीस के मकान में ख़ानह अन्दाज़ है मुस्तग़ीस के साथ शादी नहीं हुई वक्तन् फवक्तन मेरे मकान परभी आमद व रफ़्त रखती थी ख़ैरुलनिसां की रज़ामन्दी से उसको अमीर पुरा लेगया था ना जायज़ तौर पर फ़रार नहीं किया,और मुस्तग़ीसको कुछ इस्तहक़ाक़ मुसम्मात ख़ैरुलनिसां के रखने और उसकी ख़िला फ़मर्ज़ी रोकने का नहीं है—

करीमन् और नसीबन् बयान करती हैं कि दरहक़ीक़त मुसम्मात ख़ैरुलनिसां अर्सह दराज़ तक बाला ख़ानह पर बैठकर पेशा करतीथी और नसीरुद्दीन मुस्तग़ीस की अर्सह से आशनाई चली आती है और अब ख़ानह अन्दाज़ है निकाह शरई नहीं

हुआ यह बाज़ार में बेपर्दा निकलती है और हमारे रोबरू मुसम्मात खैरुलनिसां ने मुल्ज़िमसे चाहाथा कि उसको अमीर पुरा लेजावे -नज़ीर अहमद और फ़कीर बेग मुत्तफ़िक्कुल लफ़्ज़ बयान करते हैं कि जिस शब को फ़रार होना इस्तग़ासह की तरफ़ से बयान किया गया है उस शब को खैरुलनिसां मुल्ज़िम के मकान पर आईथी और मुल्ज़िम से हमारे रोबरू और समाअत में कहाथा कि अमीरपुरा मुझको अपने हमराह ले चलो चुनाचे मुलज़िम ने वादा किया निकाह होनेसे लाइल्मी ज़ाहिर की—

मुस्तग़ीस के पास कोई सबूत निकाह का नहीं है क़ाज़ी शहर से एक रजिस्टर पेश किया जिसके मुलाहज़े से मालूम होता है कि मुस्तग़ीस ने एक दूसरी औरत के साथ निकाह किया था जिसका नाम ३५ नम्बरपर नुरुलनिसां बिनते अशरफ़खां तहरीर है क़ाज़ी मज़कूर हल्फ़न् बयान करता है कि यह वह औरत नहीं है जो इसवक़्त अदालतके रोबरू मौजूद है, चूंकि ज़ेर दफ़अ़ (४९८) ताज़ीरात हिन्द औरत मफ़रूरा का जिसको कोई शख़्स बनीयत मुजर्माना फ़रार करके उड़ा ले जावे मन्कूहा होना ज़रूर है और शहादत से साबित नहीं हुआ—इन वजूहसे मुलज़िम बे गुनाह है।

हुक्म हुआकि

मुलज़िम को रिहा किया जावे मुक़द्दमा पेशीसे ख़ारिज होकर दाख़िल दफ़्तर होवे ॥ फ़क़ ॥

(बाब उन्नीसवां)

(तहक़ीक़ात मुक़द्दमात क़ाबिल तजवीज़ अदालत हाय आ़ला)

दफ़अ़ २१७—अजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या जूडीशल आफ़ीसरको चाहिये कि जो मुक़द्दमात क़ाबिल तजवीज़ अदालत हाय आ़ला और महकमह ख़ासके हैं उनकी तहक़ीक़ात करे, फ़िर जो मुक़द्दमा लायक़ सुपुर्दगी अदालत आ़लाके हो वह अदालत आलामें—और जो मुक़द्दमा महकमह ख़ासके सुपुर्द करनेके लायक़ हों वह महकमह ख़ास में तजवीज़ करनेके लिये सुपुर्द करे।

दफ़अ़ २१८—जो हाकिम कि मजाज़ ऐसे मुक़द्दमात करनेके हैं वह तमाम सबूत जो मिन्जानिब इस्तग़ासा पेश किया जावे—उसी तरीक़से क़लम बन्द करनेके बाद कि जो क़बल अर्ज़ी मज़कूर हो चुका है शामिल मिसल करेंगे।

दफ़अ़ २१९–फिर इज़हार मुलज़िम और तमाम शहादत तक़रीरी व तहरीरी जिस तरह कि मुलज़िमकी ख्वाहिश हो अ़दालतको तहरीर करनी चाहिये।

दफ़अ़ २२०–दस्तावेज़ पेश करने और गवाहान् के जबरन् हाज़िर होनेके लिये बशर्त ज़रूरत उसी तरह अहकाम अ़दालत की तरफ़से जारी होंगे जैसा कि मुक़द्दमात वारन्ट के बाबमें मज़कूर हो चुका है–जब तमाम सबूत व शहादत पेश करदा फ़रीक़ैन क़लमबन्द हो चुके–और वह दस्तावेज़ात जिनकी फ़रीक़ैन की तरफ़से पेश करने की ज़रूरत हो अ़दालत हासिल कर चुके उस वक्त अ़दालत को उस तमाम कार्रवाई पर बखूबी गौर करना चाहिये कि आया मुलज़िम पर इल्ज़ाम क़रार दादह की बाबत सबूत कामिल है या नहीं, और अगर ऐसा जुर्म निस्बत मुलज़िम आयद न हो और वह वजूह सुपुर्दगी मुलज़िम काफ़ी न हो तो मुलज़िम को हुक्म रिहाई का दे दिया जावेगा और यह रिहाई भी बवजूह अ़दालत के हाथ से ज़ब्त तहरीरमें आयेगी।

दफ़अ़ २२१–अगर मुलज़िमके सुपुर्द करनेकी काफ़ी वजूह मौजूद हों तब अ़दालत एक फ़र्द क़रारदादजुर्म मुरत्तिब करके मुलज़िम को सुनायेगी और समझा देगी और अगर फिरभी मुलज़िम अपनी बरीयत में गवाहान् पेश करना चाहता हो तो उस से एक फ़र्द गवाहान् मतलूबा की तहरीर कराई जावेगी और अगर अ़दालत को मुनासिब मालूम होतो हस्ब फ़र्द पेश करदाके गवाहान् को तलब करके इज़हार ले सकती है।

दफ़अ़ २२२–जांबाद मुलज़िम के सुपुर्द करनेकी वजूह तहरीर करे और उन वजूह के हमराह हस्बज़ैल कागज़ात अ़दालत हाय आ़ला या महकमह खास में मुरसिल होंगे।

(अ) एक नक़ल फ़र्द क़रारदादजुर्म–

(ब) कलन्दरह–

(ज) तमाम असल कागज़ात याने–

(१) शहादत गवाह तिब्बी

(२) इज़हार मुलज़िम

(३) शहादत उस गवाहकी जिस पर दार मदार सुपुर्दगी हो–

(४) सार्टिफ़िकट जुर्म साबिक़ा वग़ैरह–

कलन्दरा बग़रज सुपुर्दगी रतनचंद वल्द राय खुशहाल चंद सिकनह फ़तह पुर जिला नोरंगाबाद मुल्क मारवाड़ मुल्ज़िम;

नम्बर मुक़द्दमह	नाम क़ैदी व क़ैदी वल्दियत और सकूनत	जुर्म ज़ेर दफ़अ़ क़ानून मय तारीख जुर्म मुर्तकबह	तारीख़ गिरफ्तारी	मुलजिम क़ैद या ज़मानत पर	नाम गवाव मुद्दई मय खुलासा शहादत मय आलातव पारचा वग़ैरह	नाम गवाहान् मुद्दायला यानी मुलज़िम	वजूहात सुपुर्दगी.
३२	राय रतनचंद वल्द खुशहाल चंद सिकनह फ़तहपुर मुल्क मारवाड़	३०२ ताज़ीरात हिन्द २२ जौलाई सन् १८७७ ई०	२२जौलाई सन् ७७ इ०	जेलमें मौजूदहै	लालसिंह निहालचंद खुशहाल सिंह, दीपचंद चश्मदीद गवाह मिसल मय एक क़बूज़ा तलवार व जामा हायपोशीदनी मुलज़िम खून आलूदापाजामा कुरता अंगरखा	कोई नहीं	मुलज़िम २२ जौलाई सन् ७७ इ० को मौक़े वारदातसे गिरफ्तार हुआ— और हर चहार अशखास शाहदीनने मुलज़िसको क़तल करते हुए ब चश्म खुद देखा, मुलजिम खुद जुर्मसे इक़बाल करताहै.

दफ़अ २२३–अदालत आला ऐसी सुपुर्दगी को अगर वह किसी क़िस्मका सुक़म ख़याल करे ख़ारिज करके हुक्म दे सकती है, कि मुक़द्दमहको फ़लां अदालत में पेश करना चाहिये था।

दफ़अ २२४–मुस्तग़ीस और गवाहान जिनके इज़हार अदालत में कलमबन्द हो चुके हों उनके हाज़री अदालत के वास्ते मुचलके लिखवालेने चाहिये और अगर कोई शख्स तहरीर मुचलकासे मुन्कर हों तो हाकिम अदालत तातहरीर मुचलका उसको हिरासत में रखने का मजाज़ है–तमाम मुचल के शामिल मिसल होने चाहिये।

दफ़अ २२५–तमाम क़िस्मके आलात और हथियार और कपड़े और अशियाय जो मुक़द्दमह से ताल्लुक रखती हों हमराह मुक़द्दमा अदालत आला में मुरसिल होंगे और उन पर नम्बर और नाम शै मज़बूत काग़ज़ पर तहरीर करके हर एक शै पर चस्पां करना चाहिये ताकि अदालत आला को मुलाहिज़ा के वक्त सहूलियत हो।

दफ़अ २२६–फ़हरिस्त तमाम काग़ज़ात और अशयाय मुरसिलाकी तैयार होकर शामिल काग़ज़ात होगी और एक नक़ल दफ्तर अदालत सुपुर्द कुनन्दह में रक्खी जावेगी।

(मुचलका पैरवी नालिश वा अदाय शहादत)

मैं गुलज़ारीलाल वल्द बिहारीलाल सिकनह फ़रीदाबाद इस तहरीरकी रू से इक़रार करता हूं कि मैं बतारीख़ २५ सितम्बर सन् १८९४ ई० को बवक्त दस (१०) बजे सुबह के रोज़ हफ्ता मुक़ाम जोधपुर ब अदालत अदालतुल आलियाराज मारवाड़ ब मुक़द्दमह इलज़ाम ज़ेर दफ़ा (३०२) ताज़ीरात हिन्द बनाम रतनचंद मुलज़िम वहां हाज़िर होकर नालिशकी पैरवी करूंगा या शहादत दूंगा और अगर इन में क़सूर करूं तो मैं दर्बार मारवाड़ को मुबलिग़ दो सौ २००) रुपया बतौर तावान अदा करूं– मवर्रखह १७ सितम्बर सन् १८९४ ई.

नमूना

रोबकार अदालत फ़ौजदारी दर्जेह अव्वल बाजलास मौलवी अहमद हुसेन साहब मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल मुक़ाम इख्तियारपुर ज़िला खुशहालगढ़ वाक़े २७ जौलाई सन् १८७७ ई०

नम्बर मुक़द्दमह

दर्बार मारवाड़ मुस्तग़ीस

बनाम

रतनचंद वल्द राय खुशहालचंद सिकनह फ़तहपुर ज़िला नोरंगाबाद पेशा तिजारत मुलज़िम

(इल्लत क़तल अम्द ज़ेर दफ़ा (३०२) ताज़ीरात हिन्द)

ब मुक़द्दमह हाज़ा तहक़ीक़ात कामिल अमल में आई इस्तगासाकी तरफ़ से लालेसिंह, निहालेसिंह, खुशहालेसिंह, दीपचेन्द, गवाहान् पेशहुए जो अपनी शहादत में साफ़ तौर पर बयान करते हैं कि तारीख़ २२ जौलाई सन् १८७७ ई० को मुल्ज़िमने हमारे रोबरू एक शख्स परतावमल वल्द जवान मल सिकनह मौज़ा, धान पुरा, ज़िला खुशहाल गढ़ को बज़र्ब-शमशेर क़त्ल किया, और वजह क़त्ल अम्द यह बयान की गई है, कि मक़तूल और मुल्ज़िम की बाहमी बाबत १० दस बीघा आराज़ी वाक़े धानपुरा कई सालसे तनाज़ा चला आता है और हालत अनाद ने तरक्की पाकर यह नतीजा पैदा किया य़ाने परताब मल मारागया–

अलावा शहादत मज़कूरा के मुलज़िम मौक़े वारदात से मय तलवार गिरफ्तार हुआ और मेरे रोबरू मुल्ज़िम ने बिलाजब्र व अकराह जुर्म से इक़बाल किया चूंकि यह मुक़द्दमा अदालत हाज़ा की समाअत के लायक़ नहीं है ।

इसलिये हुक्म हुआ कि

नक़ल रोबकार हाज़ा मय काग़ज़ात मुन्दर्जह जैल ब अदालत अदालतुल आलिया दरबार मारवाड़ बग़रज़ तजवीज़ मुर्सिल हों ।

(तफ़सील काग़ज़ात)

(अ) रोबकार मुतज़म्मिनवजूह सुपुर्दगी (ब) नक़ल फ़र्द क़रारदादजुर्म (ज) फलन्दरा (द) तमाम काग़ज़ात याने इज़हार गवाहान् और इज़हार फ़रीक़ैन ।

(बाब बीसवां)

(अपील बनाराज़ी फ़ैसला अदालत फ़ौजदारी वाक़े रियासत हायदेशी)

दफ़अ २२७–हर फ़रीक़ मुक़द्दमह को जब वह किसी हुक्म या फ़ैसला मसदरा अदालत हाय फ़ौजदारी से नाराज़ हो तो उस से बालातर अदालत में अपील करे याने अगर मजिस्ट्रेट दर्जह सोमके फ़ैसले से नाराज़ है तो दर्जह दोमके यहां और दर्जह दोमके हुक्म से नाराज़ है तो दर्जह अव्वलके यहां ।

दफ़अ़ २२८–अगर कोई मुल्ज़िम जो किसी अ़दालत वाक़ै ममालिकदेसी में किसी जुर्म का इक़बाल करचुका हो वह किसी अ़दालत में अपील करने का मजाज़ नहीं है मगर जब मुल्ज़िम को मा़लूम हो कि मुझको जुर्म मुर्तकबहके मावज़ा में सज़ाय ज़ायद से मसलूक किया गया है तो इस सूरत में वह अपील करने का मजाज़ है।

दफ़अ़ २२९–हरएक अपील मुख्तसर और दफ़अ़वार तहरीर किया जावेगा और जिस हुक्मकी नाराज़ी से अपील किया गया हो उस हुक्मकी नक़ल उस अपीलके साथ मन्सलक होगी।

(नमूना)

(दरख्वास्त अपील बहुज़ूर साहब जूडीशल आफ़ीसर राज मारवाड़)

	बनाम
नैनसुख वल्द अमीरसिंह ज़ात राजपूत सिकनह चौहानपुर– मुद्दाअ़ला अपीलान्ट	जैलाल वल्द मनीलाल ब्राह्मण सिकनह चौहानपुर इलाक़ै मारवाड़

मुद्दई रिस्पान्डेन्ट।

अपील बनाराज़ी फ़ैसला मसदरा अ़दालत मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुक़ाम मारवाड़ मुशर दो(२)माह क़ैद सख्त व ५०) पचास रुपये जुर्माना व बसूरत अदम अदाय जुर्माना पन्द्रह योम(१५) और क़ैद सख्त ज़ेर दफ़अ़ (३२३) ताज़ीरात हिन्द

अपीलान्ट हस्ब ज़ैल अर्ज़ करताहै–

मुझ अपीलान्ट को मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुक़ाम मारवाड़ने बतारीख़ ३ माह मार्च सन् १८९३ ई० ब इल्लत ज़रर रसानी ज़ेर दफ़ा (३२३) ताजीरात हिन्द दो(२) माह क़ैद सख्त व ५०) पचास रुपया जुर्माना व ब सूरत अदम अदाय जुर्माना पन्द्रह (१५) योम क़ैद सख्त की सज़ासे मसलूक किया जो दर हक़ीक़त ख़िला

फ़ इन्साफ़ है—लिहाज़ा बवजूह जैल दर्ख्वास्त अपील पेश कर इलतजा की जाती है कि बराह अ़दल गुस्तरी सज़ाय मुजव्विज़ा अ़दालत मौसूफ़ खारिज फ़र्माई जावे।

अव्वलन् यह कि मैं अपीलान्ट अपने मकान की तरफ़ २० मार्च सन् १८९३ ई० को मोहल्ला नरायन दास से गुज़र रहाथा कि रिस्पान्डेन्ट खड़ा हुआ एक शख्स नामी फ़क़ीर मुहम्मद से लड़ रहाथा फ़क़ीर मुहम्मदने रिस्पांडेन्ट को बज़र्ब लकड़ी मज़रूब किया, अपीलान्ट ने फ़क़ीर मुहम्मद को फ़साद रफ़ा करने के वास्ते रोका कश्मकश में मुझ अपीलांट की लकड़ी रिस्पांडेंट के इत्तफ़ाक़िया लगगई।

दोम अपीलान्ट ने इरादतन् रिस्पान्डेन्ट को लकड़ी से मज़रूब नहीं किया महज़ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते यह कार्रवाई की गई थी जिसकी सदाक़त के दो गवाह लालखां व निहालसिंह, रोबरू अ़दालत के हल्फ़न् बयान करचुके हैं कि दर हक़ीक़त मुझ अपीलान्ट की कोई अ़दावत या तनाज़ा रिस्पान्डेन्ट से नहीं था और सिर्फ़ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते मदाखलत की गईथी—इस पर अ़दालत ने कुछ ग़ौर नहीं फ़र्माया।

सोम कोई फ़ैल जो इत्तिफ़ाक़ या शामत से और बग़ैर किसी मुजर्मानह नीयत या इल्म के सरज़द हो वह जुर्म नहीं है दफ़अ़ (८०) ताज़ीरात हिन्द मुलाहिज़ा हो।

चहारम यह अजीब बात है कि अ़दालतने असल मुजरिम फ़क़ीर मुहम्मद को बावजूद सबूत मौजूदा के बरियत का हुक्म दिया और मुझ अपीलान्ट बे गुनाह को मुजरिम क़रार दिया।

उम्मैद है कि अ़दालत इस हुक्म मुजव्विज़ा के इन्फ़िसाख़ का हुक्म सादिर फ़र्मावेगी ज़ियादह हद्द अदब।

मैं अपीलान्ट बयान करताहूं कि मेरे इल्म व यक़ीन से मेरे बयान सही व दुरुस्त हैं दस्तख़त नैनसुख	अर्ज़ी फ़िद्वी नैनसुख अपीलान्ट मवर्रख़ह २६ मार्च स० १८९३ई०

दफ़अ़ २३०—तमाम अ़दालत हाय आ़लादेशीको तमादी मयाद का भी लिहाज़ होगा, जैसा कि एक्ट १५ सन् १८७७ ई० के हिस्सा दोम मुताल्लिक़ा अपील में मज़कूर है।

(मुन्तख़बा अज़ क़ानून मआद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० हिस्सा दोम अपील)

१५० मजमूअज़ाब्तह फ़ौजदारीके अपील हुक्म सज़ाय मौतका जो कि शशन जजने सादिर किया हो	७ योम	तारीख़ हुक्म से उस हुक्म सज़ा या हुक्म की तारीख़ से जिसकी नाराज़ीसे अपील हो
१५४ अपील किसी अदालत में बजुज़ अदालत हाईकोर्ट बमूजिब ज़ाब्ता फ़ौजदारी	३० योम	
१५५ अपील ब अदालत हाईकोर्ट बमूजिब मजमूअ मज़कूर बजुज़ उन सूरतों के जिनका ज़िक्र १५० व (१५७) में है	६० योम	
१५७ अपील बनाराज़ी तजवीज़ात बमूजिब ज़ाब्ता फ़ौजदारी	६ महीने	इस तजवीज़ की तारीख़ से जिसका अपील हो

दफ़अ २३१—तमाम दर्ख़ास्तें अपीलों की उन काग़ज़ात स्टाम्प मुरव्विजा पर तहरीर होंगी जो उस ख़ता मुल्क में रायज हों वर्ना नक़द फ़ीस हस्ब शरह ज़ैल दाख़िल करनी होगी जैसा कि बमूजिब एक्ट रसूम अदालत हाय वृटिश इंडिया में ली जाती हैं

(इन्तिख़ाब अज़ एक्ट रसूम अदालत नम्बर ७ सन् १८७० ई०)

(जमीमादोअम)

(३) दर्ख़ास्त इजाज़त अपील (अ) जब किसी अदालत ज़िलअमें गुज़रे ....

(ब) जब रोबरू किसी कमिश्नर के या अदालत हाईकोर्ट में गुज़री .... २)

९ ज़मानतनामा दूसरी दस्तावेज इक़रार नामा जिसके लिये अज़रूय एक्ट हाज़ा दूसरे नेहज का हुक्म नहीं है बहिदायत किसी अदालत या हुक्म आमिल के गुज़रे-	॥)
जब वास्ते पैरवी किसी मुक़द्दमह वाहिद के हस्ब तफ़सील जैल गुज़रे	॥)
१० मुख़्तारनामा या वकालतनामा	॥)
(अ) बजुज़ अदालत हाईकोर्ट के किसी अदालत दीवानी या फ़ौजदारी या किसी महकमह माल में या किसी कलेक्टरी या मजिस्ट्रेट या दीगर ओहदेदार आमिल के रोबरू बजुज़ इनके जिनका ज़िक्र इसी मद के ज़मन् हाय (ब) व (ज) में है-	
(ब) किसी कमिश्नर या किसी ऐसे ओहदेदार के रोबरू गुज़रे	१)
जो किस्मत का अहतमाम् आमिलाना रखता हो और मालका हाकिम आला हाकिम आमिल नहो-	
(ज) किसी अदालत हाईकोर्ट या चीफ़ कमिश्नर या माल	२)
या दूसरे आला ओहदेदार माल या आला हाकिम आमिल के रोबरू पेश किया जावे-	
(११) यादद़ाश्त अपील जबकि अपील बनाराज़ी किसी हुक्म मुशर नामंज़ूरी अर्ज़ी दावी क या बनाराज़ी किसी डिगरी या ऐसे हुक्म के हो जो तासीर डिगरी के रखताहो और बाबत तफ़सील पेश किया जावे।	
(अ) बजुज़ अदालत हाईकोर्ट के किसी अदालत दीवानी	॥)
या महकमह माल में या ओहदेदार आमिल के रोबरू बजुज़ अदालत हाईकोर्ट या बालातर हाकिम माल या हाकिम आमिल--	

(ब) किसी अदालत हाईकोर्ट या चीफ़ कमिश्नर या दीगर बालातर हाकिम आमिल या हाकिम माल के रोबरू२)

दफ़अ २३१-अगर कोई अपीलान्ट किसी मोहफ़स में क़ैद हो तो उस को इख्तियार है कि अपनी दरख्वास्त अपील मय नक़ल फ़ैसला अदालत मोहतमिम जेल खानह के सुपुर्द करे और मोहतमिम मज़कूर उस दरख्वास्त अपील को अदालत अपील में रवाना करेगा।

दफ़अ २३२-अदालत अपील इस दरख्वास्त अपील को मुलाहिज़ा और ग़ोर करेगी और अगर अदालत की राय में कोई वजह दस्तन्दाज़ी की न मालूम हो तो अदालत मज़कूर अपील को बतौर सरसरी नामंज़ूर करे।

दफ़अ २३३-और अगर वजूह कामिल समाअत अपील की बाबत पाई जाय तो अदालत अपील को इख्तियार होगा कि उस दरख्वास्त को एक रजिस्टर में दर्ज करके अदालत मातहत से मिसल मुताल्लिक़ा तलब करे और एक तारीख़ पेशी मुक़र्रर करके अपीलान्ट और रिस्पान्डेन्ट को करे।

रजिस्टर अपील फ़ौजदारी मुताल्लिक़ा अदालत मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल.

१	२	३	४		५	६	७	८	९
नंबर मुक़द्दमा सिलसिलह वार	नंबर मुक़द्दमा अदालत मातहत	नाम अदालत जिसकी नाराज़ीसे अपील हो.	नाम फ़रीक़ैन		खुलासा इल्ज़ाम	हुक्म सज़ा अदालत मातहत मय तारीख़ सज़ा	तारीख़ दायरा अपील	हुक्म अदालत अपील	कैफ़ियत
			अपीलांट	रिस्पांडेंट					
अव्वल	५	अदालत मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुल्क मारवाड़	नैनसुख वल्द अमीरसिंह ज़ात राजपूत चौहान, सिकनह चौहानपुर	चुन्नीलाल वल्द मुन्नीलाल ब्राह्मण सिकनह चौहान पुर	ज़रर ज़र दफ़अ (३२३) ताज़ीरात हिन्द	दो माह क़ैद सख्त और ५०) रुपया जुर्माना व ब अदम अदाय जुर्माना पंद्रह (१५) योम क़ैद सख्त ३ मार्च सन् ९४ ई०	२५ मार्च सन् १८९३ई.	मिसल अदालत मातहत से तलब होकर मार्च को मुकद्दमापेश हुआ हुक्म अदालत मातहतको ख़ारिज किया गया	मिसल अदालत मातहत वापिस हुई २९ मार्च सन् १८९३ ई०

दफ़अ़ २३४–बरोज़ पेशी अ़दालत को चाहिये अपीलान्ट या उसके किसी मुख्तार या वकील के उज़रात समाअ़त करे और मुल्ज़िम की जानिब से जो कुछ बयान किया जावे उस पर भी ग़ोर करके जो अमर क़रीं इन्साफ़ हो हुक्म सादिर करे–याने अगर मुकद्दमा क़ाबिल ख़ारिज हो तो मुक़द्दमा ख़ारिज करे या तहक़ीक़ात मज़ीद की हिदायत करे।

दफ़अ़ २३५–जब इस तरह कोई मुक़द्दमा अ़दालत अपीलसे बसीग़ा अपील फ़ैसल किया जावे तो अ़दालत अपीलको चाहिये कि अपने फ़ैसलेकी एक नक़ल मिसल अ़दालत मातहतमें रवाना करे॥

दफ़अ़ २३६–अ़दालत अपील यह हुक्म देनेकी मजाज़ है कि दौराने अपील में उस तजवीज़ या हुक्मके मुल्तवी रहनेका जिसकी नाराज़ीसे अपील हुआ हो और अगर मुजारिम जेलख़ानहमें होवे तो हुक्म दिया जावे कि वह ज़मानत या मुचलका पर रिहा किया जावे॥

दफ़अ़ २३७–अ़दालत अपीलको अगर मुनासिब मालूम होवे कि शहादत का लिया जाना ज़रूर और क़रीन इन्साफ है तो खुद शहादतले या किसी मजिस्ट्रेट मातहत के रोबरू लिये जाने का हुक्म नाफ़िज़ करे और वह अ़दालत बाद लिये जाने शहादत के बाद तसदीक़ अ़दालत अपीलमें मुरसिल करेगी॥

दफ़अ़ २३८–उमूमन् अ़दालत हायदेशी फ़ौजदारी को इस अमरका इख्तियार है कि अगर कोई मुकद्दमा अदम मुताल्लिक़ा ब मुआ़मलात रावजी व क़ानूनी या मुताल्लिक़ा धर्म्मशास्त्र या शरअ़ मुहम्मदीके पाया जावे तो अ़दालत बालामें अपनी मिसलको इस्तसवाबन् रवाना करे॥

दफ़अ़ २३९–जब ऐसा मसलऐ इस्तसवाबन् अ़दालत आला देशी में मुरसिल किया जावे तो उस अ़दालत को लाज़िम है कि उसकी निस्बत जो हुक्म मुनासिब समझे जारी करे, और एक नक़ल उस हुक्मकी मजिस्ट्रेटके पास भेजदे और उस मजिस्ट्रेट को उस हुक्मकी पाबंदी करनी पड़ेगी।

दफ़अ़ २४०–हरएक अ़दालत अपील मजाज़ है कि किसी हुक्म अ़दालत को ख़ारिज करे या किसी इस्तग़ासाकी मकर समाअ़त का हुक्म अपनी अ़दालत मातहत को दे जैसा मुनासिब वक्त हो।

दफ़अ़ २४१–अ़दालत हाय फ़ौजदारी आ़ला या महकमह ख़ास को हर तौर पर इख्तियार हासिल होगा कि वह जिस अ़दालत हाय मातहत के क़िसी

मुक़द्दमा या मनफ़सला को चाहें तलब करके मुलाहिज़ा करें और वह हुक्म सादिर करें जो मुनासिब हो ।

दफ़अ २४२–जब कोई अदालत देशी किसी मुक़द्दमहकी नज़रसानी कर रही हो तो कोई फ़रीक़ मुस्तहक़ इस अमर का न होगा कि वह रोबरू अदालत के असालतन् या वकालतन् उज़रात पेश करे, मगर अदालत को इख्तियार है कि वह किसी फ़रीक़ को असालतन् या वकालतन् उज़रात पेश करने का इख्तियार दे ।

दफ़अ २४३–जब अदालत हाय आला कोई मिसल तलब करे तो जिस अदालत से मिसल तलबकी जावे उसको चाहिये कि मिसल मुक़द्दमाके साथ एक बयान तहरीरी जिसमें उसके फ़ैसले या हुक्मकी वजूह और कुछ वाक़आत उमदा जिनको मुक़द्दमाके इस्तह कामके वास्ते काफ़ी समझताहो तहरीर करके अदालत आला में इरसाल करे अदालत बाला उस तहरीर पर अच्छी तरह ग़ौर व ख़ोज़ करेगी ।

दफ़अ २४४–जब अदालत बालासे ऐसे किसी मुकद्दमहमें इसलाह दी जावे तो अदालत बाला अपने फैसले या हुक्म को उस अदालत में भेज दे जिसने वह तजवीज या हुक्म सज़ा या और हुक्म सादिर किया हो और उस अदालत या मजिस्ट्रेट को जिसके पास फ़ैसला या हुक्म अदालत बालाका पहुंचे उसकी पाबन्दी करे ॥

(बाब इक्कीसवां)

(सज़ाय मुजव्विज़ह अदालत हाय फ़ौजदारी और उसकी तामील मोहब्बिस ख़ानह बरियासत हाय हिन्दोस्तानी)

दफ़अ २४५–हर एक अदालत देशी को ख्वाह वह किसी दर्जह की हो उस अमर का इख्तियार होगा कि बाद सदूर हुक्म फ़ौरन् एक वारन्ट बनाम उस ओहदेदार के जारी करे जो उस रियासत मोहब्बिस ख़ानह का मुन्तजिम रियासत किसी रियासत से मुक़र्रर किया गया हो ।

दफ़अ २४६–वारन्ट मुर्सला में वह तमामी अमूर दर्ज किये जावेंगे जो मुक़द्दमह से मुताल्लिक़ हों जुर्म तारीख़ सज़ा और तादाद सज़ा शरह तौर पर दर्ज होनी चाहिये, ताकि मोहतमिम मोहब्बिसको अपने रजिस्टरों की ख़ानह पूरी करने में सहूलियत हो ।

नमूनह वारन्ट

बनाम मोहतमिम मोहब्बिस रियासत अलवर—

हरगाह तारीख़ १० अक्टूबर सन् १८९३ ई० को मुसम्मी अल्फ़ख़ां वल्द अहमदख़ां ज़ात मुसल्मान पठान सिकनह राजगढ़ इलाक़ह अलवर बमुक़द्दमह नम्बर ३५ सन् १८९३ ई० रोबरू मुझ मुब्बयन बिहारी लाल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल रियासत अलवर के जुर्म सरक़ा बखानह अहमदख़ां सिकनह माहगंज वाक़ै अलवर मालियत क़ीमती पान्सद रुपया ५००) मुर्तकब किया और मुजरिम क़रार दियागया जिसकी सज़ा मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्द के दफ़अ़ (३८) ताज़ीरात हिन्द में मज़कूर है और उस पर हुक्म सज़ाय क़ैद सख्त एक साल और ६माह का और मुबलिग़ पान्सद ५००) रुपया जुर्माना का हुआ अगर जुर्माना न अदाकरे तो ब क़सूर अदम अदाय जुर्माना ६ माहकी सज़ा और तजवीज़की गई है लिहाज़ा आपको इख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी अल्फ़ख़ां वल्द अहमद ख़ां ज़ात मुसलमान पठान को मय वारन्ट हाज़ा जेल ख़ानह के अन्दर अपनी हिरासत में लेकर वहां हुक्म सज़ाय मुतज़िकरह सदरकी तामील क़ानूनके मुताबिक़ करें ॥ आज तारीख़ १७ अक्टूबर सन् १८९३ ई० को हमारे दस्तख़त और अदालतकी मुहर से जारी किया गया ।

दस्तख़त मजिस्ट्रेट — मुहर

दफ़अ़ २४७—हर सूरत में अगर अदालत सादर कुनन्दा हुक्म ने सिर्फ़ जुर्माना या बिल् एवज जुर्माना कोई क़ैद तजवीज़ की हो जुर्माना वसूल करने के लिये वारन्ट बज़रिए कुर्क़ी जायदाद मन्क़ूला के सादिर करे ।

दफ़अ़ २४८—जब ऐसा वारन्ट कोई अदालत देशी अपने इलाक़ह हुकूमत के अन्दर तामील कराये या अगर उस अदालत के इलाक़ै इख्तियार से बाहर मगर उसी रियासत में बशर्ते कि कोई जायदाद पाई जावे वारन्ट तामील किया जावे ।

वारन्ट बिनाबरवसूल ज़र जुर्माना बज़रिए कुर्क़ी व नीलाम

बनाम लक्ष्मी नारायण नाज़र अदालत फ़ौजदारी राज सिरोही—

हरगाह तारीख़ २० मार्च सन् १८९३ ई० को हमारे रोबरू मुसम्मी अहमदयार खां वल्द मुहम्मद यारखां सिकनह मंडार इलाक़ा सिरोही पर इल्ज़ाम हंगामा ज़ेर दफ़अ (१६०) ताज़ीरात हिन्द साबित क़रार पाकर उसकी निस्बत हुक्म अदाय जुर्माना तादादी सौरुपये १००) सादिर हुआ था और हरगाह अहमदयारखां मज़कूरने बावस्फ़ इसके कि उससे जुर्माना मज़कूर तलब हुआथा जुर्माना मज़कूर या उसका कोई जुज़ अदा नहीं किया है लिहाज़ा तुमको अख़्तियार दिया जाताहै और हुक्म होता है कि कुर्की बजरिये क़ब्ज़ा में लाने के माल मन्कूला ममलूक मुसम्मी अहमद यारखां वल्द मुहम्मद यारखां मज़कूर तहसील मंडार ज़िला राज सिरोहीमें दस्तयाब हो- करो, और अगर अन्दर मयाद २४ चौबीस घंटे बाद बक़ूअ कुर्की मज़कूरके तादाद जुर्माना अदा न किया जावे तो ज़ायदाद मन्कूला कुर्क शुदा को या उसक़दर जुज़्व उसका जो जुर्माना बेबाक़ करने के लिये काफ़ी हो करो और इस वारन्ट को बाद तहरीर इबारत ज़हरी बतसदीक़ इस अमरके कि उसके मुताबिक़ तुमने क्या कार्रवाई की और इख़्तताम तामील वारन्टके वापिस भेजदो-आज तारीख़ २१ मार्च सन् १८९३ ई० को हमारे दस्तख़त और अदालतकी मुहरसे जारी कियागया ॥

दफ़अ २४९–जब किसी मुजरिमकी उम्र बीस (२०) बरससे कमहो और अदालतसे किसी इर्तकाब जुर्म के बाअस कोई सज़ाय क़ैद तजवीज़ की गई हो तो उस अदालत को इख़्तियार होगा कि बजाय मशक़्क़त तहरीरके उसको किसी मकतब या किसी कारख़ानह मुताल्लिक़ा रियासत में हाज़िर व मौजूद रहा करता इन्कज़ाय मयाद पढ़ने या कोई हरफ़ा सीखनेके सुपरिन्टेंडेन्ट जेलको हिदायत करे ॥

दफ़अ २५०–जब हुक्म सज़ाकी तामील पूरी हो जावे तो ओहदहदार तामील कुनन्दा वारन्टको लाज़िम होगा कि वारन्ट की ज़हर पर इस अमरकी तसदीक़ लिखे कि हुक्म सज़ाकी तामील किसतरहकी गई और अपने दस्तख़त सब्त करके अदालत जारी कुनन्दामें वारन्टको वापिस करदे ॥

दफ़अ २५१–हरएक रियासत देशीमें एक क़ैद ख़ाना उमदा तौरपर बनाया जावेगा जिसमें क़ैदियान् आराम व आसायशके साथ रहसकें और सिहतमें भी किसी तरहकी मज़र्रत न पहुंचे ॥

दफ़अ २५२–हरएक जेल ख़ानहके लिये एक सुपरिन्टेंडेन्ट (मुन्तज़िम) डाक्टर और एक इन्स्पेक्टर मुक़र्रर होगा और बलिहाज़ तादाद क़ैदियान् बर्क़ंदाज़ान् रक्खे जावेंगे ॥

दफ़अ २९३–और जिन रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें कैदियान्की तादाद बहुतही कम हो उनका ताल्लुक़ अस्पताळ शहरीसे करदिया जावेगा और बजाय सुपरिन्टेन्डेन्टके सिर्फ़ इन्स्पेक्टर या जेलर काम देगा ॥

दफ़अ २९४–उन ओहदेदारान्की तक़र्रुरी हस्ब मंजूरी दर्बार होगी और एक शरह तनख्वाह मुक़र्रर की जावेगी जो दर्बार को मुनासिब मालूम हो और इनके माजरी और तबदीलीका रियासत को इख्तियार होगा ॥

दफ़अ २९५–तमाम ओहदेदारान् जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट या अगर उस जेलखानह में सुपरिन्टेंडेंट जेल न हो तो जेलरके ताबे होंगे और उनको सुपरिन्टेंडेंट या जेलरकी इताअ़त फ़र्ज़ होगी ॥

दफ़अ २९६–किसी मुलाज़िम जेलको कोई चीज़ किसी क़ैदीके हाथ फ़रोख्त करने या किरायेपर देनेका इख्तियार नहीं है औरन किसी क़िस्मका फ़ायदा हासिल किया जावे ॥

दफ़अ २९७–रियासतकी जानिबसे ओहदेदारान् आला जेलखानहको वक्तन् फ़वक्तन् मुलाहिज़ा किया करेंगे अगर कोई सक़म क़ैदियान् के खुरो व नोश या सफ़ाईकी बाबत मालूम हो तो उसकी बनिस्बत अहकाम मुनासिब सादिर करें–क़ैदियान् मरीज़को अलहदा जेलखानहके किसी कमरहमें दीगर कैदियान् से अलहदा रक्खा जावेगा और उसका मआलजा उम्दा तौरपर किया जावेगा ॥

दफ़अ २९८–क़ैदियान् जेलखानाको हस्ब शरह जेल खूराक दी जावेगी ॥

नमूना

(शरह खूराक कैदियान् जेल बरियासत हाय देशी)

आटा { गंदमकिस्म / दोम जो }	१० छटांक	८ छटांक	इतवार और पीरको
ऐज़न् बाज़रा	१२ छटांक	८ छटांक	मंगल और बुधको
ऐज़न् जवार	१२ छटांक	८ छटांक	जुमैरात, जुम्मा, और हफ्ताको
ऐज़न् मक्की	१२ छटांक	८ छटांक	
दाल	२ छटांक	२ छटांक	रोज़मर्रा सिवाय उस दिनके जिसरोज़ तरकारी दी गई हो.
बरियां	२ छटांक	४ छटांक	हररोज़
तरकारी	४ छटांक		इतवार मंगल और जुम्मइको बजाय दालके–
तेल सरसोंका	१ छटांक	१ छटांक	२० नफ़र कैदियान की जमाअतको जब कि तरकारी देदी है–
लकड़ी	६ छटांक	६ छटांक	जब कि गीली इस्तैमालनकी जावे या जैसाकि मेडीकल आफीसर हुक्मदे.
मिरच	१ अदद	१ अदद	
नमक	१० गिरीन	१० गिरीन	

दफ़अ २९९–पौशाक कैदियान को इस किस्म की होनी चाहिये जब कोई कैदी फ़रार हो तो हर शख्स सनाख्त कर सके।

दफ़अ २६०–कैदियान् को हस्ब जैल पौशाक जेलखाना :हाय अंग्रेजोंमें मर्द और औरात को दी जाती हैं।

<u>मर्दोंको</u> <u>धोती या लंगोटा</u> <u>मिर्जई या कुर्ता</u> <u>अंगोछा</u> <u>कम्मल</u> <u>कमल का कोट</u>

<u>औरतोंको</u> <u>लहंगा</u> <u>कुर्तीचादर</u> <u>चद्दर</u> (टाटकी पट्टी बिछाने के वास्ते)

दफ़अ़ २६१–जेलर जेलख़ानह मैं रहे किसी दीगर अफ़सरकी जानिब से अलहदा रहने का हुक्म होवे तो अलहदारह सकता है ।

दफ़अ़ २६२–जेलर किसी हालत में किसी पेशाब हरफ़ा से सरोकार न रक्खे ।

दफ़अ़ २६३–जेलरको चाहिये कि हर एक क़ैदीकी मौतसे अपने अफ़सर को जलदी इत्तलाअ़दिया करे ।

दफ़अ़ २६४–जेलर को हस्ब ज़ैल कुतुब दफ्तर में हमेशा जेलकी मुरत्तब रखनी चाहिये ।

(१) रजिस्टर वारन्ट (२) रजिस्टर क़ैदियान् जो रिहा होने वाले हैं (३) किताब क़ुसूर कैदियान् जेलख़ानह पर (४) किताब मुआयना कुनन्दगान् जेलख़ाना (५) बही, अशयाय बज़र नक़् जो क़ैदियों से ली जायँ ।

रजिस्टर वारन्ट मौसूला अदालत हाय फ़ौजदारी इलाक़ै मारवाड़ जेलख़ानह जोधपुर.

नम्बर शुमार	नम्बर वारन्ट	तारीख़ वारन्ट	नाम अदालत जहांसे वारन्ट आया	नाम क़ैदी मय वल्दियत	उम्र	हुलिया क़ैदीका	तारिख़ मौसूला	कैफ़ियत
अव्वल	३२	२८ अक्टूबर सन् १८९२ ई०	मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुक़ाम पाली	भारतसिंह वल्द अमरतसिंह राजपूत राणावत सिकनह क़दीम पाली	साल ३२	स्याह रंग चेचकरू बदनपर खासकर शकअपर चंद दाग़ बराबर रुपयेके मौजूदहैं यक अंगश्त दस्त रास्त बुरीदाहै	२९ अक्टूबर सन् १८९२ ई०	

रजिस्टर आम कैदियान मुक़ीदा जेलख़ाना राज सिरोही.

१	२	३	४	५	६	७	८			९	१०	११	१२
	तारीख़ आमद क़ैदी, दर जेल-खाना	नम्बर दायर	नाम मय वल्दियत क़ैदी व उम्र ज़ात मज़हब व पेशा	इल्लत जुर्म	इर्तका बजुर्म पहली मर्तबाहै या क्या	मयाद और तारीख़ क़ैद	शरह क़ैद—क़ैद सख्त या क़ैद महज़			जुर्माना	मयाद क़ैद जब कि दरसूरत अदाने होने जुर्माने क़ैद तजवीज की गईहो	क़ैद कौनसी अदालतसे तजवीज हुई क़ैदी किस ज़िलेकाहै	तारीख इन्कज़ाय मयाद
								क़ैद सख्त	क़ैद महज़				
अव्वल	१७ सितम्बर सन् १८९४ई०	३२	भारत सिंह वल्द अमरत सिंह राजपूत रानावत सिकनह कदीम पाली पेशा नौकरी	सर्क़ा ज़ेर दफ़अ (३८०) ताज़ीरात हिन्द	अव्वल मर्तबा	६ माह क़ैद १६ सितम्बर सन् १८९४ ई.	०	६ माह	०	नदारद	नद रद	मजिस्ट्रेट दर्जह दोम पाली इलाक़े मारवाड	१६ अप्रेल सन् १८९५ई०

रजिस्टर सज़ाय जरायम मर्तकबाब जेलख़ाना जोधपुर मारवाड़.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
तारीख इर्तका बजुर्म	नम्बर कै़दी सज़ायाफ्ता काकि कईदफ़अ़ सज़ायाब होचुकाहै	रजिस्टर नम्बर कै़दीका	नाम कै़दी का	नाम बापका मयज़ात	इस्तग़ासा निस्बत कै़दी	नाम मुल़ज़िमान् और गवाहान्	सज़ा		नम्बर व तारीख साबिक़ा सज़ाका	उमर	
८ फरवरी सन् १८९३ई०	४	३२	अल्ला दादखां	मीर वा हिदखां पठान मुसलमान	जेरदफ़ा (३८०) ताज़ीरात हिन्द	अल्ला दादखां मुलज़िम कालू व चेतू कै़दियान	दोमाह कै़द सख्त		२५ ७ फरवरी सन् ९३ ई.	२५	

रजिस्टर सामान मन्कूला कैदी मुक़ीदा जेल राज सिरोही ।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
तारीख़ अमानत	नम्बर अमानत	रजिस्टर नम्बर कैदी का	नाम कैदी का	वालिद् का नाम या किसी वारिसका	ज़ात	जुर्म	तारीख़ सज़ा व तारीख़ रिहाई	फ़हरिस्त सामान	तख़मीनन् क़ीमत सामानकी	जो रकम फरोख्त सामान से वसूल हुई	तारीख व हवालगीसामान या रुपया कैदी को या उसके वारिसको	दस्तखत गोइंदह के	दस्तखत अफसर जनरल
१७ अगस्त सन् १८९३ई०	१०	२२	गफूर खाँ	नसरुल्लाखाँ अमीरुद्दीन	मुसलमान पठान	३३४ ताजीरात हिन्द	१७ अगस्त सन् ९३ ई० ८ अगस्त सन् ९४ ई०	कुर्ता—एक पाजामा—एक कुलाह—एक	५)				

किताब मुलाहिज़ा जेलखाना राज सिरोही.

तारीख व महीना	हालात.
सितम्बर सन् १८९३ ई०	आज के रोज़ जेलखाना का मुलाहिज़ा कियागया ३५२ क़ैदीमें २५ नज़र बीमारहैं जिनका मआलजा अस्पतालमें होताहै सामान उक्कोशर्बे देखा गया बहुत साफ़ पाया जेलरकी खुश इन्तिज़ामी क़ाबिल तारीफ़है. (लछमनकर्ण मजिस्ट्रेट राज सिरोही)

दफ़अ़ २६५–दरबान व दीगर मुहाफ़िज़ान जेलको चाहिये कि जो चीज़ जेल ख़ानह के अन्दर आये या बाहर जाये उसके निगरां रहे जिन अशयायकी निस्बत शुभा हो कि जो चीज़ जेल ख़ानह में लानेके क़ाबिल नहीं है वह लाई गई है तो फ़ौरन् उसकी तलाशी ले और जेलर को उस अमर से इत्तलाअ़ दे।

दफ़अ़ २६६–कुंजी जेल ख़ानहकी मुहाफ़िज़की तहवील में या जेलरके पास रहेगा।

दफ़अ़ २६७–जिस वक़् क़ैदी जेल ख़ानह में दाखिल हो तो फ़ौरन् तलाशी लेकर हथियार व दीगर अशयाय ली जावेंगी और वह तमाम अशयाय वग़ैरह उस रजिस्टर में दर्ज होंगी–जिसका नमूना क़बूल अज़ी तहरीर होचुका है और ता इख्तिताम् मयाद क़ैद हिरासत में रहेंगी।

दफ़अ़ २६८–औरतें और मर्द जुदा २ मकान में रहेंगे ता कि बाहम मुलाक़ात मुमकिन नहो।

दफ़अ़ २६९–१२ बरस से कम उमरके लड़के दूसरे क़ैदियों से अलहदा रक्खे जावेंगे–जो लोग बमुक़द्दमात दीवानी मुक़ीद किये जावें उनके

वास्ते मकान व सकूनत वग़ैरह अलहदा होगा और वह कैदियान् फ़ौजदारी से बिल्कुल अलहदारहेंगे।

दफ़अ़ २७०–जो क़ैदी सज़ाय मौत या दीगर सख़्त् जरायमके जेल ख़ानह में आवें तो उनकी शब व रोज़ सख़्त हिरासत व हिफ़ाज़त रखनी चाहिये– क़ैदियान् दीवानी को चाहिये कि कोई हिस्सा अपनी अशयाय ख़ुर्द नोश का फ़ौजदारी वालों को न दे और न फ़रोख़्त करे वर्ना क़ैदियान् दीवानी उन अशियायकी दिये जाने से ममनूअ़ किये जावेंगे जो उनको दीजाती हैं।

दफ़अ़ २७१–क़ैदियान दीवानी को क़ैद कराने वाले बिस्तर व ख़ूराक़ वग़ैरह देवेंगे और अगर कोई चीज़ क़ैद कराने वालेकी तरफ़ से न दीजावे तो क़ैदी रिहा किया जावेगा।

दफ़अ़ २७२–जो क़ैदी मरीज़ पाये जावें और मशक़्क़त से तन्दुरुस्ती में ख़ल आवें तो उसको मेहनत करनेके वास्ते नहीं भेजा जावे, ऐसे मरीज़ क़ैदी अस्पताल में ज़ेर हिरासत रहेंगे।

दफ़अ़ २७३–क़ैदियान् ज़ेर तजवीज़ अपने मुलाक़ाती शख़्सोंके साथ मुलाक़ात वक़्त मुक़र्ररह पर कर सकते हैं जेलर क़ैदीके हर मुलाक़ाती का नाम व निशान पूछे और शुभा हो तो उनकी तलाशी ले और अगर वह तलाशी न देवें तो अन्दर न जाने दे।

दफ़अ़ २७४–हस्ब जैल अमूर जुर्म क़रार दिये गये हैं।

(१) शराब मुकतहव मुख़म्मर का जेलख़ानहके अन्दर पहुंचाना–

(२) तम्बाकू याशै मुनश्शी ज़हर दार जेलख़ानह में लाये फेंके या पहुंचाये या क़दाम करे–

(३) कोई अहलकार जेल ऐसी अशियाय जेलख़ानह में फ़रोख़्त करे या इस्तैमाल होने दे या अआनत करे तो मजिस्ट्रेट या हाकिम फ़ौजदारी को ६ माह या जुर्मानह २००) दो सौ रुपये या हरदो सज़ा तजवीज़ करने का इख़्तियार है–

दफ़अ़ २७५–अफ़आल मुन्दर्जह जैल जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी जेलके क़रार दिये गये हैं–

(१) नाफ़रमानी क़वाअ़द जैल (२ या जबर मुजर्मानह क़ैदी (३) तोहीन अहल्कार या क़ैदी अज़ क़ैदी (४) मेहनत से बचने के लिये अपने आपको ना क़ाबिल कार करना (५) तमलब

इन्कार काम से (६) बेड़ी या जंगलह का रेतना या काटना (७) ग़फ़लत व सुस्ती किसी काम में (८) अमदः बद इन्तिजामी किसी काम में (९) साज़िश फ़रार या इरादाद फ़रार या इर्तकाब दीगर जरायम् मिन् जुमला जरायम बाला के (१०) अमदः इतक़सां रसानी माल जेलकी।

दफ़अ २७६–सुपरिन्टेंडेंट जेल हस्ब जैल सज़ाएं क़ैदियान् जेल पर आयद कर सकता है। (१) क़ैद ता यक हफ्ता (२) क़ैद मज़ीद ता सह (३ योम) व कमी ख़ूराक़ (३) सज़ाय बेद ता ३० ज़र्ब (४) मशक़्क़त सख़्त ता हफ्त योम।

दफ़अ २७७–अगर किसी क़ैदी से पैदर पै जरायम् वक़ूअ में आयें तो सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल को चाहिये कि अपने क़ैदी को मजिस्ट्रेट के हुज़ूर में चालान् करे और वह मजिस्ट्रेट हस्ब जैल सज़ा देगा।

(१) क़ैद सियासतख़ानह या पाब जूलाना ता शश (६) माह, (२) सज़ाहाय बेद ता ३० ज़र्ब (३) क़ैद सख़्त ता शश (६) माह।

दफ़अ २७८–जब किसी अहलकार जेल की जानिब से किसी क़ैदी के साथ बद सलूकी की जावे तो वह ब हुक्म सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ता यक सद (१००) रुपया जुर्मानह का सज़ावार हो सकता है और मजिस्ट्रेट के इजलास से दो सौ २००) रुपये ता क़ैद यक १ माह या हर दो सज़ाएं।

दफ़अ २७९–जो क़ैदी कम उम्र हों उनको मुख़्तलिफ़ किस्म के काम उनकी क़ौम वग़ैरह का लिहाज़ करके सिखाये जावें (१) नजारा पेशा याने खाती का काम (२) लोहार का काम (३ दर्ज़ी गरी (४) दरी व क़ालीन बाफी (५) कुफ़शगर याने, मोची (६) तालीम नविश्त व ख़्वान्द।

दफ़अ २८०–यह काम उन क़ैदियान् माहरीन जो फ़नूनके तवस्सुलसे सिखाये जावें जो उस वक़्त जेल ख़ानहमें मुक़ीद हों और इस कारख़ानहकी तरक़्क़ी और बहबूदीके वास्ते रियासतसे वक़्तन् फ़वक़्तन् दस्तूरुल अमल जारी होते रहें॥

बाब बाईसवां
(मुत फ़र्रिकात)

दफ़अ २८१–जो लोग अपनी जोज़ह व अत्फ़ालको (बावजूद इस्तताअत काफ़ी होने) या किसी वलदुल हलाल या हरामकी पर्वरिशसे जो अपनी पर्वरिश ख़ुद न कर सकते हों ग़फ़लत करे या पर्वरिशसे किनारह कशी या रूपोशी करे तो ऐसे शख़्सको हाकिम अ़दालत जो आला दर्जहका हो इन्दुल सबूत ऐसी ग़फ़लत या इन्कारके हुक्म मुनासिब दे सकता है कि जोज़ह व अतफ़ालके वास्ते एक रक़म हस्ब हैसियत उस शख़्ससे माहाना दिलाई जावे जिसकी तादाद ज़ियादासे ज़ियादा ५०) पचास रुपये होगी ॥

दफ़अ २८२–ऐसा कफ़ाफ़ हुक्म की तारीख़से क़ाबिल अदा होगा अगर कोई शख़्स बावजूद ऐसे हुक्म सादिर होनेके कोई रक़म मुक़र्रेरा माहाना अदा न करे तो हाकिम अ़दालतको इख़्तियार होगा कि रक़म मुक़र्रेरा को जबरन् मिसल जुर्माना वसूल करके दिलाये निस्बत चाल व चलन फ़रीक़ैन के और दीगर हालात दर्बारह बद चलनी वग़ैरह ख़ातिर ख़्वाह तौर पर अ़दालत को अन्दाज़ा करलेने चाहियें वर्ना ऐसे हुक्म के इनफ़िसाख़ का हुक्म दिया जावे ।

दफ़अ २८३–कोई औरत पर्दानशीन जो अदालत की हुज़ूरी के नाक़ाबिल हो वह अपने बाप या किसी और सर परस्त के ज़रिए से कार्रवाई करने की मजाज़ होगी–ऐसे हुक्म की एक नक़ल बिला उजरत उस फ़रीक़ को दी जावेगी जिनकी पर्वरिश के वास्ते हुक्म नाफ़िज़ हुआ हो ।

दफ़अ २८४–तमाम जरहाय जुर्माना व नीज़ दीगर कौम जो अदालत में वसूल हों वह अदालत के एक रजिस्टर में हर रोज़ जमा होकर ख़ज़ानह राज में या किसी तहसील राज में जमा कराये जावेंगे और उस पर जमा करने वाले के साफ़ तौर पर दस्तख़त हुआ करेंगे–कोई रक़म अदालत में न रक्खी जावेगी।

दफ़अ २८५–तमाम आमदनी अदालत की बतरीक़ मज़कूर जमा हो जाया करेगी ऐसी आमदनी के जमा करने के दो रजिस्टर मुक़र्रर होंगे।

दफ़अ २८६–रजिस्टर नम्बर अव्वल में तफ्सील आमदनी की दर्ज होगी–रजिस्टर नम्बर दोममें ख्तसार उस किताब का दर्ज होगा और दस्तख़त वग़ैरह रजिस्टर मुख्तसरमें लिये जावेंगे॥

दफ़अ २८७–जो रक़म अदालतमें दाख़िल होगी उसकी उसी वक्त़ एक रसीद दाख़िल कुनन्दा को दी जावेगी नक़ल सानी दफ्तर में रहेगी।

रजिस्टर मुफ़स्सिल आमदनी मुताल्लिक़ा मजिस्ट्रेटी दर्जेह अव्वल मुक़ाम नागोर इलाक़े मारवाड़

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
तारीख़ व माह सन् १८९५ ई.	नाम दाख़िल कुनन्दाब कैद नाम फ़रीक़ैन	दरख्वास्तमुतफ़र्रक़ात	दरख्वास्त फ़ौजदारी	तलबाना बराय मुलज़िम	तलबाना बराय गवाह	फ़ीस	तलबाना बराय वारंट	तलबाना बराय कुर्क़ जायदाद	ख़ुराक़ गवाहान	हुंगर रसूम अ़दालत	जुरमाना				मीज़ान	दस्तख़त जमाकर्न वालेके	रक़म लेनेवालेके दस्तखत
२७ सितम्बर सन् ९५ ई०	मूलचंद बनामअमीरसिंह करीमखांबनामन सरुल्ला फकीरबख्श बनाम अमीरुल्ला	-)	०	॥)	॥।)	०	०	०	१)	०	५०	०	०	०			
		-)	०	॥)	॥।)	०	०	०	१)	०	५०	०	०	०	५२।-)		

रजिस्टर (मुख़्तसर) आमदनी अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जा अव्वल मुक़ाम नागोर इलाक़े मारवाड़

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
तारीख़ माह व सन्	दरख़्वास्त मुख़्तसर	दरख़्वास्त फ़ौजदारी	तलबाना बराय मुल्ज़िम	तलबाना बराय गवाह	तलबाना बराय ऐलान हाज़री गवाह	तलबाना बराय वारंट	तलबाना बराय कुर्की जायदाद	ख़ूराक़ गवाहान्	दीगर रसूम अदालत	जुरमाना	मालख़ानेरूसी				मीज़ान	दस्तख़त जमा करने वालेके	दस्तख़त रक़म लेने वालेके
२७ सितम्बर सं. ९३ ई०	‑)	०	॥)	॥।)	०	०	०	१)	०	५०)	०				५२।)	जवाहर लाल	मनोहरलाल

नम्बर अव्वल रसीद उस रुपये की जो अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जेह अव्वल मुक़ाम नागोर इलाक़े मारवाड़ में दाखिल हुआ

आज के रोज़ अमीरुल्लाने इस अदालत में मुबालिग ५०) पचास रुपये सिक्कह कलदार बाबत जुर्माना जो इस अदालत से किया गया दाखिल किये इसलिये सनदन् पर्चा रसीद हाज़ा दाखिल कुनन्दा को दिया गया । दस्तखत-रतनलाल माजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल नागोर-

दस्तख़त-बिहारी लाल सरिश्तहदार अदालत नागोर-

आज तारीख़ ६ सितम्बर सन् १८९३ ई० को हवाले की गई ।

नम्बर अव्वल रसीद उस रुपये की जो अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जेह अव्वल मुक़ाम नागोर इलाकह मारवाड़ में दाखिल हुआ

आज के रोज़ अमीरुल्लाने इस अदालत में मुबालिग़ ५०) पचास रुपये सिक्कह कलदार बाबत जुर्माना जो इस अदालत से किया गया दाखिल किये इसलिये सनदन् पर्चा रसीद हाज़ा दाखिल कुनन्दा को दिया गया। दस्तख़त-रतनलाल मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल नागोर-

दस्तख़त-बिहारीलाल सरिश्तहदार अदालत नागोर-

आज तारीख़ ६ सितम्बर सन् १८९३ई० को हवाले की गई ।

नम्बर (१) अव्वल

ख़ज़ानची साहब-ख़ज़ाना सदरराज मारवाड़-

बराह मेहर्बानी हामिल चिक हाज़ा को मुबलिग पचास ५०) रुपये बाबत इनाम गिरफ्तारी इश्तिहारी नामी चाँद खां डकैत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें। अलमकूम २० दिसम्बर सन्१८९५ ई०

अलअब्द

कन्हयालाल सरिश्तहदार अदालत फ़ौजदारी जोधपुर

अलअब्द काशीराम हाकिम फ़ौजदारी जोधपुर-

(नम्बर) १) अव्वल

ख़ाज़नची साहब ख़जाना सदरराज-मारवाड़

बराह मेहर्बानी हामिल चिकहाज़ा को मुबलिग़ पचास५०)रुपये बाबत इनाम गिरफ्तारी इश्तिहारी नामी चांद खां डकैत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें अलमर्कूम २०दिसम्बर सन्१८९५ई०अलू

कन्हैलाल सरिश्तहदार अदालत फ़ौजदारी जोधपुर-

अलअब्द

काशीराम हाकिम फ़ौजदारी जोधपुर-

दफ़अ़ २८८–तमाम रजिस्टरों और रसीदों और नीज़ दाख़लह ज़ातको एक आला महासब रियासतका साल में कम अज़कम चार मर्तबा मुलाहज़ा किया करेंगे और हिसाब को जांच पड़ताल करनेके बाद हर एक किताब हिसाब पर अपने दस्तख़त सब्त किया करेंगे।

दफ़अ़ २८९–रजिस्टर मुफ़स्सिल और मुख़्तसरके ख़ानह बहुत ज़ियादह छपवाये जायँ ताकि जिस क़दर आमदनी अ़दालत में बढ़ती जावे उनके नाम जुदागानह ख़ानों में तहरीर होते रहें।

दफ़अ़ २९०–तमाम अ़दालत हाय फ़ौजदारी वाक़ै रियासत हाय देशी में माहवारी नक़्शा मुक़द्दमात फ़ौजदारीके तैयार होकर अ़दालत हाय बाला में भेजे जाया करेंगे और उनकी जांच पड़ताल अ़दालत बाला से ब इतमीनान् तमाम की जावेगी और जो नुक़्स पाये जायँ उनकी असलाय बज़रिए सर्क्यूलरकी जावेगी ताकि तमाम अ़दालत हाय मातहत आयंदा ग़ाफ़िल न रहें।

दफ़अ़ २९१–जब कोई मुक़द्दमह ऐसा मालूम होवे कि जिसमें किसी क़िस्मकी बे इन्साफ़ी बे कायदगी पाई जावे उसको अ़दालत आला बिला तवक्कुफ़ अ़दालतमें तलब करके मुलाहज़ा करनेकी मजाज़ है और जो सुक़्स या नुक़्स मालूम होवे उसकी फ़ौरन् हिदायत मुनासिब की जावे।

नक़्शह अव्वल नम्बर माहवारी

नक़्शा माहवारी मुक़द्दमात फ़ौजदारी मुतदायरा व मनफ़सला अदालत जूडीशल आफ़ीसर मुक़ाम सिरोही बाबत माह नवम्बर सन् १८९४ ईस्वी.

नाम अदालतका	तफ़सील इख्तियरात	तादाद मुक़द्दमात जो माह गुज़श्तासे ज़ेरतजवीज़ हैं	मुक़द्दमात मुतदायरा और मुतकिलशुदा	मुक़द्दमात मनफ़सला	मुक़द्दमात ज़ेरतजवीज़	तादाद मुक़द्दमात जो एक माहसे ज़ियादहसे	तादाद मुक़द्दमात ज़ेरतजवीज़ जिसको दो माह ज़ियादा अर्सा हुआहो	तादाद अशख़ासजो रूततामाहतक ज़ेरहिरासत हों	तादाद अशख़ास अन्दरूमाहज़ेर तजवीज़ हो।	ज़ियादह अर्सह किसी शख्सका जो हिरासत में महीनेके ख़तम होनेतक हो	औसत हरएक मुक़द्दमहकी जेरतजवीज़ीका	तादाद तमाम मुक़द्दमात फ़ौदारी मनूफ़सूला	कैफ़ियत अज़्जानिब अदालत आला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
जूडीशल आफीसर या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुक़ाम सिरोही मुल्क राजपूताना	दो बरस की क़ैदसख्त और एक हजार रुपया तक जुर्माना	५	५	१०	४०	३	२	३५	२०	२० महीने	१५ योम	१०	

नक़्शा नम्बर (२) अदालत फ़ौजदारी.

नक़्शा मुक़द्दमात मन्फसला अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जह दोम मुक़ाम पाली इलाक़ै मारवाड़ बाबत माह अक्टूबर सन् १८९३ ई०

१	२	३	४	५	६	७
नम्बर मुक़द्दमात रजिस्टर फ़ौजदारी.	नाम मुस्तग़ीस और मुल्ज़िम मय तारीख़ दायरा.	जुर्म मुर्तकबा मयदफ़ा ताज़ीरात हिन्द या ख़ास क़ानून मुल्तसुलअमर.	नतीजा तजवीज़ अदालत फ़ौजदारी सज़ा या दूसरा हुक्म मय तारीख़ फ़ैसला.	कैफ़ियत कि किस बिनापर थोड़ी या भारी सज़ा तजवीजकी गई और नीज़ दीगर हालात.	कैफ़ियत हुकूमत	कैफ़ियत अदालत आला या अदालत अपील.
३८	भारखां बनाम बहादुरशाह १८ अक्टूबर सन् १९९४ ई०	सर्क़ा ज़ेर दफ़ा (३८०) ताज़ीरात हिन्द मालियतचुराय २००) रुपया.	१२ माहकी क़ैद सख्त् और ५०) पचास रुपये जुर्माना कियागया २० अक्टूबर सन् १८९४ ई.	मुलज़िम सर्क़ा पेशा और पहलेकी अदालतसे एक हफ्ताकी क़ैद का सज़ावार हो चुका है.		

इस्तफ़सार मुक़द्दमात फ़ौजदारी जिनकी ज़ेर तजवीज़ीको ज़मानह दो माहसे ज़ियादह गुज़राहो			

दफ़अ़ २९२–अलावा इन नमूनह जातके जो इस मजमूअ़ में मौक़ा बमौक़ा मुन्दर्ज हुये हैं आम तौर पर तमाम रजिस्टरोंके नमूने इस बाबके मुताल्लिक़ और तहरीर किये जाते हैं जिनको रियासत हाय देशी जिसक़दर मुफ़ीद और मुनासिब समझें अपने २ इलाक़ै हुकूमतमें मुरव्विज़ कर सकती हैं ।

दफ़अ़ २९३–गवाहानको जो किसी अ़दालत हाय देशीमें अदाय शहादतके वास्ते तलब किया जावे ख़ूराक़ ताक़याम और ख़र्चा आमद व रफ्त़ ब तरीक़ जैल देना चाहिये–अहातह बंगाल, बंबई, अजमेर, मेरवाड़ा में शरह ख़ूराक़ गवाहान् व मुस्तगीसां व ख़राजात रेलवे वग़ैरह जिनका इख्तसार जैलमें दर्ज है–मुक़र्रर हैं ।

अहाता बंगाल ।

(अ) वास्ते आ़म मज़दूरान् हिन्दोस्तानीके दो आना योमियां मय अदने दर्जह किराया रेलवेके–

(ब) बराय हिन्दोस्तानी आला दर्जह के ।) चार आने योमिया ख़ूराक़ और तीसरे दर्जे रेलवेका किराया–

(ज) बराय यूरोपियन् और हिन्दोस्तानी जो सबसे आला रुतबा रखते हैं दूसरे दर्जह का किराया रेल मय ख़ूराक़ जो एक रुपया से ज़ियादा न हो–

(द) हस्ब जैल गवाहान्को याने अहल पेशा व हर्फ़ा मिसल दवासाज़ या क़ानून पेशा उनके वास्ते हालात पर ग़ोर करके देना होगा॥

(ह) मुलाज़िमान् गवर्नमेंट को सिर्फ़ सफ़र ख़र्च दिया जावेगा॥

अहाता बम्बई।

	अहल यूरोपियन व मशरकीहिन्द			हिन्दोस्तानी		
	दर्जा अव्वल	दर्जा दोम	दर्जा सोम	दर्जा अव्वल	दर्जा दोम	दर्जा सोम
सफ़र ख़र्च ज़रिए रेल सफ़र ज़रिये सड़क	किराया दर्जा अव्वल ॥ँआने फ़ी माइल	किराया दर्जा दोम ।ँ आने फ़ी माइल	किराया दर्जा सोम =) आने फ़ी माइल	किराया दर्जा अव्वल ।=) आने फ़ी माइल	किराया दर्जा दोम ।) आने फ़ी माइल	किराया दर्जा सोम =) आने फ़ी माइल
सफ़र समंदरी	कामिल ख़र्च राह			कामिल ख़र्च राह		
	फ़ी योम ≡ँ	फ़ी योम १ँ	फ़ी योम ॥)	फ़ी योम १)	फ़ी योम ॥)	फ़ी योम ।)

अजमेर मेरवाडा।

इख़्तिसार अज़् नोटिफ़िकेशन नम्बर (२५९२) आई मवर्रख़ह ३० जौलाई सन् १८८६ ई.

(२) शरह मजकूरुल सदर हस्ब जैलहैं–

(अ) बराय जमाअ़त मज़दूरान् मेहनती =) दो आने योमियां–

(ब) बराय हिन्दोस्तानियोंके जो आला दर्जह का रुतबा रखते हैं।) चार आने योमियां–

(ज) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और आला हिन्दोस्तानियोंको बलिहाज़ हालात असबाब तहैयर आमतौरपर ३) रुपये योमियां से ज़ियादा न होगा—मगर अदालत को किसी खास मुकद्दमहमें ज़ियादा निख़ मुकर्रर करनेका इख्तियार हासिल है ॥

(रेलवे सफ़र ख़र्च)

(अ) जब कि सफ़र बज़रिए सड़क कियाजावे तो वह खराजात जिनकी तादाद चार ।) आना फ़ी माइल तक महदूद है—

(ब) जब कि सफ़र कल या किसी क़दर ज़रिये रेल किया जावे—

(१) बराय हिन्दोस्तानियोंके आम तौर पर किराया रेल अदने दर्जहके—

(२) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और हिन्दोस्तानी ज़ी इज्ज़त को दर्जह दोम का किराया रेल मगर अदालत को इख्तियार है कि अगर चाहे तो अव्वल दर्जह का रेल का किराया अता करें जब कि उन अशखासने इज्ज़त व रुतबाके लिहाज़ से अव्वल दर्जहकी गाड़ी में सफ़र किया है—

यह खर्चा खूराक उन मुक़द्दमात में देना होगा कि मुक़द्दमात में पुलिस दस्तन्दाज़ी कर सकती है या जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती ।

दफ़अ़ २९४—चूंकि अक्सर रंडियों कसबियों और नीज़ दीगर अशखास ने रियासत हाय देशी में ब दस्तूर कर रक्खा है कि शरीफ़ घरानेकी लडकियों को वर्ग़लान् कर चकलों और अड्डों में बरसों मुख़फ़ी रखकर अपने पेशाकी तरफ़ उनको मुख़ातिब कर लेती हैं और अक्सर रज़ील और ग़रीब क़ौमें अपनी रज़ामंदी से कुछ मावजा लेकर अपनी लडकियोंको ऐसी कसबियों रंडियों नीज़ और दीगर अशखासके हवाले करदेती हैं इसलिये हर एक दर्जहके मजिस्ट्रेटको ऐसी औरतों और लड़कियोंको आज़ाद करा देनेका इख्तियार हासिल है और बशर्ते सबूत उनको हस्ब क़ानून मुरव्विजा रियासत सज़ा देनी चाहिये ।

दफ़अ़ २९५—अदालत हाय देशी आलाको उन मस्तूरात इज्ज़तदार और पर्दानशीन के वास्ते जो उस खता मुल्कमें मसकन गज़ीं हों असालतन् या वकालतन् हाज़िर अदालत होनेकी बाबत मुनासिब अहकाम सादिर करने चाहिये ।

दफ़अ् २९६–जब किसी शख्स या अशखासकी निस्बत सुवाह फाशी हो कि वह किसी ऐसे फैलके मुर्तकब होंगे जिससे दर हकीकत नकुस अमन या बलवा जरायम संगीन या मूजिब हिलाकत होगा या बाद सज़ा दिये जानेके किसी शख्सकी निस्बत मुफ्सिदापरदाजी का मुक़र्रर पूरा तकैयुन होतो ऐसी रिपोर्ट या इत्तलाअ् होने पर अदालत मजिस्ट्रेट दर्जेह दोम व अव्वलको इख्तियार है कि ऐसे अशखासके नाम समन या अगर मुकद्दमाकी हालत संगीन पाई जावे तो वारन्ट इस मज़मून का जारी करें कि मुल्ज़िम असालतन् हाज़िर अदालत होकर इस अमरकी वजूह बयान करे कि उस से मुचलका हिफ़्ज़ अमनी या नेक चलनी क्यों न लिखवाया जावे।

दफ़अ् २९७–ऐसे समन या वारन्ट जारी होने पर बरोज़ मुक़र्रर अदालत मुल्ज़िम से वजूह दर्याफ्त करेगी अगर जवाब काफी हो और अदालत को भी इतमीनान होवे कि वजूह माकूल नहीं और कोई सबब कवी ज़मानत लिये जानेका नहीं पाया जाता तो अदालत को अपनी कलम खास से फैसला कलमबंद करना चाहिये और मुल्ज़िम को चले जाने के हिदायत कीजावे।

दफ़अ् २९८–वर्ना अदालत को सबूत दीगर हासिल करने के बाद मुल्ज़िम को हुक्म देना चाहिये कि इस कदर मयाद के वास्ते नेकचलन रहने या हिफ़्ज़ अमन रखने के लिये मुचलका मय ज़मानत तादादी इस कदर रुपये का दाखिल करे व बसूरत दीगर इस क़दर अर्सह तक क़ैद सख्त रहे।

दफ़अ् २९९–ऐसे मुकद्दमों की मयादों में इस बात का लिहाज रखना चाहिये कि किसी सूरत में नेक चलनी की ज़मानत के बाबत छे माह से ज़ियादा अर्सह तक कैद न होगी वह क़ैद महज़ होगी और ज़मानत हिफ़्ज़ अपनी एक साल से ज़ियादा अर्सह के वास्ते न होगी–और वह क़ैद सख्त होगी।

नमूना मुचलका हिफ़्ज़ अमनी या नेक चलनी।

हरगाह मुझ कृष्ण नारायण वल्द विष्णु स्वरूप जात ब्राह्मण सिकनह उदय पुर हाल मौजूद शबूगंज इलाके राज सिरोही को इस मज़मून का मुचलका लिखने

का हुक्म हुआ है कि मैं ब मुक़ाबिले हुज़ूर महाराव साहब बहादुर वाली राज सिरोही दाम इक़्बालहुम और हुज़ूर ममदूहकी जुमला रिआयाके साथ मयाद छै माह तक नेक चलन रहूं लिहाज़ा इस तहरीरके ज़रिएसे इक़रार करता हूं कि मैं मयाद मज़कूर तक ब मुक़ाबला हुज़ूर ममदूह दाम इकबालहू और उनकी जुमलह रिआयाके साथ नेकचलन रहूंगा और अगर इसमें क़सूर करूं तो मुबलिग़ पचास ५०) रुपये हुज़ूर महाराज साहब बहादुर वाली रियासत सिरोही दाम इक़बाल हमकोबतौर तावानके दूं॥ अल्‌मर्क़ूम १७ फरवरी सं० १८९३ ई०

अलअ़ब्द	गवाह शुद	गवाह शुद
कृष्ण नारायण	राम स्वरूप	ग़फ़ूर खां

मैं अशरफ़ी लाल बज़रिए तहरीरके इक़रार करता हूं कि मैं मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूरुल सदर का ज़ामिन इस बात का होता हूं कि मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूर मयाद मस्तूरके अन्दर हुज़ूर महाराव साहिब बहादुर दाम इक़बालहुम और हुज़ूर ममदूहके जुमलह रिआया के मुकाबलेमें नेक चलन रहेंगे और अगर नाम्बुर्दा उसमें क़सूर करे तो मैं जिम्महवार होताहूं कि हुज़ूर दामइक़बालहूको मुबलिग़ ५०) पचास रुपये बतौर तावानके अदाकरूं फ़क़त।

अल्मर्क़ूम १७ फ़रवरी सन् १८९३ ई०

अलअ़ब्द	गवाहशुद	गवाहशुद
अशर्फ़ीलाल	रामस्वरूप	गफ़ूरखां

दफ़अ़ ३००–जुम्ला अहकाम और फ़ैसलों और दस्तावेज़ातकी नकलें फ़रीक़ैन को या किसी दूसरे शख़्सको जिसका ताल्लुक़ ऐसे मुक़द्दमातसे हो व अख़ज़ उजरत मुक़र्ररा दी जावेंगी और फ़ीस हस्ब तरीक़ ज़ैल क़ाबिल वसूल होगी।

खुलासा सर्क्यूलर नम्बर (८४) नक़ूल नवीसान्।

दफ़ा (१०) हरएक नक़ल तजवीज़ या हुक्म अदालत फ़ौजदारीके उनवांमें मरातिब फ़ैसला ज़ैल तहरीर पावेंगी–

(अ) वह अदालत कि जिसमें फ़ैसला मुक़द्दमहका हुआ मयनाम और इख़्तियारत हाकिम मुजव्विज़ और जब कि वह अदालत महकमह अपील हो तो नीज़ नाम और इख़्तियारात् उस हाकिमके कि जिसके हाकिमकी नाराज़ीसे अपील हुआ मय तारीख़ हुक्म मज़कूरके लिखना होगा–

(ब) मुस्तग़ीस और मुस्तग़ासा अलिया का नाम बक़ैद वल्दियत व पेशा व जाय सकूनत मय तहसील व ज़िला—

(ज) वह जुर्म जिसका इर्तकाब हुआ और हुक्म सज़ा जो सादिर कियागया—

दफ़अ़ (११)—जब नकूल फ़ैसलजात या अहकाम बग़रज़ अपील अता किये जावें तो तख्ते काग़ज़ के जिस पर नक़ल की जावें वह किताब की शकूल में नत्थी किये जावें और एक दूसरे के सिरे से लपेट बार हलत्फा के शकूल में न जोड़े जावें—

दफ़अ़ (१२)—नक़लनवीस नक़ल को तैयार करके उस अफ़सर को वापिस करेगा कि जो वास्ते लेने और मंजूर करने दर्ख्वास्त नकूल के मुक़र्रर हो बर वक़्त वसूल नक़ल के सायल बुलाया जावेगा और नक़ल उसकी हवाले की जावेगी और अगर मिन्जुमला ज़र उजरत मदख़ला के कुछ रुपया फ़ाज़िल रहा हो तो वह भी उसको दे दिया जावेगा लेकिन नक़ल देने से पहले चाहिये कि नक़ल पर और नीज़ रजिस्टर में मुरातिब ज़ैल दर्ज हों।

(रजिस्टर नकूल काग़ज़ात व दस्तावेज़ात)

तारीख़ गुज़रने दर्ख्वास्त नक़लकी	तारीख़ वापसी बग़र ज़तकमील स्टाम्प अगर वापिस हुईहो	तारीख़ अदख़ाल मुनासिब स्टाम्प	तादाद उजरत नक़लनवीस वसूल याफ्ता	नाम नक़लनवीस	तारीख़ नक़ल-की तैयारी-की	तारीख़ देने नक़ल की		

जब नक़ल दी जावेगी तो उसी वक़्त अफ़सर मोहतमिमके दस्तख़त रजिस्टर पर होने चाहिये॥

दफ़अ़(१३)—अगर सायल बरवक़्त पुकारने मर्तबा अव्वल वास्ते लेने नक़ल के हाज़िर न हो तो नाम उसका तीनरोज़ मुतवातिर पुकारा जावेगा।

अगर उस अर्सह तक भी हाज़िर न आवे तो दर्ख्वास्त उसकी दाख़िल दफ्तरकी जावेगी और फिर वह नक़ल उसको तावक्तेकि नई दर्ख्वास्त एक आनेके कागज़ पर दाख़िल न करे नहीं दीजावेगी॥

दफ़अ़ १४–अगर तारीख़ दर्ख्वास्त से नक़ल के तैयार करने में दूसरे दिन से ज़ियादा तवक्कुफ़ हो तो बाअ़स तवक्कुफ़ नक़ल पर हमेशा लिख देना चाहिये कि वह वास्ते हिफ़्ज़ मयाद अपील की वजह काफ़ी मुतसव्वुर होगी ।

दफ़अ़ १५–यह समझना चाहिये कि हिदायत मज़कूरा बाला नक़ूल फ़ारसी और नीज़ नक़ूल अंगरेजी पर इतलाक़ रखते हैं और उन नक़ूल पर भी इतलाक़ रखती हैं कि जो बग़रज़ सनद और नीज़ बग़रज़ अपील ली जाती हैं जो अशख़ास नक़ूल तैयार करेंगे वह मुरातिब मतलूबा क़ायदा ९ व १० को फ़ारसी में फ़ारसी नक़लकी पुश्त पर और अंगरेज़ी में अंगरेजी नक़ल की पुश्त पर दर्ज करेंगे ।

दफ़अ़ १६–आयंदा शरह उजरत नक़लनवीस मुन्दर्जह ज़ैल पर बख़ूबी अमलदरामद होना चाहिये ।

नक़ूल अंगरेजी

२०० अलफ़ाज़ और २०० से कम.... .... ।=)

फ़ी १०० अलफ़ाज अलावह ... . =)

नक़ूल फ़ारसी

२०० अलफ़ाज़ और २०० अलफाज़से कम .... ≡)

फ़ी १०० अलफ़ाज़ अलावह .... -)

उजरत नक़्शजात शजरह या नक़्शजात हदूद या दीगर कार नक़्शा वग़ैरह अफ़्सर मोहतमिम की राय पर मुनहसिर है–

दफ़ा (१७) अफ़्सर मुक़र्ररा मज़कूरा बाला को रजिस्टर हर रोज़ मुलाहिज़ा करना चाहिये और वह इस अमर का ज़िम्महवार होगा कि कोर्टफ़ीस नक़ूल का क़रार वाक़ रजिस्टर मुआयनामें दर्ज होताहै और नीज़ इस अमरका कि कोर्टफ़ीसस्टाम्प क़ब्ल इसके कि सायल को नक़ल दी जाती है मनसूख़ किया जाताहै और साहब डिपुटी कमिश्नर को भी चाहिये कि उसका कभी २ मुलाहिज़ा मुआयना किया करें–

दफ़अ़ ३०१–चूंकि रियासत हाय देशी में बहुत कम स्टाम्प मुन्क़श का रिवाजहै इसलिये एक मुहर स्टाम्प की तैयार कराई जावे और सादे काग़–

जोंपर एक मर्तबा इक़साम व तादाद मुख़्तलिफ़ के काग़ज़ात पर सब्त करके उन लोगों के हाथ फ़रोख्त करदेने चाहिये जो अरायज़ नवीसीका पेशा करते हैं।

दफ़अ़ ३०२–हर एक अ़दालत में मोहर पीतल या चांदी पर बज़ुबान मुरव्विजा अ़दालत कुन्दा कराकर रक्खी जावेंगी और अलावा इस मुहर के एक दूसरी मुहर अ़दालत के काग़ज़ नक़ूल पर दर्ज होगी और उसके दर्मियानी हिस्सह में अफ़सर के दस्तख़त हेंगे दस्तख़तों की जगह खुली हुई होनी चाहिये।

नमूना मुहर बराय नक़ल

नक़ल बिल्कुल सही है
अहमद अलाखां मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
रियासत सिरोही
मुल्क मग़रबी राजपूताना

मुहर
अ़दालत मजिस्ट्रेटी
दर्जह अव्वल मुक़ाम
रियासत सिरोही
मुल्क मग़रबी
राजपूताना

दफ़अ़ ३०३–चूंकि क़ानून मुआमलात से वाकिफ़ व आगाह होना निहायत ज़रूर है इसलिये अ़दालत हाय देशी में किसी गवर्नमेन्ट का गज़ट अपनी रियासत में मंगाना चाहिये जो निहायत कार आमद और मुफ़ीद चीज़ है ऐसे गज़ट हमेशा हरएक क़ानून की तरमीम व तनसीख़ या क़ानून जदीदसे ममलू होते हैं।

दफ़अ़ ३०४–अगर माहवारी रिपोर्ट मुक़द्दमात के किसी हाईकोर्ट बृटिश अमलदारी से तलबकी जावे और अफ़सरान् व हाकिमान् अ़दालत के मुताला में रहे तो बहुत ही मुनासिब हो–

ताज़ीरात हिन्द के बाब और क़लमों के याद करने की सहल तर्कीब ।

बाब	क़लमें
पहलाबाब तमहीद	इब्तदाय दफ़ा(१) लगायत (५)
दूसराबाब तशरीहात	६ लगायत (५२)
तीसराबाब सज़ाओंका बयान	५३ लगायत ७५
चौथाबाब मुसतशनियात आम्मा....	७६ लगायत १०६
पांचवाबाब अआनत ...	१०७लगा० १२०
छठाबाब जरायम खिलाफ़ वर्ज़ी बा सर्कार...	१२१लगा० १३०
सातवांबाब जरायम मुताल्लिका अफ़वाज बहरी व बर्री	१३१लगा० १४०
आठवांबाब उन जुर्मोंके बयानमें जो आसूदगी आम्माखलायकके मुखा-	१४१लगा० १६०
नवांबाब उन जुर्मोंके बयानमें जो सर्कारी मुलाज़िमोंसे सरज़द या उनसे मुताल्लिक़ हों ...	१६१लगा० १७१
दसवांबाब सर्कारी मुलाज़िमोंके इख्तियारात जायज़ की तहकीर	१७२लगा० १९०
ग्यारहवांबाब झूठी गवाही और जरायम मुखा-	१९१लगा० २२९

बाब	क़लमें
लिफ़ मादिलत आम्मा	
बारहवांबाब उन जर्मोंके बयानमें जो गवर्नमेन्ट या स्टाम्पसे मुताल्लिक़हैं	२३०ल. २६३
तेरहवांबाब उन जुर्मोंके बयान जो बाटों और पैमानों से मुताल्लिक़हैं	२६४ल. २६७
चौदहवांबाब उन जुर्मोंके बयान मे जो आम्मा खलायक के आफ़ियत और अमन और आसायश और हवा और आदातपर मुतवस्सिरहैं	२६८लगायत (अलिफ़)२९१
पन्द्रहवांबाब उन जुर्मोंके बयानमें जो मज़हबसे मुताल्लिक़ हैं	२९५ला. २९८
सोलहवां बाब उन जुर्मोंके बयानमें जो जिस्म इन्सान और जान इन्सान पर मवस्सरहैं	२९९ल. ३११
(अलिफ़)इसक़ात हमल कराने औरको ज़रर पहुंचानेऔर बच्चोंको बाहर डाल देने और अखफ़ाम तबल्लदके बयानमें...	३१२ल. ३१८

(बाब पंजुम अआनत—जमीमा अव्वल मजमूअ हाज़ा—नक़्शा जरायम)

दफ़ा	जुर्म	आया काबिलजमानत है या नहीं	सज़ाहस्ब मजमूअ ताज़ीरात हिन्द	किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी
१०९	किसी जुर्मकी अआनत अगर वह जुर्म जिसमें अआनतकी गईहै उस अआनतके सबबसे हुआहो और उसकी सज़ाके वास्ते कोई सरीह हुक्म नहो।	अगर जिस जुर्मकी अआनत की गई है वह काबिल जमानत है तो मुअय्यन को जमानत पररिहाई दी जायगी	वह सज़ा जो उस जुर्म के लिये जिसमें अआनत की गई हो मुकर्रर है	उसी अदालत से जिसमें वह जुर्म जिसमें अआनत की गई हो तजवीज किये जानेके लायक़ है।
११०	किसी जुर्मकी अआनत अगर शख्स मुआन् नीयते मुग़ाबिर व नीयते मुईनसे जुर्म मज़कूरका मुर्तकबहो			
१११	किसी जुर्मकी अआनत जबकि अआनत एक फ़ैलमेंहो और कोई फ़ैल मुग़ायर किया जावे मगरशर्त कालिहाज़ रहे		वही सज़ा होगी जो उस जुर्म की पादाश होती जिसमें अआनत करने का क़स्दकिया गया।	

११२	किसी जुर्मका अआनत जबकि कोई नतीजा उस फ़ेलसे पैदाहो जिसमें अआनत की गईहै और वह नतीजा मक़सूद मुअयानसे मुग़ायरहो।	ऐज़न	वही सज़ा होगी जो उस जुर्मके लिये मुक़र्ररहै जिसका इर्तकाब हुआ।	
११३	किसी जुर्मकी अआनत अगर मुअय्यन इर्तकाब जुर्मके वक्त मौजूदहो।	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
११४	उस जुर्ममें अआनत करना जिसकी सज़ाय मात या हब्स दवाम बा अबूर दर्याय शोरसेहै अगर जुर्म का इर्तकाब अआनतके सबबसे न हुअहो	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	दोनों किस्मोंमेसे एक क़िस्मकी क़ैद हफ्त साला और जुर्माना।	ऐज़न
	अगर एक फ़ेल जो ऐज़ाका मूजिबहै अआनतके सबब किया जावे।	ऐज़न	दोनों किस्मोंमेसे एक क़िस्मकी क़ैद चार व दह साला और जुर्माना।	ऐज़न
११५	इस जुर्ममें अआनत करनी जिसकी सज़ा क़ैदहै अगर जुर्मका इर्तकाब अआनतके सबबसे नहो।	बलिहाज़ इसकेकि जुर्म जिसकी अआनत की गई क़ाबिल ज़मानत है या नहीं	दोनों किस्मोंसे किसी क़िस्मकी क़ैद जो उस जुर्मकीपादाश मुक़र्ररहै और इसकी मयाद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मयादकी एक चौथाई तकहो सक्तीहै या जुर्माना या दोनों।	ऐज़न

	अगर मुअय्यन या मुआन मुलाज़िम सर्कारीहो जिसपर उस जुर्मका इन्सदाद करना लाज़िम है।	बलिहाज़ इसके कि जुर्म जिसकी अआनत की गई क़ाबिल ज़मानत है या नहीं	दोनों किस्मोंसे एक किस्मकी कैदकी सज़ा जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक़र्ररहै और उसकी मयाद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मयादकी एक निसूफ़ तक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों।	उस अदालतसे जिसमें वह जुर्म जिसमें अआनतकी गई हो तजवीज़ किये जानेके लायक़है।
११६	उन जुर्मके इतकाबमें अआनत करना जिसको आम्मा खलायक़ या दश अशखास से ज़ियादा करैं।	ऐज़न	दोनों किसमो में से एक क़िस्मकी कैद सह साला या जुर्माना या दोनों	ऐज़न
११७	उस जुर्म के इर्तकाब की तदबीर का छिपाना जिसकी सज़ा मौत या हब्स दवाम बा अबूर दर्याय शोर है अगर जुर्म का इर्तकाब न हुआ हो।	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों किस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमें से ए किस्मकी और जुर्माना	ऐज़न
११८	सर्कारी मुलाज़िम जो कि ऐसे जुर्म के इर्तकाबकी तदबीर को मखफ़ी करे जिसका इन्सदाद उस पर वाजिब है अगर जुर्म मज़कूर का इर्तकाब हुआ हो।	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत की गई हो काबिलज मानतपररिहादी जावेगी	दोनों क़िस्मों मे से किसी क़िस्मकी कैद जो उस जुर्मकी पादाश में मुकर्रर और उसकी मयाद उस कै की बडी से बडी मयादके एक निस्फतक हो सकती है या जुर्माना या दोनों सजाये।	ऐज़न

	अगर उस जुर्म की सज़ा मौत या हब्स दवाम बा अबूर दर्याय शोर हो—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी—	ऐज़न
	अगर जुर्मका इर्तकाब न हुआ हो—	अगरवह जुर्म जिसमें अआनतकी गई है क़ाबिल जमानत हो तो मुअय्यनकी जमानत पर रिहाई दी जावेगी—	दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद जो जुर्मके पादाश में मुक़र्रर है और उस की मयाद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मयाद की एक चौथाई तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों सज़ायें—	
११९	उस जुर्मके इर्तकाब की तदबीरका मुख़फ़ी करना जिसकी सज़ा क़ैदहै अगर जुर्मका इर्तकाब हुआहो।	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	अगर जुर्मका इर्तकाब न हुआहो—	ऐज़न	दोनों क़िस्मोंमेंसे किसी क़िस्मकी क़ैद जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक़र्ररहै और उसकी मयाद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मयादके आठवें हिस्से तक होसकतीहै या जुर्माना या दोनों सज़ायें—	

बाब शशम्.

जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी बासर्कारके बयानमें।

१२१	मल्का मुअज़्ज़माके मुक़ाबलेमें जंग करना या उसका इक़दाम या मल्का मुअज़्ज़माके मुक़ाबलहमें जंग करनेमें अआनत करना-	क़ाबिल जमानत नहीं है-	मौत या हब्सदवाम बा अबूर दर्यायशोर और ज़ब्ती जायदाद-	अदालतआला
अलिफ़	बाज़ जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी सर्कारके इर्तकाबमें साज़िश करना-	क़ाबिल जमानत नहीं है-	हब्सदवाम बा अबूर दर्याय शोर दायमी या किसी कम मयादकी या दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी क़ैद दह साला-	ऐज़न
१२१	मल्का मुअज़्ज़माके मुक़ाबले में जंग करने की नीयत से हथियार वग़ैरा फ़राहम करना-	ऐज़न	हब्स दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और ज़ब्तीजायदाद-	ऐज़न
१२२	जंग करनेकी तदबीर को उसके आसान करनेकी नीयत से मुख़फ़ी करना-	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न
१२३	इख़्तियार जायज़ के नाफ़िज़ करने पर मजबूर करने या उस से बाज़ रखनेकी नीयत से गवर्नर जेनरल या गवर्नर वग़ैरह पर हमला करना-	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला। दोनों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न

१२४ (अलिफ़)	ख़याल बदख्वाही की तरग़ीब. देना या उसका क़दाम करना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दर्याय शोर या किसी मयादके लिये मय जुर्माना या दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी क़ैद सह साला मये जुर्माना या जुर्माना–	अदालत आला
१२५	किसी अशयाय मुल्कके वालीके मुक़ाबले में जो मल्का मुअ़ज्जमासे या मसालहत रखता हो जंग करना या जंग मज़कूर में अआनत करना–		हब्स दर्याय शोर और जुर्माना या क़ैद हफ्त साला व दोनों किस्मों में से एक क़िस्मकी मय जुर्माना या जुर्माना–	ऐज़न
१२६	उस वाली मुल्क में ग़ारत गरी करना जो मल्का मुअ़ज्जमासे या सुलह रखता हो–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म और जुर्माना और बाज़ जायदाद की ज़ब्ती–	ऐज़न
१२७	ऐसे माल को अपनी तहवील में रखना जो जंग या ग़ारतगरी मज़कूरा दफ़ात १२५ व १२६ के ज़रिए से हासिल किया गया हो–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

१२८	सर्कारी मुलाज़िम असीर सुलतानी या असीर जंग को जो उसकी हिरासत में हो भाग जाने दे–	ऐज़न	हब्स दर्यायशोर या कैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
१२९	सर्कारी मुलाज़िम असीर सुलतानी या असीर जंगको जो उसकी हिरासत हो ग़फ़लत से भाग जानेदे।	क़ाबिलजमानत के हो	कैद महज़ सह साला औरजुर्माना–	ऐज़न–मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल।
१३०	असीर मज़कूरके भाग जाने या छुड़ाने या पनाह देने में मदद करना या उस की मुकर्ररी गिरफ्तारी किये जाने में करना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं	हब्स दर्याय शोर या कैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना–	अदालत आला

बाबहफ्तम्

जरायम् मुताल्लिक़ा अफ़वाज बहरी व बर्री के बयानमें।

१३१	बग़ावत में अआनत करना या किसी अफ़सर या सिपाही या खल्लासी जहाज़ी को ताअत या ख़िद्मत मनसबी न करने की अग़वा का इक़दाम करना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर या कैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना–	अदालत आला–

बाब हफ्तम्‌.

जुर्माना मुताल्लिक़ा अफ़वाज बहरी व बरींके बयानमें ।

१३२	अआनत बग़ावत अगर बग़ावत का इर्तकाब उस अआनत के सबब से किया जावे—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	मौत या हब्स द-वाम ब अबूर दर्याय-शोर या क़ैद दहसाला व दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला
१३३	उस हमलह की अआनत जो कोई अफ़सर या सिपाही या खल्लासी जहाज़ी अपने अफ़सर बाला दस्त पर जबकि वह अपने ओहदेका काम अंजाम देरहाहो करे—	ऐज़न	क़ैद सहसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न—या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
१३४	हमलह मज़कूर की अआनत अगर हमलह का इर्तकाब हो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला
१३५	किसी अफ़सर या सिपाही या ख़ल्लासी जहाज़ी की नौकरी पर से भाग-जाने में अआनत करना—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद दो साला दोनों किस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
१३६	फ़रारी अफ़सर या सिपाही खल्लासी जहाज़ी को पनाह देना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

१३७	फ़रारी नौकर का किसी सौदागरी मरक़बतरी में नाख़ुदा या मोहतमिम की गफ़लतसे छुपा देना–	ऐज़न	पांच सौ रुपया जुर्माना–	ऐज़न
१३८	उदूलहुक्मी में किसी अफ़सर या सिपाही या खल्लासी जहाज़ी की अआनत करना–अगर जुर्म उस अआनत के सबब से वक़ूअ में आये–	ऐज़न	क़ैद शशमाह दोनों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	वह लिबास पहनना या वह निसान लिये फिरना जिसको कोई सिपाही इस्तैमाल करता हो इस नीयत से कि लोग उस को ऐसाही समझें–	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों मेंसे एक किस्मकी या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों–	हरमजिस्ट्रेट

बाब हश्तम्

उन जरायमके बयान में जो आसूदगी आम्मा खलायक़ के मुख़ालिफ़में ।

	किसी मजमा ख़िलाफ़ क़ानून में शरीक़ होना– असलये मौहलिक से मुसल्ला होकर–	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों ।	हर मजिस्ट्रेट

	किसी मजमअ खिलाफ़ कानून में शरीक होना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न
	किसी मजमै खिलाफ़ कानून में यह जानकर कि उसको मुतफ र्रक़ हो जाने का हुक्म हो चुका है दाख़िल होना या दाख़िल रहना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	बलवा करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	सलाह मौहलिक से मसलह होकर बलवा करना—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों किस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट मे जीडेंसी दर्जा अव्वल—
	अगर कोई जुर्म किसी मजमै खिलाफ़ क़ानून के किसी एक शरीकसे सरज़द हो तो उस मजमै का हर दूसरा शरीक उस जुर्म का मुजरिम मुतसव्वुर होगा—	अगर असल मुजरिम ज मानत पर रिहा होसक ता हो तो हर शरीकमजमा भी ज़मानत पर रिहा हो सकेगा वर्ना नहीं—	जो सजा असल मुजरिम की होगी व ही सज़ा होगी—	तजवीज मु जरिमकी इस अदालत से हो गी जहां असल जुर्म मजकूर लायक़ तजवीज होगा—
	किसी मजमा खिलाफ़ क़ानून में शामिल होनेके लिये अशखासको उजरत पर रखना या उनसे	ऐज़न	वही सज़ा जो उ स मजमै नाजायज के किसी शरीक को और उस जुर्मकी पा- दाश में हो सकती है	ऐज़न

क़रारदाद करना या नौकर रखना—		जिसका इर्तकाब मजमै मज़कूर का कोई शरीक करे—	
पाँच या ज़ियादा शख़्सोंके मजमामें बाद इसके कि उसको मुतफ़र्रिक़ होने का हुक्म हो चुका हो जानबूझ कर दाख़िल होना या रहना—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या	हर मजिस्ट्रेट
किसी सर्कारी मुलाज़िम पर उस वक्त हमला करना या उसका मजाहम होना जब कि वह किसी बलवा वग़ैरह को फ़रो कर रहा हो—	ऐज़न	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
बलवा कराने की नीयत से किसीकी तबीअत को बदी के साथ मुश्तइल करना अगर बलवा इर्तकाब हो—	ऐज़न	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट
अगर बलवाका इर्तकाब न हुआ हो—	ऐज़न	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न
ज़मीन का मालिक या वकील जो बलवा वग़ैरहकी ख़बर न देवे-	ऐज़न	एक हज़ार रुपया जुर्माना—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम

	वह शख़्स जिसके नफ़ा के लिये या जिसकी तरफ़से बलवा वाके़ हुआहोतमाम तदबीर जायज़ उसके रोकनेके लिये अमलमें न लायेगा।	ऐज़न	जुर्माना	ऐज़न
	उस मालिक या दख़ीलका कारिंदा जिसके नफ़ाके लिये बलवाके लिये इर्तकाब हुआहो तमाम तदबीर जायज़ उसके रोकनेके लिये अमल न लाये।	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	उन शख़्सों का पनाह देना मजमै़ नाजायज़ के लिये उजरत पर नौकर रक्खे गये हों–	ऐज़न	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	किसी मजमा़ ख़िलाफ़ क़ानून या बलवामें शामिल होने के लिये उजरत पर रक्खा जाना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	या मसलह होकर फिरना–	ऐज़न	दो साला क़ैद दोनों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न

	इर्तकाब हंगामा–	ऐज़न	क़ैद यक माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या सौरुपया जुर्माना या दोनों–	हर मजिस्ट्रेट

बाब नहम।

उन जुर्मोंके बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमोंसे सरज़द या मुताल्लिक़हों।

	सर्कारी मुलाज़िम या सर्कारी मुलाज़मी का उम्मेदवार होकर किसी अमल मन्सबी की बाबत अजर जायज़ के सवा कोई और मावेउल एतज़ाज़लेना–	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल–
	फासिद या नाजायज़ वसीलोंसे सर्कारी मुलाज़िम पर दबाव डालने के लिये मावेउल एतज़ाज़लेना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	सर्कारी मुलाज़िमके साथ रसूक़ ज़ाती अमलमें लानेके लिये मावेउल एतज़ाज़लेना–	ऐज़न	क़ैद महज़ एक साला या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल–

सर्कारी मुलाज़िमोंका उन जुर्मोंमें अआनत करना जिनकी तारीफ़ पिछले मुलहक़ुलज़िक्र दोदफ़ों में मुन्दर्जहै और जो खुद इसकी निस्बत वकूअमें आयें–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
सर्कारी मुलाज़िमका किसी शख़्ससे ऐसे मुआमलह या मुक़द्दमहसे ताल्लुक़ रखताहो जिसको उस सर्कारी मुलाज़िमने अंजाम दिया हो कोई क़ीमतीशै बिलाबदल हासिल करना–	ऐज़न	क़ैद महज़ दो साला, या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
सर्कारी मुलाज़िम का किसी शख़्सको नुक़सान पहुंचानेकी नीयतसेहिदायतक़ानूनसे इनहराफ़ कर्ना–	ऐज़न	क़ैद महज़ एक साला या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
सर्कारी मुलाज़िम का किसी शख़्सको नुक़सान पहुंचानेकी नीयतसे ग़लत दस्तावेज़ मुरत्तिबकर्ना–	ऐज़न	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल–

	सर्कारी मुलाज़िम को नाजायज़ तौर पर तिजारत में मसरूफ़ होना—	ऐज़न	क़ैद महज़ यक साला या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
	सर्कारी मुलाज़िम का नाजायज़ तौर पर कोई माल ख़रीद करना या उसकेलिये नीलाम में बोली बोलना—	ऐज़न	क़ैद महज़ दो साला या जुर्माना या दोनों और ज़ब्ती माल अगर ख़रीदा गया हो—	ऐज़न
	सर्कारी मुलाज़िम बनना—	ऐज़न	क़ैददो साला दोनों किस्मोंमेंसेएककिस्म की या जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट

बाबनहम.
उन जुर्मोंके बयानमें जो सर्कारी मुलाज़िमोंसे सरज़द या उनसे मुताल्लिक़हों ।

	फ़रेबकी नीयतसे वह लिबास पहनना या वह निसान लिये फिरना जिसको सर्कारी मुलाज़िम इस्तैमाल करताहो	क़ाबिल ज़मानत	क़ैद सह माह दोनों क़िस्ममेंसे एक क़िस्मकी या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों।	हरमजिस्ट्रेट

बाबदहम.
सर्कारी मुलाज़िमों के इख़्तियारात जायज़की तहक़ीर के बयानमें ।

	सर्कारी मुलाज़िमके समन या और इत्तला अ़नामहका अपने पास तकपहुंचनाटालदेनेके लिये रूपोश होजाना।	क़ाबिलज़मानत है	क़ैद महज़ यकमाह या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट

	अगर समन या इत्तलाअ़नामामें कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असालतन् हाज़िर होने वग़ैरः का हुक्म हो–	ऐज़न	क़ैद महज़ शशमाह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों–	
	समन या इत्तला अ़नामह की तामील या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबकि वह चस्पां करदिया गयाहै उसको उखाड़ना या किसी इश्तिहारके मुश्तहर किये जानेको रोकना	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेटी प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
	अगर समन वग़ैरह में कोर्टआफ़ जस्टिस में असालतन् हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो–	ऐज़न	क़ैद महज़ शशमाह या हज़ार रुपये जुर्माना यो दोनों–	ऐज़न
	किसी खास मुक़ाम में असालतन् या मुख्तारतन् हाज़िर होनेके हुक्म जायज़से उदूल करना या वहां से बिला इजाज़त चलाजाना–	ऐज़न	क़ैद महज़ शश माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों–	
	अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असालतन हाज़िर होने वग़ैरह की हिदायत हो–	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों–	

	ऐसे शख्स़ का किसी सर्कारी मुलाज़िमके हुज़ूर में किस दस्तावेज़के उमदन् पेश करने से बाज़ रहना जिसपर उस दस्तावेज़ का पेश करना या हवालह करना कानूनन् वाजिब है–	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों–	बर आयत अहकाम बाब ३५ उस अ़दालत में जुर्मकी तजवीज़ होगी जहां जुर्मका इर्तकाब हो और अगर जुर्म मज़कूर का इर्तकाब किसी अ़दालत में न हुआ हो तो जुर्मकी तजवीज़ मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी दर्जह अव्वल या दोम करेगा–

बाब दहम.

सर्कारी मुलाज़िमोंके इख्तियारात जायज़की तहक़ीरके बयानमें ।

	अगर दस्तावेज़ मज़कूर को किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें पेश करना या हवालहकरना जरूरहो–	काबिल ज़मानत है	क़ैद महज़ शशमाह या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	ऐसे शख्सका उम्दन् सर्कारी मुलाज़िमको इत्तलाअ़ या ख़बर देनेको तरक	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माहा या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों	ऐज़न

	करना जिसपर इत्तलाअ़ या ख़बर देनी क़ानूनन् वाजिबहै–			
	अगर इत्तलाअ़ या खबर मतलूबा किसी जुर्मके इर्तकाबसे मुताल्लिक़्हो–	ऐज़न	क़ैद महज़ शश माह एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	जानबूझकर किसी सर्कारी मुलाजिमको झूठी ख़बर देना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	अगर ख़बर मतलूबा किसी जुर्म वग़ैरह के इर्तकाबसे मुताल्लिक़्हो–	ऐज़न	क़ैद दो साला– दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	हलफ़ उठाने से इन्कारकरना जब कोई सर्कारी मुलाज़िम हलफ़ उठाने का बाज़ाब्ता हुक्म दे।	ऐज़न	क़ैद महज़ शश माह एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों–	ब रिआयत अहकाम बाब ३५ जुर्मकी तजवीज़ उसी अ़दालत में हो कि जहां जुर्म का इर्तकाब हुआ हो या अगर जुर्म का इर्तकाब किसी अ़दालत में न हुआ हो तो जुर्मकी तजवीज़ मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोम करेगा–

	बावस्फ़ इसके कि सच बयान कर्ना एक शख्स पर क़ानूनन् वाजिबहै उसका सवालात के जवाब देनेसे इन्कार कर्ना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	बयान पर जो किसी सर्कारी मुलाज़िम के रोबरू किया गया हो दस्तख़त करनेसे इन्कार करना जब कि बतरीक़ जायज़ दस्तख़त करने का हुक्म दिया जावे—	ऐज़न	क़ैद महज़ सह माह या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
	सर्कारी मुलाज़िमके रोबरू मदन् बहल्फ़ झूठ को सच बयान करना—	ऐज़न	क़ैद सह साला व दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
	सर्कारी मुलाज़िम को इस गरज़ से झूठी ख़बर देना कि वह अपना इख्तियार जायज़ किसी और शख्स को नुक़सान या रंज पहुंचानेके लिये नाफ़िज़ करे—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—

	किसी मालके लिये जाने में जो किसी सर्कारी मुलाज़िमके इख्तियार जायज़की रूसे लिया जाता हो तार्रुज़ करना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	किसी मालके नीलाम में जो किसी सर्कारी मुलाज़िमके इख्तियार जायज़की रूसे नीलाम पर चढ़ाया गया हो मज़ाहम होना–	ऐज़न	क़ैद यक माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	ऐसे मालके लिये जो इख्तियार जायज़की रूसे नीलाम पर चढ़ाया गया हो उस शख़्स का बोली बोलना जो उसके ख़रीदनेसे क़ानूनन् माज़ूर है या बिला क़सद तामील उन शरायतके जो उस बोली बोलनेसे उस पर वाजिबुल् तामील होंगी बोलीबोलना–	ऐज़न	क़ैद यक माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों–	

याज़्दहम झूठी गवाही और जरायम् मुख़ालिफ़ मादल आम्मा के बयानमें.

	जुर्म क़ाबिल सज़ाय हब्स दवामी बाबूर दर्याय शोर या क़ैद ज़ायद अज़ हफ्त सालाके साबित करा नेकी नीयतसे झूठी गवाही देना-	क़ाबिल जमानत नहीं है	वही सज़ा जो उसके लिये मक़र्रर है-	अदालत आला
	अदालतकी किसी कार्रवाईमें ऐसी वजह सबूतको काममें लाना जिसके झूठ या बनाये हुए होनेका इल्म हो-	अगर उस गवाही देनेका जुर्म जमानतके काबिल हो तो ऐसी वजह सबूत काम में लानेवाला जमानत पर रक्खा जावेगा व इल्ला फ़ला	वही सज़ा जो झूठी गवाही देने या बनानेके पादाश में मुक़र्रर हुई है-	ऐज़न या मजिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल-
	जान बूझकर ऐसा झूठा सार्टीफिकट जारी करना या उस पर दस्तख़त करना जो किसी ऐसे अमर वाक़े से मुताल्लिक़हो जिसकी वजह सबूत में वह सार्टीफ़िकट कानूनन् लिये जाने के लायक है-	क़ाबिल ज़मानत है.	वही सज़ा जो झूठी गवाही देनेकी पादाश में मुक़र्रर हुई है-	

	ऐसे सार्टिफ़िकट को जिसका किसी अमर अहम्की बाबत झूठ होना मालूम हो सच्चे सार्टिफ़िकटकी हैसियतसे काम में लाना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	किसी इज़हारमें जो क़ानूनकी रूसे वजह सबूत के तौर पर लिये जानेके लाय क़है या झूठ बयान करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	झूठ जाने हुये किसी ऐसे इज़हारको सच्चे इज़हारकी है-सियत से काम में लाना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	मुजरिम को बचानेके लिये इर्तकाब किये हुये किसी जुर्मकी वजह सबूतको ग़ायब करादेना या उसकी निस्बत झूठी ख़बर देना जबकि जुर्म मज-कूर क़ाबिल सज़ाय मौतहो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला

जबकि मस्तूजिब हब्सदवामी दर्याय शोर या क़ैद दह सालाहो–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जु-र्माना–	अदालतआ-ला ऐज़न मजि-स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जहअव्वल–
जब कि मस्तूजिब क़ैद कम अज़ दह सालहो–	ऐज़न	उस क़िस्मकी कैदकी सजा जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक़र्रर है और उस-की मयाद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मयाद की एक चौ-थाई होगी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या वह अदालत जो उस जुर्मकी तजवीज़ करने की मजाज़ है–
ऐसे शख्सका क़सदन् किसी जुर्मकी ख़बरदेनेसे बाज़ रहना जिसपर ख़बर देनी-क़ानूनन् वाजिबहै–	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद शशमाह दोनों किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
किसी जुर्म सर-ज़दह की निस्बत झूठी ख़बर देना–	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
लवाजिम मन्सबी के अंजाम दहीमें स-र्कारी मुलाज़िमकी म-ज़ाहमत करनी–	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या पांचसौ रुपया ज़ुर्माना या दोनों–	ऐज़न

	सर्कारी मुलाज़िम की मदद देनी को तरक करना जबकि क़ानूनकी रूसे मदद देनी वाजिब है–	ऐज़न	क़ैद महज़ एक माह या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	सर्कारी मुलाज़िमको तामील हुक्मनामा या इन्सदाद जरायम वग़ैरहमें मदद तलब करे मदद देनेमें अम्दन् ग़फ़लत करनी–	ऐज़न	क़ैद महज़ शश-माह या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	सर्कारी मुलाज़िमकी बाज़ाब्तह मशहूर कराई हुई हुक्म से उदूल करना अगर ऐसी उदूलहुक्मी उन असखाशको जो किसी कारखानेमें मसरूफहों मज़ाहमत या रंज या नुक़सान पहुंचाये–	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह या दोसौ रुपये जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
	सर्कारी मुलाज़िमको कोई मनसबी अमल करने या उसके करने से बाज़ रहने की तर्गीब देने के लिये खुद उसको या किसी दूसरे शख्स को जिससे वह	ऐज़न	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न

सर्कारी मुलाज़िम- ताल्लुक़ रखता हो नुक़सान पहुँचनेकी- धमकी देना-			
किसी शख्स को इस नीयत से धमकी देना कि वह किसी नुक़सानसे महफ़ूज़ रहनेकी दरख्वास्त जायज़के गुज़रानेसे बाज़रहे-	ऐज़न	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों-	

बाबयाज़दहुम्-
झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादलत आम्माके बयानमें ।

अदालतकी किसी कारवाईमें झूठी गवाही देना या बनाना-	क़ाबिल ज़मानत है-	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना-	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल-
किसी और हालत में झूठी गवाही देना या बनाना-	ऐज़न	क़ैद सह साला दानों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न
किसी शख्स को जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौतका मुजरिम करानेकी नीयत से झूठी गवाही देना या बनाना-	क़ाबिल ज़मानत नहीं है.	हब्स दवाम् बाबूर दर्याय शोर या क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना-	अदालत आला

अगर इस झूठी गवाही देने या बनानेके सबब शख्स बेगुनाह मुजरिम साबित हो के सज़ाय मौत पा जाय—	ऐज़न	मौत या सज़ाय मज़कूर उल सदर—	ऐज़न
वजह सबूत के तौर पर किसी दस्तावेज़के पेश किये जानेको रोक देनेके लिये उसे मख़फ़ी या ज़ाए करना—	ऐज़न	ऐज़न	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
किसी दीवानी या फ़ौजदारी मुक़द्दमह में किसी अमर या अमलदरामदके लिये या हाज़िरज़ामिन या मालज़ामिन हो जाने के लिये झूठमूठ कोई और शख्स बनना—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी दर्जह अव्वल—
किसी मालका फ़रेबन् टालदेना मख़फ़ी करने वग़ैरह ताकि ज़ब्तीके तौर पर या किसी हुक्म सज़ाके मुताबिक जुर्मानहकी एवज़ में या किसी डिगरीकी तामीलमें कुर्क़ कियाजाना रुकजाय—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—

इसनीयतसे किसी मालका बिलाइस्तह क़ाक़ दावीदार होना या उसके किसी हक़ की निस्बत मुग़ालता दिही अमलमें लाना कि जब्तीके तौर पर या किसी हुक्मसज़ाके मुताबिक़ जुर्मानहके एवजमें या किसी डिगरीकी तामील में उसका कुर्क़ किया जाना रुक जाय–	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोम
ग़ैरवाजिब रुपयेके लिये फ़रेबन् डिगरी सादिर होने देना बाद वसूल होजाने मतालिबा के डिगरी का इज्राय होनेदेना–	ऐज़न	ऐज़न	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में झूठादावा करना–	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी औरजुर्माना	ऐज़न
ग़ैर वाजिब रुपये के लिये फ़रेबन् डिगरी हासिल करना या बाद वसूल मतालिबाके डिगरी का इजराय करना–	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
नुक़सान पहुँचानेकी नीयतसे जुर्म का झूठा दावा करना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

अगर वह जुर्म जिसका दावा किया जाय क़ाबिल सज़ाय मौत या हब्सदवाम बाबूर दर्याय शोर या क़ैद ज़ायद अज़ हफ्त साला हो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला
पनाह दही अगर मुजरिम क़ाबिल सज़ाय मौतहो—	क़ाबिल जमानत है।	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला— मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जाअव्वल
अगर क़ाबिल सज़ाय हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर या क़ैद दहसाला—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
अगर क़ाबिल सज़ाय क़ैद यकसाला हो न क़ैद दह साला—	ऐज़न	उस क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा जो उस जुर्मके पादाश में मुक़र्ररहै और उसकी मयाद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मयाद की एक चौथाई तक हो सकतीहै या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या वह अदालत उस तजवीज़ की मजाज़ है—
मुजरिम को सज़ासे बचाने के लिये सलाह वग़ैरह लेना अगर जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौतहै—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला

	अगर क़ाबिल सज़ाय हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर या मयकैद दहसाला–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
	अगर क़ाबिल सज़ाय क़ैद कम अज़ दह सालहो–	ऐज़न	उस क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा जो उस जुर्मके पादाशमें मुक़र्ररहै और उसकी मयाद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मयादकी एक चौथाई तकहो सकतीहै या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या वह अदालत जो उस जुर्मकी तजवीज़ की मजाज़है–
	कोई शख़्स सलाह दे ताकि उस ज़रिएसे मुजरिमके बचानेके एवज़ माल वापिस किया जाय अगर जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौतहो–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत आला
	अगर क़ाबिल सज़ाय हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर या क़ैद दह सालाहो–	ऐज़न	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी औरजुर्माना	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
	अगर क़ाबिल सज़ाय क़ैद कम अज़ दह सालहो–	ऐज़न	उस क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक़र्ररहै और उसकी मयाद बड़ीसे बड़ी मयादकी एक चौथाई तक हो सकतीहै या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या वह अदालत जो जुर्मकी तजवीज़की मजाज़है–

मुजरिमको बगैर गिरफ्तार कराये माल मन्कूलाके बाज़ याफ्त में मदद करनेके लिये उस शख्ससे सुलह लेना जो उस मालके जुर्मके सबब मजरूम ......कियागयाहो—	क़ाबिल जमानत	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट मे जीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
ऐसे मुजरिम को पनाह देना जो हिरासत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारीका हुक्म होचुकाहो अगर जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौतहो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालतआला जिस्ट्रेट मेजीडेंसी या माजिस्ट्रट दर्जह अव्वल—
अगर क़ाबिल सज़ाय हब्स दवा मं बाबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला हो।	ऐज़न	क़ैदसहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी मय या बिला जुर्माना—	ऐज़न
अगर क़ाबिल सज़ाय क़ैद यक साला हो न क़ैद दह साला—	ऐज़न	उस क़िस्मकी क़ैदकी सज़ा दीजायगी जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक़र्ररहै और उसकी मयाद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मयादकी एक चौथाईतक होसकती है या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट मे जीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या वह अदालत जो तजवीज़ जुर्मकी मजाज़ हो—

	सर्कारी मुलाज़िम जो किसी शख्स को सज़ा से या माल को ज़ब्ती से बचाने की नीयत से हिदायत क़ानून से इनहिराफ़ करें–	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रे ज़िडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जा दोम–
	सर्कारी मुलाज़िम जो किसी शख्स को सज़ासे या माल को ज़ब्ती से बचाने की नीयतसे ग़लत काग़ज़ सरश्तह या नविश्तह मुरत्तिब करे–	ऐज़न	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला
	सर्कारी मुलाज़िम जो अदालतकी कार्रवाई में ऐसा हुक्म दे और सुनाये या ऐसी कैफ़ियत तज्वीज़ या फ़ैसला मुरत्तबकरे जैसे वह क़ानूनके ख़िलाफ़ जानता हो–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
	शख्स मजाज़ का किसी को तजवीज़ जुर्म या क़ैद के लिये सुपुर्द करना दरहाले कि वह जानताहो कि मैं यह अमर ख़िलाफ़ क़ानून करताहूं–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

	क़सदन् तर्क गिरफ्तारी उस सर्कारी मुलाज़िमकी तरफ़से जिसपर क़ानूनन् किसी मुजरिम का गिरफ्तार करना वाजिबहो अगर वह जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौत हो—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्म की मय जुर्माना या बिला जुर्माना—	अ़दालत आ़ला
	अगर क़ाबिल हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर क़ैद दह साला—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी मय जुर्माना या बिला जुर्माना—	ऐज़न् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल—
	अगर क़ाबिल क़ैदकमअज़ दह साला हो—	ऐज़न	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी जुर्माना या बिला जुर्माना—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम—
	क़सदन् तरक गिरफ्तारी उस सर्कारी मुलाज़िमकी तरफ़ से जिसपर क़ानूनन् किसी ऐसे शख्स का गिरफ्तार करना वाजिब है जिसकी निस्बत किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसने हुक्मसज़ा सादिर किया हो अगर सज़ाय मौतका हुक्म सादिर होचुका हो—	ज़मानतनहीं है—	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद चहार दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी मय जुर्माना या बिला जुर्माना—	अ़दालत आ़ला

अगर सज़ाय हब्स दवाम बाबूर दर्याय शोर या मशक़्क़त ता-रीज़ी दवामी यासज़ाय हब्स बाबूर दर्याय शोर या क़ैद बामशक़्क़त ताज़ीरी बहालत क़ैद ता मयाद दह साला या ज़ायद अज़ दह साल का हुक्म सादिर हो चुका हो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी मय जुर्माना या बिला जुर्माना—	ऐज़न
अगर सज़ाय क़ैद कम अज़ दह साला का हुक्म सादिर हो चुका हो या वह बतरीक़ जायज़ हिरासत में किया गया हो—	क़ाबिल ज़मानत है।	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
सर्कारी मुलाज़िम का ग़फ़लतन् किसी को हब्स से भाग जाने देना—	ऐज़न	क़ैद महज़ दो साला या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वलया दर्जह दोम—
किसी शख़्स का अपनी गिरफ्तारी जायज़ में तारुज़ या मज़ाहमत करना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोम
दूसरे शख़्सकी गिरफ्तारी जायज़ में तारुज़ या मज़ाहमत करना या उसको हिरासत जायज़ से छुटा देना—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—

	अगर शख़्स मज़कूर पर ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम लगाया गया हो जिसकी सज़ा हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला हो–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
	अगर ऐसे जुर्मका इल्ज़ाम लगाया गया हो जिसकी सज़ा मौतहै–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला व दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना–	अदालत आला.
	अगर उसकी निस्बत हुक्म सज़ाय हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या हब्स बअबूर दर्याय शोर या मशक़्क़त ताज़ीरी बहालत क़ैद या क़ैद दह साला या ज़ायद अज़् दह साला सादिर हुआहो–	ऐज़न.	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों किस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	नेक चलनी की ज़मानत न देनेकी सूरत में जो हिरासत हो उससे भागजाना या भागजानेका क़दाम करना–	क़ाबिल ज़मानतहै	एक सालकी क़ैद व दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों सज़ायें–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम।

हब्स बअबूर दर्याय शोर से खिलाफ़ कानून मावदत् कर्ना	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर और जुर्माना और दर्याय शोर से पार उतारे जाने से पहले क़ैद शदीद सेह (३) साला—	अदालत आला—
मुखालिफ़ शर्त मुआफ़ी सज़ा—	ऐज़न	वही सज़ा जिसका हुक्म उसकी निस्बत पहले सादिर हुआहो या अगर कोई जुज़्वन सज़ा भुगत चुका हो उसका बक़िया—	तजवीज़ उस महकमह में होगी जिसमें असल जुर्मकी तजवीज़ हुईहो—
क़सदन सर्कारी मुलाज़िमकी तौहीन करना या उसका हारिज होना जबकि वह अदालतकी कार्रवाईकी किसी नौबत में इजलास कर रहा हो—	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद महज़ शश माह या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों—	ब तबीअत शरायत मुन्दर्जा बाब ३५ उस महकमह में तजवीज़ होगी जहां ब कूअ जुर्म हुआ हो—
अहल जोरी असेसर बनना—	ऐज़न	दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—

बाब दो अज़दहम्.

उन जुर्मोंके बयानमें जो सिक्कह और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुताल्लिक़

	सिक्कहकी तलबीस करना या उसकी तलबीस के अमल की किसी जुज़्वको अंजाम देना–	क़ाबिलज़मानत नहीं है	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना--	अदालत आला
	मलका मुअज़्ज़माके सिक्कह की तलबीस करना उसके तलबीस के अमल का कोई जुज़्व अंजाम देना–	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला व दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	सिक्कहकी तलबीसकी गरज़से औज़ार बनाना या ख़रीदना या फ़रोख़्त करना–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
	तलबीस सिक्कह मलका मुअज़्ज़माकी गरज़ से औज़ारका बनाना या ख़रीदना या फ़रोख़्त करना–	ऐज़न	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला
	तलबीस सिक्कह के काम में लानेकी गरज़ से औज़ार या सामानका पास रखना–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल

	अगर वह सिक्का मल्का मुअज़्ज़माका सिक्काहो—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला
	हिन्दुस्तान में रहकर तलबीस सिक्का में जो हिन्दुस्तानके बाहर होती हो अआनत करना—	ऐज़न	वही सज़ा जो तलबीस सिक्काकी ऐसी अआनतके लिये मुक़र्रर है बृटिश इंडियाके हद्दूदके अंदर हुई हो—	
	तलबीस सिक्का को यह जानकर कि वह तलबीस है अन्दर लाना या बाहर लेजाना—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
	मल्का मुअज़्ज़माके सिक्का से मुवल्लिस सिक्कों को यह जानकर कि वह मुवल्लिस हैं अन्दर लाना या बाहर लेजाना—	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला
	जिस तलबीस सिक्का को क़ब्ज़े में लेते वक़्त जाना हो कि यह मुवल्लिस है उसे रखना या किसी औरके हवालह करना वग़ैरह—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है.	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—

वही जुर्म बनिस्बत सिक्का मल्का मुअज्जमाके—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जे दोम—
ऐसे सिक्कह को असली सिक्कहकी हैसियत से जान बूझकर किसी औरके हवाले करना जिसको हवालह करने वालेने पहले क़ब्ज़ह में लेतेवक़ न जाना हो कि यह मुल्तबि-	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमेंसेएकक़िस्मकी या जुर्माना बक़दर दहगुना क़ीमत सिक्के मुल्तबिसके या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दोम·
उस सिक्कहका मुल्तबिस पासरखना जिसने उसे क़ब्ज़ह में लेते वक़ जान लियाहो कि यह सि-	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना--	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल—
उस शख्सका मल्का मुअज्जमाके सिक्कह से मुल्तबिस सिक्कहको पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़हमें लेतेवक़ जानलियाहो कि यह सिक्का मुल्तबिस है--	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न

	जो किसी टकसालमें मामूर होकर सिक्काको वज़न व तराकीब मुआयना कानून से मुख्तलिफ़ वज़न या तरकीबका हो जानेके बाअसहों--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	ज़र्ब सिक्काके औज़ार को नाजायज़ तौर किसी टकसाल से लेजाना--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	फ़रेब से किसी सिक्कह का वज़न घटाना या उसकी तर्कीब बदलना--	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना--	ऐज़न या माजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल--
	फरेब से मल्का मुअज़्ज़माके सिक्कह का वज़न घटाना या उस की तरकीब बदलना--	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना--	ऐज़न
	किसी सिक्कहकी सूरत को इस नीयत से बदलना कि वह किसी और क़िस्मके सिक्कहकी हैसियत से चल जाय--	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना--	ऐज़न

मल्का मुअज़्ज़माके सिक्कहकी सूरत को इस नीयत से बदलना कि वह किसी और क़िस्मके सिक्केकी हैसियत से चल जाय--	काबिल ज़मानत है-	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
इस सिक्कह का दूसरे शख़्स को हवालह करना जिसको हवाले करने वाला क़ब्ज़ह में लेते वक़्त जान चुका हो कि यह मुबद्दल है-	ऐज़न	क़ैद पंजसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न
मल्का मुअज़्ज़माके सिक्कहका दूसरे शख़्स को हवालह करना जिसको हवालह करने वाला क़ब्ज़ह में लेते वक़्त जान चुका हो कि यह मुबद्दल है-	ऐज़न	दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी दह साला क़ैद और जुर्माना-	ऐज़न
उस शख़्स का मुबद्दल सिक्का को पास रखना जिसने क़ब्ज़ह में लेते वक़्त जान लिया हो कि यह मुबद्दल है-	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न

	उस शख़्स का मल्का मुअ़ज़्ज़माके सिक्कह को पास रखना जिसने उसे क़ब्ज़ह में लेते वक़्त जानलिया हो कि यह मुबद्दल है—	ऐज़न	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	ऐसे सिक्कह को असली सिक्कहकी हैसियत से किसी और को हवाले करना जिसको हवालह करनेवाले ने पहले क़ब्ज़ह में लेते वक़्त मुबद्दल न जाना हो—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या उस सिक्कहकी क़ीमत का दह गुना जुर्माना—	मजिस्ट्रेट मेज़्रिडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
	तलबीस गवर्नमेंटस्टाम्प—	क़ाबिल ज़मानतहै	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अ़दालत आ़ला
	तलबीस गवर्नमेंट स्टाम्पकी ग़रज़ से कोई औज़ार या सामान पासरखना—	ऐज़न	क़ैद हफ़्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	तलबीस गवर्नमेंट स्टाम्पकी ग़रज़ से कोई औज़ार बनाना या ख़रीदना या फ़रोख़्त करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

	तलबीस गवर्नमेंट स्टाम्पका बेचना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	मुल्तबिस गवर्नमेंट स्टाम्पको पास रखना—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी—	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल—
	मुल्तबिस जाने हुए गवर्नमेंट स्टाम्प को असली स्टाम्पकी सियत से काम में लाना—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	किसी माद्दसे जिसपर गवर्नमेण्ट स्टाम्प हो किसी तहरीर का मिटाना या किसी दस्तावेज़ से वह स्टाम्प जो उसके लिये काम में लाया गया हो दूर कर्ना इस नीयतसे कि गवर्नमेंट को नुकसान ना जायज़ पहुंचे—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
	मुस्तमल जाने हुये गवर्नमेंट स्टाम्प को काम में लाना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम—

ऐसे निशानका छीलना जिससे जाहिर कि वह स्टाम्प काममें आचुकाहै—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या ज़ुर्माना या दोनों—	अदालतआला मजिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—

बाबसज़दहम.

उन जुर्मा के बयान में जो बाटों और पैमानोंसे मुताल्लिक़हैं.

तौलने के झूठे आलहको फ़रेबन इस्तैमाल करना—	ऐज़न	कैद एक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट मेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दर्जा दोम—
झूठे बाट या पैमानह को फ़रेबन् इस्तैमाल करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
झूठे बाटों को या पैमानों को फ़रेबन् इस्तैमाल करने के लिये पास रखना—	ऐजन	ऐज़न	ऐज़न
इस्तैमाल फ़रेबाना के लिये झूठे बाट या पैमाने बनाना या बेचना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

बाब चहार दहम.

उन जुर्मोंके बयान में जो आम्मा खलायक़की आफ़ियत और अमन व आसायश व हयात व आदत पर मुवस्सर

ग़फ़लतन् वह काम करना जिसको मुर्तकब जानता हो कि इस से जान को ख़तरा पहुंचानेवाली किसी मर्ज़की अफूनत फैलने का अहतमाल है—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न

बाब चहार दहम.

उन जुर्मोंके बयान में जो आम्मा खलायक़की आफ़ियत और अमन व आसायश व हयात व आदात पर मुवस्सर हैं.

खयानतन् वह काम करना जिसको मुर्तकब जानताहो कि उससे जानको ख़तरा पहुंचानेवाले किसी मर्ज़की अफूनत फैलनेका अहतमाल है—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
क़ाअदह से दीदा दानिस्ता इन्हराफ़ करना—	ऐज़न	क़ैद शशमाह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न

आदमीके खाने पीनेकी शैमें जिसक बेचना मक़सूद है. इस तरह की आमेज़िश करना कि जिससे वह मुज़िर हो जाय—	ऐज़न	क़ैद शशमाह दोनों किस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
खाने या पीने की चीज़को आदमी के खाने या पीने की चीज़की हैसियत से यह जान कर बेचन कि वह मुज़िर है—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
दवाय मुफ़रद या मरक्कब में जिसक बेचना मक़सूद है इस तरहकी आमेज़िश करना कि जिससे उसका असर कम होजाय या उसका अमल बदल जाय या वह मुज़िर होजाय—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
डाक्टर ख़ानह किसी दवाय मुफ़रद या मुरक्कब का जारी करना या उसको मुआरिज़ बे में रखना जिसको वह शख़्स जानताहो कि इसमें आमेज़िश की गईहै	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

किसी दवाय मुफ़रद या मुरक्कबको किसी दवाय मुफ़रद या मुरक्कब की है-सियत से जानबूझ कर बेचना—या डाक्टरखानहसे जारी करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
किसी आम चश्मह या हौज़के पानी को गदला करना—	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों—	
हवाको मुज़िर सिहत करना—	ऐज़न	पांच सौ रुपया जुर्माना	ऐज़न
किसी शख़्स आमपर ऐसी बेअह-तियाती या ग़फ़लत से गाड़ी चलाना या सवार होकर निकलना जिससे आदमी की जान वग़ैरः को ख़तरा हो—	ऐज़न	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
ऐसी बे अहतियाती या ग़फ़्लतसे मरकबतरी को चलाना जिससे आदमी की जान वग़ैरह को ख़तरा हो—	ऐज़न	ऐज़न	माजस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोयम

	झूठी रोशनी या झूठे निशान या पानी पर तैरनेवाले निशानका दिखाना--	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों--	अदालत आला
	किसी शख्सको पानीकी राह उजोरा पर ऐसे मरकबतरीमें लेजाना जो ऐसी हालतमें हो, इस क़दर लदा हुआ हो कि उससे उस शख्सकी जानको खतरा हो--	ऐज़न	क़ैद शशमाह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों--	मजिस्ट्रेटी प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जा दोम--
	खुश्की या तरीकी आमराह पर ख़तरा मज़ाहमत या नुक़सान पहुंचाना--	ऐज़न	दो सौ रुपया जुर्माना--	ऐज़न
	किसी ज़हरीले माद्दे की ऐसे तौर पर निगहदाश्त तरक करना जिस से आदमीकी जान वग़ैरह को ख़तरा हो--	ऐज़न	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों--	ऐज़न
	आग या किसी आतिशगीर माअद्दे की ऐसी तौर पर निगह दाश्त तरक करना	ऐज़न	ऐज़न	हर मजिस्ट्रेट

	जिस से आदमी की जान वग़ैरह को ख़तरा हो--			
	किसी से जानेवाले की ऐसे तौर पर निगहदाश्त तरक करना--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	किसी कलकी तर्ज़ मज़कूर पर निगहदाश्त तरक करना--	ऐज़न	ऐज़न	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दोम
	किसी शख़्स का ऐसे ख़तरा के दफ़ह के लिये तरक अहतियात करना जिस के पहुंचने का अहतिमाल इनसान की जान को किसी ऐसी इमारत के गुज़रने से हो जिसके मिसमार करने या मरम्मत करने का वह शख़्स मुस्तहक़ है--कोई शख़्स किसी जानवर का जो उसके क़ब्ज़ह में हो ऐसा अहतमाम करना तरक करे जो ख़तर जान इन्सान या ज़रर शदीद के दफ़ाके लिये जो इस जानवर से पहुंच सकताहै--काफी हो--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

अमर बाअ़स तकलीफ़ आम का इर्तकाब–	क़ाबिल ज़मानतहै	दोसौ रुपये जुर्माना–	हरमजिस्ट्रेट
अमर बाअ़स तकलीफ़ आमकी न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करते रहना–	ऐज़न	क़ैद महज़ शश माह या जुर्माना या दोनों–	हरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल यादर्जह दोम–
फ़ाश किताबों का बेचना वग़ैरह–	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
फ़ाश किताबों वग़ैरह को बेचने या दिखाने के लिये पास रखना–	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों-	ऐज़न
फ़ाश गीत चिट्ठी डालने के लिये दफ्तर रखना–	ऐज़न	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों सज़ायें एक हज़ार रुपया जुर्माना	ऐज़न हर मजिस्ट्रेट
चिट्ठी डालने की बाबत तजवीज़ों को मुश्तहिर करना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

बाब पंजदहम्.

उन जुर्मोंके बयानमें जो मज़हबसे मुताल्लिक़हैं।

किसी फ़िर्क़ह अशख़ासके मज़हब की तौहीन करने की नीयतसे किसी इबा तगाह या शैमुतबर्रिक का ख़राब करना या नुक़सान पहुंचाना या निजस करना—	क़ाबिल ज़मानतहै—	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
किसी मजमै को इज़ा पहुंचाना दरहाले वह मजमा इबादत मज़हबी में मसरूफ़हो—	ऐज़न	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
किसी इबादत गाह या क़बरस्तान में मदाख़लत करना या किसी का दिल दुखाने की नीयत से दफ़नमें दख़लंदाज़ होना या किसी लाश इन्सानी की तज़लील कर्ना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
इस नीयत से कोई बात कहना या मुंह से कोई आवाज़ निकालना जिस को कोई शख़्स सुन सके	ऐज़न	क़ैद साल वाहिद दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—

	या कोई हरकत करना या किसी शख्स के रोबरु कोई शै रखना कि मजहब की बाबत उसका दिल दुखे--			

बाब शांज़दहम्.

उन जुर्मोंके बयान में जो इन्सान के जिस्म व जान पर मुवस्सरहैं

जरायम मुवस्सर जान के बयानमें।

	क़त्ल अम्द--	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	मौत या हब्स दवाम् बअबूर दर्याय शोर--	अ़दालत आ़ला
	क़त्ल अम्द मुर्तकबह मुजरिम जिसकी निस्बत हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोरका हुक्म हो चुकाहै--	ऐज़न	मौत	ऐज़न
	क़त्ल इन्सान मुसतलेज़िम सज़ा जो हद्द क़त्ल अम्द तक न पहुंचाहो अगर फ़ैल जो हलाकत का बाअस हुआ हलाकत वग़ैरह का बाअस होनेकी नीयत से किया गयाहो--	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना	ऐज़न
	अगर फ़ैल मज़कूर इस इल्म से किया गया हो कि इससे बक़ूअ हलाकत का	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना या दोनों--	ऐज़न

अहतिमाल है लेकिन कुछ यह नीयत नहो कि उससे हलाकत वगैरह वाके हो—			
बे अहतियाती या ग़फ़लत के किसी फ़ेल से हलाकत का बाअ़स होना--	काबिल ज़मानतहै--	दो सालकी क़ैद दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों सज़ाएं—	अदालतआला या मजिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जहअव्वल—
उस खुदकशीमें मुअय्यन होना जिसका इर्तकाब किसी लड़के या किसी शख़्स मजनू या मसलूबुल हवास--	क़ाबिल ज़मानतनहीं है--	मौत या हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला और जुर्माना—	अदालत आला—
खुद कशीके इर्तकाब में अआनत करना—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला.
क़त्ल अम्द का इक़दाम—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
अगर ऐसे फ़ेल से किसी शख़्स को ज़रर पहुंचे—	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या वह सज़ा जो ऊपर मज़कूर है—	ऐज़न
जन्म क़ैदीकी तरफ़ से इक़दाम क़त्ल अम्द का अगर उस से ज़रर पहुंचे—	ऐज़न	मौत या वह सज़ा जो ऊपर मज़कूर है	ऐज़न

	क़त्ल इन्सान मुस-तलैज़िम सज़ाके इर्त-काब का इक़दाम—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
	अगर ऐसे फ़ेल से किसी शख्सको ज़रर पहुँचे—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना या दोनों सज़ाएं—	ऐज़न
	खुदकशीके इर्त-काब का इक़दाम—	ऐज़न	क़ैद महज़ यक साला और जुर्माना या दोनों सज़ायें—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
	ठग होना—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर और जुर्माना—	अदालत आला

इस्क़ात हमल करान और जनीं को ज़रर पहुँचाने और बच्चों को बाहर डाल देने अखफ़ाय तवल्लुदके बयानमें ।

	इस्क़ात हमल करना—	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला
	अगर उस औरत के जनींमें जान पड़ गई हो—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न

	औरतकी बिना रज़ामंदी इस्क़ात हमल करना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	हलाकत जिसका बाअ़स वह फ़ैल हो जो इस्क़ात हमल कराने की नीयतसे किया गया हो–	ऐज़न	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	अगर फ़ैल औरतकी बिलारज़ामन्दी किया गया हो–	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या वह सज़ा जो ऊपर मज़कूर है–	ऐज़न
	वह फ़ैल जो बच्चे को ज़िन्दान पैदा होने देने या पैदा होने के बाद उसकी हलाकत का बाअ़स होने की नीयतसे किया गया हो–	ऐज़न	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	
	किसी ऐसे फ़ैलसे हलाकत जनी जानदारका बाअ़स होना जो हद्द जुर्म क़त्ल इन्सानमुसतलैज़िमस जातक पहुंचा हो–	ऐज़न	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न

माँ बाप या किसी शख़्स मुहाफ़िज़का बारह (१२) बरससे कम उमरके बच्चेको डाल देना इस ग़रज़ से कि कुल्लेतुन उससे क़तह ताल्लुक़ होजाय–	क़ाबिल ज़मानत है–	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	ऐज़न
लाशको चुपकेसे रख देनेसे अख़फ़ाय बिलादत–	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम–

(ज़ररके बयानमें)

बिलइरादह ज़रर पहुंचाना–	ऐज़न	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों–	हर मजिस्ट्रेट
ख़तरनाक हर्बों या वसीलोंसे बिल इरादह ज़रर पहुंचाना–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अ़दालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम–
बिलइरादह ज़रर शदीद पहुँचाना	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न

ख़तरनाक हर्बों या वसीलोंसे बिलइरादह ज़रर पहुंचाना–	क़ाबिलज़मानत नहीं है–	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
माल या कफ़ालतुल माल का इस्तहसाल बिलजब्र करने के लिये या किसी शख़्सको किसी ऐसे फ़ेलके इर्तकाब पर मजबूर करने के लिये जो ख़िलाफ़ कानूनहै और जिससे किसी जुर्म का इर्तिकाब सहल होजाय बिलइरादह ज़रर पहुँचाना	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला
ज़रर पहुँचाने की नीयत से बेहोश करने वाली दवा खिलाना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
माल या कफ़ालतुल माल का इस्तहसाल बिलजब्र करने के लिये या किसी शख़्सको किसी ऐसे फ़ेलके इर्तकाब पर मजबूर करनेके लिये जो ख़िलाफ़ कानून है और जिससे	क़ाबिल ज़मानत नहींहै–	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला

किसी जुर्म का इर्तकाब सहल होजाय बिलइरादह ज़रर पहुंचाना—			
इक़रार या ख़बर का इस्तहसाल बिल जब्र करने या माल वग़ैरहके वापस करने पर मजबूर करनेके लिये बिलइरादह ज़रर पहुँचाना—	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
इक़रार या ख़बर का इस्तहसाल बिल जब्र करने या माल वग़ैरःके वापस करने पर मजबूर करनेके लिये बिलइरादह ज़रर शदीद पहुंचाना—	क़ाबिल ज़मानत नहींहै—	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
सर्कारी मुलाज़िम को अदाय ख़िदमत से डराकर बाज़ रखनेके लिये बिलइरादह ज़रर पहुँचाना	क़ाबिल ज़मानत है·	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
सर्कारी मुलाज़िम को अदाय ख़िदमत से डराकर बाज़ रखनेके लिये बिल इरादह शदीद ज़रर पहुंचाना—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला

	सख्त और नाग हानी बाअस इश्ताल तबाके वाके होने पर बिल इरादह ज़रर पहुंचाना दरहाले कि ज़रर पहुँचाने वाले की नीयत में सिवाय उस शख्सके जिसने इश्तालतबा दिलाया हो किसी और को ज़रर पहुंचाना मक़सूद नथा—	क़ाबिल ज़मानत है—	कैद यक माह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट
	सख्त और नाग हानी बाअस इश्ताल तबाके वाके होने पर बिलइरादह ज़रर शदीद पहुंचाना दरहाले कि ज़रर पहुंचाने वालेकी नीयत में सिवाय उस शख्स के जिसने इश्ताल तबा दिलाया हो किसी औरको ज़रर पहुँचाना मक़सूद नथा—	ऐज़न	कैद चहार साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या दो हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम
	किसी ऐसे फ़ैल का इर्तकाब जो जान इन्सान या औरों की आफ़ियत ज़ाती को ख़तरह में डाले—	ऐज़न	कैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या अढ़ाई सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट

ऐसे फ़ैल से ज़रर पहुंचाना जो इन्सान की जान वग़ैरह को ख़तरे में डाले	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद शश माह दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
ऐसे फ़ैल से ज़रर शदीद पहुंचना जो इन्सानकी जात वग़ैरह को ख़तरह में डाले—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐज़न

(मज़ाहमत बेजा और हब्स बेजाके बयानमें)

बेजा तौर पर किसी शख़्सकी मज़ाहमत करनी—	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट
बेजा तौर पर किसी शख़्सको हब्स में रखना—	ऐज़न	यक साला क़ैद दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
तीन या ज़ियादा दिन तक बेजा तौर पर हब्स में रखना	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
दस (१०) या ज़ियादा दिन तक बेजा तौर पर हब्स में रखना—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल

	उस शख़्सको हब्स बेजा में रखना जिसकी निस्बत यह इल्म हो कि उसकी रिहाई का हुक्मनामा सादिर हो चुका है–	ऐज़न	उस क़ैदके अलावा जो उस जुर्म के वास्ते इस मजमूअ की किसी दूसरी दफ़ह की रूसे मुक़र्रर है दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी क़ैद दो साला–	ऐज़न
	ख़ुफ़िया हब्स बेजा में महबूस रखना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	माल का इस्तैमाल बिल्‌जब्र करने या किसी फ़ैल ना जायज़ पर मजबूर करनेकी ग़रज़ से हब्स बेजामें रखना–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	इक़रार या ख़बर का इस्तहसाल बिल्‌जब्र करने या माल वग़ैरहके वापस कर देने पर मजबूर करनेकी ग़रज़ से हब्स बेजा में रखना–	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–

(जब्र मुजर्मानह और हमलाके बयान में)

	सख्त इश्ताल तबेके अलावह दूसरे तौर पर हमला करना या जब्र मुजर्मानः का अमल में लाना—	क़ाबिल जमानत है	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट
	किसी सर्कारी मुलाज़िमको अपनी ख़िदमत करने से डराकर बाज़ रखने के लिये हमला करना या जब्र मुजर्माना काममें लाना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
	किसी औरतकी इफ़्फ़त में खलल डालनेकी नियत से हमला करना या जब्र मुजर्माना अमल में लाना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	सख्त और नागहानी इश्ताल तबाके अलावा दूसरी हालत में किसी शख्स पर उसको बे हुर्मत करने की नीयत से हमला कर्ना या जब्र मुजर्माना अमल में लाना	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न

	किसी ऐसे माल के सर्क़ाके इर्तकाब के इकदाम में हमला करना या जब्र मुजर्माना अमलमें लाना जिसको कोई शख्स पहने या लिये हुएहो—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	ऐज़न	हर मजिस्ट्रेट
	किसी शख्स को बेजा तौर पर हब्स करनेके इकदाममें हमला करना या जब्र मुजर्माना काममें लाना—	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक किस्मकी याएक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन
	सख्त और नागहानी इश्ताल तबा के हालतमें हमला करना या जब्र मुजर्माना अमल में लाना—	ऐज़न	क़ैद महज़ यक माह या दोसौ रुप या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न

(इन्सानको लेभागने या जबरन् बहका लेजाने और गुलाम बनाने और बजबूर मेहनत लेनेके बयानमें)

	इन्सानको ले भागना—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
	क़तल अम्द के लिये इन्सानको ले भागना या बहका ले जाना—	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना—	अदालत आला—

	किसी शख्सको मुश्का और बेजा तौर पर हब्स करनेकी नीयतसे ले भागना या बहका लेजाना—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	किसी औरतको अज़दवाज पर मजबूर करने या उसको खराब वग़ैरह करानेके लिये ले भागना या बहका ले जाना—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	किसी शख्स को जरर शदीद पहुँचाने या गुलाम वग़ैरह बनानेके लिये ले भागना या भगाले जाना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	ले भागे हुये शख्सको छिपाना या हब्समें रखना—	ऐज़न	वही सज़ा जो इन्सानको लेभागने या भगा लेजाने के लिये मुक़र्ररहै—	ऐज़न
	किसी तिफ़्लको उसके बदन परसे माल मन्कूला ले लेने की नीयतसे लेभागना या भगा ले जाना—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला-दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	किसी शख्स को गुलामके तौर पर खरीद करना या उसको अपने क़ब्ज़हसे अलहदा करना—	क़ाबिल ज़मानतहै—	ऐज़न	ऐज़न

	आदतन् गुलामों-का कारोबार करना-	काबिल ज़मनत नहीं है-	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न
	नाबालिग़को फ़ैल शनियांकी ग़रज़से बेचना या उजरत पर बेचना-	ऐज़न	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना या दोनों-	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल-
	नाबालिग़को फ़ैल शनियां की ग़रज़ से ख़रीदना या कब्ज़े में लाना-	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	बतौर नाजायज़ मेहनत करने पर मजबूर करना-	क़ाबिल ज़मानत है-	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना या दोनों-	हरमजिस्ट्रेट
	(ज़िनाबिलजबूर)			
	अगर मर्द अपनी ज़ौजहके साथ जमा करे-	क़ाबिल ज़मानत है-	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना-	अदालत आला
	किसी और सूरत में-	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	ऐज़न	ऐज़न

(उन जुर्मोंके बयानमें जो ख़िलाफ़ वज़े फ़ितरी हैं)

	जरायम ख़िलाफ़ वज़े फ़ितरी—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	हब्स दवाम व अबूर दर्याय शोर या क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला

(बाबहफ्तदहम)

उन जुर्मोंके बयान में जो मालसे मुताल्लिकहैं सिर्क़ाका बयान।

	सिर्क़ा	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
	इमारत या ख़ेमह या मरक़बतरीमेंसिर्क़ा	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	मुत्सद्दी या नौकरका उस मालको सिर्क़ा करना जो उसके आक़ा या आमिरके क़ब्ज़े में है—	ऐज़न	ऐज़न	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
	इर्तकाब सिर्क़ाके लिये या उसके इर्तकाबके बाद भागजाने या उस मालको जो उस सिर्क़ाके ज़रिएसे किया गया हो रोक रखनेकी ग़र-	ऐज़न	क़ैद सख्त दो साला और जुर्माना—	अदालत आला—

	जैसे हलाकत या ज़रर या मज़ाहमत बा हलाकत या ज़रर बा मज़ाहमत की तख़्वीफ़ का बाअ़स होनेकी तैयारी करके सिर्क़ा करना—			

(इस्तहसाल बिल जब्रके बयानमें)

	इस्तहसाल बिल-जब्र—	क़ाबिल ज़मानत है·	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
	इस्तहसाल बिल-जब्रके इर्तकाबके लिये किसी शख़्सको नुक़सान पहुँचाने का ख़ौफ़ दिलाना या ऐसे ख़ौफ़ दिलानेका इक़दाम करना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
	किसी शख़्सको हलाकत या ज़रर शदीदकी तख़्वीफ़के ज़रिए से इस्तहसाल बिलजब्र—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक-क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला—
	इस्तहसाल बिल जब्रके इर्तकाबके लिये किसी शख़्सको हलाकत या ज़रर	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न

शदीदकी तखवीफ़ या उस तखवीफ़का इक़दाम–			
ऐसे जुर्मकी तो हमत लगानेकी धमकीसे इस्तहसाल बिलज करना जिसकी सज़ा मौत या हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला मुकर्रर हो	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
अगर ऐसे जुर्मकी इतहाम की तखवीफ़ दीजावे तो खिलाफ़ वज़ै फ़तरीहो–	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर–	ऐज़न
इस्तहसाल बिलजब्रके इर्तक़ाबकी ग़रज़ से किसी शख्सके ऐसे जुर्मके इतहाम की तखवीफ़ देना जिसकी सज़ा मौत या हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला हो–	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
अगर वह जुर्म खिलाफ़ वज़ह फ़तरी हो	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर–	ऐज़न

(सिर्क़ा बिलजब्र व डकैतीके बयानमें)

	सिर्क़ाबिलजब्र	ऐज़न	क़ैद सख्तदह साला और जुर्माना–	अदालतआला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
	अगर सिर्क़ा बिलजब्रका इर्तकाबमाबैंग रूबवतलूअ आफ़ताब किसीशारअ़ आमपर कियाजाय–	ऐज़न	क़ैद सख्तचहारदह साला और जुर्माना–	ऐज़न
	सिर्क़ा बिलजब्रके इर्तकाबका इक़दाम–	ऐज़न	क़ैद सख्त हफ्त साला और जुर्माना	ऐज़न
	वह शख्स जो सिर्क़ा बिलजब्रके इर्तकाब या इर्तकाबके इक़दाम में बिलारादह किसीको ज़रर पहुंचाने या कोई दूसरा शख्स जो उस सिर्क़ा बिलजब्र में ताल्लुक़ रक्खे–	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना	ऐज़न
	डकैती–	ऐज़न	ऐज़न	अदालत आला
	डकैतीमें क़तल अम्र–	ऐज़न	मौत या हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना–	ऐज़न

	बाअस हलाकत होने या ज़रर शदीद पहुंचानेके इक़दाम के साथ सिर्क़ा बिल जब्र या डकैती–	क़ाबिल ज़मानत नहीं हैं–	क़ैद सख्त जिस की मयाद सात बरस से कम नहो–	अ़दालत आ़ला
	हरबए मोहलिक से मुसल्लाह होने की हालत में सिर्क़ा बिल जब्र या डकैतीके इर्तकाब का इक़दाम–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	डकैतीके इर्तकाबके लिये तैयारी करना–	ऐज़न	क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना	ऐज़न
	ऐसे अशख़ासकी-जमाअतके साथ ताल्लुक़ रखना जो आदतन् इर्तकाब डकैतीके वास्ते बाहम इतहाद रखतेहों–	ऐज़न	हब्सदवाम बअबूर दर्याय शोर या-क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना–	
	ऐसे अशख़ास की आवरा जमाअ़तका शरीक़होना जो आदतन् इर्तकाब सिर्क़ा के लिये मिलाप रखते हैं–	ऐज़न	क़ैद सख्त हफ्त साला और जुर्माना–	
	मिन् जुमला उन पांच या जियादा आदमियोंके होना जो डकैतीके इर्तकाबके लिये मुजतमा हुये हों–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

(मालके तसर्रुफ़ बेजा मुजर्मानहके बयानमें)

बद दयानती से मालमन्कूला का तसर्रुफ़ बेजा करना या उसको अपने काम में लाना–	क़ाबिल ज़मानत है–	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	हरमाजिस्ट्रेट
बद दयानती से यह जानकर किसी मालका तसर्रुफ़ बेजा करना कि वह माल किसी मुतवफ़्फ़ीकी वफ़ातके वक्त उसके क़ब्जह में था और उसके बाद किसी ऐसे शख्सके क़ब्जह में नहींरहा जो क़ानूनन् उसको लेनेका मुस्तहक़्क़ह–	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालतआला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेहअव्वल या दर्जेह दोम–
अगर जुर्म मज़कूर शख्स मुतवफ़्फ़ीके किसी मुतसद्दी या मुलाज़िमसे सरज़द हो–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	ऐज़न

(ख़यानत मुजर्मानहकेबयानेंम)

ख़यानत मुजर्मानह–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम

किसीबुरंदए माल या घाटवाल वगैरह की तरफ़से ख़यानत मुजमाना–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–
किसी मुत्सद्दी या मुलाज़िमकी तरफ़से ख़यानत मुजमाना–	क़ाबिल ज़मानतनहीं	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
किसी मुलाज़िम सर्कारी या महाजन या सौदागर या कारंदा वगैरहकी तरफ़से ख़यानत मुजरमाना	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल–

(माल मसरूक़ा लेनेके बयानमें)

माल मसरूक़ाको मसरूक़ा जानकर बद दयानती से लेना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं हैं	क़ैद सहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालतआला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
बद दयानती से माल मसरूक़ाको यह जानकर लेना कि वह डकैतीसे हासिल किया गयाहै–	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद सख्त दह साला और जुर्माना–	अदालत आला

आदतन् माल मसरूक़ाका लेनदेन करना—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत आला
माल मसरूक़ाके छिपाने या अलहदा करने में यह जानकर कि वह मसरूक़ा है मदद देना—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जहदोम—

(दग़ाके बयानमें)

दग़ा दही—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
उस शख़्सको दग़ा देना जिसके हक़ूक़ की हिफ़ाज़त कानूनन् या अज़रूय महायदा कानूनी मुजारिमपर वाजिब हो—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों-	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोम
दूसरा शख़्स बन कर दग़ा करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
दग़ाके ज़रिएसे किसीशख़्सको बराह बददयानती माल हवालह करने या किसी कफ़ालतुल मालको तबदील या तल्फ़ करनेकी तरग़ीब देना—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—

(फ़रेब आमेज़ व सीकों और मालको फ़रेबन् कब्जेसे अलहदा करनेके बयानमें)

	माल वग़ैरह को कर्ज़ ख्वाहोंमें तक सीम होनेसे रोकनेके लिये मुंतकिल या मख़्फी वग़ैरह करना–	क़ाबिल ज़मानत है–	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
	ऐसे दीन या मतालबाका फ़रेबन् कर्ज़ ख्वाहोंको मय्यस्सर आनेसे रोकना जो मुजरिमका याफ़तनीहो–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	फ़रेबन् ऐसे वसीके इन्तक़ालका मुकम्मिल करना जिसमें मावज़ाका झूठ बयान मुन्दर्ज हो–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	फ़रेबसे अपनी या शख्स गैरकी जायदादको मुंतकिल या मख़्फी करना या उसमें मदद देना या बराह बद दयानती किसी मतालबा दावेसे जो मुजरिम का याफ़तनीहो दस्त कश होना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

(नुक़सान रसानीके बयानमें ।)

नुक़सान रसानी	ऐज़न	क़ैद सह (३) माह दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	हर मजिस्ट्रेट
नुक़सान रसानीके ज़रिए से पचासरुपये तक या उससे ज़ियादा नुक़सान पहुंचाना--	क़ाबिल ज़मानत है-	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
दस या ज़ियादह की मालियतके लिये किसी हैवानके मार डालने या ज़हर देने या उसको या उसके किसी अज़ूको बेकारकरनेसे नुक़सान रसानी--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
किसी हाथी या ऊंट या घोड़े वग़ैरह को कितनेहि मालियतका हो या किसी और हैवानको जिसकी मालियत पचास या उससे ज़ियादा हो मारडालने या ज़हर देने या उसके किसी अज़ूको बेकारकरने से नुक़सान रसानी--	ऐज़न	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों--	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम-

	उस पानीका ज़खी रा कम कर देनेसे नुकसान रसानी जो ज़राअ़त वग़ैरहके कामोंके लिये हो,	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	किसी शरह आम या पुल या दर्या या नदी लायक़ रवानगी किश्तीको नुक़सान पहुंचाने और उसको ऐसा करदेने से नुक़-सान रसानी कि वह सफ़र करने या माल ले जानेके लिये गुजर के काबिल नरहे या कम मामून होजाय--	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	सैलाव बहाने या किसी बद्रो आम का पानी रोक देनेसे जिससे खिसारा पहुं-चताहो नुक़सान रसानी--	क़ाबिल ज़मानत है-	कैद पंज साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों-	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या द-र्जह दोम-
	किसी लाईट हौस या निशान समुंदरी को तबाह करने या उसका मौका बदलने या उसको किसी क़-द्र बेकार करदेने या झूठी रोशनी दिखा-नेके ज़रिए से नुक़-सान रसानी--	ऐज़न	कैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	अ़दालत आ़ला

	ज़मीनके निशान को जो सर्कारी हुक्म से क़ायम हुआ हो तबाह करने या उसका मौक़ा वग़ैरह बदलनेके ज़रिएसे नुक़सान रसानी–	ऐज़न	क़ैद एक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या ज़ुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जा दोम–
	बज़रिए आग या भक् से उड़जाने वाली शैके या उससे ज़ियादा का नुक़सान करनेकी नीयतसे नुक़सानरसानी करना–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना–	अ़दालत आ़ला–
	या दरसूरत पैदावार ज़राअ़तके १०) रुपये या उससे ज़ियादा का नुक़सान करना बज़रिए आग या भक्से उड़जाने वाली शैके मकान वग़ैरह तबाह करनेकी नीयतसे नुक़सान रसानी–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना–	ऐज़न
	नुक़सान रसानी इस नीयतसे कि कोई पटा हुवा मुरक्कबतरी या ऐसा मुरक्कब तरी जो ५६०ऽ मन बोझ उठाता हो तबा या कम मामून हो जाय–	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना –	ऐज़न

	नुक़सान मुतज करह दफ़ै मुलहका-बिल अजब कि उसका इर्तकाब आग या किसी भक़से उड़ जानेवाले मअद्दे के ज़रिएसे किया जाय–	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्यायशोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
	सिर्क़ा वग़ैरहकी इर्तकाबकी नीयत से मरक़ब तरीको किनारह पर ट कराना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अ़दाल आला
	हलाकत करनें या ज़रर वग़ैरह पहुंचानेकी तैयारीके बाद नुक़सान रसानी–	ऐज़न	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	

(मदाख़लत बेजा मुजर्मानाके बयानमें)

	मदाख़लत बेजा मुजर्मानह–	क़ाबिल ज़मानत है–	क़ैद सहमाह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न हर माजिस्ट्रेट
	मदाख़लत बेजा बख़ानह–	ऐज़न	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों–	ऐज़न

उस जुर्मके इर्तकाबके लिये जिसकी सज़ा मौत मदाख़लत बेजा बख़ानह-	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	हब्स दवाम ब अबूर दर्यायशोर या क़ैद सख़्त दह साला और जुर्माना-	अदालत आला
उस जुर्मके इर्तकाबके लिये जिसकी सज़ा हब्स दवाम ब अबूर दर्यायशोर है मदाख़लत बेजा बखानह-	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना-	अदालत आला
उस जुर्मके इर्तकाबके लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मदाख़लत बेजा बख़ानह-	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	हर मजिस्ट्रेट
अगर वह जुर्म सिर्क़ा हो-	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	अदालत आला मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम-
ज़रर पहुंचाने या हमला करनेकी तैयारी करके मदाख़लत बेजा बख़ानह-	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
मख़फी मदाख़लत बेजा बख़ानह या नक़ब ज़नी-	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम-

उस जुर्मके इर्तकाबके लिये जिसकी सज़ा क़ैद हो मख़फ़ी मदाखलत-बेजा बख़ानह या नक़ब ज़नी—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
अगर वह जुर्म सिर्क़ा हो—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
ज़रर रसानी या हमला वग़ैरहकी तैयारी करके मख़फ़ी मदाख़लत बेजा बख़ानह या नक़ब ज़नी—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है—	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
मख़फ़ी मदाखलत-बेजा बख़ानह या नक़बज़नी वक़्त शब	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम-
उस जुर्मके इर्तकाबके लिये जिसकी सज़ा क़ैद है मख़फ़ी मदाख़लत बेजा बख़ानह या नक़बजनी वक़्त शब	ऐज़न	क़ैद पंज साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
अगर वह जुर्म-सिर्क़ा हो—	ऐज़न	क़ैद चहार दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न

ज़रर रसानी वग़ैरह की तैयारी करके मख़फ़ी मदाख़लत बेजा बख़ानह या नक़बज़नी वक़्त शब—	ऐज़न	ऐज़न	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
मख़फ़ी मदाख़लत बेजा बख़ानह या नक़बज़नीके इर्तकाबकी हालत में ज़रर शदीद पहुंचाना—	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याशयोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अ़दालत आ़ला
जो लोग कि नक़बज़नी वक़्त शब वग़ैरह में शरीक हों उनमेंसे किसी एकके हाथसे हलाकत या ज़रर शदीद का सर्ज़द होना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
किसी बन्द किये हुये ज़र्फ़को जिसमें माल हो या माल होनेका गुमान हो बराह बद दयानती तोडकर खोलना या उसका बंद खोलना—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—
किसी बन्द किये हुए ज़र्फ़को जिसमें माल हो या माल होनेका गुमान हो और उसके पास अमानतन् रक्खा गया हो फ़रेबन् खोलना—	ऐज़न	क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अ़दालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम—

बाब हेजदहम्।

(उन जुर्मोंके बयानमें जो दस्तावेज़ों से और हिर्फ़ा या मिल्कियतके निशानों से मुताल्लिक़ हैं।

	जालसाज़ी—	क़ाबिल-ज़मानत है	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	अदालत आला
	कोर्ट आफ़जस्टिसके किसी कागज़ सरिश्तह विलादत के रजिस्टर वग़ैरह मर्तबा मुलाजिम सर्कारी को जाली बनाना—	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना—	ऐज़न
	किसी किफालतुल माल या वसीयत नामा ऐसी दस्तावेज़को जो कफ़ालत नामा सर्कारी बनाने मन्तक़ल करने या रुपये वग़ैरह हासिल करने का इजाज़त नामह हो जाली बनाना—	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	जब कि कफ़ालतुलमाल गवर्नमेन्ट हिन्द का परामेसरी नोट हो—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

दग़ा दहीकी गरज़ से जालसाज़ी–	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना	ऐज़न
किसी शख्स की नेकनामी में खलल डालनेकी ग़रज़ से जाली दस्तावेज बनाना या यह जानकर जालीदस्तावेज बनाना कि वह उसकी नेकनामी में खलल डालनेके लिये मुस्तमिल होगी–	क़ाबिल ज़मानत है	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और ज़ुर्माना–	ऐज़न

बाबहेजदहम्

(उन जुर्मोंके बयानमें जो दस्तावेज़ों और हिर्फ़ों या मिल्कियतके निशानोंसे मुताल्लिक़ हैं.)

जाली दस्तावेजोंको जाली जानकर सही दस्तावेज़ोंकी हैसियतसे काम में लाना–	क़ाबिल ज़मानत है	वही सज़ा जो जालसाज़ोंके लिये मुक़र्रर है–	अदालत आला
जब कि जाली दस्तावेज गवर्नमेंट हिंदका प्रामेसरी नोट हो–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	ऐज़न	ऐज़न
जालसाज़ी मस्तूजब सज़ाय मुक़र्ररह दफ़ा ४६७ मजमूअ ताज़ीरात हिन्दकी	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक	ऐज़न

	किसी मुहर या धातु की कन्दा की हुई तख्ती वग़ैरह का बनाना या उसकी तलबीस करना या ऐसी मुहर कन्दाकी हुई तख्ती बग़ैरह को मुलतबिस जानकर उसी नीयतसे अपने पास रखना—		क़िस्मकी और जुर्माना—	
	उस जालकी इर्तकाब की नीयत से जिसकी सज़ा मजमूअ ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ४६७ के अलावा किसी और दफ़्अ में मुक़र्रर है किसी मुहर या धातु की कुन्दा की हुई तख्ती वग़ैरह बनाना या उसकी तलबीस करना, ऐसी मुहर या तख्ती वग़ैरह को यह जानकर कि वह लिबास है इस नीयतसे अपने पास रखना—	ऐज़न	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
	किसी दस्तावेज़का जाली होना जानकर उसको सही	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

दस्तावेज़की हैसियतसे काम में लानेकी नीयतसे अपने पास रखना बशर्ते कि दस्तावेज़ उस क़िस्म मेंसेहो जो मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ़ ४६६ में मज़कूर है—			
अगर वह दस्तावेज़ इस क़िस्ममेंसेहो जो मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ़ ४६७ में मज़कूर है—	ऐज़न	हब्स दवाम बअबूर दर्याय शोर या क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	ऐज़न
किसी अलामत या निशानकी तलबीस करना जो दस्तावेज़ात मुफ़स्सिला दफ़ा ४६७ मजमूअ़ ताज़ीरात हिन्दकी तसदीक़के लिये मुस्तमिल होता हो या ऐसे मअद्द को पास रखना जिस पर अलामत या निशान मुलतबिस सिब्त हो	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

किसी अलामत या निशानकी तक़्लीद करना जो सिवाय दस्तावेज़ मफ़सला दफ़ा ४६७ मजमूअ ताज़ीरात हिन्दके और दस्तावेज़ात की तसदीक़के लिये मुस्तमिल होता हो या ऐसे मआद्दे को पास रखना जिसपर अलामत या निशान मुलतबिस सिब्त हो-	क़ाबिल ज़मानत नहीं है-	क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	अदालत आला
फ़रेब से वसीयत नामा वग़ैरहको तल्फ़ करना या बिगाड़ना या तल्फ़ करने या बिगाड़नेका इक़दाम करना या मख़फ़ी करना-	ऐज़न	हब्स दवाम ब अबूर दर्याय शोर या क़ैद हफ्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना-	ऐज़न

हर्फ़ों और मिल्कियतके निशानात् ।

किसी शख़्सको धोखादेने या नुक़सान पहुँचाने की नीयत से हर्फ़ा या मिल्कियतके झूठे निशानको काम में लाना-	क़ाबिल ज़मानतहै-	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों-	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम-
किसी शख़्सको नुक़सान या ख़सारा पहुं	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से	ऐज़न

चानेकी नीयत से हर्फ़ा या मिल्किय तके ऐसे निशान तलबीस करना जिसको कोई और शख्स काममें लाताहो—		एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	
मिल्कियतके ऐसे निशानकी तलबीस करना जिसको कोई सर्कारी मुलाज़िम काम में लाता हो या ऐसे निशानकी तलबीस करना जिसको मुलज़िम मज़कूर मालकी जाय साख्त और दर्जा वगैरह के जाहिर करनेके लिये काममें लाताहो—	ऐज़न	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना—	अदालत आला या मजिस्ट्रेट मेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
मिल्कियत या हर्फ़ा के किसी आम या खास निशान की तलबीसके लिये या ठप्पा या धातुकी कन्दा की हुई तख्ती या आला फरेबन् बनाना या पास रखना—	ऐज़न	कैद सह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
दीदा दानिस्ता ऐस असबाब का फरोख्त करना जिस्पर मिल्कियत या हर्फ़ा का मुलतबीस निशान सब्तहो—	ऐजन	कैद एक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट मेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जेह दोम—

	किसी गठरी या ज़र्फ़पर जिसमें माल हो फ़रेबन् इस नीयतसे झूठा निशान बनाना कि उस माल का होना बावर किया जाय जो उसमें नहो–	क़ाबिल-ज़मानत है–	क़ैद सह साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आ़ला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम–
	क़िस्म मज़कूरके झूठे निशानका काममें लाना–	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
	ख़िसारा पहुँचानेकी नीयतसे किसी निशान मिल्कियत का दूर करना या उसे मादूम या बिगाड़ना–	ऐज़न	क़ैद एक साला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम–

बाबनोज़दहम् ।

(ख़िदमतके माहिदोंके नक़ज़ मुजर्मानहके बयानमें)

	जिस शख़्स पर माहिदे की रूसे किसी सफ़रतरी या खुश्कीमें बज़ातेहू ख़िदमत करना या किसी माल या शख़्स का पहुंचाना या हिफ़ाज़त करना वाजिब हो वह बिलइरादह ऐसा करना तरक करे–	ऐज़न	क़ैद यक माह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी एक सौ रुपया जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्वल या दर्जेह दोम–

जिस शख्स पर किसी ऐसे शख्स की बज़ातहू ख़िदमत गुज़ारी करना या उसकी ज़रूरियात का बहम पहुंचाना वाजिब हो जो सगीरसनी या फ़ितूर अक़्ल या मर्ज़के बाअ़स नाचार हो वह बिलइरादह ऐसा तरक करे—	ऐज़न	क़ैद सह माह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या सौ रुपया जुर्माना या दोनों—	ऐज़न
जिस शख्स पर किसी माहिदे की रूसे किसी ऐसे मुक़ाम दूर दराज़ पर जहां ख़िदमत करने वाला ख़िदमत लेने वालेके ख़र्च से पहुंचाया गया हो ख़ास मुद्दत तक अपनी ज़ातसे ख़िदमत करना वाजिब हो उसका मुक़ाम मज़कूर से क़सदन नौकरी छोड़कर भाग जाना या कामके अंजामदहींसे इन्कार करना—	ऐज़न	क़ैद यक माह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या ख़र्च से दोगुना जुर्माना या दोनों—	ऐज़न

बाबबिस्तुम् ।

(उन जुर्मोंके बयानमें जो अज़्दवाजसे तअल्लुक़रखते हैं)

कोई धोखेसे किसी औरत को जिसका अज़्दवाज जायज़ उसके साथ न हुआ हो यह बावर कराये कि उस्का अजदवाज़जायज़ उसके साथ हुआहै और उस बावर की हालतमें उससे अपने साथहम ख़ानगी कराये–	क़ाबिल-ज़मानत नहीं है	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	अदालत-आला
शोहर या जोजह के हीन हयात मुकर्रर अज़् दवाजकरना–	काबिल ज़मानतहै.	क़ैदहफ्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
वही जुर्म साथ छिपाने अजदवाज साबिक़के–उस शख़्ससे जिसके साथ पिछला अजदवाज हुआहो–	क़ाबिल-ज़मानत नहींहै.	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न
फ़रेब की नीयतसे रस्मियात अजदवाज का इरादा करना यह जानकर कि इन मरासम के अदा करने से उसका अजदवाज़ जायज़ नहीं होता–	क़ाबिल-ज़मानत	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना–	ऐज़न

ज़िना—	क़ाबिल ज़मानतह—	क़ैद पंजसाला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जहअव्वल या दर्जहदोम—
नीयत मुजमानहके साथ किसी औरत मन्कूआको फुसला ले जाना या उड़ालेना रोक रखना—	ऐज़न	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दोम—

बाबावस्तोंयकुम।

(अज़ालह हैसियत उर्फ़ीके बयानमें)

अज़ालह हैसियत उर्फ़ी—	क़ाबिल ज़मानतहै	क़ैद महज़ दो साला या जुर्माना या दोनों—	अदालतआला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
हैसियत उर्फ़ी हैछापना या कन्दाकरना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
किसी छपे हुये या कन्दा किये हुये मअद्दे को जिस्में कोई मज़मून मुज़ील हैसियत उर्फ़ीहो यह जानकर कि उस में ऐसा मज़मून है फ़रोख़्त करना—	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
नुक़्ज़ अमन करानेकी नीयत से तौहीन करना—	क़ाबिल ज़मानत है—	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट

बग़ावत या जरायम मुख़ालिफ़ अमन ख़लायक़ कराने की नीयत से झूठा बयान या झूठी अफ़वाह वग़ैरह फैलाना–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	ऐज़न	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–
तख़वीफ़ मुजरमाना–	क़ाबिल ज़मानत है–	ऐज़न	ऐज़न
अगर धमकी, हलाक करने या ज़रर शदीद वग़ैरह पहुँचानेके लिये हो–	ऐज़न	क़ैद हफ़्त साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	अदालत आला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल
किसी बेनाम मुकातिबाके ज़रिएसे या जिधरसे धमकी आई है उसके छिपानेका पहलेसे बन्दोबस्त करके तख़वीफ़ मुजरमानह करना–	ऐज़न	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी उस सज़ाके अलावा जो दफ़ाबालाके मुताबिक दीजायगी–	ऐज़न

बाबबिस्तो दोम ।

(तख़वीफ़ मुजरमानह वं तोहीन मुजरमानह व रंजदही)

किसी शख़्स को यह बावर कराकेकि अगर वह कोई ख़ास फ़ैल न करेगा मुरिद ग़ज़ब इलाहीहोगा उससे फ़ैल मज़कूर कराना–	क़ाबिल ज़मानत है-	क़ैद यक साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों–	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल या दर्जह दोम–

	किसी औरत की शरम सारीकी तो हीन की नीयतसे कोईबात कहना या कोई हरकत करना—	ऐज़न	क़ैद महज़ यक साला या जुर्माना या दोनों—	मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल—
	आम्मा ख़लायक़ की आमदवरफ्त की जगह में बहालत नशा आ निकलना और किसी शख्सकी आज़ुर्दगीका बाअ़स होना—	ऐज़न	क़ैद महज २४ घंटा या १०) रु० जुर्माना या दोनों—	हर मजिस्ट्रेट—

बाबबिस्तो सिवुम् ।

(जुर्मोंके इर्तकाब करनेके इक़दामके बयानमें)

	उन जुर्मोंके इर्तकाबका इकदाम करना जिनकी सज़ा हब्स दवाम ब अबूर दर्यायशोर या क़ैद है और उस इक़दाममें फ़ैल करना जो जरायम् मज़कूर मेंसे किसी जुर्मके इर्तकाबके तरफ़ मुंजिर हो—	अगर असल जुर्म जो इक़दाम कुनंदा की नीयतमें हो ज़मानत के क़ाबिल हो तो इक़दाम भी जमानत के क़ाबिल होगा वर्ना नहीं—	हब्स बअबूर दर्याय शोर उस क़िस्मके क़ैद की सज़ा दी जायगी जो उस जुर्मके पादाशमें मुक़र्रर है और उस सज़ाकी मयाद उस क़ैद या हब्सकी मुद्दत तूलके एक निस्फ़से ज़ियादा न होगी या जुर्माना या दोनों—	जिस अदालतसे उस जुर्म की तजवीज़ हो सकती है जिसका इक़दाम किया गया है—

(जरायम खि़लाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर)

अगर सज़ाय मौत या हब्स ब अबूर दर्यायशोर या हफ्त साला या उससे ज़ियादहके लायक़ हो–	क़ाबिल ज़मानत नहीं है–	अहकाम दफ़ा २९ मजमूअहाज़ाके मुताबिक़–

बाबबस्तो सिवुम् ।

(जरायम खि़लाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर)

और सात बरससे कम क़ैद की सज़ा के लायक़ हो–	ज़मानत नहीं है -बजुज मुक़द्दमात मुताल्लिका ऐक्ट अस्तौहिं मसद्रा सन् १८७८ ई० की दफ़अ १९ की उस सूरतमें क़ाबिल जमानत है–	अहकाम दफ़ा २९ मजमूअहाज़ा के मुताबिक़ है–
अगर तीन बरस से कम क़ैदकी सज़ा के लायक हो–	क़ाबिल ज़मानत है	
अगर सिर्फ़ ज़ुर्मानह की सज़ाके लायक़ हो–	ऐज़न	

ज़मीमा दोम मजमूअ़हाज़ा नमूना जात रजिस्टर फ़ौजदारी ।

नम्बर (१) रजिस्टर जरायम क़ाबिल मदाख़लत जिसकी रिपोर्ट पुलिसने बमूजिब ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ।

१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
नम्बर रजिस्टर	तारीख़		नाम थाना	नाम गांव	मुस्तग़ीस और मुलजिम अगर मालूम हो	क़िस्म जुर्म	आया मुजरिम गिरफ्तार हुआ या नहीं	खुलासा हुक्म और तारीख़	नाम अफ़सर सादिर कुनंदा हुक्म	कैफ़ियत मय कार्रवाई मा बाद मुक़द्दमा और आया मुलज़िम तजवीज़ के वास्ते रवानह हुआ है कि नहीं या रिहा हुआहै या मजिस्ट्रेटके हुक्मसे रजिस्टर से जुर्म ख़ारिज कियागया— अगर मुक़द्दमह का चालान होगया हो तो नम्बर मुक़द्दमह का जो रजिस्टर नम्बर २ व ३ व ४ में दर्ज हो वास्ते सहूलियत हवालहके दर्ज होना चाहिये
	रिपोर्टकी	जुर्म की								

नम्बर (२) रजिस्टर मुक़द्दमात काबिल ज़मानत ।

१	२	३	४	५			६			७	८	९	१०	११	१२	१३
नम्बर रजिस्टर	तारीख़ इरजा	नाम थानह	नाम गांव	मुस्तग़ीस			मुलज़िम			जुर्म और दफ़ा मजमूअ़ मुनासिब हाल	मुलाज़िम आया हवालातमेंहै या ज़मानतपर है या अपने मुचलकह पर है	हुक्म दर्मियानी	खुलासा हुक्म अख़ीर	तारीख़ हुक्म अख़ीर	दस्तख़त मुहाफ़िज़ दफ्तर बर वक्त वसूल मिस्ल और तारीख़	कैफ़ियत
				नाम और वल्दियत	क़ौमियत	सकूनत	नाम और वल्दियत	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत							

नम्बर (३) रजिस्टर मुक़द्दमात क़ाबिल ज़मानत—

१	२	३	४	५			६			७	८	९	१०	११	१२	१३
नम्बर रजिस्टर	तारीख़ इरजा	नाम थाना	नाम गांव	मुस्तग़ीस			मुल्ज़िम			जुर्म मय दफ़ा मुनासिब हाल	अ.या मुल्ज़िम हवालातमेंहै या ज़मानत पर है या अपने मुचलकह पर है	खुलासा हुक्म दर्मियानी	खुलासा हुक्म अख़ीर	तारीख़ हुक्म अख़ीर	दस्तख़त मुहाफ़िज़दफ्तर मय तारीख़ वसूल आमिस्ला	कैफ़ियत
				नाम और वल्दियत	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत	नाम और वल्दियत	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत							

नम्बर (४) रजिस्टर जरायम क़ाबिल सज़ा बमूजिब क़वानीन ख़ास और—

१	२	३	४	५			६			७	८	९	१०	११	१२	१३
नम्बर रजिस्टर	तारीख़	नाम थानह	नाम गांव	मुस्तग़ीस			मुलज़िम्			जुर्म और किस कानूनके बमूजिबकाबिलसज़ा	आयामुलजिम जमानतपरहै या अपने मुचलकहपरहै या हवालातमें है—	खुलासा हुक्म दर्मियानी	खुलासा हुक्म अख़ीर	तारीख हुक्म अख़ीर	दस्तख़त मुहाफ़िज़ दफ्तर मय तारीख वसूल	कैफियत
				नाम और वल्दियत	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत	नाम और वल्दियत	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत							

नम्बर (५) रजिस्टर मुक़द्दमात फ़ौजदारी—

१	२	३	४			५			६	७	८	९
नम्बर रजिस्टर	तारीख़	नाम थाना	मुस्तग़ीस			मुलज़िम			खुलासा अर्ज़ी या सवाल	खुलासा हुक्म दर्मियानी	खुलासा हुक्म अख़ीर औरतारीख़	तारीख़ वसूल बदफ्तर ख़ानह मय हरूफ़ इब्तदाय नाम मुहाफ़िज़ दफ्तर
			नाम	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत	नाम	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत				

नम्बर (६) रजिस्टर मुक़द्दमात जो साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल बहादुरके पास सुपुर्द हुआहै और साहब मौसूफ़ ने ब इस्तेमाल इख्तियारात जायद तजवीज़ किये—

१	२	३			४			५	६	७	८	९	१०	११
नम्बर मुक़द्दमह	तारीख़	मुस्तग़ीस			मुलज़िम			तारीख़ मुक़र्ररह तजवीज़	जुर्ममुलज़िमामय क़ानून मुनासिब हाल	जुर्मकरारदादह जुर्ममय क़ानून मुनासिब हाल	खुलासा हुक्म अख़ीर	तारीख़ हुक्मअख़ीर	तारीख़ वसूलमुक़द्दमह मुहाफ़िज़ दफ्तरमय दस्तख़त	कैफ़ियत
		नाम और बाप का नाम	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत	नाम और बाप का नाम	क़ौमियत	मुक़ाम सकूनत							

नम्बर रजि मुक़र्ररह अत मुक़द्दमात फ़ौजदारी—

३

तारीख़	वही मुक़द्दमात जो पुलिस से आये		मुक़द्दमात जो समाअ़तके वास्ते मुक़र्ररहैं		कैफ़ियत मुशइर इस अमर की कि मह किस तरह से हुआ—
	नाम फ़रीक़ैन	जुर्म	फ़रीक़ैन	जुर्म	

बर रजिस्टर क़ैदिय ज़ेर तजवीज़—

नम्बर रजिस्टर	तारीख़ सुपुर्दगी बहवालात	क़ैदी: नाम और वल्दियत	क़ैदी: कौ	क़ैदी: त मुक़ाम नत	नाम मुस्तग़ीस	जुर्ममुलज़िमा मयक़ानून मुनासिब हाल	ख़ुलासा हुक्म अख़ीर	तारीख़ रिहाई या रवानगी जेलख़ाना	ख़र्चो ख़ूराक़ क़ैदियान्: मिन् जानिब पुलिस	ख़र्चो ख़ूराक़ क़ैदियान्: मिन् जानिब मजिस्ट्रेट	तादाद अय्याम ख़ूराक़: मिन् जानिब पुलिस	तादाद अय्याम ख़ूराक़: मिन् जानिब मजिस्ट्रेट	कैफ़यत
	२					६		८	९				१

र ६

नम्बर रजिस्टर	तारीख़ पहुंचने की	नाम गवाह	नाम फ़रीक़ैन	जुर्म	तारीख़ इज़हार	तारीख़ रुख़सत	तादाद अय्याम हाज़री	... दर्जह का गवाह	तादाद अदना ख़ूराक दादा	दस्त अफ़सर रोबरू ज़र ख़ूराक़ दीगई	कैफ़ियत

र १२ जिस्टर जुर्म नह-

१			४		६			९	१०	११		१३	१४
									तदाबीर वसूल जुर्माना और क्या नतायजहुए				
नम्बर रजिस्टर	नम्बर मुक़द्दमह	नाम फ़रीक़ैन	नाम अश ख़ाश जुर्माना शुदा	किस जुर्म के वास्ते जुर्माना हुआ	ख़ हुक्म सज़ा	किसने तजवीज़ किया	तादाद जुर्मानह	अगर किसी क़दर जुर्माना हुआ तो उसकी तादाद	तारीख़ ख़्वास्त इन्स्पे या दीगर आफ़ीसर	हुक्म बनाम तहसीलदार मय तारीख़ इजराय हुक्म	तादाद वसूल शुदा	तादाद जुर्माना कि जो बतौर ऐवज़नामा मुस्तग़ीस को बमूजिब ३८९ ज़ाब्ताफ़ौजदारी कियागया	कैफ़ियत

न:

३७ फेहरिस्त मिसल मुक़द्दमा फ़ौजदारी मुताल्लिक़ा हुकूमत जैतारन इलाक़ै मारवाड़ बाबत सन् १८९६ ई०

नम्बर मुक़द्दम	नम्बर मुहाफ़िज़ ख़ाना	तारीख़ दायरह	तारीख़ फ़ैसला	नाम हाकिम मुजविज़	तादाद सज़ा	तारीख़ सज़ा	तारीख़ ख़त्म सज़ा	तारीख़ अदाय जुर्माना मय तादाद	तादाद काग़ज़ात मशमूला मिसल
१२	३२३	१२ अगस्त सन् १८९६ ई०	१५ अगस्त सन् १८९६ ई०	पंडित नंदलालजी साहब हाकिम जैतारन	दो माह जुर्माना	” सन् १८९६ ई०	१५ अक्टूबर सन् १८९६ ई०	१४ अक्टूबर को नक़द दाखिल हुकूमत हुए	

अनंदराम वल्द बख़्शीराम महाजन सकनह क़स्बह पाली मुस्तग़ीस बनाम करीम इलाही वल्द खुदाबख़्श नज्जार सिकनह जैतारन मुलज़िम

इल्लत ज़रर रसानी ज़ेर दफ़ा (३२३) ताज़ीरात हिन्द

फ़ेहरिस्त हाज़ा	यककिता	फ़ैसला अदालत	दो किता
इस्तग़ासा मारूज़ा १२ अगस्त सन् ९६ ई०	यककिता		
समन बनाम मुस्तग़ास इलै	यककिता		
समन इसमी रामलाल गवाह मुस्तग़ीस	यककिता		
समन रहमतुल्ला गवाह मुस्तग़ीस	यककिता		
इज़हार मुस्तग़ीस	यककिता		
इज़हार रामलाल	यककिता		
इज़हार रहमतुल्ला	यककिता		
बयान मुलज़िम	यककिता		

कलन्डर व मुक़द्दमह नम्बर सन् १८९ ई०

तमाम मुक़द्दमात में जो पंचायत वकलाय राजपूताना से मुहल्लक़ हैं मुंसलिक होना चाहिये।

जो बमाह अक्टूबर सन् १८९५ ई० में जारी हुआ

(१) मुस्तग़ीस ....

(२) मुलज़िम या जगह का नाम जहां मुन्हती सुराग़ हुआ... ... ...

(३) तादाद ज़र दाव ....

(४) जुर्म.... ....

(५) तारीख़ वक़ूअ और मौक़ा ....

(६) तारीख़ और जगह अव्वल रिपोर्ट जुर्मकी और नाम रिपोर्ट करने वालेका ....

(७) वह तारीख़ कि जिस तारीख़को मुद्दई ने अपना इस्तग़ासा साहब पोलेटिकल अफ़सरको पेश किया ....

(८) तारीख़ सुपुर्दगी मुक़द्दमा जो पंचायत वकलाय अदनेकी अदालत में तजवीज़के लिये सुपुर्द हुआ हो—

(९) नाम गवाहान् जो मुस्तग़ीसके पेश किये हों ....

(१०) फ़ेहरिस्त उन गवाहान्की जिनके इज़हार अदालत अदनाने लिये हों और इस्में तफ़रीक़ लिखनी चाहिये कि कौन से गवाह मुद्दई के हैं और कौन से मुलज़िमके बचाव में पेश हुये हैं ... .

(११) फ़ेहरिस्त अशयाय माल मसरूक़ा मय तादाद या मालियत (अगर मिसल में है तो कुछ ज़रूर नहीं)।

(१२) फ़ेहरिस्त अशयाय माल बाज़ याफ्ता और कौनसी जगह पर और नाम उन लोगों के जिनके क़ब्ज़े में पाया गया हो ... ...

(१३) नाम मुलज़िम जो गिरफ्तार हुआ और तारीख़ गिरफ्तार करनेकी और जगह जहां गिरफ्तार हुआ ....

(१४) अगर कोई ज़ब्ता होतो उनकी तादाद ज़ात और पेशा और तफ़सील हथियारान्—

(१५) अगर कोई गवाह हो उनकी तादाद और जगह जहांसे लिया गया हो—

(१६) अगर कोई खोज होतो नाम देहात का जहां खोज रवांहुआ हो और तारीख़ और नाम उन लोगोंके जो खोजकी सुराग़रसीको गये और यह भी

लिखना चाहिये कि यह खोज हर एक जगह तहरीरी तौर पर मंजूर हुवा या नहीं ....

(१७) तारीख़ जिस रोज़ अदालत पंचायत वकलाय अदनाने अपना फ़ैसला फ़रीक़ैन को दिया हो—

(१८) अदालत अदना ने जो वजूह अपने फ़ैसलेमें तहरीर किये हों वह सब सिलसिलहवार और नम्बरवार लिखने चाहिये—

हिस्सह अव्वल तमाम सुध ।

हिस्सहदोम।

इन्तिज़ाम सफ़ाई व रोशनी

बरियासतहायदेशी

वाक़ै

ममालिक राजपूताना

व

वस्त हिन्द

वग़ैरह।

बाब अव्वल ।

फ़वायद सफ़ाई मय रिसाला-

हैज़ा ।

मौजूदा ज़मानहकी नारंगियां अजीब व ग़रीब रंग दिखारही हैं, खुदाकी कुदरतके तमाशे हैं कि जिन शहरों और कस्बों में सालहा साल से उनके गिर्दनवाह मैले और कचरों का ढेर मिसल फ़सील या शहरपनाहके होरहा था उन्हीं कस्बात और शहरों में अब उनकी अजराय तनःफ़ुर देखाजाता है जैसी ग़लाज़त की हालत बढ़ी हुई थी वैसीही अब सफ़ाई की रोज़ बरोज़ तरक्की है सर्कार अंग्रज़ीने अवामके रफ़ाह और फ़लाह के वास्ते उम्दा २ इन्तिज़ाम और जगह २ महकमह जात सफ़ाई मुक़र्रर फ़र्मायें और सफ़ाई आब रसानी, रोशनी का खातिरख्वाह बन्दोबस्त किया, जहांतक सेहत व तन्दुरुस्तीके पुराने वकाय नजर से गुज़रे वह ज़माने हालके मुताबिक़त करनेसे इस अमर की शहादत देते हैं कि पहले ज़माने में सेहत व तन्दुरुस्ती की हालत ऐसी नथी जो इस वक्त हमारे ज़ेर नज़र है—बहुत से अमरात जो ज़मानह हालमें तरक्कीपर हैं वह पहले शाद व नादिर क्या बल्कि बिल्कुल भी नथे, और मर्ज़ हैजाकी बाबत तोज़क जहांगीरी शाहिद है कि हिन्दुस्तान में पहले हैजा नथा काश्मीर से इब्तदन् शुरूअ हुआ रफ्ता २ इस मर्ज़ने हिन्दुस्तानकी जानिब तवज्जह की बावजूद इसके कि उस वक्त सफ़ाईके इन्तिजाम कुछ भी नथे ताहम यह मर्ज़ ला इलाज बरसों में हुआ करता था चे जाय के अब हैजहख़ां हर साल हर शहर व कस्बह और क़रिये में मौजूद हैं इन हज़रतके हमलहसे हज़ारहा बंदगान खुदा हलाक और हज़ारहा घर बे चिराग़ हो जाते हैं—हमारी सर्कार दौलत मदार गवर्नमेंट हिन्दको इस मर्ज़ और नीज़ दीगर मौलिक अमराज के इन्सदादकी कामिल फ़िक्र है जिसकी बाबत हमेशा डाक्टरान् फ़रंगके मुबाहसा होते हैं और तशख़ीस की जाती है चुनांचे ए, ऐच, हैन्कन एम, ए फ़ैलो सेन्टजान्स कालेज केम्ब्रिजकेमीकैल रागज़ेमिनर ममालिक मगरबी व शमाली अवध व ममालिक मतवस्त ने बज़रिए खुर्दबीन पानीको जो देखा तो मालूम हुआ कि हैज़ा के मर्ज़ पैदा करने वाले एक क़िस्मके कीडे हैं जो हैज़ा वाले पानीमें हजारहा पाये जाते हैं इस रिसालह में डाक्टर साहब मौसूफ़ने बड़ी शरह के साथ इन्सदाद इस मर्ज खूनख्वार का लिखा है जिसकी नक़ल महज़ बग़रज फ़वायद आगाही रियासत हाय देशी जैलमें दर्जकी जाती है—अहालियान् रियासत को अव्वलन् ख्तसार इस रिसालह का याद कर लेना चाहिये जो जनाब कर्नेल ए. डब्ल्यू राबर्ट साहब बहादुर पोलेटिकल एजेन्ट व मजिस्ट्रेट कोह आबूने बर वक्त हैज़ा फैलने के "खराडी" इलाके रियासत सिरोही अवाम और नीज़ हाकिमान् बन्दोबस्त हैज़ाके सहूलियतके वास्ते मुरत्तिब और मुश्तहर फ़र्माया था—

हैज़े का सबब और उसकी रोक थाम।

बाब पहला।

इख़्तसार अज़ रिसाला हैज़ा मुसान्निफ़ा डाक्टर ।

ए-एच-हैन्कन साहब बहादुर, एम-ए-फ़ैलो सेन्टजान कालेज केम्ब्रज केमेकल ऐक्ज़ामीनर ममालिक मग़रबी व शमाली-अवध व ममालिक मतवस्ता-जो बेग़रज़ सहूलियत आम्मा चहार अमूर पर मुन्क़सिम करादिया गया है और जिनका ब मौसिम गर्मा हैज़ाके मौक़े पर ख़याल रखना अश्द ज़रूर है-

(१) दो औन्स परमनगेंट पौडर जैसा कि डाक्टर साहब मौसूफ़फ़र्माते हैं ब वक़्त शाम फ़ौरन् उन चाह हाय नोशीदनी में डालना चाहिये जिनका पानी पीने के काम में आता हो ताकि सुबह तक पौडर मज़कूर घुल जावे-और तमाम हैज़हके कीडे नेस्त व नाबूद हो जावें-

(२) मरीज़ान हैज़ा का फ़ुज़ला (गू) बाद रफ़ाजातके फ़ौरन् दूर किसी जगह ज़मीन में गाड देना चाहिये ताकि मक्खियां उस फ़ज़ला पर न बैठें और उन हैज़ोंके कीडोंको दूसरे लोगों तक या उनको ख़ूराक़ में न पहुँचा सकें-

(३) सिर्फ़ चंद कूएं पानी पीनेके वास्ते मुस्तमल होने चाहियें और इस अमरका पूरा लिहाज़ रखना चाहिये कि उन चाह हाय नोशीदनी के चहार जानिब घास और जंगल दूर तक साफ़ करा दिया जावे और आदमियोंको कूवों के पास ठहरने से रोका जावे--सिर्फ़ एक शख़्स किसी उम्दा कौम का पानी चाहसे खेंचने के लिये मुक़र्रर होना चाहिये जो दूसरों को कूवोंसे पानी खेंचकर दिया करे उमूमन् लोगों को खाना पकाने के बरतन् कूओं पर या उसके क़रीब धोने और नहानेकी क़तई मुमानिअत करनी चाहिये-

(४) तमाम अशख़ास जिनको अपना दूध और पानी नोशीदनी जोशीदा करने की इस्तताअत हो-अपना दूध और पानी अच्छी तरह जोश करें और दूध व पानी जोशीदा नीज़ दीगर अशयाय ख़ुर्द व नोशको बर्तनसे ढांक कर रक्खा करें ताकि मक्खियों को उसपर बैठने और हैज़ेके कीड़ोंको उस पर छोड़ने का मौक़ा न मिले। फ़क़्त।

(सबब)

हर शख़्सको उन ख़ौफ़नाक वबाओंकी रोक थाम के तरीक़ों में दिलचस्पी लाज़िमहै जो कभी २ हिन्दुस्तान में फैल जातीहैं और जान का ज़ियां और आफ़त व मुसीबत बरपा करती हैं ॥

फ़िल्हाल डाक्टरों ने उन बीमारियों की ख़ासियत उनके सबब और उनकी जियादती रोकनेके ज़रिए दर्याफ्त करने शुरूअ़ किये हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से रिसालह में उन बातों का मतलब सीधे साधे तौर पर बयान करूं॥

यह मज़मून हिन्दुस्तानियों के लिये एक और लिहाज़ से भी दिलचस्प है॥

क्योंकि बहुत से क़दीम ज़ातों की रीत, रस्में, (जैसा कि आगे मालूम होगा) बीमारियों हीकी ज़ियादती रोकनेके अच्छे ख़ासे तरीक़े हैं, कुछ २ उनमें से इस रिसालहके अन्दर आजायँगे ख़ास कर हैज़ाके बयानके साथ २ क्योंकि इस बीमारीके सबब आज कल अच्छी तरह मालूम होगये हैं किसी बीमारीकी असलियत मालूम करनेके लिये सबसे पहले ख़ुर्दबीन का इस्तैमाल ज़रूर है. इस औज़ार के वसीले से चीज़ों का असली डील डौल हज़ार गुणा बडा दिखाई देने लगता है, शिर का बाल जब इस औज़ारसे देखा जाता है तो वह एक पेड़के बराबर बड़ा मालूम होताहै ख़ुर्दबीनके ज़रिए से गदले पानी में बहुत से छोटे २ जानवर और पौधे नज़र आते हैं जो ख़ाली आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देते और वह ऐसे छोटे हैं कि दबीज़कपड़े में छानो तो भी उसमें से निकल जाते हैं॥

जो शख़्स हैज़े की बीमारी से मरा हो अगर उसकी आंतों का ज़रासा मैल ख़ुर्दबीन से आज़माया जावे तो उसमें हज़ारहा छोटे २ कीड़े नज़र आयेंगे जिनकी सूरत व ख़ासियत अजीब व ग़रीब है, और वह सिर्फ़ हैज़े ही की हालत में पाये जाते हैं, यह बात अभी मालूम हुई है कि यही छोटा कीड़ा हैज़े का सबब है यह कीड़ा अंग्रेज़ी में "कालरा माइक्रोब" Cholera Microbe. कहलाता है अगर्चे उसकी बाबत अब कुछ दर्याफ्त होगया है कि वह किसतरह जीता और बढ़ता है मगर यह कहना मुश्किल है कि आया वह जानवर है या पौधा वह पानी में बहुत फुर्ती से चलता है इसलिये वह मछली की मानन्द है मगर इतना फ़र्क़ बानिस्बत मछली या किसी और जानवरके उस में पाया जाता है कि उसके मुँह नहीं है यानी वह सख़्त चीज नहीं खा सकता, उसकी ख़ूराक़ पहले घुलजाती है तब जज़्ब होती है॥

यह कीड़े कभी२ कुँये के पानी में पाये जाते हैं तो यह होता है कि जो लोग उस कुंये का पानी पीते हैं उनको हैज़ा होजाता है यह तो ख़ूब मालूम है कि हैज़े की अलामतें ज़हर खाने की अलामतों से मिलती हैं यहां तककि यह ख़याल पैदा होगया है कि हैज़ा भी एक क़िस्म का ज़हर खाने से पैदा होता है बल्कि यह साबित होगया है कि जैसे सांप अपना ज़हर निकालताहै ऐसेही हैज़ेका कीड़ा भी एक क़िस्म का ज़हर निकालता है और उसी ज़हर से बीमारी की अलामतें पैदा होती हैं मगर यह बात

हमेशा नहीं होती कि हैजे के कीड़े बीमारी पैदा करदें, जैसे गाय सिर्फ़ खास हालत में दूध दे सकती हैं इसी तरह बाज़ हालतों में जो मालूम नहीं हैं हैज़ा के कीड़े ज़हर निकालते और बीमारी पैदा करते हैं॥

इस बीमारीकी अलामतें हैजेके कीडों को निगलेने के बाद फ़ौरन् ही ज़ाहिर नहीं होती हैं बल्कि उसको बढने और ज़हर बनाने में कुछ देर लगती है तब अलामतों के ज़ाहिर होने का वक्त आता है जैसे खेती उसवक्त नमूदार होती है जब बीज बोये हुये कुछ अर्सा गुज़र जाताहै ग़ालिबन् जैसा कि क़ायदा है हैज़ा तीन दिन बाद उस पानीके पीने से ज़ाहिर होताहै जिस पानी में हैजे के कीडे होते हैं मैं यह बयान कर चुका हूं कि इस बीमारी का सबब छोटे२ जानवर हैं जो किसी बात में जानवरोंसे मिलते हैं और किसी बात में पौधों के मानन्द हैं, वह जीते किस तरह हैं पहले तो उनको खूराक चाहिये-उनकी खूराक क्याहै-कीचड़ या मैल-अगर हैजेके कीड़े बहुत मैले गन्दे पानी में हों तो वह बहुत जल्द पैदा हो सकते हैं अगर उस वक्त ऐसा पानी खुर्दबीन से देखा जाय तो वह कीड़े छोटे २ और लकडियों की मानंद दिखाई देवेंगे वह इतने छोटे होते हैं अगर उनमें से साठ (६०) कीडे सिरे से सिरा मिलाकर एक क़तारमें रक्खो तो उस लकीर की लंबाई बाल की चौडाई के बराबर होगी॥

अगर इनमें से एक कीड़ा अच्छी तरह से रक्खा जाय तो वह बढता मालूम होगा और आख़िरकार इसके दो बराबर होजायँगे-और इन दोनों में से हर एक हैजेका कीड़ा है जो फिर बढ़ने लगताहै और तक़रीबन् आध घंटे के बाद इन दोनों के बाद इन दोनों के दो २ याने चार कीड़े होजाते हैं और फिर चार से आठ।

इस तौर से समझ में आसकता है कि नतो इनमें नरमादह हैं-न वह अंडे देते हैं फिर भी कैसे झट पट बढ सकते हैं-अगर एक कीड़ा हैजे का मैले पानी में रक्खा जावे तो इतनी जल्द बढोतरी होगी कि दूसरे रोज़ सुबह को पानी गदला मिलैगा क्योंकि उसकी हरएक बूंद में ऐसे २ लाखों कीड़े पैदा होजाते हैं इसलिये गदले पानी से मुँह धोने में भी अहतियात करनी चाहिये ऐसा अकसर होता है कि हैजे से मरे हुए की लाश गंगा में बहा दी जाती है इसलिये हैजे के कीडे उस पानी में दाखिल होजाते हैं अगर यही बात है तो गंगा जमनाका बहता पानी पीने से किसी को हैज़ा क्यों नहीं होता। इस सवाल का जवाब यही है कि इन दर्याओं के बहते पानी में हैजेके कीडों के लायक मैला पन नहीं है इसलिये कि अगर हैजे का कीड़ा इन दर्याओंके पानी में दाखिल होगा तो खूराक न मिलनेके सबबसे मर जायगा लेकिन बख़िलाफ़ इसके कि वह किसी मैले कुयें के पानी में पहुँचजाय तो वहां उसके खानेको बहुत मैला मिलेगा और उनमें बहुत जल्द पैदा होकर

बढ जायंगे अगर ऐसे कूवों की कीचड़ खुर्दबीन से जांची जाय तो कीडे के छोटे २ रेशे—हाथ की खाल के रेज़े जो डोल की रस्सी की रगडसे झडते हैं और बहुत से हैंमानी ज़र्राह नज़र आयेंगे अगर गंगाके पानी की कीचड जो बहुत कम होतीहै जांची जाय तो इसमें ऐसे टुकडे हर्गिज़ नज़र न आयेंगे अलबत्ता बडे घाटों के नज़दीक यात्राके दिनोंमें मिलते हैं अगर गंगाके बहते पानी तलछट को खुर्दबीनसे देखी जाय तो बर्खिलाफ़ पहले पानीके इसमें सिर्फ़ बालू और पत्थरके रेज़े नज़र आयेंगे और कीड़े पैदा होनेके लायक़ कोई चीज़ न पाई जावेगी—इसलिये हैज़ेके कीड़ों को वहां मुनासिब खूराक़ नहीं मिल सकती—उसकी सफ़ाईके बहुतसे सबब हैं एक यह कि हवा और धूपसे मैली चीजें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं॥

दूसरा बाब।

(हैज़ेकी रोक)

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे ज़ाहिर है कि अगर कुओं का पानी गंगा या यमुनाके पानीके मुताबिक होसके तो हैज़ा बहुत कम होजाय अलबत्ता मैल कुचैलतो बाज़ दवाओंके डालने से दूर हो सकता है याने बजाय धूप और उम्दा हवाके अगर थोड़ी फिटकरी मैले पानी में अच्छी तरह घोल दी जावे तो सब मैली चीजें जो तरती हैं बैठी हुई दिखाई देंगी और पानी नितर जायगा—मैंने दो एक बार सुना है कि जब ऐसा किया गया तो हैज़ा बन्द होगया मगर मुझको यकीन है कि इस काम के लिये फिटकरीसे Pot Permanguate परमेंगेनेट अच्छी है क्योंकि उससे मैली चीज़ें जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देतीं दोनों बैठ जाती हैं और न दिखाई देने वाली चीजें कुओंके पानीमें हमेशा होती हैं।

परमेंगेनेट एक चीज है नमक की मानंद है जो खटास और धातों से बनती है वह झटपट पानी में घुल जाती है और उसका रंग गुलाबी करदेती है इसमें पानी रंगनेकी ऐसी ताक़त है कि एक तोला कुँये भरको गुलाबी कर सकती है मगर यह रंग बहुत देर नहीं ठहरता— क्योंकि यह दवा पानीके मैल कुचैलको नेस्त करके खुदभी नेस्त होजाती है और रंग उड़ जाता है अगर यह तरीक़ गिलास में देखा जाय तो कुछ देर बाद वही तलछट दिखाई देगी और इम्तिहान से मालूम होगा कि इस तलछट में दवा और मैल मिला हुआ है इसी तरह अगर्चे उस वक्त पानी में कुछ फ़र्क़ नहीं मालूम होता है लेकिन इतनी बात जरूर है कि दवा घुलनेसे पेश्तर जो कुछ मैली चीज़ें पानीमें घुली हुई थीं वह और दवा दोनों नीचे बैठ गई हैं यह नमक एक कूवे का पानी साफ़ करनेके वास्ते इतना काफी होगा जिससे पानी का रंग गुलाबी

हो जाय मामूली कूयें के लिये एक छटांक या आधी छटांक परमेंगेनेट शामके वक्त मिलानी चाहिये ताकि कूयें का पानी न हिले और तलछट को तहपर बैठ जानेके लिये काफ़ी वक्त मिलजाय–सुबहको अगर फ़ीका लाल रंग रह जाय तो कुछ डर की बात नहीं है क्योंकि वह चीज़ ऐसी पतली होजानेके बाद कुछ ज़हरीली नहीं है बाज़ ज़िलोंमें ऐसे शख्स हैं जो दवा पीने से हिच किचाते हैं ऐसे लोगोंके फ़ायदहके लिये यह ज़रूर है कि जबतक बिलकुल जाता न रहे पानी कूवों से न खेंचें।

जब कोई रंग दिखाई नहीं देता तो इनको यक़ीन आजाता है कि पानीमें कोई दवा नहीं है हम पहले लिख चुके हैं कि हैज़ा तीन रोज़के बाद जोर पकड़ता है तो यह साफ़ ज़ाहिर है कि परमेंगेनेट असर इस बीमारी की निस्बत ज़ाहिर नहीं हो सकता जब तक कूयें के पानीको साफ़ हुए तीन दिन न गुज़र जाय, हैज़े का कीडा इतना छोटा है कि एक बून्द पानी में बहुतसे हो सकते हैं और मुमकिन है कि बाज़ वक्त एक बून्द के छोटे हिस्सह से बीमारी पैदा होजाय यह बीमारी उस पानी सेभी हो सकती है जो सिर्फ़ घरके वर्तावमें आता है इसलिये ज़रूर है कि परमेंगेनेट न सिर्फ़ उन कुवोंमें डाली जावे जिनका पानी पीते हैं बल्कि उन कूवों में भी डालनी चाहिये जिनका पानी बर्तने में आता है।

जब हैज़े का कीडा कूंवें में पहुँच जाय तो यह कोशिश लाज़िम है कि उसकी खूराक पानी मेंसे दूर करदें मगर इस कोशिशसे तो यह कोशिश बेहतर है कि उसको कूंवे के अन्दर पहुँचनेही नदें इसका इलाज कि वह कूंवे के अन्दर न पहुंचने पायें मैं कुछ नहीं बता सकता सिवाय इन रस्मोंके जो आजकल हिन्दुस्तान में जारी हैं वही मुफ़ीद हों अगर ज़ियादातर मानी जावें।

अव्वल–अबतो अच्छी तरह से मालूम होगया और साबित होचुका कि हैज़ा का सबब अक्सर मुसाफ़िर एक जगह से दूसरी जगह लेजाते हैं और यह भी मालूमहै कि हैज़े का कीडा ज़ियादा तर पानी में रहता है पसकुछ शक नहीं राहगीर जहां जहां ठहरते हैं वहां हैज़ेका कीड़ा अपने लोटे डोरके ज़रिएसे जो उनके साथ रहताहै कुवों में डालदेते हैं थोड़ा अर्सा गुज़रा कि हैज़ेका सबब दर्याफ्त करनेके वास्ते जो अंग्रेज़ी फ़ौज़ लखनऊके शफ़ा खानह में पैदा हुआ था मुझको जाना पड़ा–मालूम पड़ा कि शफ़ा खानह में हैज़ा शुरूअ होनेसे कुछ दिन पहले पासवाले अहातह में एक भिश्ती रहनेके लिये आया था और इसमें शक नहीं कि वह भिश्ती पानी पीने इस कूंवे पर आया जिसका पानी मरीज़ों को मिलताथा–भिश्ती को पहुँचनेसे दो दिन बाद दस्तआने लगे और वह हैज़ा में मुबतला होगया, बेशक वहां पहुंचने से पहले उसके पेटमें हैज़े का कीडा दाखिल होगया था बाद इसके शफ़ाखानह के बीमारों को जो उस कूंयें का पानी पीते थे यह बीमारी लग गई–

अक़सर गांव वाले गर्मी के मौसिम में मुसाफिरोंके वास्ते प्याऊ लगा देते हैं मुसाफ़िरको पानी भरनेकी कुछ ज़रूरत नहीं होती इस तरह से बहुत कम मौका मिलता है कि हैज़े का कीडा कूएं में पहुंच सके यह रस्म बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से राहगीर हैज़ेको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम लेजा सकता है।

दूसरे–निहायत मुफ़ीद रस्म यह है कि नीच ज़ातके लोगोंको उस कूंवेके पास नहीं आने देते जिसका पानी पीया जाता है जिस वक्त बस्तीमें हैज़ा फैला हुआ हो तो यह रस्म निहायत मुफ़ीद है क्योंकि नीच ज़ात वाले अपने पेशे में मैली चीज़ोंसे काम लेते हैं जिससे हैज़ेके कीडे पैदा होसकते हैं–हिन्दू लोग नहीं पसन्द करते कि मेहतरोंको अपने कूएं से पानी खींचनेदें यह दुरुस्त है कि मेहतरोंको अपने खाने पीने से अलग रक्खा जावे–लेकिन उनसे हरएक काममें परहेज़ करना वाजिब नहीं मालूम होता–

हैज़की रोक थामके लिये उन रस्मोंको जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ ज़ियादा मानना और रिवाज देना चाहिये–

अव्वल तो यह मुनासिब है कि जब मुसाफ़िर अपने गांव में लौटकर आवे तो उससे एक हफ्तह तक परहेज़ करें और कूएंपर न आने दें क्योंकि यह मुमकिन है कि इसको रास्तह में किसी मैली चीज़ से काम पडाहो या हैज़ेका सबब इसके साथ हो खास कर यह हालत उन यात्रियोंकी हो सकतीहै जो ऐसे मेलेसे लौटकर आवें तो हफ्ताभरतक कूयें के पास आनेकी इजाज़त न देनी चाहिये **दूसरे** आदमियोंको जो गांव से बाहर नहीं गये हैं उनके वास्ते पानी खेंचना चाहिये और जो लोग मेलेसे लौटकर आते हैं उनको चाहिये कि खानेकी कोई चीज़ सूखी चीज़ोंके सवा अपने गांव में न लावें हैज़े का कीडा सूखी चीज़में मर जाता है मगर गीले खानेमें थोडी देर जी सकता है–

यात्रियों या मुसाफ़िरोंके लोटे या पानी पीनेके बर्तन गांव में लाने से पेश्तर ही आग या धूप में रखकर सुखाने चाहियें–हैज़े का सबब कीडोंके साथ भी गांव में आस कता है पस लौट कर आने वालोंके कपड़े झट पट न धोने चाहियें अगर कूएं के पास धोये जाय गे तो मुमकिन है कि एकबूंद के ज़रिए से हैज़े का कीड़ा कूएं में जा पहुंचे पस ऐसे कपड़ों को धोने से पहले धूप में फैलाकर खूब सुखालेना चाहिये यह काफ़ी नहीं है कि कपड़ा छूने से सूखा मालूम हो बल्कि दिन भर धूप में पड़ा रहने दो क्योंकि धूप इन छोटे कीड़ों को मार डालती है जो बीमारी पैदा करते हैं अगर यह क़ायदे पूरे तौर से बरते जावें तो हैज़ा एक जगह से दूसरी जगह व पहुं-

च सकेगा इन क़ायदों पर चलना मुमकिन है क्योंकि इनकी बुनियाद तो वही रीत रस्में हैं जो हिन्दुस्थान में पुराने वक्तों से चली आती हैं।

हिन्दुस्थान का एक बाशन्दा दूसरेको पानी किसतरह पिलाता है—पहले वह पानी डौलके ज़रिए से निकालता है फिर लोटे में भरकर ओक से पिलाता हे अगर कोई इस से पूछे कि तुम डौलहीसे पानी क्यों नहीं पिलाते तो वह जवाब देताहै कि आदमीके झूंठे पानीके छींट से डौल का सारा पानी बिगड़ जायगा—

इस बिगड़नेका क्या मतलब है अगर पीने वाले का हाथ निहायत तेज़ ज़हरसे भिगो दिया जाये तो मुमकिन नहीं कि जो छोटी २ छींटें उसके हाथ से उड़ेंगी वह डौल के पानीको बिगाड़—मैं ख़याल करता हूं कि ऐसा ज़हर दुनिया में नहीं है—अगर यही बात है तो यह रस्म कुल अक्लमंदीकी नहीं है मगर पुरानी और नई बीमारियों के पहँचान के इल्म से साफ़ ज़ाहिर है कि यह रस्म अच्छी है और बीमारियां पैदा करने वाली चीजोंकी ज़ियादती को रोकती है जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि वबा का सबब मामूली ज़हर नहीं है बल्कि छोटे २ कीड़े हैं जिनमें बढ़नेकी अजीब ताक़त है और वह इतने छोटे हैं कि एक बूंद पानीमें हज़ारों रह सकते हैं पस इस तौर से बून्द भी पानी जो आदमीके हाथ से उछट कर डौल में जापड़े वह कूएं के अन्दर हैज़े के सबब पहुंचानेके लिये काफ़ी है।

जैसे थोड़ा सा जामन कई सेर दूधको जमा सकता है इसी तरह कूएंके सारे पानीको हैज़े का एक कीड़ा ऐसा ख़राब कर सकता है कि जो कोई पेट भरकर पीये उसको हैज़ा होजाय इसलिये मुझको यह रस्म अच्छी मालूम होती है और अगर हिन्दू लोग इसके असली सबबको जानें तो निहायत बेहतर हो—मैं जानताहूं कि डौलको सिवाय पानी खेंचनेके और किसी काममें नहीं लाते मगर इतनी ख़बरदारी होनी चाहिये कि यह बरतन किसी मैली चीज़के पास न आने पावे—मैंने देखा है कि औरतें घड़ा शिर पर और डौल हाथमें लेकर कूओं पर जाती हैं और डौलको अपने लहंगे के छूने से नहीं बचातीं मुमकिन है कि लहँगा मैला हो—कभी २ ऐसा होता है कि कूएं का चबूतरा और उसके गिर्दकी ज़मीन मैली होती है और मुझको शक़ है कि ऐसी मैली जगह पर डौल रखने में पूरी अहतियात नहीं की जाती यक़ीन है कि लौटा, डौल से ज़ियादह कुएं को ख़राब कर सके क्योंकि वह कभी २ मैले काम में लाया जाता है इसलिये बेहतर होगा अगर लौटे कूएं में नडाले जावें बल्कि डौल से लौटों में पानी भरा जाय या नलदार तालाब कूवों के पास बनवा दिया जाय जिससे तहारतके वास्ते लौटे में पानी भर सकें।

हैज़ेके रोकनेके लिये सर्कार कुछ नये बन्दोबस्त कर रही है जो कि अबतक

हिन्दुस्थान में मालूम नहीं हैं खासकर ज़िक्रके काबिल यह बात है कि बड़े शहरों में नल के ज़रिए से पानी पहुंचाने का समान किया गया है अकसर यहांके बाशन्दे इस पानी की ख़ासियत के समझने में बिलकुल गल्ती करते हैं बल्कि आगरे में बाज़ लोगों ने मुझ से कहा कि हम नलका पानी नहीं पी सकते कि वह बहुत गर्म है बाज़ों ने कहा कि रतूबत और बलग़म पैदा करता है बाज़ कहते हैं कि वह नीच क़ौमोंके इस्तैमालके वास्ते है इसलिये हम नहीं पी सकते ।

जिस नयेइल्मके ज़रिए से हमको यह साबित हुआ कि हिन्दुस्तान की बाज़ पुरानी रस्में अच्छी हैं (जैसा कि ऊपर बयान किया गया) उस इल्म से हमको यह भी साबित हुआ कि इस क़िस्मके ऐतराज़ महज़ पोच और बेहूदा हैं नलका पानी ऐसी मेहनत और अहातियातके साथ साफ़ किया जाता है कि बीमारी पैदा करने वाले छोटे २ कीड़े उस्में से अलग होंजाय-

इसकी सफ़ाई का तरीक़ा ऐसा पेचदार है कि इस छोटे से रिसालह में नहीं लिखा जा सकता मगर इतना कह सकते हैं कि बालू जिससे पानी साफ़ किया जाता है पहले कलके ज़रिए से उसको धोते हैं ताकि किसी के छूने से ख़राब न हो जाय-

इस पानी की ऐसी अहातियात और खबर्दारी की जाती है-कि वह गंगा यमुनाके पानी से जियादा साफ़ सुथरा हो जाता है छोटे २ ज़िन्दा कीड़े इस में बहुत कम होते हैं और बीमारियों के हक़ में वह हिन्दुस्तानके पानी से बेहतरं है-

हम ऊपर कह चुके हैं कि नीच क़ौमके लोगोंको डौल पर छींट डालने से मना करना चाहिये क्योंकि डौल कूएं में डाला जाता है और मुमकिन है कि इससे पानी बिगड़ जाय-

अगर्चे नलके पानी में इस क़िस्मका ख़तरा नहीं है फिर भी इसके आस पास सफ़ाई रखना और गन्दे मैले हाथों से इसके दहाने को बचाना चाहिये क्योंकि हवा के साथ किसी मैली चीज़का इसके अन्दर पहुंच जाना मुमकिन है-किसी तरह इतनी खबर्दारी तो करनी चाहिये कि जिस बर्तनमें पानी भरते हैं उसको नल के मुंह से न लगादें-

बाज़ देहातके अन्दर सर्कार पम्प लगा देगी, इस कलके ज़रिए से कूएं का पानी अज़ खुद निकल आता है अगर कूएंकीमन पुख्ता और अच्छी तरह दुरुस्त है तो इसमें शक नहीं कि जो कुछ गन्दगी पानीमें जा सकती है वह सिर्फ़ ऊपर से उन बरतनोंके साथ जा सकती है जो उसमें डाले जाते हैं पस कूएं का मुँह अगर ढाक दिया जावे और पानी सिर्फ़ पम्पके बसीले से खींचा जाय तो कूएं के अन्दर कोई मुज़र्रद चीज़ नहीं जा सकती क्योंकि पम्प की नलीमें होकर पानी ऊपर को आता

है अन्दर को नहीं जाता इस गरज़के लिये हिंन्दुस्तान में ऐसे पम्प लगाये गये हैं जिस्में चमड़ेके चकले नहीं लगाये गये अगर पम्प गांवामें लग सके तो बाशंदोंके हक़में निहायत मुफ़ीद होगा—

हमने इस रिसालह में कई रस्में ऐसी लिखी हैं कि अगर वह अच्छी तरह मानी जावें तो हैजे़ की जि़यादती को रोकनेके लिये निहायत मुफीद होंगी—मगर कुछ और तरीक़े अभी नहीं बताये जो बिलाशक निहायत फ़ायदेमन्द हैं मसलन् छोटे २ कीडे जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं पानीके उबाल नेसे मरजाते हैं इसलिये वबाके दिनों में उबाला हुआ पानी पिये और गर्म किया हुआ खाना खाने से बीमारी रहने का डर नहीं रहता मगर बहुत से गरीब आदमी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनको काफ़ी इन्धन मयस्सर नहीं आता—

मैंने जो कैफ़ियत बयान की इन्में वह तमाम तरीक़े नहीं हैं जिनसे हैज़ा पैदा होता है मगर हैजे़ का कीड़ा चूंकि सूखेसे मरजाता है और गर्दकी तरह हवामें नहीं उड़ सकता है इसलिये साँस लेने से हैज़ा पैदा नहीं होसकता, यह ऐसी बीमारी है कि जिसका सबब यानी कीड़ा हमेशा खाने पीनेके ज़रिए से पेटमें पहुँचता है और अक्सर तो यह बीमारी ख़राब पानी पीने से हो जाती है मगर कभी २ खानेके सबब से भी होजाती है और यह बात गालिबन् मैली जगह में होजाती है जहां बदबू और मक्खियों की कसरत हो—हैजे़का कीड़ा हैजे़ वालोंके फ़ुजले में मौजूद होता है अब यह दर्याफ्त हुआ है कि मक्खियां जो इस पर बैठती हैं तो कीड़ेको एक जगह से दूसरी जगह लेजाती हैं और खानेकी चीजों पर बैठकर वहां छोड देती हैं इस तरह खतरनाक बीमारी का सबब पेट में पहुंचकर बीमारी पैदा करदेता है—पस खाने पीने की तर चीजें जैसे कि गोश्त व दूध वगै़रह हैं इनको बाज़ारों में बहुत अहतियात से रखना और मक्खियों से बचाना चाहिये—तमाम शुद ॥

(नोट)

परमेंगेनेट पोटास ऐसी ज़ूद असर दवाई है कि जो चाह में डालतेही अपना असर दिखा देती है और यह दवा निहायत मुफ़ीद तजरबासे पाई गई है—आगरा-और रियासत बीकारनेर में भी परमेंगेनेट पोटास कूओंमें डालागयाथा जिसके डालनेके बाद मर्ज़ हैज़ा उन लोगोंको नहीं हुआ जिन्होंने उस चाहका पानी इस्तैमाल कियाथा अब बु माह अगस्त सन् १८९५ ई० जबकि मुक़ाम खराड़ी में हैज़ा फूटा था तो जनाब कर्नेल ए, डबल्यू राबर्ट साहब पोलेटिकल एजेंट व मजिस्ट्रेट ज़िला कोह आबूने यही परमेंगेनेट पोटास मज़कूरको चाह हाय वाके खराड़ीमें डलवाया था और यह बात

पाया सुबूत को पहुँची कि बाद डलवाये जाने पोटास मज़कूरके कोई शख्स मर्ज़ हैज़े में मुब्तिला होकर नहीं मरा।

ज़माने हालके मेडीकल तहक़ीक़ातने इस अमरको तसलीम कर लिया है कि इन्सानी सेहत व तन्दुरुस्तीका आला ज़रिया सफ़ाई का होना है जिससे वबाय अमराज़ बहुतही कम असर पिज़ीर होतेहैं इन्हीं उसूल पर सर्कार अंगरेजी हर एक शहर व क़स्बहमें वदेहमें अवामके रफ़ाह व फ़लाह अमराज़ के इन्सदादके लिये उम्दा उम्दा इन्तिजाम और जगह २ सफ़ाई आबरसानी और रोशनी वग़ैरह के महकमे मिस्ल मज़कूरा बाला मुक़र्रर फ़र्माए हैं और इसका नमूना ख़ाल ख़ाल अब बाज़ रियासत हाय हिन्दुस्तानी में भी रायज होता जाताहै-बहुतसी छोटी रियासतें सफ़ाई के मफ़ाद से बिलकुल बेबहरा और रिवाज के पाबन्द हैं—मेरीरायमें वह भी अपने ख़यालात को इस तरफ मवज़ूल करें—तो उनके मुल्की फ़यायद और इन्सदाद अमराज़ मुमकिन हैं ज़ाहिर है कि जब कोई शख्स किसी अमर के करने पर मजबूर किया जाता है तो क़बल अज़ इजराय कार्रवाई वह मुश्किलात को पेश नज़र करके उसके करने से गुरेज़ इख्तियार करताहै इस तरह हर शख्स इजराय कार महकमह सफ़ाई से पहले यह कह सकताहै कि उस कामके अंजाम दिये जाने के वास्ते अव्वल ही मर्तबा जर कसीर दर्कार है। इसलिये ऐसे मुआमलातकी तरफ रियासत हाय हिन्दुस्तानीको तवज्जह दिलाई जाने से मूजब ज़ेर बारी और क़र्ज़दारी रियासत है क़ते नज़र इन सब बातों के मैं वह वसाइल और ज़रिया रियासत हाय देशी की सफ़ाईके बयान करता हूं जो बाशन्दगान देशीके रिवाज और तबीअतके मुवाफ़िक़ हों और ज़ेरबारी और क़र्ज़दारी से भी रियासत सुबुक दोस हों।

बाबदोम।

(तैयारी पाख़ानह जात और उसकी सफ़ाई)

यह काम हर एक रियासतके शहरी कोतवाल या तहसीलदारके मुताल्लिक़ होना चाहिये और ऐसे ओहदेदार मोहतमिम सफ़ाईको जरूर है कि वह शहरकी वसअत और गुंजायशके मुवाफ़िक़ सफ़ाईके वास्ते मेहतर मुक़र्रर करे, और ऐसे इन्तिज़ाम करनेसे पहले शहरके चार या पांच शरीफ़ और मोअज़्ज़िज़ शख्स बतौर मेम्बर मुक़र्रर करे कि जो हर महीने किसी मौक़ै मुनासिब पर जमा होकर जलसा कमेटी सफ़ाई व आरायश शहरकी बाबत अपनी रायें जाहिर किया करें, और हिसाब किताब सफ़ाईको देखा करें रियासत हाय देशीमें दो क़िस्मके बाशिन्दे होते हैं एक वह जो शहरके बाहर आबादी से दूर पाख़ानह जाना पसन्द करते हैं दूसरे वह लोग जो अपने मकानसे बाहर जाना पसन्द नहीं करते हैं और अपने घरोंमें पाख़ानह जाता

और सन्डासें तैयार कीहैं (यह सन्डासें देखा गया है कि, बरसों ग़लाज़त से साफ़ व पाक नहीं होतीं) जो लोग शहरसे बाहर पाख़ानह जाने वालेहैं उनको उस वक़्त रोका जावे तो उनकी तबीअतके बिल्कुल बर्ख़िलाफ़ होगा और हर्गिज़ वह लोग इस बातको गवारा न करेंगे कि शहरके बाहर नजायँ और घरों में पाख़ानह बनाकर पाख़ानह फिरा करें मेरी रायमें जो लोग बाहर पाखानह जाना पसन्द करें उनके वास्ते उन्हीं मौकों पर पाखाने बना दिये जावें कि ग़लाज़त उनकी ज़ेर नज़र और बूय बदका नाम नहो क्योंकि यही बाअ़स है कि वह लोग जंगलोंमें आज़ादाना तौर पर पाखाना जानेके आदी होगये हैं, हम उन पाख़ानों की शकलें और तख़मीना हर एक पाख़ानह का जैल में बनाकर दिखलाते हैं, इस तरहके पाख़ानह एक दूसरे से बहुत फ़ासिलह से आबादी से दूर बनाये जावें और इस क़दर साफ़ व पाक रक्खे जावें कि लोगोंको उसके अन्दर जाना नागवार न गुज़रे एक गोशह में इस क़िस्मके पाख़ानह औरतोंके वास्ते बनाये जावें जो मर्दाने पाख़ानोंसे बहुत फ़ासिलह से हों और उस पर उस ज़बान देशीमें लफ़्ज़ मर्दाना और ज़नाना लिखदेना चाहिये जो लोग वाक़िफ़ व आगाह रहें—"डबसन फ़ीकंग" पौडर जो **ताअफ़ुन** को जज़्ब और सल्ब करनेवाला **ख़ासा** यानी असर रखता है बाद सफ़ाईके डाल दिया करें और खानगी पाख़ानों के ढंग और शकलें हस्ब ज़ैल होने चाहियें जिसका तख़मीनाभी साथ है और इस शक्लके पाख़ानह **बतजरी** शहर में रिवाज दिये जावें और मोहतमिम सफ़ाई को इख़्तियार होगा कि वह वक़्तन् फ़वक़्तन् उन पाख़ानों को जो जदीद बनाये जाते हैं उसी नमूना और तरीका से बनाये जावें कि जो मोहतमिम सफ़ाईने मुक़र्रर किये हों उमूमन् देसी रियासतों में यह दस्तूर देखा गया है कि लोग रास्तों और गुज़रगाहों में रास्तह चलते पेशाब करते हैं और किसी तरह उनको ऐतराज नहीं होता इस लिये मोहतमिम साहब सफ़ाई को चाहिये कि ऐसे गुज़रगाहों और रास्तों पर के गोशह में इस शकलके पेशाव खानह बनादें—

चूंकि ऐसे पेशाबख़ानोंके बनाये जानेसे हर शख़्स शाकी रहताहै कि इस मौक़े से पेशाबख़ाना उठा दिया जावे और ख़्वाहनख़्वाह म्यूनिसिपलेटी को उठाना पडता है और उसके उठानेसे महकमह सफ़ाई को ख़र्चह से जेर बारी उठानी पडती है इसलिये हम वह तरीक़ा बतलाते हैं जो निहायत ही मुफ़ीद हो और म्यूनिसिपलेटी को ख़र्चे से जेरबारी नहोवे चन्द एक गाडियां इस शकल की जिनका ज़ैल में नमूना है तैयार होनी चाहियें और गोशोंमें गुज़रगाहों के उन गाडियों को खडा करना चाहिये—और हर रोज़ दो दफ़ा दिनमें उन गाडियों को खेंच कर शहरके बाहर लेजाया करें और दूसरी गाडियां उस जगह खडी कर दिया करें इसमें यह बहुत बडा फ़ायदा

है कि जब कोई शख़्स मौतिरिज़ हो गाड़ीको खेंचकर दूसरी जगह खडा कर दिया जावे ॥

बाब सोम।

(शहरी सड़कों का इन्तिज़ाम)

रियासत हाय देशी में सडकों का इन्तिज़ाम ख़ास शहरमें वाक़े होते हैं निहायत अबतर और अवाम को मुज़र्रत पहुंचाने वाला देखा गया और ख़ासकर बाद बारिश के कोई रास्ता क़ाबिल आमद व रफ़्त नहीं रहता रास्तों में अमीक़ ग़ार पड जाते हैं मजबूर वहांकी रिआया उस रास्तहको छोड कर दूसरे रास्तह और पगडंडियां बना लेते हैं ताहम अहालियान रियासत इस तरफ़ तवज्जह नहीं करते अगर उनकी इस तरफ़ ज़राभी तवज्जह मबज़ूल हो तो उम्दा तौर पर ख़ातिरख़्वाह ऐसी सडकों का इन्तिज़ाम हो सकता और रिआया को आराम मिल सक्ता है अलावा इसके शहरकी खूब सूरती भी होजाय रियासत के जेलख़ानह से कुछ जमाअत क़ैदियों की बनिगरानी चन्द सिपाहियान् या बर्क़न्दाज़ान इस काम पर तैनात करदिये जावें जो दाग़बेल लगा लगाकर सीधी और खुशनुमा सडकें बाद ख़तम होने बारिशके बनाया करें और हरदो जानिब सडकोंके ऐसी नालियां बनादिया करें जो मौसिम बारिशमें पानीकी रूसे सडकों को महफ़ूज रक्खें इसी तरह जब वक्तन् फ़वक्तन् सडकों की हालत ख़राब देखी जाय तो मरम्मत होती रहे अगर महकमह सफ़ाई के फण्डमें तरक़्क़ी और रुपिया वाफ़िरहो दूसरी तदबीर नालियां व सडकें पुख़्ता करनेकी मुमकिन है बहरहाल सडक हाय शहरी अच्छी हालत में रहनी चाहियें :॥

बाब चहारम्।

(रियासत हाय देशीमें इमारतकी तामीर)

आम लोग रियासत हाय हिन्दुस्तानी में बिला दरेग़ शहरमें जहां चाहते हैं इमारतें तामीर करते हैं कोई अहलकार रियासत जो मजाज ऐसे अमूर के मज़ाहमतका है माने नहीं होता है इसमें चन्द क़बाहतें पैदा होती हैं जो बाद तैयारी के ब मुश्किल दफ़े हो सकती हैं इसलिये ऐसी इमारतोंके तामीर होनेसे पहले हरएक मालकान आराज़ी को ज़रूर होगा कि वह अपने किसी हाकिम वक्त को मुत्तिला करें कि जिसकी ज़िम्महवारी ऐसे कामों की हो—और उस हाकिमको चाहिये कि एक दिन उस मौक़े के मुलाहिज़ेके वास्ते मुकर्रर करके बाज़ मेम्बरों को मौक़े पर लेजाय और अगर मौक़ा ऐसा हो कि जहां इमारत की तामीर से हर्ज वाक़े होते हों या गुज़रगाह आम ख़मीदा होता हो तो ऐसा हाकिम हस्वराय मेम्बरान् ऐसी

दर्ख्वास्त नामंजूर कर सकता है इस इंतिज़ाम से बशर्त पाबन्दी ख्वाह कैसाही छोटा कस्बा क्यों नहो बाद चन्द अर्सहके उम्दा शक्ल पैदा करेगा—

बाब पंजम्।

(रियासत हाय देशीमें रोशनी का इन्तिज़ाम)

उमूमन छोटी रियासतों में रोशनी का इन्तिज़ाम नहीं है इस बदनज़्मी से रिआ-या बरायाको सख्त तकलीफ़ का सामना होता है चूंकि वह लोग आदी हो गये हैं इसलिये शाकी नहीं होसक्ते यह भी रियासत हाय देशी को कुछ मुशकिल न होगा रास्तों और गुज़रगाहों के ऊपर एक २ लालटेन बक़ीमत अर्ज़ां बशकूल जैल जिनका तख़मीना भी साथ है नस्ब की जावें चूंकि हरएक रियासत जदीद कामोंके वास्ते सर दस्त ज़र कसीर ख़र्च नहीं कर सकती इसलिये बाद चन्दे जब फ़न्ड में माकूल रुपया होजाय तो आहिनी लालटेनें फराहम करा सकते हैं जो बम्बई वग़ैरह सौदा-गरान से सिर्फ़ इत्तलाअ़ देने पर आसकती हैं॥

शक्ल पाख़ाना व पेशाबख़ाना बसूरत गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह मन्तक़ल हो सकती है मुजव्विज़ा मुसन्निफ़ किताब हाज़ा जिसको बाबू ठाकुर सिंह ख़ल्फ़ लहनासिंह नक़्शह नवीस मुताल्लिक़ा चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्तहिन्दने जो दरहक़ीक़त अपने फ़न में उस्ताद ज़मानह हैं मुरतिब फ़र्माया—

शकल नम्बर (१)

तख़मीना शकल नम्बर १.

गाड़ी तयार हो चार चक्करकी	४०—०—०
बाल्टी लोहा और हौज़हा	८—०—०
हर चहार तर्फ़ का पतरह यानी	५०—०—०
मये छतके बल्ली वग़ैरह	४—०—०
उम्दहक़िस्म मीज़ान	१०२—०—०

(नोट) ऊपरकी छत की ज़रूरत सिर्फ़ उस जगह होगी जहां पर कि बरसात कसरतसे होती है वर्ना उसके मौक़ूफ़ रखने से मुबलिग़ २०) रुपया कम सर्फ़ होंगे ॥ और बजाय चादर लोहे टीनके अगरआडके वास्ते आध इंच मोटाई का जंगली तख़्ता मिस्ल दरख़्त ढाकरह जिसे पलाश कहतेहैं लगाया जावे तो यक़ीन है कि मुबलिग़ १०) रुपया में तयार हो यानी कुल ख़र्च तक़रीबन् ६२) रु० होगा—

तख्मीना शकल नम्बर (२)

चिनाई कुर्सी बबुनियाद हा कमरह फुट	४३-०-०-२०/=२१
पत्थर कद-म्चह वग़ैरह इंदारा५नम्बर एक	१५-०-०-१५
पोस्ट लकड़ी १२ नम्बर	४-०-०=४/
पोस्टलकड़ी १२ नम्बर	१-०-०=/
तख्मीना लकड़ी हर चहार तर्फ़ और अंदर का पर्दा	३०-०-०-३०-/

पैमाना ५ फ़ीट-१ इंच
शकल नम्बर २.
पाखना नौ ईजाद
अडातराश.

जमीनी नक़्शा.

छत लोहाटीन=	३०-०--
ज़ीना नम्बर ५=	१५-०-०
(सीस बोल)मैले का पाट २ नम्बर	१०-०-०
दर्वाजह वग़ैरह ६ नम्बर	३६-०-०
ज़ियादह फ़ीसदी ५) रु०	८-०-०
मीज़ानकुल	१८२-०-०
बराय खर्च मुतफ़-र्रिक	१८
मीज़ान कुल	२००रु०

अशकाल पाखानह ख़ानगी व लालटेन हा मुजव्विज़ा मुसन्निफ़ हाज़ा जिसको बाबू ठाकुर सिंह खल्कालहना सिंह नक़शह नवीस चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्त हिन्दने जो दर हक़ीक़त यकताय ज़मानह हैं मुरत्तिब फ़र्माया ॥

शक्ल नम्बर (२)

पाखाना खानगी.

बक़ीमत मुबलिग़ २०) रु० तयार होसक्ता है.

शकल नम्बर (२) लालटेन.

बक़ीमत मुबलिग़ ५) रु० तयार होसक्ती है.

शकल नम्बर (३)

लालटेन जो दीवारसे चस्पां दह होगी.

लोहेके ब्रेकट १५) रु० अगर लकड़ी दीवारमें दीगर लगाई जावेगी तो ५) रु० काफी हैं

बाब शशम् ।

टेक्स दहिन्दगान रियासत हाय देशी ।

चूंकि रियासत हाय देशी की रिआया अक्सर किसी क़िस्मका टेक्स नहीं देती और वह आदी भी नहीं हैं इसलिये बहुत थोडा टेक्स जो दो आने महीने से ज़ियादा नहोवे हरएक मकान सकूनत पर मुक़र्रर किया जावे और जो समान बाहर से शहर में लाया जावे उस पर भी निहायत ख़फ़ीफ़ टेक्स मुक़र्रर करना चाहिये—मसलन् किसी क़िस्मकी तरकारी छकड़ेमें भरी हुई शहर में लाई जावे तो उस एक छकड़े पर बहुत ख़फ़ीफ़ महसूल उस दरवाज़े शहर पर वसूल होना चाहिये और हरएक महीने वसूल होकर ख़ज़ानह राज में दाख़िल हुआ करे एक रजिस्टर आम मोहतमिम सफ़ाईके दफ़्तर में रहैगा और तहसीलके वास्ते अगर शहर बड़ा है तो मुनासिब इंतिज़ाम किये जायँ और छोटे शहरों में हत्तुल इमकान उन्हीं अहलकारों से काम लिया जावे जो तहसीलदार या हाकिमके मुताल्लिक़ हैं जदीद अहलकारों का रखना ज़रूर नहीं—

बाब हफ्तम् ।

(क़वायद मुताल्लिक़ा सफ़ाई)

(१) यह क़वायद उन रियासत हाय देशी में मुरव्विज होंगे जो रियासतें अपने २ इलाक़ह में रायज करना मुनासिब तसव्वुर करें ।

(२) जो शख़्स ख़िलाफ़ इन कवाअ़दके अन्दरूं हदूद म्यूनिसिपलेटी अमलदरामद करे वह मुस्तूजिब सज़ाय जुर्माना २०) रु० तक हो सक्ता है या क़ैद महज़ जिसकी मयाद एक माह तक हो सकती है ।

(३) किसी शख़्सको कोई चीज़ गलानी और पिघलानी या सड़ानी नहीं चाहिये अपने मकान या अहातह मकान में इज़्न ब मंज़ूरी मोहतमिम सफ़ाई ।

(४) किसी शख़्सको कोई फ़ैल ऐसा न करना चाहिये कि जिसके सबब से अमराज़ के फ़ैलने का अहतमाल हो ।

(५) किसी शख़्सको कोई जानवर इस किस्मका कि जो उस रियासतके दस्तूर या मज़हबी अक़ायदके बख़िलाफ़ हो ज़िबह करना या कराना न चाहिये ।

(६) बैल सांड और बकरी जो अज़रूय अक़ायद मज़हबी हनूद शहरों और क़स्बोंमें आज़ादाना छोड़ दिये जाते हैं उनका कोई शख़्स क़ाबिज नहीं है ताहम कोई शख़्स मजाज़ उनके मारडालने या ज़िबह करनेका नहीं है ।

(७) जो ऐयाम गोश्त बज़ फ़रोख़्त करनेके वास्ते रियासत हाय देशी में मुक़र्रर

हैं, ख़िलाफ़ उन दिनोंके कोई शख्स गोश्त बज़ फ़रोख्त करने और जिबह करनेका मजाज़ नहीं है।

(८) कोई चीज जो अज़रूय तशख़ीस तबाबत या डाक्टर क़ाबिल फ़रोख्त व बै नहीं है वह जरूर म्यूनिसिपलेटी के अन्दर फ़रोख्त नहीं होनी चाहिये और न बइरादे फ़रोख्त रखनी चाहिये।

(९) किसी चश्मह व तालाब में खालें और नीज़ दीगर अशयाय जो पानीको मतलून और मुताफिन करते हैं नहीं धोने चाहिये।

(१०) किसी शख्सको म्यूनिसिपलेटीके अन्दर सिवाय जाय मुक़र्रीके पाखाना और पेशाब नहीं करना चाहिये।

(११) कोई शख्स ख्वाह फकीर हो या साधू बिरहना अपने आले तनासुल को खोले हुए सर बाजार नहीं फिरेगा।

(१२) कोई शख्स किसी मुबद् गाह पर ख्वाह वह मुताल्लिक़ा अहल इसलाम हो या हनूद मैला और किसी क़िस्मका फुजला न डालेगा।

(१३) कोई शख्स बिला इजाज़त मोहतमिम सफ़ाईके कोई चीज़ मिस्ल (संखिया व सोमलखार) वगै़रहको फ़रोख्त न करैगा–

(१४) कोई पाख़ाना बिला इजाज़त मोहतामिम सफ़ाई के न बनाया जावेगा।

(१५) किसी शख्सको किसी आलह रोशनीको जो रियासतकी जानिबसे महज़ बेनज़र रिफ़ाह आम बनाया गया हो नुक़सान नहीं पहुँचाना चाहिये।

(१६) कोई इमारत बिला इजाज़त मोहतमिम सफ़ाईके तामीर न होगी।

(१७) जो कुँवा–चाह अहल हनूद या अहल इसलामके लिये पानी लेनेके वास्ते मुक़र्रर है उसपर वह क़ौमें जो निहायत अदने दर्जेकी हैं पानी न भरने पायेंगी।

(१८) किसी शख्सको कोई महसूल जो म्यूनिसिपलेटीकी तरफ़से मुक़र्रर किया गया हो हज़म न करना चाहिये।

(१९) हस्ब इजाज़त मोहतमिम सफाई रियासत हाय हिन्दुस्तानीमें ख्वाह वह मुसल्मान हो या हनूद एक जगह जानवरान् जिबह करनेके वास्ते मुक़र्रर होंगे जिसको कमेला बोलते हैं।

(२०) किसीको कोई जानवर अपने घरों में ज़िबह न करना चाहिये इल्ला बवजह ख़ास।

(२१) किसी शख्सको अजरूय धोखा दही यानी कुत्ते या गधेके गोश्तको बकरीका गोश्त करके न फ़रोख्त करना चाहिये ऐसे शख्स मुस्तोजिब सज़ाय

जायदके होंगे जो वाली रियासत या उस हुकूमतके हाकिमकी राय पर मुनहसर है ।

(२२) किसी शख्सको बेरहमीसे मारना या जानवरान् मजरूह से काम न लेना चाहिये ॥

(२३) क़बूल अज़् मेला हाय मुसलमानी या हनूद् सर गरोहानको लाज़िम है कि, मोहतमिम सफ़ाईको मुत्तिला किया करें ।

(२४) मालकान को चाहिये कि इमारत तालाब व चाह व खन्दक़ या दूसरे मुक़ामात की ऐसी मरम्मत करें कि जिससे अवामको ख़ौफ़ व ख़तरा बाक़ी न रहे ।

(२५) कोई रास्ता या गुज़रगाह या पगडंडी बिलामंज़ूरी मोहतमिम अफ़सर के न रोकनी चाहिये ।

(२६) रियासतको मजाज़ है कि दफ़ात मस्बूक़ुल ज़िक्र में मुनासिब जाने तग़ीरो तबदील करे या कुछ ईजाद करे ॥

हिस्सह दोम तमाम शुद ।

हिस्सह सोम।

मजमूआ़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी।

हिस्सह सोम ।

चूंकि

कोह आबू राजपूतानह की दारुलख़िलाफ़ा और साहब वालाशान साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानह का मुस्तक़िल फरोदगाह है और अकसर रऊसाय राजपूताना व वस्तहिन्द वग़ैरह ब मौसिम गरमा तफरीहन कोह आबू पर रौनक अफ़रोज़ होकर चन्द माह तक क़याम फ़र्माते हैं इसलिये जरूर हुआ कि इस मुकाम के क़ायदों और शर्तों से भी वाक़िफ़ हों और तावक्ते कि इन क़वायदको यक जाय जमा न किया जावे तमाम क़ायदों का हासिल होना ना मुमकिन है । पस दरीं सूरत अहलकारान् व मुलाज़िमान रियासत को वाक़िफ़ व आगाह करना उन क़वाअ़द व ज़वाब्त से जो कोह आबू पर रायज और जारी हैं जरूरी ख़याल करके तमाम क़वाअ़द व ज़वाब्त मुजिरिये व मसदरा गवर्नमेन्ट हिन्द व सीगह फारन डिपार्ट मेन्ट याने महकमा ममालिक ग़ैर व साहब ऐजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राज पूताना व म्यूनिसिपलेटी कोह आबू अंग्रेजीसे उर्दू में तर्जुमा करके शामिल मजमूअ हाज़ा की गई जो रियासतों के बहुत कार आमद हैं ॥

अल्‌अ़ब्द

मीर तफ़ज़्ज़ुल हुसेन वल्द मीर हुसेन अ़ली सरिश्तहदार ।

अ़दालत मजिस्ट्रेटी कोह आबू.

फ़हरिस्त ।

(क़वानीन मुरव्विजा बर कोह आबू)

हस्बज़ैल ऐक्ट बमूजिब नोटी फ़िकेशन फ़ारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी (२८५) आई

मर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० व नीज़ बज़रिए दीगर नोटीफ़िकेशन कोह आबू पर जारी और नाफ़िज़ हैं।

नम्बर ऐक्ट मय सन्	नाम ऐक्ट	
४५ सन् १८६० ई०	ताज़ीरात हिन्द	
६ सन् १८६४ ई०	ताज़ यानह	
११ सन् १८६५ ई०	मतालिबा खफ़ीफ़ा	बजाय इस ऐक्टके आबू व अनादरह का इस्माल काज कोर्ट लाज़ सन् १८८९ई० नोटी फ़िकेशन नम्बर (१३७५) आई मर्कूमा २९ मार्च सन् १८८९ ई० रायज और नाफ़िज़ हुआ
१५ सन् १८७७ ई०	मियाद हिन्द	
अव्वलसन् १८७९ई०	स्टाम्प हिन्द	
१० सन् १८८२ ई०	मजमूअ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी	
१४ सन् १८८२ ई०	मजमूअ़ ज़ाब्ता दीवानी	
१० सन् १८८६ ई०	मजमूअज़ाब्ता फौजदारी	
६ सन् १८८८ ई०	कर्ज़ा....	....ऐज़न
७ सन् १८८८ ई०	मजमूअज़ाब्ता दीवानी	
१० सन् १८८८ ई०	मजमूअ़ ज़ाब्ता दीवानी ..	..ऐज़न
अव्वल सन्१८९०ई०	महसूल आराज़ी	
२१ सन् १८७९ ई०	अख़्त्यारात मुमालिगैर व हवालगी मुजरिमान की(दफ़अ़)	
६ सन् १८८६ ई०	विलादत व अंबात दफ़ैयात	
सन् १८८९ ई०	१३ व २४ व ३२	
नोटी फ़िकेशन नम्बर २५६८ आई	आबूके जंगली परिंदोंकी हिफ़ाज़तका क़ानून।	
७ सन् १८७० ई	कोर्ट फ़ीस	

एक्ट २१सन्१८७९ ई० हवालगी मुजरिमानह व
अख़बार रियासत ग़ैर
मुंरंमा अज़ एक्ट नम्बर
१२सं० १८९१ ई०

निस्ताईन

तर्जुमा-

नोटी फ़िकेशन यानी इश्तिहारात
फारन डिपार्टमेंट यानी महकमा
ममालिक ग़ैर।
जूडीशल यानी कार्रवाई अदालत

मुक़ाम फ़ोर्ट विलियम (कलकत्ता) मर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई०

नम्बर २८४–हर्फ़ आई–इश्तिहारात मुफ़स्सिला ज़ैल मजारिया गवर्नमेन्ट हिन्द व मुहकमह फारन डिपार्टमेन्ट इसकी रूसे मनसूख़ कियेजातेहैं–यानी

नम्बर ३७०–मवर्रख़ह ३१ अक्टूबर सन् १८६६ ई०

नम्बर ८४– मवर्रख़ह ३० अप्रैल सन् १८६७ ई०

नम्बर १०२–हर्फ़ आई व जे मर्कूमा २ जौलाई सन् १८८० ई०

नम्बर १३५८–हर्फ़ जी–मर्कूमा २९ नवम्बर सन् १८८२ ई० (दो दफ़ात अख़ीर)

नम्बर २५९७–हर्फ़ जी–मर्कूमा ८ नवम्बर सन् १८८३ ई० (दो अख़ीर दफ़ात और वह हिस्सा अव्वल दफ़ा कि जिसकी रूसे कप्तान, जे, एच, बोल साहब मजिस्ट्रेट आबू मुक़र्रर हुये।

नम्बर २८५–हर्फ़ आई–चूंकि जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुरको बइजलास कौन्सल इख़्तियारात व हुकूमत बाबत इजराय इश्तिहार मुफ़स्सिला ज़ैल उन इन्तिज़ामात की रूसे जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोही के साथ हुए हैं हासिल हैं लिहाज़ा मुश्तहर किया जाता है कि क़वानीन मुंदर्जा ज़ैल आबू व अनादरा में मय उस सड़क के जो आबू सेनीटरी यम (कोह आबू) से आबू रोड रेलवे स्टेशन व बाज़ार खराड़ी को जाते हैं नाफ़िज़ व जारी हैं।

मजमूअ ताज़ीरात हिन्द (ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०) क़ानून ताज़यानह व (ऐक्ट नम्बर ६ सन् १८६४ ई०) क़ानून अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा ऐक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई०।

क़ानून मयाद समाअ़त (एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई०) क़ानून स्टाम्प (एक्ट नम्बर १ सन् १८७९ ई०) मजमूअ़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी (एक्ट नम्बर १० सन् १८८२ ई०) मजमूअ़ ज़ाब्तह दीवानी (एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई०)

नम्बर २८६–हर्फ़ आई–चूंकि जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर को बइजलास कौन्सल बज़रिए उन इन्तिज़ामात के जो राव साहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुई हैं–इख्तियार हुकूमत इजरा फ़र्माने इश्तिहार मुन्दर्जा जैल के बग़रज़ अमल में लाने उस इख्तियार हुकूमत के व इख्तियारात अतीया ज़ेर दफ़ा ४ व ५ क़ानून नम्बर २१ बाबत सन् १८७९ ई० व क़ानून इख्तियारात सरकार अन्दर रियासत गैर–व इख्तियारात बाज़ गिरफ्ता मुजर्मान मसदूरह सन्१८७९ ई० व नीज़ बग़रज़ अमल में लाने दीगर जुमलह इख्तियारातके जो इसबारह में हासिल हैं–जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर ब इजलास कौन्सिल हिदायत फर्माते हैं कि फौजदारी व दीवानी इख्तियारात अंदर हदूद आबू व अनादरा मय हदूद उस सडकके जो आबू सेनीटरीम (कोह आबू से) आबूरोड रेलवे स्टेशन व बाजार खराड़ी को जाती है बमूजिब तरीका मशरए जैलके अमल में लाये जाय। यानी–

(ए) इख्तियारात फ़ौजदारी।

दफ़अ़ १ – एक साहब मजिस्ट्रेट आबूके होंगे–जिनको जनाब नव्वाव गवर्नर जेनरल बहादुर बइजलास कौन्सिल उस ओहदेपर बज़रिए उनके नाम या ओहदेके वक्तन् फ़वक्तन मुक़र्रर फ़र्मावेंगे।

दफ़अ़ २– साहब मजिस्ट्रेट आबू अन्दर हदूद मज़कूरुल सदर इख्तियारात मजिस्ट्रेट ज़िला मशरए मजमूअ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी अमल में लावेंगे॥

दफ़अ़ ३ –साहब कमिश्नर अजमेर व मेरवाडा मौजूदा वक़ इख्तियारात शेशन कोर्ट और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मौजूदा वक्त इख्तियारात हाईकोर्ट मुन्दर्जा ज़ाब्तै मज़कूर निस्बत हमला जरायमके जिनमें साहब मजिस्ट्रेट मज़कूर आबू इख्तियारात मजिस्ट्रेटी अमलमें लाते हैं–अमल में लावेंगे–मगर अ़दालत शेशनका वह हुक्म जिसमें ब मन्शाय मजमूअ़ मज़कूरके अ़दालत हाईकोर्टसे बहाली सज़ाय मुजव्विज़ा ज़रूर हो बग़रज़ मंज़ूरी बहुज़ूर जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर इजलास कौंसिल इरसाल कियाजावेगा कि बइजलास साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर इजलास कौंसिल इरसाल किया जावेगा।

दफ़अ़ ४–इस नोटी फ़िकेशन (इश्तिहार) के मदात मुन्दर्जा नक्शि इजलास साहब गवर्नर जेनरल वाला जुमला कार्रवाई हाय फौजदारीके मुताल्लिक़ हैं

सिवाय कारंवाई हाय मुताल्लिका रअय्यत बर्तानया अहल यूरुप और अशखास जो बसमूल रअय्यत अहल यूरुप मुलज़िम क़रार दिये गये हों—और सिवाय उन मुक़द्दमोंके जिनमें मुस्तग़ीस (अगर कोई हो) और मुलज़िम दोनों राव साहब बहादुर रईस सिरोही के रिआया हो ।

(बी) इख़्तियारात दीवानी ।

दफ़अ़ ५—साहिब मजिस्ट्रेट आबू अन्दर हदूद मज़कूरुल सदर इख्तिरात जैल अमल में लावेंगे ।

(ए) इख्तियारात अ़दालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा मशरूहए कानून नम्बर ११ सन् १८६५ ई०

(बी) इख्तियारात अ़दालत ज़िला मशरूहा मजमूअ ज़ाब्ता दीवानी वास्ते समाअत नालिशात इब्तदाय बिलाताअइउन तादाद व क़ीमत शै मतदावियाके—

दफ़अ़ ६—साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मौजूदा वक़्—

(ए) उन मुक़द्दमातमें जिनमें साहब मजिस्ट्रेट आबू इख़्तियार जजी अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा अमल में लावें इख्तियारात हाईकोर्ट मशरा एक्ट नंबर सन् १८६५ ई० ।

(बी) और जिन मुक़द्दमों में साहब मजिस्ट्रेट आबू अ़दालत ज़िलाके इख़्तियार अमल में लावें उनमें अ़दालत अपील व अ़दालत हाईकोर्ट मुआफ़िक़ शरह जाब्ता दीवानीके—अमलमें लावेंगे—

दफ़अ़ ७—इस इश्तिहारके मदात ४ व ५ व ६ ऐसी नालिशातके मुताल्लिकान होंगे जिन्में मुदई और मुद्दायला दोनों रिआ़य राव साहब बहादुर रईस सिरोही केहों ।

नम्बर २८७—हर्फ़ आई—बज़रिए इख्तियारात अतीया ज़ेर दफ़ा ६—एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० (क़ानून इख्तियारात सर्कार अन्दर रियासत गैर— व इख्तियार बाज़ गिरफ्ता मुजरिमान मसदूराह सन् १८७९ ई०) व जुमला दीगर इख़्तियारात जो इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर व इजलास कौंसल साहब मजिस्ट्रेट आबू मौजूदा वक्त को बशर्ते कि वह रअय्यत बरतानियां—

अहल यूरुप हो जस्टिस आफदीपीस अन्दर हदूद आबू व अनादरा बशमूल हदूद सड़क जो आबू सेनी टरीयम् (कोह आबू) से आबू रोड रेलवे स्टेशन व बाज़ार खराड़ी तक जाती है मुक़र्रर फ़र्माते हैं ।

नक़ल।

नम्बर ३२८३—आई—नोटी फ़िकेशन यानी इश्तिहार महकमह ममालिक ग़ैर शमला २४ सितम्बर सन् १८८५ ई०—

जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर किशूवर हिन्द बइजलास कौन्सिल इश्तार महकमह ममालिक ग़ैर नम्बरी २८६ आई मर्क़ूमा २३ जनवरी सन् १८८४ई० में हस्ब ज़ैल तरमीम फ़र्माते हैं—

बजाय लफ्ज़ अव्वल असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुरके लफ्ज़ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा पढ़ना चाहिये—

दस्तख़त—एच—एम देवरमेंद
सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट
हिन्द

तर्जुमा

क़वाअ़द।

मंजूर फ़र्मूदा म्यूनिसिपिलऐन्ड सेनीटरी कमेटी कोह आबू दर जलसह मौनक़िदा १२ अगस्त सन् १८६८ई०

(१) कोई शख़्स जो अन्दरूं स्टेशन क़वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल के ख़िलाफ़ अमलदरामद करेगा वह शख़्स सज़ाय जुर्माना का मस्तूजब होगा—जिसकी तादाद मुबलिग ५०) पचास रुपये से ज़ियादा न होगी—

(२) कोई शख़्स मैला कचरा किसी क़िस्मका सड़क आम या सर्कारी ज़मीन उफ़तादा पर जो जगह क़ाबिल ऐतराज़ हो नहीं रख सकेगा—और न अपने नौकरको रखनेकी इजाज़त देगा सिवाय ऐसी जगह और इस तरीक़के जिसको कमेटीने मंजूर कर लिया हो—

(३) सिवाय ऐसे घंटों और ऐसे रास्तह से जो मिन्‌जानिब म्यूनिसिपिल कमेटी मुक़र्रर किये गये हैं कोई शख़्स पाख़ाना (गो) या दूसरी मुज़िर या और कोई नाक़िस चीज़ न ले जासकेगा—

(४) मालिकान या किरायेदारान् हर मकान या मकानों से कि जो हद्द स्टेशन में वाक़ै हैं—पाख़ाना या पाख़ाने उस सर ज़मीन पर कि जो बंगलों या मकानोंके

मुताल्लिक़ हैं—हजब तजवीज़ कमेटीके बराय इस्तैमाल उन अशख़ासके जो उस हिस्सा ज़मीन पर मकान या मकानों में बूदोबाश रखते हैं बनवाया या बनवाये जावेंगे—

(५) हर एक बाशन्दा मकान तमाम मैला, खराब, और फ़ज़ला या दूसरी मज़र चीजें उस मुक़र्ररह जगह पर रोज़ मर्रह फिकवा देगा अपने मकान पर या मुत्तसिल अपने मकान के स्टेशन के ख़ाकरोब के उठा लेजानेके वास्ते तैयार रक्खेगा—

(६) तमाम गू (तर मैली चीजें) इस तरह से जमा की जावेंगी—जिस तरहसे कि इसकी बाबत कमेटी ने हिदायत कीहो—

(७) मालिक मकान या किरायेदार हरएक मकान या बंगलह का ख्वाह वह सकूनत के लायक हो या नहो अगर उसमें मैला होगया हो या रूईदगी क़ाबिल ऐतराज़ ब वजह कसरत बारिश के पैदा होगई हो ऐसी हालत में मौसिम बरसात के खतताम होने पर तमाम बाशन्दगान मकानात को लाज़िम होगा कि उस रूईदगी को फ़ौरन् काट डाले कि जो बज़मानह सख्त बारिश नहीं कर सकती थी—

(८) कोई शख्स जानबूझ कर कोई ऐसा फ़ैल न करे कि जिसके बाअ़स छूत के अमराज़ फ़ैल जानेका अहतमाल हो—टीका मुसतसना किया गया है—

(९) किसी शख्स को स्टेशनके हद्दूद के अन्दर फ़ुसूल काश्त नहीं करनी चाहिये कि जो सफ़ाईके लिहाज़ पर या बनावर पर एतराज़के काबिल हो—

(१०) हरएक बाशन्दा ज़मीन झाडी या दरख्तोंको बलिहाज़ उस तरीक़ों के छांटे या क़लम करेगा—जो कमेटी ने मुक़र्रर कियाहो—और बिला मंजूरी कमेटी के किसी शख्स को कोई दरख्त जवान काटना या नेस्त व नाबूद नहीं करना चाहिये—

(११) कोई शख्स वग़ैर हुक्म कमेठी के "सूवर" को स्टेशन के अंदर न पाल सकेगा—

(१२) कोई शख्स जानवरान् को न रख सकेगा जो तकलीद या तन्दुरुस्ती को मुज़र हो और न ऐसी जगह कि जो कमेटी की राय में ना मुनासिब हो—ऐसे जानवरान् नहीं रक्खे जा सकते बिलाख़ोक व तन्दुरुस्ती व आराम आम्मा खलायक—

(१३) कोई शख्सको किसी जगह पाख़ाना नहीं फिरना चाहिये—सिवाय सरकारी और खानगी पाख़ानों के—और किसी शख्स को अपना जिस्म बे अदबी से सड़क आम या गुज़र गाह आम या किसी और जगह पर नहीं खोलना चाहिये—

(१४) किसी शख्स को किसी कूएं पर गुसल न करना चाहिये–

(१५) किसी शख्सको जामा हाथ पोशीदनी और बर्तन बावर्ची खानहके किसी कूयें पर नहीं धोने चाहिये–

(१६) आम्मा खलायक़के न्हाने के वास्ते नकी तालाब में जगह मुकर्रर कीजावेगी हरएक–

(१७) उमूमन् एक जगह नकी तालाब पर तीरथ वालोंके ( ) नहानेके वास्ते मुकर्रर होगी–

(१८) जो शख्स किसी छूत लगने वाले आर्ज़ेह में मुब्तिला हो उसको किसी आम घाट पर न न्हाना चाहिये–

(१९) धोबी घाट नकी तालाब पर युरोपियन और हिन्दुस्तानियोंके लिये अलहदा मुकर्रर होगा–

(२०) किसी शख्स को तामीर करना और रखना नहीं चाहिये-कोई पाखाना या मैला जमा करनेके लिये किसी दरिया या तालाब या हौज़ या चाह या चश्मा के नज़दीक जहां से पानी लिया जाता है या ऐसा न करना चाहिये कि जिससे पानीके ख़राब होजाने का अहतमालहो–

(२१) किसी शख्स को, जिबह नहीं करना चाहिये खूराक़के लिये किसी चौपायेको सिवाय आम कमीले के जब तक कि कमेटी से इजाज़त हासिल नकी गई है–

(२२) आम कमीले ऐसे मुक़ामात पर होंगे जिसे कमेटी बलिहाज़ तन्दुरुस्ती व आराम अवाम पसन्द करे–और वह साफ़ रक्खे जावेंगे–

(२३) किसी शख्सको कोई मरीज़ जानवर (चौपाया) जिबह करना या कराना नहीं चाहिये–

(२४ किसी शख्स को कोई चीज़ खुर्दवनोश इन्सानकी जो कमेटी की रायमें नाक़ाबिल और मुजिरहै फ़रोख्त करनेके लिये रखनी नहीं चाहिये और न फ़रोख्त करनी चाहिये–

(२५) किसी शख्स को कोई चीज़ खुर्दनी व नोशीदनी में आमेज़िश नहीं करनी चाहिये कि जो मुजिर होवे और न बइरादह फरोख्त जान बूझ कर किसीनाकिस और मुज़िर शै को रखना चाहिये–

(२६) किसी शख्स को "सूअर" का गोश्त बिला मंजूरी कमेटी के फरोख्त नहीं करना चाहिये–

(२७) किसी शख्सको कोई नाश किसी ऐसी जगह दफ़न करनी या जलानी नहीं चाहिये जो जगह इन अग़राज़के वास्ते कमेटी से मंजूर नहीं हुई हो–

(२८) किसी शख्स को मुक़र्रर नहीं करनी चाहिये बिला मंजूरी कमेटीके कस्साब की दूकान या कोई जगह किसी चीज़ के पिघलाने या जोश देने या ओझड़ी या मटके वग़ैरहके साफ़ करने या साबू बनाने या खालरंगने या ईंट बनाने या चूने की भट्टी या कोई और कारखाना या और कोई शैकि जिससे किसी तरहकी बदबू तअफ़ुन पैदा होने का अहतमालहो—

(२९) किसी शख्स को पत्थर या कंकर की खान या ईंटोंके वास्ते मिट्टी नहीं खोदनी चाहिये सिवाय उस जगह मुक़र्ररा के जो म्यूनिसिपिलेटी से मंज़ूर होगई हो और हरशख्सको चाहिये कि जिस जगह से मिट्टी वगैरः लेवें उस जगह को बतौर सलामी के कन्दाकरें या गढ़ोंमें नालिया बनादें—

(३०) मालिक किसी इमारत तालाब चाह गढे या दूसरे मुक़ामातको लाज़िम होगा कि मरम्मत व हिफ़ाज़त करें-इमारत या उसके मुताल्लिक़ा मकानात की जो आम्मा की हिफ़ाज़तके वास्ते ज़रूरी हो और ऐसी मरम्मत होनी चाहिये कि जिससे खौफ़ व ख़तरा बाक़ी नरहे—

(३१) किसी शख्सको बनाना या रखना नहीं चाहिये कोई छत या दीवार ऐसे झोंपड़े और मकानोंकी उन अशियाय से कि जिनसे आग लगजाने का अन्देशा और अहतमाल है (याने मिसल घासके) जो ख़ौफ़नाक ख़याल की गई हैं—

(३२) किसी शख्सको सड़क आम या गुज़रगाह आमको बगैर सलाह साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके और बिलामंज़ूरी कमेटीके बेजा तौर पर न तबदील करना चाहिये और न सरका देना चाहिये।

(३३) हर शख्सको अपने अहातों की दीवारों खंदकों या बाडों या दीगर बंगलों के मुताल्लिका मकानात की मुनासिब मरम्मत शकिस्तोरेख़ करनी चाहिये (हस्ब मज़ाव्विजा रेजूलेशन म्यूनिसिपिल कमेटी आबू मवर्रखा १०नवम्बर सन् १८८३ई.)

(३४) किसी शख्सको कोई जदीद इमारत या झोंपड़ा बलिहाज़ सफ़ाई उस मुक़ाम पर नहीं बनाना चाहिये जो कमेटीकी राय में क़ाबिल ऐतराज़ या जो गुज़-रगाह आम में हर्ज डालता या खललंदाज़ हो—

(३५) किसी शख्स को किसी जानवर पर स्टेशन के अन्दर सवार होकर बेपरवाही से इस तरह नहीं दौड़ाना चाहिये कि जिसके बाअस दूसरों को ज़रर का अहतमाल हो—

(३६) किसी शख्स को किसी सर्कारी ज़मीन पर जानवरों को चराना या ऐसी

ज़मीनको इस्तैमाल में लाना बतौर जाय क़यामके बिला इजाज़त साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू के नहीं चाहिये. और ऐसी क़याम की जगह सेनीटरी कमेटीसे मंज़ूर होगी–

(३७) किसी शख़्सको टट्टू या दूसरे जानवर स्टेशन के अन्दर चरानेकी ग़रज़ से आवारा नहीं छोड़ने चाहियें और न उनको पैर बांधकर स्टेशनके अन्दर चराना चाहिये-यह अमर ममनूअ़ नहीं है कि ऐसे अशख़ासके लिये कि जो अपने जानवरान् को रस्सी या दूसरी चीज स बांधकर जो उनके क़ब्ज़े में रखसके चरासकते हैं और नीज़ हर शख़्स मजाज़ इस अमर काहै कि ऐसे आवारा जानवरों को कांजीहौस में लेजावे–

(३८) किसी शख़्स को बाजा या और किसी किस्मका आला या फूंकना या बजाना नहीं चाहिये सिवाय ऐसे औक़ात और जाय मोईना के जिसकी बाबत साहबमजिस्ट्रेट बहादुरसे इजाज़त हासिल हुई हो और क़बूल अर्जी कमेटी की मंज़ूरी हो चुकी हो–

(३९) किसी शख़्स को आतिशबाज़ी या हवाई खतंगा नहीं छोड़ना चाहिये बशर्ते कि पहले साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूसे इजाज़त लीगई और कमेटीसे मंज़ूरी हो चुकी हो–

(४०) क़वाअ़द बराये इम्तिहान रंडियों या कस्बियों और उनके मालज़ाके जबकि वह अमराज़ मुतअ़द्दी में मुबतिला हों जो हस्ब तजवीज डाक्टर मोर साहब बहादुर एजेंसी सर्जन राजपूताना शामिल हुये हैं उसकी मंज़ूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मंज़ूर फ़र्मा चुके हैं और कमेटीने भी पसन्द फ़र्माया है–

(४१) सगान् (कुत्ता) आवारा जो गुज़रगाह आमपर फिरते हुए नजर आयेंगे उनकी मुज़र्रत से महफ़ूज न रहा जावे तब वह महफूज रहने की ग़रज से मारडाले जावेंगे–

(४२) जिस किसी घर वाके आबू बाज़ार में किसी बच्चेके चेचक निकले वह फ़ौरन् ख़ाली कराया जावेगा–और उसमें गंधक की धूनी दी जावेगी–लीप दिया जावेगा-झोपडियां जलादी जावेंगी–

(४३) अर्ज़ा चेचक के वकूअ़ होने पर मरीज चेचक को एक अलहदा ऐसे मौके पर रक्खा जावेगा–जो मौका कमेटी मंज़ूर फ़र्मा चुकी है–

(४४) एक बाड़ा ऐसा बनाया जावेगा कि जहां आवारा जानवर चरते हुये भेज दिये जावें और ज़ुर्माना देने पर असल मालिक को वापिस दिये जावें–

(४५) इन क़वाअ़द मर्तबिया मज़कूरह में तग़ीरो तबदील या मन्सूख करनेका कमेटीका इख्तियार और इक़्तिदार हासिल है–

(४६) सिवाय इसके कोई दूसरी शरायत हों मजिस्ट्रेट साहब बहादुर और सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आबू मुन्सरिम आला अमलाकी मिन्जानिब कमेटी और आम मुन्तज़िम सेनेटरी कमेटीके मुक़र्रर फ़र्माई गई हैं ॥

क़वाअद मज़ीद हस्ब मुन्दर्जह ज़ैल जलसह मुनक़िदह २३ अगस्त सन् १८७७ ई० कमेटीने मंजूर फ़र्माये ।

(४७) क़वाअ़द मुन्दर्जह सदर के ख़िलाफ़ इर्तकाब करनेवाला जुर्मानहका मस्तूजब होगा–जिसकी तादाद मुबलिग़ ५०) पचास रुपये से ज़ियादा नहीं होगी, और जिस हालत में वही क़सूर मुर्तकब से पैदर पै सर्ज़द होता रहे तो हर एक दफ़अ़ के जुर्मकी बाबत मुर्तकब जुर्मानहके क़ाबिल होगा– और इस इत्तलाअ़ के मन्कज़ी होनेके बाद जो उसको मिन्जानिब कमेटी दी गई हो जिसकी तादाद पांच रुपये योमियासे ज़ियादा न हो और किसी अदम अदाय जुर्मानह की हालत में जो इस क़ायदेके मुआफ़िक़ तजवीज़ किया गया हो–गुनहगार मुक़द्दमा ज़मीमा में इस लायक़ होगा कि वह क़ैद किया जावे–जिसकी मयाद एक माह से ज़ियादह नहो और दूसरी हालतों में क़ैद जिसकी मयाद आठ योमसे ज़ियादा नहीं हो–

(४८) इस्तग़ासा ज़ेर क़वाअद हाज़ा बराय अदम तामील किसी क़ाअ़दोंके साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके रोबरू दायर होंगे जो कमेटी की तरफ से मुक़र्रर किये गये हैं या कोई और शख्स जिसको कमेटीने बलिहाज़ इसके इख्तियार अ़ता किया हो–

(४९) तमाम बाक़ियात टेक्स जो क़वाअद हाज़ाकी रूसे मुक़र्रर की गई हो इस तरह क़ाबिल वसूल होंगी जिस तरह कि जुर्माना वसूल होने की बाबत ज़ेर दफ़ा (३८६) ज़ाब्ता फ़ौजदारी एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई० क़ाअ़दा मुक़र्रर है-

तमाम क़वाअद मज़कूरा और नीज़ क़वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल जो ईजाद किये गये हैं गवर्नमेन्ट आफ़ इन्डियासे बसीग़ा अज़लाय ग़ैर हस्ब रेजूलेशन नम्बरी (६२५) जी मवर्रख़ा १८ मार्च सन् १८७५ ई० मंजूर फ़र्माये गये हैं ।

(५०) हर एक सर्दार किसी ख़ान्दान को ज़रूर है कि वह किसी मौत या विलादत

को बाद वकूअ वार्दात जो उसके मकान में हुई हो ब मयाद २४ घंटा रजि-स्टर करावे-

दस्तखत लेफ्टिनेन्ट चार्लस, ए एट साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी कोह आबू-
४ सितम्बर सन् १८७८ ई०

क़ाअ़दा मुन्दर्जा ज़ैल जो म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबूके जलसह मुनक़िदा १६ जौलाई सन् ८८ ई० में तजवीज़ होकर और साहब एजन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाने बज़रिये चिट्ठी सेक्रेटरी पबलिक वर्क्स डिपार्ट मेन्ट नम्बरी (३१३६) हर्फ ऐस मर्कूमा १९ अगस्त सन् १८८८ ई० मंजूर फर्माया।

(५१) कोई शख्स बेरहमी को काममें न लावेगा—किसी जानवर के मारने बद-सलूकी और जानकंदनीकी हालत में करने से—

दस्तख़त—लेफ्टिनेंट डबूल्यू स्टर्स्टन साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल एन्ड सेनीटरी कमेटी आबू ॥ २४ अगस्त सन् १८८८ ई०

हस्ब ज़ैल क़वाअद मुजव्विज़ा मेम्बरान् म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू व जलसह मुनक़िदा ७ जून सन् १८८९ ई० जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (१९८०) हर्फ़ ऐस मर्कूमा ३ जून सन् १८८९ ई० बविसातत् साहब सेक्रेटरी पबलिक् वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने मंजूर फ़र्माया।

(५२) जौलाई को हरएक सालकी बशर्ते कि उस वक्त ख़ातिर ख्वाह बारिश शुरू हुई हो—जो कोई घास की झोपड़ियां उस साल में खडी की गई हों वह म्यूनिसिपिल कमेटीके इन्तिज़ामके मुताबिक़ नेस्त व नाबूद करदेनी चाहिये और उसका पुराना घास उठादिया या जलादिया जावे—

(५३) जब कोई रईस हिन्दुस्तानी या ठाकुर पहाड देखनेके वास्ते आना चाहें तो उनको चाहिये पन्द्रह योम पेश्तर आनेसे मजिस्ट्रेट साहब बहादुरको मुत्ति-

लाअ फ़र्मावेंगे—तादाद हमराहियान् व जानवरान् से जो रईस मज़कूरके हमराह आवेंगे—

एक सब कमेटी पोलेटिकल आफीसरसे अगर वह आबू पर मौजूद हों मिलकर इम्तिहान करेगी उन अहातोंका ख्वाह वह रईसकी मिल्कियतसे हों या किराये पर—और इस अमरकी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाको रिपोर्ट की जावेगी—कि इस अहातह में किसक़दर हमराहियान् और जानवरान बलिहाज इन्तिजाम सफ़ाईके समा सकते हैं॥

दस्तखत लेफ्टिनेन्ट एल इम्पी साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल एन्ड सेनीटरी कमेटी आबू.

हस्ब ज़ैल क़ाअ़दा म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबूसे २८ अगस्त सन् १८८९ ई० को तजवीज़ हुआ और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए अपने सेक्रेटरीके चिट्ठी नम्बरी (३३४०) हर्फ़ ऐस मर्कूमा ७ सितम्बर सन् १८८९ ई० मंज़ूर फ़र्माया।

(५४) तमाम इन्तक़ाल आयदाद गैर मन्कूला का साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके दफ्तरमें रजिस्टर किया जावेगा और रजिस्टरेशन फी वाजिबुलअदा होगी—जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाने मुक़र्रर फ़र्माया है—

दस्तखत—लेफ्टिनेट एल इम्पी साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल एन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू.

अलमुतर्जिमा

सैय्यद तफ़ज़्ज़ुल हुसेन

सरिश्तहदार—१५ सितम्बर सन् १८९२ ई.

इस्बजैल क़ाअ़दह को म्यूनिसिपिल कमेटी आबूने अपने रेजूलेशन नम्बर (४) मवर्रखह १३ मई सन् १८९३ ई० में मंजूर किया और साहब एजेंट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी (२१६७) एस मवर्रखह २१ जौलाई सन् १८९३ ई०

बतबःसुल अपने सेक्रेटरी सीग़ा तामीरात राजपूताना मंजूर फ़र्माया.

(५५) नक्की तालाब की मुर्ग़ाबियों के नेस्त व नाबूद करने या ईज़ारसानी से अशख़ासको इन्तना किया जाता है—

तर्जुमा।

(क़वाअ़द बराय हसूल आराज़ी बग़रज़ तामीर वाक़ै कोह आबू)

(१) कोई आराज़ी मुस्तमिल न होगी और न उसपर इमारत बनाई जावेगी चन्द रोज़ाभी बग़ैर इजाज़त मजिस्ट्रेट कोह आबूके—

(२) तमाम दर्ख्वास्तें बराय आराज़ी बग़रज़ तामीर या बइग़राज़ दीगर बहुज़ूर साहिब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू जो म्यूनिसिपिल कमेटी आबूके सेक्रेटरी भीहैं मय एक दुरुस्त नक़्शा इमारत मुजव्विज़ाके जो बनाई जावेगी पेश करनी चाहिये—हर एक जगह की ऐसी दर्ख्वास्त के हमराह सिवाय उस जगह के कि जो बाज़ार में वाक़ै हो चार नकूल ठीक पैमाइशी नक़्शों ज़मीन मुताल्लिका के होनी चाहिये जिस्का स्केल ५० फ़ीट १ इंच में हो और जिस आराज़ी के वास्ते दर्ख्वास्त की गईहो उस जगह के हदूद व मौक़े बलिहाज़ नज़दीकी गुज़रगाह के और यह कि उसका गुज़रगाह किस तरह तजवीज़ कियागया और नीज़ ढांच मकानोंका कि जो उस जगह पर तामीर कराने तजवीज़ हुए हों नक़्शह में नमांयां करनी चाहियें—दो नक़ल नक़्शह मकानान तजवीजशुदा हैं पैमायश भी होनी चाहिये और बसूरत ज़ायद मकानात जाय हासिल शुदा पर तामीर कराने की सिर्फ़ एक कापी नक़्शा बख़िदमत मजिस्ट्रेट साहब बहादुर भेजनी चाहिये यह पैमायश क़िसी शख़्स वाक़िफ़कार से कि जिसको साहब मजिस्ट्रेट बहादुर पसन्द फ़र्मावें तैयार कराया जावे॥

(३) अगर वह जगह बाज़ार में वाक़ै हो—तब उस जगह को दो या ज़ियादा मेम्बर म्यूनिसिपिल कमेटी के हमराह किसी अहल्कार दर्बार सिरोही मुलाहिज़ा करेंगे

अगर सफ़ाई या और किसी नहज़ से वह जगह क़ाबिल ऐतराज़ न होगी तो साहब सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी को इख़्तियार हासिल होगा कि वह सायल को मुत्तिला करें कि सायल दर्बार सिरोही से पट्टा या बैनामा के उस ज़मीन मतलूबा के वास्ते दर्ख़्वास्त करे—और पट्टा हासिल करने के बाद तामीर शुरू करे—

(४) अगर जगह बाज़ार में वाकै नहो तब उसको दो या ज़ियादा मेम्बरान् कमेटी हमराह अहल्कार दर्बार सिरोही मुलाहिज़ा करके रिपोर्ट करेंगे—

(५) यह रिपोर्ट मय एक पैमायशी नक़्शा ज़मीन और इमारतके फे स्केचके जो दर्ख़्वास्त जगहके हमराह मुन्सलिक होंगे उस वक्त म्यूनिसिपिल कमेटी के रोबरू पेश होगी— और कमेटी उस पर गौर करके आया बलिहाज़ सफ़ाई व बवजूहात दीगर बख़िलाफ़ दर्ख़्वास्त इन्कारके क़ाबिल है—पस बलिहाज़ इसके यह रिपोर्ट बहुज़ूर साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मुर्सिल होगी—

(६) बरतबूक़इसदार हुक्म साहब ममदूहइलः बहादुर एक नक़ल उसकी साहब सेक्रेटरी म्यूनिसिपिलेटी आबू सायलके पास मुर्सिल करेंगे—

(७) जब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर दर्ख़्वास्त मंज़ूर फ़र्मावें तब सायल को चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू सायलको इस मंज़ूरीसे इत्तलाअ् होगई है—और इलतमास करें कि सिरोही दर्बारसे ज़रूरी पट्टा या बैनामा के लेनेकी दर्ख़्वास्त करें—

(८) यूनिस्ट पैमायश बइग़राज तामीर एक एकड़ होगा जैसा कि कमेटीनें दर जलसह मुनाक़िदह २३५—सितम्बर सन १८८८ ई० फ़ैसल फ़र्माया है—

(९) तादाद आराजी बग़िराज़ तामीर यूनिस्ट से ज़ियादा शामिल नहीं की जावेगी जैसा कि क़ायदा है—

(१०) उस ख़त्तए ज़मीन पर अहाता किये जानेसे आराज़ी मक़बूज़ाके एक दलील समझी जावेगी—इसलिये दीवार—बाड—या तार या बाँसकी बाड़ होनी चाहिये और वह बाड़ (३०) इंच से ज़ियादा ऊंचाई में नहीं होनी चाहिये—

(११) सिवाय ख़ास वजूहात इमारत बमियाद बारह माह तैयार होनी चाहिये उस तारीख़से कि जिस तारीख़ की चिट्ठीके ज़रिये से मजिस्ट्रेट साहब बहादुर कोह आबूने बनाम सायल पट्टा और बैनामा सिरोही दर्बार से हासिल करने के वास्ते इर्साल किया हो—

(१२) जिस हालत में इमारत व मजबूरी सायलान् बारह माहके अन्दर शुरू नहीं

हुई हो जैसाकि ऊपर मजकूर हुआ तो वह जगह दर्बारके जानिब से सिवाय खास हालातके कुर्क हो जावेगी–

(१३) जिस हालत में कोई ऐसी इमारत तामीर होनी शुरू होवे लेकिन तकमील उसकी उस मयाद मुक़र्ररा में नहीं हुई हो तो मालिक पर दस (१०) रुपये माहवार सिवाय खास हालात के वाक़ै होने पर जुर्माना होगा वास्ते हर एक महीने के जिन महीनों में इमारत ना तमाम रही हो–

(१४) पांच रुपये हमराह हरएक दर्ख्वास्त के भेजने चाहिये जो हुजूर साहब मजिस्ट्रेट बहादुर बग़रज़ अताय तादाद आराज़ी या तब्दुल किये जाने हदूद आराज़ी के पेश की जावे–यह क़ायदा उन दर्ख्वास्तों से मुताल्लिक़ न होगा जो आराज़ी कि अंदरू बाज़ार वाक़ै हों–

(१५) जिसक़दर आराज़ी लीगई हो उस पर एक किराया सालाना क़ाबिल अदा होगा जो फी बीघाँ (५) पांच रुपये मुक़र्रर हुआ है–

(१६) किसीको कोई आराज़ी सडक आमसे सिवाय खास हालतों के (३०) फ़ीटके अन्दर बसने या आराज़ी महसूलामें शामिल करनी चाहिये–चाहे ख्वाह इमारत के बनाने या दीगर कामों के लिये–

दस्तखत लेफ्टिनेंट एच, रामजी साहब मजिस्ट्रेट आबू

* नोट { फ़ी बीघा = मुरब्बागज ३०२५
फ़ी एकड = या $\frac{5}{8}$ } २६ मार्च सन् १८८१ई०
फ़ी बीघा = मुरब्बा फ़ीट या २७ २२५ }

हस्ब ज़ैल क़वाअ़द म्यूनिसिपिल ऐंड सेनीटरी कमेटी आबू ने दर जलसा मुनक़िदा १३ मई सन् १९९३ ई० जारी किये और जिनको साहब एजेन्ट नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए तहरीर चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (१६२८) एस मवर्रखा २८ जून सन् १८९३ ई० जरिए अपने सेक्रेटरी ब महकमह तामीरात मंजूर फ़र्माया।

---

(१७) क़बूल अज़ दिये जाने आराज़ीके एक तादाद किरायह की ७ से १५ साल तक बहिसाब (५) पांच रुपये बीघह बराबर मुबालिग ता फ़ी एकड बलिहाज क़ीमत उस जगह के हस्ब मन्शाय दर्बार, दर्बार को दी जावेगी– और अगर दर्बार उस जगह को मुफ्त देना चाहे तो साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर से मशवरा करने के बाद दे सकते हैं–

(१८) कोई जायदाद मुंतकिल और बै नहीं की जावेगी बग़ैर हसूल मंज़ूरी साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर ज़रिए मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू के-

(१९) कोई नया मकान नहीं बन सकेगा जब तक कि नक़्शा मकान का म्यूनिसिपिल कमेटी और साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर न मंज़ूर फ़र्मावें-

इस क़ायदेके बख़िलाफ़ करने वाला एक जुर्मानह के लायक़ होगा-और जगह हस्ब तजवीज म्यूनिसिपिल कमेटी और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुरके कुर्क़ की जावेगी-

दस्तख़त एच. पी. पीकाक साहब बहादुर मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी म्युनिसिपिल कमेटी आबू--५ जून सन १८९४ ई०

हस्ब ज़ैल तरमीम ज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (२७८६) एस मवर्रख़ा २५ सितम्बर सन् १८९३ ई० ब महकमह तामीरात अमल में आई ।

(२०) नया मकान न बनाया जावेगा और न बदला जावेगा और न ज़ियादह किया जावेगा-जब तक मुजव्विज़ा इमारत तबदील या ईजाद कर्दाके मंज़ूरी म्यूनिसिपिल कमेटी और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर से न हासिल की हो । यह क़ायदा मरम्मत या आराज़ी तौर पर इमारतके बढ़ाये जाने पर जिसकी हालत क़ाबिल ऐतराज़ नहीं है-आयद नहीं हो सकता १९ अक्टूबर सन् १८९४ ई०

क़वाअ़द बराय ज़र सफ़ाई जो मकानात वाक़े आबूपर क़ाबिल अदा है बलिहाज़ तजवीज़ पेशकर्दा म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने एकम् जनवरी सन् १८९७ ई० से मंज़ूर फ़र्माया ।

---

(१) ज़र सफ़ाई तमाम मकानात वाक़े आबू पर ब इख़्तियार ख़ुद बलिहाज़ अमूर मुन्दर्जा ज़ैल लगाया गया है ।

(अ) बलिहाज़ आमदनी किराया मकान-

(ब) अहातह की गुंजायश पर-

(ज) मुलाज़िमानके मकानातकी तादाद-

(द) बलिहाज़ मौक़ा पाख़ानह जात-

(र) ज़र सफ़ाई मुक़र्ररा ज़ेर क़वाअ़द हाज़ा मालिक मकान या उसके एजेन्ट या कारिंदासे क़ाबिल वसूल होवेगा न उस शख्स से कि जो मकान मज़कूरमें सकूनत गुज़ीं होवे–

मुस्तस्नीयात्।

(अ) जब कोई सरकारी मकानात की बाबत ज़र सफ़ाई उस शख्स से वसूल किया जावे कि उन्में जो इसवक़ सकूनत रखते हों–नकि मालिक (यानी गवर्नमेंट) से–

(ब) ऐसे ख़ानगी मकानातके बाबत जो फ़िलहाल एक अर्सा दराज़के वास्ते जिसकी तादाद एक साल से ज़ियादह हो–किराये पर हों–ज़र सफ़ाई किरायेदारको देना होगा–और मालिक ऐसी सूरत में अदाय ज़र सफ़ाई के ज़िम्मह वार नहीं होवेंगे–लेकिन जबकि किरायेदारीकी मयाद गुज़र जाने पर यह इस तसना मौकूफ़– और तबसे वसूलियत ज़र सफ़ाई का मालिकसे वसूल किये जाने का क़ायदा इजराय पिज़ीर होवेगा–

(३) बाज़ार और वकीलों के सफ़ाई की वसूलकी शरह में कुछ तग़ीरो तबदील नहीं किया गया–

(४) ग़ैर आबाद मकानातके बतौर साबिक़ दोरुपया माहवार ज़र सफ़ाई लिया जावेगा–

(५) हरएक डेरा जो सरकारी ज़मीन में खड़ा किया जावेगा उसकी बाबत बशर्ते कि ज़मीन पन्द्रह योम से ज़ियादा मुताम्मिल नहो दस रुपये बराय मौसिम (यानी छे माह) और इस से कम मुद्दत के वास्ते दो रुपये माहवार की शरह से क़ाबिल वसूल होवेगा–

एक मुनासिब तादाद डेरा मुलाज़िमान् बूदोबाश के मुताल्लिक़ नस्ब किये जावें वह ज़र सफ़ाई मुतज़्क़िरा सदरके शामिल समझा जावेगा–

(६) कोई मुक़द्दमा जो क़वाअ़द मज़कूरा बालासे तै नहीं होसके या कोई और ख़ास मुक़द्दमा जो अलहदा ढंगका होवे ब सबील ऐन्ड सेनीटरी कमेटी से बातबाअ़ मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर के फ़ैसील होगा–

दस्तख़त बहुक्म।

डबल्यू स्टर स्टन साहब बहादुर सेक्रेटरी
म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू।

(७) हरएक घास के झोंपडे पर ज़र सफ़ाई बशरह दस १०) रुपये बराय मौसिम

यानी (छैमाह) या दोरुपये माहवार और थोडे ज़मानेके वास्ते भी लगाया जावेगा और हरएक डेरा पर जो किसी बंगले के कम्पौंड में नस्ब किया जावे–बशर्ते कि वही इस्तैमाल किया जावे– उस ज़मानह तक जो १५ रोज़से ज़ियादह हो बशरह पांच ५) रुपये वास्ते मौसिमके या एक रुपया माहवार लिया जावेगा–फ़क़्

बहुक्म–

लेफ्टिनेंट लारेंस इम्पी साहब बहादुर मजिस्ट्रेट
व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी
आबू ६ जून सन् १८८९ ई.

नम्बरी (१३७५) हर्फ़ आई-गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेंट
नोटी फ़िकेशन्
फ़ोर्ट विलियम २९ मार्च सन् १८८९ ई.

हरगाह क़रीन मसलहत है कि कानून मुताल्लिका अ़दालत मुतालिबा खफ़ीफ़ा कोह आबू, कोह आबू व अनादरा तरमीम किया जावे–और हरगाह जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बाजलास कौंसिल बज़रिया उन इंतिज़ामातके जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुए हैं–आबू और अनादरा में इख्तियारात और हुकूमत रखते हैं जो साहब मौतिसिमइलः को उस क़ानून में तरमीम करनेका मजाज़ करते हैं बज़रिए इस इख्तियार व हुकूमत के और इख्तियारात अतिआ ज़ेर दफ़ा ५ व ४ एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० बाबत इख्तियारात सरकार बइलाक़ह रियासत हाय अज़लाअ़ गैर व नीज़ बाज़ गिरफ्ता मुजरिमाना और जुमलह दीगर इख्तियारात जो उनको इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बइजलास कौंसिल हस्बजैल क़वाअ़द मुरत्तिब फर्माते हैं ॥

बाब अव्वल।

(मज़ामीन इब्तदाई)

दफ़अ़ १–इन क़वाअ़द का नाम सन् १८८९ ई० अ़दालत खफ़ीफ़ा आबू अनादरा होगा और बाद में बतौर इस कानून के मंसूब होंगे–

(२) वह कानून नाफ़िज़ होगा आबू व अनादरा और बाज़ार खराड़ी में मय उस सडक के जो आबू सेनीटारियम् से आबू रोड रेलवे स्टेशन और बाज़ार खराडी तक जाती है–यह हद्द बाद में आबू अनादर के नाम से नाम ज़द

होंगे—लेकिन ऐसे मुक़द्दमात पर आयद नहीं होगा—जिस्में दोनों फ़रीक़ैन मुद्दई और मुद्दायला रावसाहब सिरोही की रिआया हों--

(३) इसका नफ़ाज़ एकम मई सन् १८८९ ई० से होगा--

दफ़अ़ २ (१) नोटी फ़िकेशन गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी २८५ हर्फ़ आई मवर्रख़ा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० इसक़दर मन्सूख होगा--जिस कदर कि निस्बत आयद होने एक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई० बाबत मुफस्सिलात अदालत हाय मुतालिबा खफ़ीफा के आबू और अनादरा से मुताल्लिक हैं--

(२) कोई अहकाम या दस्तावेज़ात कि जो इस एक्टसे मुताल्लिक़ हैं जहांतक होगा ऐसे समझे जावेंगे कि गोया इस क़ानून या इसके किसी हिस्सह मुताल्लिका से ताल्लुक़ रखता है--

दफ़अ़ ३—इस कानून को किसी इबारतसे अमूर जैलमें खलल दाज़ी न होगी--

(अ) किसी ऐसी कार्रवाई में जो क़बूल या बाद डिगरीके किसी ऐसे नालिशके वकूअ़ में आये जो क़बूल शुरूअ़ नफ़ाज़ एक्ट हाज़ाके रजूअ हुई हो--

(ब) मजिस्ट्रेट के उस इख्तियार में जो किसी क़ानून नाफ़िज़ुलवक़्त के बमूजिब या दीगर दाआवी किस्म दीवानी की निस्बत--

(ज) किसी क़ानून मुख्तसिल मुक़ाम में या किसी क़ानून खास में ग़ैर मजमूअ़ ज़ात्बह दीवानी के जो आबू अनादरा में मुरव्विज है--

(वह क़ानून बाद इसके कोड कहलाया जावेगा)

बाब दूसरा।

(अ़दालत मतालिबा खफ़ीफ़ाकी तर्कीब)

दफ़अ़ ४—(१) मजिस्ट्रेट वक्त आबूको जिसको बमूजिब नोटी फ़िकेशन गवर्नमेन्ट हिन्द अजलाय ग़ैर नम्बरी (२८६) हर्फ़ आई मवर्रख़ा २३ जनवरी सन् १८९४ ई० इख्तियारात जज इस्मालकाज़ कोर्टके हासिल हैं—अबभी वही इख्तियार आबू और अनादरामें हासिल रहैंगे और जबतक यह इख्तियारात काम में लाये जावें वह बहैसियत जजइस्माल काज़ कोर्टके कहलाये जावेंगे--

(ब) २— अ़दालत मतालिबा खफ़ीफ़ाके हुकूमतके हदूद वही आबू और अनादरा के हदूद हैं—और अ़दालत उस जगह या किसी दूसरी जगह इस हदूदके दर्मियान् मुक़र्रर की जावेगी—जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना वक़्तन् फ़वक़्तन् मुक़र्रर फर्मावें--

(५) ज़ेर हुक्म साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना उसकी बाबत क़ायदा जो कि अबतक आबू और अनादराके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी (अदालत जिला) में ओहदेदारान् की तक़र्रुरी और तबदीली, सज़ा बहाली व मौकूफी का था वही अब अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा को हासिल है–

(६) अदालत मतालिबा खफ़ीफा के ओहदेदारान् मय उस कार मन्सबी के अतला वह इसके जो इस कानून में मुन्दर्ज हैं या और अहकाम वक्तन फ़वक्तन् अदालत का जज ओहदेदारान् के वास्ते कार मन्सबीके अलावा ईजाद किये जाने की बाबत हुक्म सादिर करे तो वह भी उनको उसी तरह करने चाहियें जैसा कि वह अपना असली काम अंजाम देते थे--

(ब) साहब एजेन्ट गवर्नर जनरल बहादुर राजपूताना वक्तन् फवक्तन ऐसे क़वाअद वजअ़ कर सकते हैं जिनकी रूसे अदालत मुतालिबा खफ़ीफा के अमलगान को वह इख्तियारात और खिदमात जो अदालत मौसूफ़ मुनासिब समझे बख्शे जासकते और मुफ़ःविस किये जा सकतेहैं और जिनकी रूसे उस तरीक़ह का इन्तिज़ाम कर दिया जा सकता है जिसकी बमूजिब वह इख्तियारात और खिदमात बर हस्ब मज़कूरा बाला बख्शे जाँय और तफवीज किये जाँय--अमल में आयेंगे और अंजाम पा–

बाब तीसरा।

(हुकूमत अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा)

दफ़अ़ ७– (१) बाज़ मुक़द्दमात किजो अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ाके इख्तियारात से मस्तसना किये गये हैं–दूसरे ज़मीमा पर डवीज़नल विकालकाज कोर्ट एक्ट नम्बर ९ सन् १८८७ ई० में जिसको नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर ने बाजलास कौंसल मंजूर व सादिर फ़र्माया है अदालत मतालिबा खफ़ीफा उन मुक़द्दमात की समाअ़त न करेगी–

(२) उन मुस्तसनीयात को ज़मीमा मज़कूरमें मसर्रा हैं और किसी क़ानून नाफ़िज़ुल वक्तके अहकाम को मलहूज़ रखकर जुमलह नालिशात किस्म दीवानी जिसकी मालियत ५००) रुपये ज़ियादा नहों–अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा की समाअ़तके क़ाबिल होंगी–

दफ़अ़ ८–बइस्तसनाय उसके जिसकी बाबत इस एक्ट या किसी और क़ानून नाफ़िज़ुल वक्त की रूसे हुक्म सादिर किया गया है–किसी नालिश क़ा-

बिल समाअत अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा की तजवीज़ और अदालत के ज़रिएसे न होसकेगीं जो उस अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा के इलाका इख्तियार के हदूद अराज़ी के अन्दर जिसकी रोबरू नालिश मज़कूर तजवीज़ होसकती है-इख्तियार समाअत रखती हो-

बाब चौथा।

(ज़ाब्तह और दस्तूर)

दफ़अ ९-(१) वह ज़ाब्ता जो मजमूअके उन अबवाब और दफ़ात में मुकर्रर हैं जिनकी तसरीह मजमूअ मज़कूर के ज़मीमा दोम में मुन्दर्ज हैं जहांतक कि अबवाब और दफ़ात ताल्लुक पिज़ीर हैं वही ज़ाब्ता होगा जिनकी पैरवी अदालत मतालिबा खफ़ीफा में उन सब नालिशों में जो अदालत मज़कूर के काबिल समाअत हों और उन कार्रवाइयों में जो देशी नालिशों से नालिशी हों की जायेंगी-

मगर शर्त यह है कि यकतर्फ़ा डिगरीके इसतरदाद हुक्मके लिये या तजवीज़की नज़रसानीके लिये दर्ख्वास्त करने वाले को लाज़िम होगा कि अपनी दर्ख्वास्त गुज़रानेके वक्त ख्वाह अदालत में वह रुपया दाखिल करे जो उससे डिगरी या तजवीज़ की रूसे याफ़्तनी हो। या हस्बतसफी अदालत ज़मानतदे कि डिगरी या तजवीज़ की तामील की जायगी-याने जैसे अदालत हिदायत करे-

(२) जब कोई शख्स हस्ब शर्त दफ़अ मातहती (१) बहैसियत ज़ामिन ज़िम्महवार हो तो ज़र ज़मानत उसी तरीक़ह पर वसूल होगा जो मजमुअ के दफ़अ (२५३) में महकूम है-

दफ़अ १०-जब साहब जज अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ाके गैरहाज़िर हों तो चीफ़ म्यूनस्ट्रियल आफ़ीसर अदालत का मजाज़ इस बात का होगा कि वक्तन् फ़वक्तन् उस इख्तियार को अमल में लाया करे- जो उस अदालत को किसी नालिश या और कार्रवाईकी समाअत के मुलतवी रखनेके बारह में हासिल है, और उसकी समाअत मज़ीदके लिये कोई दिन मुकर्रर करदे-

दफ़अ ११-(१) बावस्फ़ इसके कि इस क़ानूनके हिस्सहमें कोई मुन्दर्ज रहाहो जब किसी मुद्दई का हक़ और नह दादरसी जिसका वह अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा में दावा करता है जायदाद गैर मन्कूला के हक़ीअत या किसी ऐसी हकीअतके सबूत या बतलान पर मुन्हसिर हो जिसकी वह अदा-

लत बतरीक़ नातिक़ तजवीज़ नहीं कर सकती है तो अदालत मज़कूर को इख्तियार होगा कि किसी हालत दौरान् कार्रवाई में अर्ज़ी दावा वापिस करदे ताकि वह उस अदालत गुज़रानी जाय जो हक़ीअत मज़कूरके मुक़ेदर हो—

(२) जब अदालत कोई अर्ज़ी दावा ज़ेर दफ़ा मातहती (१) वापिस करे तो उसको लाज़िम होगा कि मजमूअ के दफ़अ (५७) के फ़िकरह दोम के अहकाम तामील करे और ख़र्चह की निस्बत ऐसा हुक्म सादिर करे जो क़रीन इन्साफ़ मुतसव्वर हो—और एक्ट नम्बर १० बाबत मयाद समाअत नालिशात मुजर या हिन्द मसदरा सन् १८७७ ई० मक़ासद के लिये आबू व अनादरा में मुराव्विज है अदालत मज़कूर की निस्बत यह तसव्वुर किया जावेगा कि वह इस नोअंकी किसी बाअस से जो मिसूल नुक्स इख्तियार समाअत केहै नालिश की समाअत करनेसे कासिर रही है—

दफ़अ १२—हरगाह अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा से कोई ऐसा हुक्म सादिर हो जो मजमूअ के दफ़अ (५८८) ज़मन (२९) में मसर्रह है तो उसकी नाराज़ी से अपील ब अदालत साहब कमिश्नर अजमेर व मेरवाड़ा दायर होगा—

(१३) साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना को बग़रज़ अपनी तशफी निस्बत इस अमर के कि वह डिगरी या हुक्म जो अदालत ख़फ़ीफ़ाने किसी मुक़द्दमह में सादिर किया हो— मुताबिक़ कानून केहै यह इख्तियार होगा कि उस मुक़द्दमह को तलब करके उसकी निस्बत ऐसा हुक्म सादिर करें जो अदालत मौसूफ़ाके नज़दीक मुनासिब हो—

(१४) बइस्तसनाय उसके जिसकी निस्बत उस क़ानूनमें हुक्म सादिर किया गया है जो डिगरी या हुक्म कि अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा इस क़ायदहके अहकामकी रूसे सादिर करे वह डिगरी या हुक्म नातिक़ होगा—

बाब पांचवां ।

(अहकाम मुस्तज़ाद)

(१५) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा साहब कमिश्नर अजमेर मेरवाडाके अदालत की हुकूमत इन्तज़ामी के और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना के दीदा बानी के ताबे होगी—

और (अलिफ़) उन रजिस्टरों और बहियों को और वह हिसाब किताब रक्खेगी जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ठहरा दिया करें—

और (बे) उन हुक्मों को बजालायेगी जो साहब कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा या साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना रिकार्ड यानी काग़ज़ात दफ्तर और रब ट्रेस यानी कैफ़ियतों और इस्टेटमेण्ट यानी बयानों के उस नमूनह और उस तरीक़ह पर मुरत्तिब करनेके लिये सादिर हों जिसकी हाकिम सादिर कुनन्दा हुक्म हिदायतकरे.

(१६) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा एक मुहर उस नमूनह और अरज़ व तूल की जो साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मुक़र्रर करदें इस्तैमाल में लायेगी,

(१७) मयाद समाअत नालिशात के एक्ट मुजरियह हिन्द मसद्दरा सन् १८७७ ईस्वी के ज़मीमा दोमके हिस्सह सोम में (अलिफ़ नम्बर १६०) के बाद इबारत मर्कूमुलज़ैल मुन्दर्ज की जावेंगी.

(१६०) अलिफ़ फ़ैसलहकी नज़रसानीके लिये साहब मजिस्ट्रेट आबूके बतौर अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा आबू अनादरा ऐज़न| तारीख़ डिगरी या हुक्म से बतौर क़ानून मतालिबा ख़फ़ीफ़ा बाबत् सन् १८८९ ई,|

और (ब) बनम्बर (१७३) लफ़्ज़ व हिन्दसा और हर्फ़-नम्बर (१६०) ए अलिफ़ और लफ़्ज़ और हिन्दसा नम्बर १६२ के पहले दर्ज होगा।

द: एच एम. डयूरेन्ड सेक्रेटरी
गवनमण्ट हिन्द.

नम्बर (१६५८) आई

गवर्नमेन्ट हिन्द.

शिमला २६ अप्रैल सन् १८८९ ई.

जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर किश्वर हिन्द बाजलास कौंसल उसक़दर एक्ट नम्बर १० सन् १८८८ ई० जिस क़दर कि मजमूअज़ाब्तह फ़ौजदारी तरमीम किया गया आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी बशमूल सड़क जो आबू सेनीटरीयम से आबू रोड रेलवे स्टेशन और बाज़ार खराड़ी को जाती है जारी और नाफ़िज़ फ़र्माते हैं।

दस्तख़त—एच. एम. डयूरेन्ड सेक्रेटरी
गवर्नमेंट हिन्द.

नम्बर २५६८ आई
महकमा ममालिक ग़ैर
शिमला २७ जून सन् १८८९ ई०

हरगाह क़रीन मसलहत है कि साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना को क़वाअद आबू बनाने के वास्ते बग़रज़ हिफ़ाज़त जानवरान् परंद (जंगली चिड़ियों) और दूसरे शिकारी जानवरान् के लिये बज़रिए उन इख़्तियारात के जो ज़ेर दफ़ा (५ व ४) इख़्तियारात बालाक़ह ममालिक ग़ैर व बाज़ गिरफ्ता मुजरिमान् एक्ट (२१) सन् १८७९ ई० और दूसरे इख़्तियारात के जो साहब मौतसिम.इलः बहादुर को उसकी ज़रिए से हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर हिन्द बाजलास कौंसिल ब खुशी हस्ब ज़ैल अहकाम सादिर फ़र्माते हैं—

वसअत और आग़ाज़ एक्ट हाज़ा दफ़ा (१) यह अहकाम कहलाये जावेंगे आबूके जंगली परिंदों के हिफ़ाज़त का क़ानून सन् १८८९ ई० और तशरीह (२) यह क़ानून फ़ौरन् असरपिज़ीर होवेगा—

दफ़अ २—इस कानून में—

(१) आबू से मतलब अनादरा और बाज़ार खराड़ी मय उस सड़क के जो आबू सेनीटारियम से आबू रोड रेलवे स्टेशन और बाज़ार खराड़ीको जातीहै—और

(२) जंगली परिन्दों में मोर भी शामिल समझा जावेगा और नीज़ हरएक शिकारी चिड़ियां—

इख़्तियारात तरतीब क़वाअद दफ़अ (३८१)साहब एजन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना को चाहिये कि वक़्तन् फ़वक़्तन् बज़रिए नोटीफ़िकेशन के सर्कारी गज़ट् में क़वाअद बनाकर मुश्तहर करें—

(अलिफ़) तारीफ़ कल्मा जंगली परिन्दोंका बइग़राज़ इस क़ानून के।

(बे) तारीफ़ कल्मा वास्ते उन अग़राज़के मौसिम पैदायश किसी क़िस्मके परिन्दों के—और

(ज) वास्ते इन्सदाद बमूजिब उन शरायत के कि जो बज़रिए काअ़दा मुश्तहर होते हैं इस अमर के कि इस आबू में दर्मियान मौसिम पैदाइश परिन्दके किसी क़िस्मका जंगली परिन्द कि जो अभी हालमें मारागया हो या लिया गया हो न रखने पावें और न फ़रोख्त करें और इस मौसिम में किसी क़िस्मके परिन्द के पर आबू में न लाये जानेकी मुमानिअ़त करदी जावे—

(२) जनाब साहब एजेन्ट गवर्नर जनरल बहादुर राजपूताना बमूजिब कलाज़ (सी)

सब सकशन (१) के कोई कायदा मुरत्तिब फ़र्मावें कि जो खिलाफ़ कायदा अमल्दरामद करेगा वह मस्तूजब सज़ाय जुर्माना मर्तबा अव्वल के वास्ते होगा जिसकी मिकदार पांच रुपये तक वास्ते हर एक परिंद के और उसके परों के और बमुरातिब दीगर हर एक ऐसे परिंद या जानवर या समूर या चमडा या परके वास्ते दस १०) रुपये जुर्माना होगा—

दफ़अ—(३) जब अदालत किसी शख्स को इन कवाअदके खिलाफ़ अमल्दरामद करने में मुजरिम साबित करार दे तो अदालत उस जंगली परिन्द (या) परोंको कि जो खिलाफ़ कवाअद किया गया हो ज़ब्त करनेका हुक्म देवेगी—

दफ़अ (४) साहब एजेन्ट गवर्नर बहादुर राजपूताना बज़रिए नोटी फ़िकेशन सरकारी गज़ट में सिलसिलह आखिर दफ़अ मज़कूरुलसदर दर्बारह जानवरान् मुश्तहर फ़र्मावेंगे कि यही दफ़ा सिवाय परिन्दों के शिकारी जानवरों उनकी समूर, पर, आयद होंगे कि जैसे जंगली परिन्द और उनके परों पर आयद होते हैं—

दस्तखत एच. एम. ड्यूरंन्ड
सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट हिन्द.

नम्बर २५६९ आई

नकल साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाकी खिदमतमें बगरज़ इत्तलाअ दही ब हवालह टेलिग्राफ़ नम्बरी (२१७०) मवर्रखह १४ जून सन्१८८९ई० मुर्सिल हो—

बहुक्म दस्तखत कप्तान डबल्यू एच-
कोरेश— असिस्टेन्ट सेक्रेटरी गवर्न-
मेन्ट आफ़ इंडिया.

एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर का नोटीफ़िकेशन मर्कूमा कोह
आबू १९ अगस्त सन् ८९ ई०

नम्बर ३२४५/जी हस्ब दफ़अ (४) जंगली परिन्दों की हिफ़ाजत का कानून सन् १८८९ ई० के यह मुश्तहर किया जाता है कि दफ़अ सोम कानून मज़कूरह बाबत जंगली परिन्दों के जो **चीतल सांभर चौशाख्वाहरिण** और **खर्गोश** पर आयद होते हैं—

नम्बर ३२४६ जो क़ायदा मुन्दर्जह ज़ैल हस्ब दफ़अ़ (३) जंगली परिन्दों की हिफ़ाज़त के क़ानूनके आम इत्तलाअ़के वास्ते मुश्तहर किये जाते हैं-

(१) तारीफ़ जंगली परिंदों में बाग़राज़ आबू के जंगली परिन्दों की हिफ़ाज़त के क़ानून सन् १८८९ ई० के तमाम क़िस्मके तीतर जंगली मुर्ग और मुर्गी शामिल हैं-

N.B चूंकि गवर्नमेन्ट हिन्दने मुल्क राजपूताना में मोर और कबूतर के मारनेकी बिलकुल मुमानिअत की है लिहाजा यह परिंद फ़ेहरिस्त जंगली परिन्दोंसे निकाल दिये गये हैं-

(२) तारीफ़ कल्मा शिकारी जानवरों में बाग़राज़ मुन्दर्जह सदर सिवाय परिन्दों के वही जानवर कि जो नोटी फ़िकेशन नम्बर ३२४५ मवर्रख़ह १९ अगस्त सन् १८८९ ई० में मुन्दर्ज हैं-याने सांभर, चीतल, चौशाख़ह हिरन खर्गोश बमूजिब दफ़अ़ (३) जंगली परिन्दों की हिफ़ाजत का क़ानून सन् १८८९ ई० के शामिल हैं-

(३) हरसाल जंगली परिन्दों की पैदाइश का मौसिम बाग़राज़ मुन्दर्जहबाला १५ मार्च से १५ सितम्बर तक होता है ।

(४) हरसाल शिकारी जानवरों की पैदाइश का मौसिम बाग़राज़ मुन्दर्जह मासुबुक़-१५ अप्रैल से एकम् अक्टूबर तक क़रार दिया गया है ।

(५) इस मौसिम पैदाइश में कोई शख़्स जंगली परिन्दों या शिकारी जानवरके कि जो हाल में मारागया है या लिया गया है और जंगली परिन्दका पर और शिकारी जानवरका चमड़ा और समूर कि जो हाल में मारा गया हद्द आबू में न रख सकेगा और न फ़रोख़्त कर सकेगा, इस शर्त पर यह मुमानिअ़त जंगली परिन्दों और शिकारी जानवरों पर असर पिज़ीर न होगी-कि जिनके वास्ते अदालत को अच्छी तरहसे तयक्कुन होजावेगा यह परिन्द व जानवर हक़ीक़त में बग़रज़ पालने या पर्वरिश के रक्खे गये हैं या फ़रोख़्त किये गये हैं.

(६) जो कोई शख़्स कि जो हर एक जंगली परिन्द और शिकारी जानवर और नीज़ उनके चमड़े और पर व समूर कि जिसके वास्ते उसने क़ायदेके ख़िलाफ़ किया-क़ायदा नम्बर (५) का मुजरिम क़रार दिया गया तो वह अव्वल मर्तबा पांच रुपये जुर्मानहका फ़ी जानवर वग़ैरह और ज़ाबाद हर एक ऐसे परिन्द या जानवर या समूर या चमड़ा परके वास्ते १०) रुपये जुर्मानहका सज़ायाब होगा ।

(दफ़अ-७) जो कोई शख्स कि जो ऐसे अमर की रिपोर्ट करे कि जो खिलाफ क़ायदा नम्बर (५) के ज़हूर पिज़ीर हो वह शख्स उस जुर्मानह की निस्फ़रक़म बाक़ीका मुस्तहक़ होगा-कि जो ऐसे जुर्मके मुर्तकिब पर किया गया हो।

बहुक्म { मे-ई- ए, फ्रेज़र फ़र्स्ट असिस्टेंट एजेंट गर्वनर जेनरल राजपूताना.

ज़मीमह म्यूनिसिपिल क़वायद

तर्जुमह

क़ाअ़दा मुन्दर्जह ज़ैलको.

म्यूनिसिपिल व सेनीटरीकमेटी आबूने तजवीज़ और साहब वालाशान जनाब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ़र्माया-देखो चिट्ठी अंग्रेज़ी नम्बरी २६८S/C मवर्रख़ह २३ दिसम्बर सन् १८९२ ई०

सीग़ा तामीरात.

(.५६.) हर एक शख्स जो ब माह अप्रैल-मई-जून-जौलाई आबू पर वास्ते सवारी या बारबर्दारीके घोडे टट्टू या दूसरे जानवर या रिक्शा यानी हाथगाडी या दूसरी गाडियां इस्तैमाल में लावें रक्खें या इनका मालिक होतो उसको बाबत हर एक ऐसे जानवर हाथ गाडी और हरएक गाडी पर फ़ी पैया दो २) रुपये महसूल अदा करना होगा-सिवाय रिक्शा यानी हाथगाड़ी के-

जानवरान् बारबर्दारी व बग्घी मुताल्लिक़ा फ़ौज सर्कारी और गाड़ियां और ज़ानवरान् मुताल्लिक़ा सीगे तामीरात और लद्दू व टट्टू और छकड़े और हैक यानी किराये पर चलने वाले टट्टू या गाड़ी जो किराये पर दर्मियान आबू और आबू रोड़ के चलाये जाते हैं-बच्चोंकी हवा खोरी की गाड़ियां और बच्चोंके चलना सिखने की पहियेदार कल।

मवर्रख़ह यकम् जनवरी सन् १८९३ ई. ज़मीमे क़वायद म्यूनिसिपैल्टी	बहुक्म कप्तान-एम-ए टाई साहब बहादुर सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल व सेनीटरी क़मेटी कोह आबू

इश्तिहार ।

इजलास कर्नैल ए-डबल्यू रावर्टस साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू।

---

(५७) वाज़ै हो कि जो शख्स कोई कुत्ता (सग) दर्मियान हदूद म्यूनिसिपिल कमेटी आबूके रक्खेगा उसको हर एक सालके वास्ते एक लाइसेंस कीमती एक रुपया म्यूनिसिपिल कमेटी आबूसे हर एकके लिये हासिल करना पड़ेगा-

मयाद सालानह में कोई हिस्सा सालका भी शामिल है-इब्तदाय यकम् अपरैल-लग़ायत ३१ मार्च-आयन्दा-यही टेक्स कुत्तेके बच्चों पर भी देना पड़ेगा वह इस-टेक्स से मुस्तसना नहीं हैं.

जो कोई शख्स कोई मकान या अहाता रखता है वह जिम्महवार सब कुत्तोंका जो उसके मुलाज़िमान या और कोई शख्स उसके हदूद के अन्दर रखते हैं होगा-

हरएक कुत्ता जिसके गलेमें चमडे का कालर यानी पट्टा नहीं है वह मारडाले जानेके लायक़ होगा-

रस्सी, सुतली, कपड़े का पट्टा या कालर नहीं समझा जावेगा-चमड़े का पट्टा होना लाज़िम है । फक़ अल्मर्कूम १० अपरैल सन् १८९४ ई०

हस्ब जैल क़ायदा मुजव्विज़ा म्यूनिसिपिल व सेनीटरी कमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बमूजिब चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (९७०) ऐस-मवर्रखह ११ अपरैल सन् १८९६ ई० बज़रिए अपने साहब सेक्रेटरी बहादुर सीग़ा तामीरातके मंजूर फ़र्माया-

(५८) बराय ख़ातिर अमन व आसायश आम्मा ख़लायक़ कोई सवारी गाडियां कोह आबू पर मुस्तमिल होनेके वास्ते इजाज़त नदी जावेगी-सिवाय छोटी गाड़ियों या रिक़्शा गाडियों के जिनको एक टट्टू खेंच सके-और वह टट्टू तेरह मुठी और २ इंच से ज़ियादा ऊंचाई में नहीं होना चाहियें-

(२८) कोई दस्तावेज़ कि जिसकी बाबत फ़ीस अदा होनी चाहिये जबतक कि उसकी बाबत रसूम मुक़र्ररा अदा नहीं होवे सो वही मुस्तनद मुतसव्वर न होवेगी-

अगर कोई दस्तावेज़ बसबब ग़लती या सहैब शामिल मिसल होगई हो या किसी अदालत या दफ्तर में बग़ैर अदाय रसूम दस्तावेज़ मज़कूर काबिल अदा मुस्ता-मिल होगई है तो साहब जज मौजूदा वक्त या मुन्तजिम दफ्तरको जैसे कि सूरत हो, चाहिये कि अगर उसकी राय में मुनासिबहै तो हुक्म सादिर करे कि ऐसी (सूम

उस दस्तावेज़ अदा की जावे, और वह रसूम बलिहाज़ इस की के अदा किये जाने पर वह दस्तावेज़ और हर एक कार्रवाई मुताल्लिक़ा ऐसी दस्तावेज़ के ऐसी मुस्तनद समझी जावेगी—जैसे कि अव्वल ही मर्तबा मुनासिब रसूम ऐसी दस्तावेज़ पर अदा करदी गई थी—

(२९) जबकि किसी दस्तावेज़ की तरमीम महज़ बनज़र किसी ग़लती के दुरुस्त करने के या उसको फ़रीक़ैनके असली मुक़द्दमहके मुताबिक करने के लिये की जावे तो उसकी बाबत जदीद रसूम की ज़रूरत नहीं होगी—

ए दफ़अ़ (३९) में अल्फ़ाज़ बृटिश इंडियाके बजाय अल्फ़ाज आबू—अनादरा और बाज़ार खराड़ी बशमूल उस सड़क के जो आबू सेनीटेरिअम से आबू रोड स्टेशन को जाती है पढ़ना चाहिये—फ़क़त ।

दस्तख़त—डबल्यू—जी—कंघम्
सेक्रेटरी गवर्नमेंट हिन्द.

नम्बरी (१८९२) आई.

एक नक़ल इश्तिहार मुन्दर्जह सदर बख़िदमत साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ब सिलसिलह चिट्ठी साहब मौसूफ़ नम्बरी (१२५६) जी मवर्रख़ह २९ मार्च सन् १८९५ ई० बग़रज़ इत्तलाअ़ दिही मुर्सिल होवे ।

बमूजिब हुक्म वग़ैरह
दस्तख़त—आर—डी—बिथ्रकौंट साहब
बहादुर क़ायम मुक़ाम अन्डर सेक्रेटरी
गवर्नमेन्टहिन्द.

सीग़ा ख़ार्जा मुक़ाम शिमला
मवर्रख़ह १२ जून सन् १८९५ ई०

बमूजिब हुक्म.

कर्नैल ए, डबल्यू-राबर्टस साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू—

हस्ब ज़ैल क़ायदा (५९) म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आबू ने तजवीज़ किया और साहब एजन्ट नव्वाब नवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने मंज़ूर फ़र्माया जिसकी साहब सेक्रेटरी बहादुर सीग़ा तामीरात राजपूताना व वस्त हिन्दने ५ माह मई सन् १८९६ ई० को मंज़ूरीसे इत्तलाअ़ दी—

(५९) बायस्कल यानी पैर से चलने वाली दो पहियोंकी और स्ट्रायस्कल यानी पैर से चलनेवाली तीन पहियों की गाडियों की इस्तैमालकी कोह आबू पर इजाज़त नहीं है—

बमूजिब हुक्म
कर्नैल, ए, डवल्यू—राबर्टस साहब बहादुर
माजिस्ट्रेट ज़िलअ् व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल
कमेटी कोह आबू

नम्बर (१८९५) आई

गवर्नमेंट हिन्द सीग़ा ख़ार्जह कोह शिमला मवर्रख़ह १२ जून सन् १८९५ ई०

चूंकि जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुरको बइजलास कौंसिल बज़रिए उन इन्तिज़ामात के जो महाराव साहब बहादुर सिरोही के साथ किये जा चुके हैं, इख्तियारात व हुकूमत अन्दर हदूद आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी और नीज़ उस सड़क के जो छावनी आबू से आबू रोड रेलवे स्टेशन को जाती है, हासिल हैं ।

बज़रिए इन इख्तियारात के और उन इख्तियार और हुकूमत के जो ज़ेर दफ़ात ४ व ५ एक्ट २१ बाबत सन् १८७९ ई० दीगर जुमलह इख्तियारात के इस बारहमें हासिल हैं, जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर किश्वर हिन्द बाजलास कौंसिल हिदायत फ़र्माते हैं कि कोर्ट में एक नम्बर ७ सन् १८७० ई० याने (रसूम अदालत) मुआफ़िक़ तर्मीमात मा बाद के बहदूद मज़कूर हस्बज़ैल तर्मीमात के साथ मुरव्विज फ़र्माते हैं ।

(अलिफ़) हिस्सा पहला, दूसरा, और दफ़अ् २३—२५—२६—२७—३०—३४ तर्क किये गये ।

(बे) बराय अल्फ़ाज़ हाईकोट चीफ़ कंटोलिंग ओथारेटी ओफ़ दी प्रोविंस और चीफ़ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ओथारिटी जहांलिखें यह अल्फ़ाज़ वाक़े हों उस जगह एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना पढ़ा जावेगा ।

(जे) लफ़्ज़ कलेक्टर की जगह के बदफ़ात १३ व १४ व १५ लफ़्ज़ माजिस्ट्रेट आबू पढ़ा जावेगा ।

(द) बराय दफ़ात २८ व २९ हस्बज़ैल दफ़ात बढ़ाई जावेंगी ।

जी. सन् १८९३ ई०

६५३–६४५

मिन् जानिब साहब फ़र्स्ट असिस्टेन्ट एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना–
बख़िदमत जमीअ़ अफ़सरान् पोलेटिकल राजपूताना–
मवर्रख़ह यकम्–मार्च सन् १८९३ ई०

साहब मन–

साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर उन रऊसाय व ठाकुरान की तवज्जह इस ज़रूरी अमर की तरफ़ मबज़ूल फ़र्माते हैं, कि बाद अर्ज़ी वह हर मर्तबह बज़रिए पोलेटिकल आफ़ीसर साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना से इजाज़त हासिल कर चुके अपनी तशरीफ़ आवरी की इत्तलाअ़ क़ुबूल अज़ रवानगी खुद मजिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी को हस्ब क़वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल दिया करें–

साहब ममदूह को यह भी ज़रूरी मालूम होता है कि बग़रज़ रोकने चपकलिश मर्दमान के तादाद ऐसी सैर कुनन्दगान् की कि जो यहां पर आसकते और नीज़ हमराहियान् जो हर सरदार और ठाकुर अपने साथ लायें मुक़र्रर की जाय क्योंकि इम्तनाअ़ इस अमर का बवजह कमी आब व मौसिम गर्मा और नीज़ बवजह सिहत व तन्दुरुस्ती आम्मा ज़रूर है।

तंबी–यादरखना चाहिये कि कोह आबू रियासत सिरोही के मुताल्लिक़ है और ख़ासकर महाराव साहब बहादुर वाली सिरोही की इजाज़त से क़याम फ़ौज़के वास्ते छावनी का मुक़ाम है–इसलिये साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाको मजबूरन इस अमर की ताकीद करनी पड़ती है कि तमाम अशख़ास जिनको कोह आबू पर आने की इजाज़त मिले उनको चाहिये कि क़वाअ़द सिहत व तन्दुरुस्ती मुताल्लिक़ा म्यूनिसिपिल कमेटी पर लिहाज़ करें–जिन क़वाअ़दकी एक २ नक़ल इसके साथ भेजी जाती है–और ज़ियादा नक़ूल साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू से दर्ख़्वास्त करने पर मिल सकती हैं– गालिबन् यह अमर भी मुनासिब होगा कि क़वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल बराय रहनुमाई आयन्दा ख़ास तौर पर दर्ज किये जायँ।

(१) हर सर्दार या ठाकुरको चाहिये कि बिदून इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मार्फ़त उस रियासत के पोलेटिकल आफ़ीसर की हासिल करनी चाहिये–कोह आबू पर न आवें अगर आला दर्जह के ठाकुर या कोई दीगरक शख़्सहों तब उनको अपने ख़ास सरदारकी इजाज़त हासिल करनी चाहिये–

(२) बाद मिलने इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना के हर सर्दार या ठाकुरको अपनी तशरीफ़ आवरी की इत्तलाअ़ कम अज़कम पन्द्रह योम क़ब्ल अज़ आमद भेजनी चाहिये—और यह बात भी ज़ाहिर करनी चाहिये कि वह किस मकान में क़याम पिज़ीर होंगे और कितने हमराही और घोड़े साथ लावेंगे—

(३) किसी हमराहीको जिसके ठहरनेके वास्ते उस कोठी में जिस्में कि सर्दार या ठाकुर रहना चाहते हैं या शागिर्द पेशाके मकानात मुताल्लिक़ा कोठी में रहनेके लायक़ जगह नहो—कोह आबू पर नहीं लाना चाहिये—सिर्फ़ मुस्तसूना हालतों में मजिस्ट्रेट साहब की ख़ास इजाज़त हासिल करने पर खेमे खड़े और छप्पर बनाये जासकते हैं—इस शर्त पर कि म्यूनिसिपलके क़वानीन पर अमल दरामद किया जायगा और महसूल ऐसी इमारत पर कि जो म्यूनिसिपिल कमेटी मुक़र्रर करे अदा किया जायगा—

(४) इसी तौर से घोड़े जिनके वास्ते दवामी अस्तबल नहीं हैं आरज़ी अस्तबल या किसी मैदान में बग़ैर ख़ास मंज़ूरीके कि जो साहब बहादुर मजिस्ट्रेट आबू की मार्फ़त हासिल की गई हो बशर्त पाबन्दी क़वाअद सिहत और अदा करने महसूल के जैसा कि कायदा नम्बर (३) में दर्ज किया गया है नहीं रक्खे जा सकते हैं—

(५) ज़ेर क़वाअ़द नम्बर ३ व ४ मुन्दर्जा बाला जब कोई अव्वल दर्जह का राजपूताना का सर्दार कोह आबू पर तशरीफ़ लावें उनको मुत्तलाअ़ किया जायगा कि वह अपने साथ तीस (३०) से ज़ियादा या ज़ियादा से ज़ियादा चालीस ४० हमराहियान् जिसमें ख़ादिम व पहरा चौकीदार व साईस शामिल हैं और दश या बारह घोड़ोंसे ज़ियादा न लावें— इनसे नीचे दर्जह के सर्दारों को ज़ियादा से ज़ियादा पन्द्रह बीस हमराही पांच या छै घोड़े और ठाकुरों को ज़ियादा से ज़ियादा आठ या दश हमराही और तीन घोड़े लाने पर महदूद करना चाहिये—

याद रहै कि यह तमाम इन्तनाअ़ उन लोगोंकी जिनको कि इससे ताल्लुक़ है ईज़ारसानीके लिये नहीं है—बल्कि आम लोगोंके आराम और बेहतरीके वास्ते बना दिये गये हैं—

(६) तमाम दर्ख्वास्तें कोह आबू पर आनेकी बाबत व इजाज़त हासिल करनेके लिये साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ज़ेर कायदा सरक्यूलर हाज़ा मार्फ़त साहब, पोलेटिकल आफ़ीसर बख़िदमत फ़र्स्ट असिस्टेंट

एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना करनी चाहिये-
दस्तखत-एल-एस-न्यूमार्च साहब बहादुर फर्स्ट असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर
जेनरल राजपूताना.

७८६

(हवालगी मुजरिमान व इख्तियार बारियासत ग़ैर)
एक्ट २१ सन् १८७९ ई० एक्ट १२ सन् १८९१ ई०
बाब अव्वल मरातिब इब्तदाई

दफ़अ (१) यह एक्ट बनाम मुन्दर्जा अन्वां कुल बृटिश इंडियामें नाफ़िज़ और मल्का मुअज़्ज़मा की हिन्दुस्तानी रिआयासे जो बेरूं बृटिश इंडिया हों और रिआयाय बरतानिया अहल यूरुप मौजूदा अन्दरूं मुल्क ऐसी रियासत हाय हिन्दुस्तानीसे कि जिनसे सतः इतहाथ मल्का मुअज़्ज़मा मर्बूत है तारीख़ मंज़ूरीसे नाफ़िज़ होगा-मगर किसी क़ानून या अहदनामा नाफ़िज़ुल् वक्त हवालगी मुजरिमान में ख़लल अफ़गन न होगा-बल्कि उनका ज़ाब्ता मुक़र्ररा तामील पायेगा-

दफ़अ (२) एक्ट ११ सन् १८७३ ई० मन्सूख़ हुआ लेकिन तमाम ताज़ीरात मौजूदा व सुपुर्दगी व सर्टीफ़िकेट व दर्ख्वास्त व क़वाअद व इश्तिहारात व समन व वारन्ट व अहकाम व हिदायत-मजरिया बमूजिब एक्ट मज़कूर जहांतक कि नक़ीज़ एक्ट हाज़ा नहों मजरिया हस्ब एक्ट हाज़ा समझे जायँगे-

दफ़अ (३) लफ़्ज़ पोलेटिकल एजेन्ट से अव्वल ओहदेदार आला मुतैअना बीरूं हदूद बृटिश इंडिया बतौर क़ायम मुक़ाम गवर्नमेन्ट-दोम हर ओहदहदार मुक़र्ररा ग़ैर बृटिश इंडिया बाख़्तियारात पोलेटिकल एजेन्ट बाजाज़त जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बइजलास कौन्सिल या बइजाज़त नव्वाब गवर्नर बम्बई मुराद है-और लफ़्ज़ बरतानिआं अहल यूरुप से- रअय्यत मल्का मुअज़्ज़मा अहल यूरुप हस्ब तसरीह मुन्दर्जा मजमूअ ज़ाब्ता फ़ौजदारी मुराद है-

बाब दोम।

इख्तियारात ओहदइ दारान् सर्कार अंगरज़ी मुक़ामात बेरूं बृटिश इंडिया में

दफ़अ (४) जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बाजलास कौंसिल मजाज़

अमल इख्तियार इक़तिदार माहिस्सह और तफ़वीज इख्तियार मुनासिब किसी मुलाज़िम सर्कार अंग्रेज़ी को किसी मुक़ाम बेरूं बृटिश इंडियामें हैं–

दफ़अ (५) इश्तिहार अमल व तफ़वीज इख्तियार व इक़तिदार व इंज़बात सापता बजा आवरी गज़ट इंडिया में मुश्तहर होकर सबूत क़तई मुरातिब मुन्दर्जा का मुतसव्वर होगा–

दफ़अ (६) जनाब नव्वाब ममदूह बाजलास कौंसिल मजाज़ हैं कि किसी रअय्यत बृटानियां अहल यूरुप को बज़रिए उसके नाम या ओहदद के जस्टिस आफ़ दी पीस मुक़र्रर फ़र्मावें–जिनको उन मुक़द्दमात में जिसमें रिआयाय बृटानियां अहल यूरुप माखूज़ हों–वह तमाम इख्तियारात हासिल होंगे जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में मजिस्ट्रेटियां दर्जह अव्वल जस्टिस आफ़दी पीस को अता हुए हैं–और जनाब ममदूह यह भी हिदायत करें कि वह कौनसी अदालत में मुक़द्दमा वास्ते तजवीज़के सुपुर्द कर सकता है–

दफ़अ (७) साहबान् पोलेटिकल एजेन्ट व साहबान जस्टिस आफ़ दी पीस मुक़र्ररा क़बूल (२५) अपरैल सन् १८७२ ई० मुक़र्ररा हस्ब एक्ट हाज़ा मुतसव्वुर होकर इख्तियारात एक्ट हाज़ा रक्खेंगे–

दफ़अ (८) क़ानून मुताल्लिक़ा जरायम व जाब्ता फ़ौजदारी नाफ़िज़ुलवक्त व रिआयत तरमीम कि जो जनाब ममदूह फ़र्मायें तमाम रिआयाय बृटानियां अहल यूरुप व हिन्दुस्तानी मौजूदा रियासत हाय हिन्दुस्तानी से जिन में कि मल्का मुअज़्ज़मा कारापता इतहाद बमबूत है मुताल्लिक़ होगा–

बाबसोम–तहक़ीक़ात वाक़ै बृटिश इंडिया बाबत जरायम मर्तकिबा रिआयाय अंग्रेजी व मुक़ामात बेरूं बृटिश इंडिया।

दफ़अ (९) निस्बत तमाम रिआयाय अहल यूरुप या हिन्दुस्तानी जो मुर्तकब किसी जुर्म के हिन्दुस्तानी रियासत मज़कूर में हो–वैसाही अमल होगा जैसा बहालत इर्तकाब माबैन बृटिश इंडिया के हो, ता बशर्ते कि पोलेटिकल एजेन्ट रियासत मज़कूर यह तसदीक़ करे कि तहक़ीक़ात इलज़ाम बृटिश इंडिया में होनी चाहिये इल्ला अगर कार्रवाई मज़

बहालत वकूअजुर्म मावैन बृटिश इंडिया के माने कार्रवाई माबाद की होती तो ऐसी बाबत जुर्म मौकूअ रियासत के मानें कार्रवाई मजीद होगी–

(नोट अव्वल) मुलाज़िम को बइल्लत क़त्ल अम्द अकूअ बेरूं बृटिश इंडिया मस्तूजिब सज़ा करने के लिये यह साबित किया जाना ज़रूरी है कि वह कैसर हिन्द का है–महज़ यह अमर कि वह इलाक़े अंग्रेज़ी में कुछ ज़मीन रखता और गाह गाह बृटिश इंडिया में रहता था वजाय खुद उसको रअय्यत क़ैसर हिन्दका नहीं बनाता हक्क़ इख्तियार समाअत अदालत दीवानी व फ़ौजदारी जुम्ला अशख़ास व अशयाय अन्दरूं हदूद अराज़ी जो एक गवर्नमेन्ट को खास अपनी रअय्यत पर और उसकी जायदादपर लाज़िमन हासिल होता है वह बतौर क़ायदा आम बाहर के आये हुए बेगाने अशख़ास पर हावी होता है–मगर ऐसे इख्तियारात पर हावी नहीं होता जो ब इल्लत किसी जुर्म बकूअ मुल्क ग़ैर के तजवीज़ करने और सज़ा देने के बाबत हो–देखो–किताब **फीलमूर** साहब क़ानून बाहमी अक़वाम हिन्द जिल्द अव्वल सफ़ा-३८६ व ३९१–

दफ़अ (१०) जबकि जुर्म मुतज़िकूरा दफ़अ ९ की तहक़ीक़ात होती हो तो लोकल गवर्नमेंट मजाज़ इस हिदायत की है कि नक़ल इज़हार गवाहान या क़ाग़ज़ात सबूत के जो रोबरू पोलेटिकल एजेन्ट या हाकिम अदालत क़लम बन्द या पेश किये गये हों जहां जुर्म का सर्जद होना बयान किया गयाहो वह उस अदालत में जहां तहक़ीक़ात या तजवीज़ होती हो सबूत में मक़बूल हैं–

बाब चहारम।

हवालगी मुजरिमान माबैन दो रियासतोंके

दफ़अ (११) अगर कोई शख्श (ग़ैर रअय्यत बृटानियां अहल यूरुप) किसी रियासत में मुर्तकिब जुर्म होकर बृटिश इंडिया में चला आये तो वहां के पोलेटिकल एजेन्टको सूरत हाय ज़ैल में इख्तियार इजराय वारन्ट गिरफ्तारी मुलज़िमका है–

अव्वल–अगर जुर्म ऐसा हो कि बदानिस्त पोलेटिकल एजेन्ट तहक़ीक़ात रियासत में होनी चाहिये–

दोम–अगर फ़ैल मज़कूर दाख़िल जरायम ताज़ीरात हिन्द मिसर्रह ज़मीमा एक्ट

हाज़ा या जरायम मुश्तहरा गज़ट बहुक्म जनाब नव्वाब ममदूह दफ़अ हाज़ा हो—

(नोट अलिफ़) जब कि इर्तकाब जुर्म बृटिश इंडिया में हुआ हो तो वारन्ट पोलिटिकल एजेन्ट पर आसामी उसको सुपर्द नहीं की जासकती—क्योंकि दफ़अ हाज़ासिर्फ़ उन अशख़ास से मुताल्लिक़ है जिन्हों ने इर्तकाब जुर्म रियासत ग़ैर में किया हो—फ़ैसला चीफ़ कोर्ट पंजाब नम्बर १४ सन् १८७३ ई०

दफ़अ १२ वारन्ट बनाम मजिस्ट्रेट उस ज़िलअ के होगा जहां मुलज़िमका मौजूद होना बावर किया जाताहो और उसकी तामील होकर मुलज़िम बाद गिरफ्तारी उसमें भेजा जायगा—या हवालह शख्स मुन्दर्जा वारन्ट किया जायगा ।

दफ़अ १३-पोलेटिकल एजेन्ट मजाज़ है कि उसका क़बज़ा ख्वाह खुद करे ख्वाह तफ़वीज़ अदालत मामूली उस रियासत के करदे—बशर्ते कि ऐसी हिदायत उसको जनाब नव्वाब ममदूह या नव्वाब गवर्नर मदरास या बंबई से हुई हो ।

दफ़अ १४ जनाब नव्वाब ममदूह या लोकल गवर्नमेन्ट को बदख्वास्त हवालगी मुजरिम मिन् जानिब उन अशख़ास के जो इख्तियार आमलानह बृटिश इंडिया रियासत ग़ैर में रखते हों जायज़ होगा कि हुक्म तहक़ीक़ात सदाक़त इल्ज़ाम बनाम मजिस्ट्रेट इलाक़े वक़ूअ जुर्म नाफ़िज़ फ़र्मावें और मजिस्ट्रेट मज़कूर हस्ब सूरत मुक़द्दमह समन या वारंट जारी करके बाद तहक़ीक़ात कैफ़ियत भेजेगा और गवर्नमेन्ट बाद मुलाहिज़ह कैफ़ियत मज़कूर हस्ब राय खुद वारन्ट हवालगी मुजारिम जारी फ़र्मावेगी—अहकाम दफ़अ १०—तहक़ीक़ात मुताल्लिक़ा दफ़अ हाज़ासे भी मुताल्लिक़ होंगे ।

दफ़अ १५—जब कोई शख्स जिस पर शुभा इर्तकाब जुर्म बेरूं बृटिश इंडियाका उस मजिस्ट्रेट को जिसके इलाक़े में वह मौजूद हुआहो और जुर्म ऐसा हो कि पोलेटिकल एजेन्ट हस्ब दफ़ा ११—उसमें वारन्ट जारी कर सकताहै या उसकी हवालगीका मतालिबा हो सकता है—तो मजिस्ट्रेट मज़कूर को बाद तहक़ीक़ात ज़रूरी वारन्ट जारीकरे और जब रियासत ग़ैर मज़कूर में पोलेटिकल एजेन्ट मौजूद होंतो उसको वर्ना लोकल गवर्नमेन्ट को इत्तलाअ भेजे ।

दफ़अ १६—शख्स मज़कूर गिरफ्तार होकर तारीख़ गिरफ्तारी से—दो माह से ज़ायद नज़रबंद न रहेगा इल्ला उस सूरत में कि वारन्ट हस्ब दफ़ा ११—मजारिया पोलेटिकल एजेन्ट या कोई हुक्म हस्ब दफ़अ १४—जनाब नव्वाब ममदूह या लोकल गवर्नमेन्ट का पहुंचे-कि हस्ब क़ानून किसी वालिये मुल्क या रिया-

सत गैर को हवालह किया जाय—मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि क़बूल पहुंचने वारन्ट या हुक्म मज़कूर के अगर मुनासिब समझे या हुक्म लोकल गवर्नमेन्ट का पहुंचे—तो शख़्स मज़कूर को रिहा करदे।

दफ़अ् १७ शरायत मजमूअ् ज़ाब्ता फ़ौजदारी दर्बारह ज़मानत ऐसे शख़्स से भी मुताल्लिक़ होंगे।

बाब पंजम मुतफ़र्रिक़।

दफ़अ् १८ जनाब नव्वाब ममदूह मजाज़ इन्ज़बात क़वाअ़द जेल हैं (१) दरबाब क़ैद व ख़ूराक़ व क़ैदख़ाना रिआयाय अंग्रेज़ी जिनको पोलेटिकल एजेन्ट क़ैदकरे। (२) दरबाब याने मुलज़िमान और अहतमाम ख़ूराक़ व पोशाक उनकी या वक़् रवानगी (३) दीगर क़वाअ़द बग़रज़ हसूल अग़राज़ एक्ट हाज़ा।

दफ़अ् १९ शहादत हरएक गवाहकी निस्बत हर मुआमला फ़ौजदारी के जो किसी बामुल्क या रियासत गैर की क़लम रूके अन्दर किसी अ़दालत में दायर हो—उस तरह हासिल हो सकती है जैसे कि मुआमला दीवानी की हस्ब बाब २५—ज़ाब्ता दीवानी—लेकिन दफ़अ् हाज़ा उस फ़ौजदारी से मुताल्लिक़ न होगी जो सीग़ा इन्तिज़ाम मुल्कदारी से मुताल्लिक़ हो।

ज़मीमा।

(दफ़ात ताज़ीरात हिन्द महूला दफ़अ ११ एक्ट हाज़ा)

दफ़ात २०१ व २०८ व २२४ व २३० ता २६३ व अज़ २९९ ता ३०४ व ३०७ व ३१० व ३११ व अज़ ३१२ ता ३१७ व अज़ ३२३ ता ३३३ व ३४७ व ३४८ व अज़ ३६० ता ३७३ व अज़ ३७५ ता ३७७ व अज़ ३७८ ता ४१४ व अज़ ४३५ ता ४४० व अज़ ४४३ ता ४४६ व अज़ ४६४ ता ४६८ व अज़ ४७१ ता ४७७ फ़क़त।

मानी अल्फ़ाज़ मस्तामिला मजमूअ़

हाज़ा ।

रदीफ़ अलिफ़ ।

इन्तख़ाब	चुनाहुआ छाँटा हुआ
एक्ट	यह अंग्रेज़ी लफ्ज़है ब मानी कानून
आला	अच्छा—बड़ा
अहालियान्	जमाअहल, याने लोग
इक़बाल	इक़रार—क़बूल करना
अआनत	मदद्
अशख़ास	जमा शख्स—बमानीलोग
अमवात	जमा मौत
इन्सदाद	बन्दोबस्त—रोक थाम
आमद् रफ्त	आना जाना
अहकाम	जमा हुक्म की
इस्तग़ासा	फ़र्याद—नालिश—पुकार
अहल ख़ानदान	रिश्तहदार—अज़ीज़ कुनबे वाले
अज़ किस्म ज़कूर	मर्द के जिन्स से
अजज़ा	टुकड़े
अहल हनूद	हिन्दू लोग
अतवार	जमातौरकी—ढंग
इलतवा	मुल्तवी होना एक वक़्से दूसरे वक़्पर बदल देना
अन्दराज	दर्ज होना-तहरीर होना-लिखाजाना
आलात	औज़ार
अपील	एक अदालतसे नाकाम होकर दूसरी बड़ी अदालतमें चारा जोई करना
अपीलान्ट	अपील करने वाले को कहते हैं
इस्तस्वाबन	सलाह लेना, अदालत से पूछना—दर्याफ्त करना
असदार कुनन्दा	नाफ़िज़ या जारी करने वाला
औज़ां	जमा वज़न की
अतफ़ाल	जमातिफ़ल की—लड़के
उजरत	मज़दूरी—मेहनताना
इर्तकाब	कर्ना-करने वाला
अबवाब	जमाबाबकी—दर्वाज़ा
अलहम्दुलिल्ला	शुक्र अल्ला का
अफ़ादह	फ़ायदा
अशद्	निहायत-सख्ततर
अशयाय मुनश्शी	नशेवाली चीज़ें
आलह हाय जर्राही	औज़ार जर्राहके
असालतन्	ख़ुद-बज़ात ख़ास
अहतमाल	शक—शुभा
अहल यूरुप	यूरुप के रहने वाले
इख्तयारात	मुफविज़ा—दिये हुये इख्तयार
अहल इसलाम	मुसलमान लोग
अज़ालह हैसियत उर्फी—	झूठी बात किसीकी निस्वत मशहूर करनेको ख्वाह तहरीरी हो या तक़रीरी अज़ालह हैसियत उर्फी कहते हैं
इक़दाम	किसी जुर्मके करनेके

| कोई हरकत करना
अज्र जायज़ — वह बदला जिसका लेना कानूनन् जायज़ है
अद्दा — झूठा दावा करना
स्टाम्प — निशान काग़ज़ जो सर्कार की तरफ़ से जारी और फरोख्त होता है—और नविश्ता और रुक़्क़ा वग़ैरहचस्पा या ठप्पा किया हुआ
इस्तहसाल ख़त खिलाफ़ वज़े फ़ितरी — अग़लाम और जमा जानवरान् के साथ मजा उठानेको ख़िलाफ़ वज़े फितरी कहते हैं
इस्तहक़ाक हिफ़ाज़त ख़ुद इख़्तियारी — अपनी जानमाल बचानेके लिये या दूसरों के लिये जो फ़ेल किया जावे उसको हिफ़ाजत ख़ुद इख़्तियारी कहतेहैं
असीर सुल्तानी — वह शख़्स जो गवर्नमेंटके हुक्म से क़ैद या नज़रबंद हो
अलाम या अलान—जतलाना आगाहकरना वाक़िफ़ करना
ओफ़ीसर — हाकिम सर्रिश्तह या जंगी ओहदहदार

रदीफ़ अल्बाय

बिलइरादह — अपनी खुशीसे—बिलारग़बत
बरआवुर्द तनख़्वाह—नौकरों की तनख़्वाह की फ़र्द
बरवक़्त इजराय — जारी करने के वक़्त या जारी होनेके वक़्त
बेकम व कास्त — वग़ैर घटाने बढ़ानेके
बृटिश इंडिया — बृटिन मन्सूब ब बृटिन और बृटिन पुरानी ज़बान में बृटानियाको कहतेहैं यानी ममालिक हिन्द जो हुकूमतमें बादशाह इंगलिस्तान के हैं
बरीयत — रिहाई—छुटना
बिरहना — नंगा—खुला हुआ
बर्तवक़ तलबी मिसल—मिसल तलब होने के वक़्त

रदीफ़ अल्बाय फ़ारसी

पर्दानशीन — पर्दहकी बैठने वाली
पुश्त — पीछे—पीठ
पोशाक — लिबास—पहननेके कपड़े
पुराने वक़ा — गुज़रे हुए हालात
परमन गनेट पौडर—वह दवा अंग्रेजी जो हैज़े के कीड़ोंको नेस्त व नाबूद कर देती है
पादाश — बुरे कामका बदला या मावज़ा
पार्लिमेंट — ग्रेटबृटन और आयर लैंड की मजलिस आला जिसके हुक्मसे क़ानून जारी होतेहैं और जिसके इख़्तियारमें अमूर रियासत है—
प्रेसीडेन्ट — मीर मजलिस
प्रेज़ीडेंसी — क़लमरू हिन्द का वह

	हिस्सह जो किसी अलहदा गवर्नमेन्ट के मातहत हो—और उर्दू में अहाता बोलते हैं जैसे बंबई अहाता
पंचायत नामा	जो पंच लोग देखकर हाल कहें
पोलेटिकल एजेंट	सर्कार अंग्रेजी की तरफ़से जो अफ़सर किसी रियासत में मुक़र्रर हो

रदीफ़ उलताय

ताज़ीरात	जमा ताज़ीर की—सज़ायें
तैनाती	मुक़र्रर करना
तग़ीरो तबदील	अदल बदल कर्ना
तफ़तीश	तहक़ीक़ात—खोदकुरेद कर्ना
तसदीक़	पुकारना—सच्चा
तसद्दुद	सख्ती—ज़ियादती
ताल्लुक	वास्ता—ग़रज—लगाव
ताक़ुब	पीछा—करना
तकर्रुरी	भर्ती कर्ना—मुक़र्रर कर्ना
तकमील	पूराकरना इन्तहाको पहुँचाना
तावां	जुर्माना-डाँड
तर्जुमा	एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लाना
तासीर	असर करना
तमादी मयाद	वक्त का गुज़रना-मयादका गुज़रना
ताबे	नीचेवाला-हुक्म मानने वाला
तशरीह	साफ़ २ खोलके ज़ाहिर करना
तजहीज़ व तकफ़ीन	गाड़ना-दफ़न करना-मुर्दहका सामान करना-दाग़ देना
तसव्वुर	ख़यालकरना-समझना
ताजील	जलदी करना
तख़दीर	डराना
तर्क फ़ैल	कामका छोड़ना
ताअब्द	जबतक संसार है

रदीफ़ उलसाय

समन	बुलानेका हुक्म-हाज़री का परवाना

रदीफ़ुल जीम

जब्र	ज़बर्दस्ती-ज़ुल्म-सताना
जिस्म	बदन-तन
जाली दस्तावेज़ात,	झूठाख़त-झूठाकाग़ज़
जरायम ख़फ़ीफ़ा	झूठे झूठे जुर्म
जामे	इकट्ठा करना
जलीलुलक़दर	बड़े मर्तबह वाला
जज	फ़ैसला करने वाला
जनी	बच्चा जो औरतके शकम में हो
जस्टिस आफ़दी पेन्स-	जिसको मादलत आम्मा की हिफ़ाज़त सुपुर्द हो।

जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाज़ी से वह जुर्म मुरांद है- और मुक़द्दमा क़ाबिल दस्तन्दाज़ी से वह मुक़द्दमा मुरादहै जिसके लिये

और जिसमें अफ़सर पुलिस को बिला हसूलवारन्ट गिरफ्तार करनेका इख्तियारहो।

जुर्म गैर क़ाबिल दस्तन्दाज़ी से वह जुर्म मुराद है और मुक़द्दमा गैर क़ाबिल दस्तन्दाजी से वह मुक़द्दमा मुराद है जिस के लिये पुलिस आफ़ीसर बिलावारन्ट गिरफ्तार करने का मजाज़ नहीं रखता।

जुर्म क़ाबिल जमानत से वह जुर्म मुराद है जो क़ाबिल ज़मानत क़रार पाया है

जुर्म गैर क़ाबिल ज़मानतसे वह जुर्म मुराद है जिसकी ज़मानत मुक़र्रर नहीं है।

जरायम मुख़ालिफ़ मादलत आम्मा-वह जुर्म जो लोगों के लिये इन्साफ़से खिलाफ़ हों।

जामह तलाशी	कपड़ों की तलासी
हलफ़	सौगंद-क़सम
हिसस	जमा हिस्सह की
हल्क़ा-	इलाक़ा ठिकाना
हरासत	पहरा-हल्की क़ैद

रदीफ़ुल खाय

खानह बदोश	जिनका घर बार नहो
खिलाफ़ रस्म	जिसका दस्तूर नहो-चलत नहो
ख़ौफ़	डर-हौल
ख़ुफ़िया	पोशीदा-छुपा हुआ
खिल्वत खाना	पर्दहका घर-खास घर
ख़यानत मुजरिमाना-	माल अमानती को बदनीयती से हज़म करनेको खयानत मुजरिमाना कहते हैं देखो तारीफ़ मुन्दर्जा दफ़अ (४०५) ताज़ीरात हिन्द
खिदमत की तनक़ीज़ माहिदा	जोकोई शख्स किसी से यह माहिदा करे कि मैं दो माह तक काम करूंगा और एक माह गुज़रने से पहले तरक मुलाज़िमत करे।
खिदमात	जमाखिदमतों की
खाना तलाशी	घरकी तलाशीलेना

रदीफ़ दाल

दादस्तद	लेन देन
दस्तन्दाजी	बेजाहाथ डालना
दौराने तहक़ीक़ात	तहक़ीक़ातका ज़माना
देहात	जमादेह-गांव
दस्तखत	अपने नाम की अपने हाथसे लिखत
दस्तावेज़ात	जमादस्तावेज़की
दस्तबर्दारी	हाथउठाना
दफ़ात	जमा दफ़अ
दारुल खिलाफ़ा	बादशाह या वज़ीर के रहने का मुक़ाम।
दग़ा	कोई शख्स धोखा या फ़रेब या बददयानती से किसीके मालके हासिल करने में किसी शख्स को रज़ामन्द करे उसे दग़ा कहते हैं देखो तारीफ़ ताज़ीरात हिन्द दफ़अ (४१५)

रदीफ़ डाल

डकैती	पांच या पांचसे ज़ियादह अशख़ास शामिल होकर लूट मार करें उसे डकैती कहते हैं–
डलेशन फ़िकन्ता पौडर	वह सफ़ूफ़ जो पाख़ानह में डाला जाता है और वह कुल बदबू को जज़्ब कर लेता है

रदीफ़ अलराय

रजिस्टर आम	जिस किताब में सब रिपोर्टें लिखी जावें
रोज़नामचाख़ास	जिसमें कोई २ रिपोर्ट हो
रहज़न	लूटने वाला डाकाडालनेवाला
रोबरू	सामने आगे
रजिस्टर	उस किताब को कहतेहैं जिनमें कोई हिसाब या और कोई चीज़ लिखी जावे
रायज	जारी-जिसका चलनहो
रऊसाय ज़्ज़ाम	बड़े २ रईस
सुराग़ रसी	पतालगाना--खोज पाना
रऊसाय	रईस
रावता	मेलजोल-
रिस्पान्डेन्ट	मुद्दाअ़ला-
रसूख़ ज़ाती	वह दबाव जो कोई शख़्स औरों की निस्बत बा ऐतबार अपनी ज़ातके रखताहो

रदीफ़ुल ज़ाय

ज़बान	बोली-गुफ़्तगू
ज़ोजह	शादी की औरत
ज़मानए पेशी	गुज़रा हुआ ज़माना
ज़िना बिल्जब्र	किसी औरत के साथ जबरन् जमा करनेको जो चंद शरायत से मशरूतहै ज़िना बिल्जब्र कहतेहैं देखो दफ़अ़ (३७५) ताज़ीरात हिन्द
ज़ियां	नुक़सान

रदीफ़ सीन

सज़ा याफ़्ता	सज़ा पाया हुआ
समाअ़त	सुनना
सुपुर्दगी मुजरिमान्	कुसूर वारों को सुपुर्द करना
सज़ायाब	जो पहले सज़ा पाचुके हों
साबिक़ा	पहले का
सक़म	ग़ल्ती–ऐब–बीमारी
सुपरिन्टेन्डेट जेल	जेलका आला अफ़सर
सर परस्त	ख़बरगीर–पर्वरिश करनें वाला
सूदमन्द	कामका–फ़ायदे का भरा हुआ
सहल	आसान
सुराग़रसी	पता लगाना या खोज लगाना
संम	ज़हर–संखिया
सिर्क़ा	बद दयानती से किसी शख़्स के माल मन्क़ूलह को लेना
सर्क़ा बिल्जब्र	जिस चोरी में जब्र किया जावे–

रदीफ़ शीन

शहादत — गवाही
शमूल मिसल — मिसल के शामिल कियाजाना
शहादत मुसिलसल—गवाही सिलसिलह वार
शहादत तक़रीरी—ज़बानी गवाही
शनाख़्त — पहचान
शख़्स मतलूबा — बुलाया हुआ आदमी

रदीफ़ स्वाद

साहबे ख़ाना — घरवाला—घरका मालिक
सादिर — उतरा—जारी
सराहत — खुल्लम खुल्ला—ज़ाहिर
सदी — सौ बरस को कहते हैं

रदीफ़ ज़्वाद

ज़ब्त — सर्फ़ में बज़ोर करलेना
ज़ररशदीद — किसी अज़ूकी बेकार हो जाने वाली चोट
ज़ाब्ता — दस्तूर—क़ायदा
ज़रर — बदन का नुक़सान

रदीफ़ ता

तरीक़ा — ढंग—रविश
तलबाना — समन की फ़ीस—उजरत
तलब करना — बुलाना
तबा ज़ाद — तबीयतसे पैदाकियाहुआ
तिला — सोना

रदीफ़ ज़ा

ज़ाहरी — जो कुछ मौजूद हो—दिखाई देता हो
ज़हूर पिज़ीर — ज़ाहिर होने वाला—पैदा होना

रदीफ़ ऐन

ओहदहदार — नौकर मुलाज़िम—मर्तबह वाला
अर्सा — ज़मानह—वक्त
अमला — दफ्तर
अदम हाज़री — न मौजूद होना
अनवां — पेशानी
अदम पैरवी — पीछे न जाना—कोशिश न करना
अज़ीज़ान व ख़ेशान—रिश्तहदार कुनबेवाले
अदम अदाय जुर्माना—जुर्मानह का अदा न होना
अदल गस्तर — मुन्सिफ़—इन्साफ़ करने वाला
आली ख़ान्दान — बड़ा घराना
अ़दालत मजाज़ — इख्तियारवाली अ़दालत
अ़क़ील — होशियार—ज्ञानी
आली मंज़िलत — बड़ा रुतबा वाला
उमूमन् — आमतौर पर—सब
आम फ़हम — जिसको सब समझ सकें
अलानिया — रोबरू—साफ़ साफ़
आम्मा ख़लायक़ — सब लोग
आफ़ियत ज़ाती — बदन का ख़तरहसे महफ़ूज रखना

रदीफ़ ग़ैन

ग़ुर्बापरवर — ग़रीबों का पालने वाला
ग़ोल — रेवड़—गिरोह—जमघटा

रदीफ़ फ़ा

फ़िर्क़ा	गिरोह—शाख
फ़र्ज़	ज़रूर लाज़िम
फ़रारी	भागने वाला—भागा हुआ
फ़रीक़ मुक़द्दमा	मुद्दई व मुद्दाअला
फ़रोगुज़ाश्त	छोड़ा—भूल चूक
फ़ैज़माब	जिससे फ़ैज़ जारी हो
फ़ौत	मरना
फ़ैसला शुद	फ़ैसला हुआ—बराबर हुआ
फ़वायद	जमा फ़ायदहकी
फ़र्द क़रारदादजुर्म	जिस कागज़ में तफ़सील जुर्म हो
फ़ार्म	नमूनह
फरदगाह	नीचे उतरने की जगह रहने की जगह
फ़िलूवाक़े	असल में-वाक़ई

रदीफ़ क़ाफ़

क़स्बा	गाँव
क़ुर्क़ी जायदाय	मालको ज़ब्त करलेना
क़लमबन्दी	तहरीर होना-लिखा जाना
क़लमबन्दी इज़हार ज़रिएकमीशन	दूसरोंके ज़रिएसे इजहार लिखाजाना
क़ानून खास	जो खास किसी अमर के लिये जारीहो
क़ानून मुस्तासिल मुक़ाम	जो खास किसी जगहके लिये बनाया गया हो
क़ाबिल मवाख़ज़ा	वह शख्स जिसका जुर्म तहक़ीक़ात और तजवीज़ के लायक हो

रदीफ़ काफ़

कमरा	घरका हिस्सह
कसरत	ज़ियादती-बहुत
कफ़ाफ़	वज़ीफ़ा-रोज़ी
कलन्दरा	उस कागज़ को कहते हैं जिसमें कुछ मुक़द्दमह का और गवाहान के नाम व जुर्मकी तफ़सील बड़ी अदालतकी आगाहीके वास्ते मिसल के साथ लिख कर भेजतेहैं।

(रदीफ़ गाफ़)

गिरफ्तार	पकड़ना
गिर्दोनवाह	चारोंतरफ़—आसपास
गश्त	फिरता—घूमता

(रदीफ़ लाम)

लावारिस	जिसका कोई वारिस नहो
लिबास	पहननेके कपड़े
लाइल्म	बेख़बर—जाहिल—अनजान नावाक़िफ़
लेजिसलेटिव कौंसिल	क़ानून बनाने ाली और जारी करने वाली मजलिस

(रदीफ़ मीम)

मजमूअ	इकट्ठा—जमाकियाहुआ
मरम्मा	दुरुस्त किया हुआ
मर्ग इत्तिफ़ाक़िया	जो यकायक मरजाय
मसल्लह	हाथयारबन्द-
मौतबिर	ऐतबारकियागया—भरमवाला

मस्तूरात	जमा मस्तूर बमानी छिपा हुवा व औरतें
महफ़ूज़	ज़मीनमें—बचावमें—हिफ़ाज़तमें
मिल्कियत राज	राजमालिक होगा
मालख़ाना	जिस घरमें माल रखतेहैं
मुक़द्दमातग़ैर क़ाबिल दस्तन्दाज़ी	वह मुक़द्दमा या मामलाहै जिसमें पुलिस दस्तन्दाज़ी न करसके
मुश्तबा लोग	जिन पर शक यागुमान हो
मवेशी	गाय, बैल, भैंस वग़ैरह
मक़सूद	इरादाकिया गया—मतलब
माकूल	लायक—होशियार काफ़ी अच्छा—
मुरत्तिब	बनाना—तैयार करना
मतदायर।	दायर हुआ हुआ—पेश हुआ हुआ
महदूद	हद्दकियागया इंतहाकिया गया—
मुअत्तिल	बेकार—नौकरी से छूट जाना
माहानह या मुशाहरा	तनख़्वाह—तीसदिन की उजरत
मुश्तहरा	शोहरत किया गया—छपाहुआ शोहरतवाला
मक़ासद	जमामक़सदकी—मतलब
मन्सूख़	ख़ारिजकियाहुआ-
मुतमईयन	तसल्ली से
मवाहीर	मुहरकी जमा—छाप

मसद्दक़ा	तसदीक़ कियाहुआ-सच्चाकिया हुआ
मुलज़िम	मुजरिम—इलज़ामवाला जिसपर इलज़ाम लगायां जावे
मसारिफ़	जमासर्फ़की—ख़र्च
मरीज़	बीमार—अलील—दुःखी
मुख़्तालिफ़—	ख़िलाफ़ कियागया-जुदार२
माहरीं	आगाह—जाननेवाले
मुआयना	देखना मुलाहिज़ा करना
मुहक्क़िक़	तहको पहुंचने वाला-तहक़ीक़ करने वाला
मुस्तहसन	नेक-अच्छा-ख़ूब
मसावी	बराबर
मस्तूर	सतर कियागया लिखा हुआ
महरूम	बेनसीब-हरामकियागया
ममालिक	जमा मुल्क
म्यूनिसिपिलेटी	सफ़ाई का महकमा
मुस्तक़िल मजाज़ी	मजाज़ पर क़ाबू रखने वाला
मुख़बिर	ख़बर करने वाला
मसायब	मुसीबत की जमा-तकलीफ़
मुतलक़	बिला क़ैद—बिलकुल
माल मन्कूला	जो एक जगह से दूसरे जगह जासके
माल ग़ैर मन्कूला	एक जगह से दूसरी जगह न जा सके
मुअय्यन	मदद करने वाला
मुआन	मदद कियागया

मजमाखिलाफ़कानून	पांच आदमियों से जियादा मजमै को	नशिस्त	बैठा, बैठक, बैठना
		नान व नफ़्क़ा	रोटी कपड़ा
		नोटी फ़िकेशन	इश्तिहार-
मसालहत	आपस में मिलापहोना	नामके महाज़ी	नामके नीचे-मुक़ाबिलह में
मलसिक़	चस्पा किया गया		
मंजर	खेंचने वाला	ज़मानह पेशी	गुज़राहुआ वक़्त
मुक़द्दमा	क़ाबिल इजराय वारन्ट से ऐसे हर जुर्म का मुक़द्दमा मुराद है जिसकी सज़ा फांसी या हब्स ब अबूर दर्याय शोर या छै (६) माह से ज़ियादह मयाद की कैद मुक़र्रर है		

रदीफ़ वाव

वजहतस्मियां	नाम रक्खे जानेका सबब
वसअत	गुंजायश-फैलाव
वाक़आत मर्ग	मरने की हालत
वारन्ट	इख़्तियार गिरफ्तारी या कुर्क़ी
वकील मक़बूला	मानाहुआ वकील क़बूल किया हुआ
वसायल	जमा वसीला
वक़्तन् फ़वक़्तन्	कभी कभी
वजूह	जमा वजह की-सबब
विर्साय	हक़दार-मुर्दा के मालके वारिस
वक़अत	इज्जत-हुर्मत

मुक़द्दमा	मुक़द्दमा क़ाबिल इजराय समन से ऐसे हर जुर्म का मुक़द्दमा मुराद है जिसकी मयाद मुन्दर्जा बाला के खिलाफ़ हो
मरई	रिआयत रखना-लिहाज़ रखना

रदीफ़ नून।

नाजवाज़ी	जो जायज़ नहो
नीलाम	शारअ़ आम पर सब लोगोंकी राय पर क़ीमत लगाना.
निगरानी	देख भाल
नामुमकिन	जो नहोसके
नाख्वांदा	अनपढ़ा-जाहिल-बिन पढ़ा

रदीफ़ हाय हव्वज़

हमातन	बिलकुल-एक तरफ़ होकर
हंगामा	जब दो या दो से ज़ियादा लोग किसी अमद व रफ्त की जगह लोगों की आसूदगी में खलल डालें उसको हंगामा कहते हैं

फ़ेहरिस्त असमाय रऊसाय उज़्ज़ाम व वालियान मुल्क राजपूताना जिन्होंने बराह क़दरदानी दर्यादिली कबूल छपने मजमूअ़ हाज़ा के ज़र पेशगी से इम्दाद फ़र्माई जिसका मौअ़ल्लिफ़ तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है ।

जनाब मौलवी मुसब्बाउद्दीन साहब हाकिम अदालतन राज कोटा.

जनाब रावराजा माधोसिंहजी साहब बहादुर रईस सीकर शेखावाटी.

जनाब महाराव उम्मेद सिंहजी साहब बहादुर वाली कोटा.

जनाब राज साहबान हिम्मत सिंहजी साहब जागीरदार समाज इलाक़ै सिरोही

जनाब महाराव केसरी सिंहजी साहब बहादुर के, सी, एस, आई वाली रियासत सिरोही.

जनाब सिंघी जवारचंदजी साहब दीवान दर्बार सिरोही.

जनाब सिंघी समरथ मलजी साहब प्राइवेट सेक्रेटरी महाराव साहब बहादुर ममदूह

जनाब सिंघी पूनमचंदजी साहब वकील दर्बार सिरोही मुतैयनारजीडेंसी मग़रबी राजपूताना.

जनाब साह खेमचंदजी साहब तहसीलदार कोह आबू इलाक़ै सिरोही.

जनाब अम्मूख़ाजी साहब नायब तहसीलदार कोह आबू ऐज़न

जनाब मुन्शी होशदार ख़ांजी साहब वकील रईस खेतड़ी.

जनाब मुन्शी छोटे लालजी साहब वकील राज अलवर मु..यना एजेंटी राजस्थान.

जनाब मुन्शी शेख़ रहीमबख्श व जवाहरमल साहब मुलाजिम ठिकाना आबंद मेवाड़

जनाब मुंशी क़ाज़ी मुहम्मद नियाज़अली साहब हनफाउलमसदीकी इंगलिश सेक्रेटरी दीवान राज जैसलमेर.

जनाब व्यास सूरजकर्ण जी साहब ख़लफ़ व्यास धनरूप जी साहब साबिक़ मीर-मुंशी रज़ीडेंसी राजस्थान रियासत जैसलमेर

जनाब व्यास शंकर लालजी साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट सरिश्तह तालीम रियासत जैसलमेर

जनाब पंना रावतमलजी साहब ख़लफ़ सेठ जोरावर मल

खट्टूमलजी साहब रियासत जैसलमेर

जनाब मुन्शी गुलाम मुहम्मदजी साहब सरिश्तहदार फौजदारी अदालत रियासत जैसलमेर

जनाब महता रत्न लालजी साहब सरिश्तहदार अदालत दीवानी राज जैसलमेर
जनाब महता संगतसिंह जी साहब जैसलमेर
जनाब व्यास हिम्मतराम वल्द लछमन दासजी साहब रियासतजैसलमेर

क़तए तारीख़ अज़ नतीजए फ़िक्र हाफ़िज़ मुंशी अहमद हसन साहब मुदर्रिस मदर्सह देशी कोह आबू राजपूताना.

यह कानून है कि दस्तूरुलअमलनज़्ममुमालिक है । जो पूछे ईस्वी साले शुरूअ़ इसका तो यह कहदो.
ज़वाबित फ़ौजदारी हैं कि यह खूबीका बन्ना है । मुबारक हिजरी सन् तेरासे तेरह साल तबा है ॥

तमामशुद.

अवश्यद्रष्टव्य.

विक्रय्यपुस्तकें-धर्मशास्त्रग्रन्थाः ।

नाम.	की. रु. आ.
मनुस्मृति सटीक-कुल्लूकभट्टकृत संस्कृतटीकासहित जिल्दबँधी-	२-०
मनुस्मृति सान्वय भाषाटीका ग्लेज	२-८
तथा रफ़	२-०
व्रतराजअतिउत्तमटिप्पणीसहितजिस्में वर्षभरकीसबातिथियोंके व्रत उद्यापननिर्णयकथाहैं ...	४-०
व्रतराजटिप्पणीसहित रफ़् ...	३-०
निर्णयामृत (अनेक प्राचीन ग्रंथोंसे शुद्ध हुवाहै)	१-१२
याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षरा पं० मिहिरचंद कृत पद, योजना, भावार्थ और तात्पर्यार्थ टिप्पणी तथा भाषा टीकासहित...	५-०
निर्णयसिन्धु टिप्पणीसाहित अत्युत्तम ग्लेज ३ रु० तथा रफ़्कागज	२-८
अष्टादशस्मृति उत्तम शुद्ध मोटा अक्षर	२-०
विवादार्णवसेतु (धर्मशास्त्र व न्याय राजनीति)	२-०
बृहत्पाराशरीस्मृति. (धर्मशास्त्र)	१-०
पाराशरीस्मृतिका उत्तरखंड ...	०-४
प्रपंचसारविवेक (इस जन्ममें मनुष्यका अवश्य कर्तव्य कर्म)	१-०
दयानन्दतिमिरभास्कर भाषाटीका पं० ज्वालाप्रसादजीकृत (दयानन्दमत खण्डन	३-०

नाम.	की. रु. आ.
विवादचिन्तामणि	१-४
क्षौरनिर्णयसटीक	०-४
क्षौरनिर्णय मूळ	०-१
तिथिनिर्णय	०-२
प्रायश्चित्तेंदुशेखर	०-१०
धर्मराजका लेखा	०-८
आशौचनिर्णय.	०-२
भवाब्धिसेतु भाषाटीकासहित	०-१२
वर्णविवेकचंद्रिका.	०-२
स्मृत्यर्थसागर माध्वसंप्रदायी धर्म शास्त्र वैष्णवोंको परमोपयोगी	१-४
शुद्धिविवेक (सूतकोंसे शुद्धिका निर्णय)	०-८
दानचंद्रिका	०-१०
शांतिसार (सब प्रकारकी शान्तिहैं)	१-४
गंगास्थित्यनिर्णय भाषाटीका ...	०-२
आचारार्क	०-१२
आचारादर्श	०-१२
श्राद्धविवेक (इसमें सब श्राद्धोंकी विधि हैं)	०-१२
प्रतिष्ठामयूख	०-६
आशौचनिर्णय भाषाटीका ...	०-४
सनातनधर्मदीपक भाषा(उदाहरणों समेत सनातन धर्ममण्डन)	०-८
मातृकाविलास (अकारसे लेकर सर्व अक्षर मात्रोंका अर्थ और तिनसे विस्तारपाकर बनेहुए	